राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का दसवां दिवस [संख्या 6

बुधवार,

दिनांक 11 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे को विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, सार्वजनिक-निर्माण, समाज-कल्याण, उद्योग, राजस्व, गृह, जन-स्वास्थ्य, न्याय एवं विधि विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री हंसराज आर्य।

सफाई कर्मचारियों का वेतन

95. **श्री हंसराज आर्य (भादरा) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिकाओं में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को श्रेणीवार क्या वेतन मिलता है ?

(2) क्या सब नगरपालिकाओं में समान रूप से वेतन मिलता है ?

(3) सफाई कर्मचारियों में महिला कर्मचारी की जच्चा की सूरत में सवेतनिक कितने दिनों की छुट्टी दी जाती है ?

(4) क्या सफाई कर्मचारियों को गर्मी और सर्दी की वर्दियां मुफ्त दी जाती हैं ?

(5) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या भविष्य में वर्दियां दी जायेंगी ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह) : (1) सब ही श्रेणी की नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों के निम्न पदों के लिये उनके सामने अंकित वेतन, शृंखलाएं स्वीकृत हैं :—

नाम पद	वेतन शृंखला
1. महतर	25-1-40
2. मिस्त्री	25-1-40
3. जमादार	30-1-45

(2) राजकीय आदेशानुसार सभी श्रेणी की नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को दिनांक 1-4-64 से समान रूप से वेतन शृंखला स्वीकृत की गई है। इसके पश्चात् राज्य सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया है कि राजकीय कर्मचारियों के लिये

(श्री खेतसिंह)
स्वीकृत राजकीय संशोधित वेतन श्रृंखला, 1961 के अनुसार सफाई कर्मचारियों को भी दिनांक 2-12-63 या उसके पश्चात् किसी भी तिथि से जैसा बोर्ड अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए निश्चित करे, वेतन श्रृंखला दिया करें।

(3) राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 1964 से प्रभावशील हैं। इसके अनुसार स्त्री सफाई कर्मचारियों को जच्चा की सूरत में छुट्टियां देय है।'

(4) नियमानुसार वर्दियां मुफ्त में देय हैं।

(5) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(6) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री हंसराज आर्य : महिला सफाई कर्मचारियों को कितनी छुट्टियां उनके प्रसव काल में, उसके पहले व बाद में दी जाती हैं।

श्री खेतसिंह : मैंने जैसे निवेदन किया कि सेवा नियमों के अनुसार जितने-जितने दिन होते हैं उतने दिनों की छुट्टियां इनको भी दी जाती हैं।

श्री हंसराज आर्य : आप बताएं न कि कितनी कितनी मिलती हैं ?

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मन्त्री) : ऐसा है कि कुल मिला कर 48 दिन की मिलती हैं, 42 दिन की बाद में लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इन पर मिनिमम वेज एक्ट भी लागू है ?

श्री भीखाभाई : हमने इसे प्रारम्भ में एप्लाई किया था। पर बाद में नगरपालिकाओं ने प्रतिनिधित्व किया कि उनकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो उस सूरत में एक्जम्पशन दिया जाना चाहिये सो उस पर सरकार ने उनको एक्जम्पशन देने का निर्णय किया है।

श्री हंसराज आर्य : बढ़ा हुआ वेतन उनको कब से मिलने लग जावेगा ?

श्री भीखाभाई : सरकार ने कह दिया है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उनको 1-4-64 से दे देना चाहिये।

श्री हंसराज आर्य : मैं पूछ रहा हूं कि क्या उनको मिलना शुरू हो गया है ? हो गया है तो कम से कम कोई उदाहरण बतावें। कहां मिलने लगा है ? आपके आदेश कागजों में ही पड़े हैं तीन-तीन साल हो गये।

श्री खेतसिंह : यह तो उन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो कहां से देंगे ?

श्री हंसराज आर्य : ऐसी कितनी नगरपालिकाएं हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और जो दे सकती हैं ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि अधिकांश में बढ़ा हुआ वेतन आज तक नहीं दिया गया है?

श्री हंसराज आर्य : किसी एक नगरपालिका का नाम तो बतावें जहां बढ़ी हुई वेतन श्रृंखला शुरू हो गई हो ?

श्री खेतसिंह : ये ऑटोनोमस बॉडी हैं। सरकार उन पर दबाव नहीं दे सकती।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है। उनको इससे एक्जम्पशन है।

श्री लादूराम जुलानियां : आर्थिक स्थिति के कारण चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों का ही अकेलों का वेतन रुका हुआ है या सभी का रुका हुआ है ?

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करूं कि जहां तक मिनिमम वेजेज एक्ट को राजस्थान में लागू करने का सवाल है, मैं श्रम मन्त्री था तो लागू कराया था। पर बाद में इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये एक्जम्पशन देने की बात शुरू की।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप यह बता दें कि किस-किस नगरपालिका ने कितना-कितना वेतन इनका बढ़ाया है ?

श्री भीखाभाई : इसकी सूची तैयार करके सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

श्री लादूराम जुलानियां : जयपुर नगरपालिका का ही बता दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ा हुआ वेतन दिलाने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है ? जिन्होंने नहीं दिया उन नगरपालिकाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भीखाभाई : जिनकी हालत खराब, रिसोर्सेज नहीं हैं तो वहां मुश्किल होगा।

श्री हंसराज आर्य : जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उनसे बढ़ा हुआ वेतन कब तक दिला देंगे ?

श्री भीखाभाई : कोई स्पेसिफिक इन्सटान्स होगी जैसा मैंने कहा तो उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री राम किशन।

बयाना हिन्डौन सड़क की मरम्मत

*96. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बयाना हिन्डौन सड़क जो ग्राम घाघरेन से सुरोठ तक तथा हिन्डौन से जटनगला तक बिल्कुल खराब हो गई है को ठीक कराने का राज्य सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि घाघरेन से सुरोठ तक सड़क की मरम्मत के लिये ठेका हो चुका है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या किसी ठेकेदार को इस कार्य हेतु किसी प्रकार की रकम का भुगतान किया गया है ?

(4) क्या हिन्डौन से ग्राम जट नगला उपरोक्त मार्ग पर टूटी हुई पुलिया के हर वर्ष टूट जाने पर होने वाली असुविधा से ग्रामवासी, एवं यातायात को बचाया जाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी हां, अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित कराना सम्भव नहीं है।

(2) ठेका वर्ष 68-69 में दिया था। ठेकेदार ने समय पर कार्य नहीं किया अतः ठेका रद्द कर दिया गया।

(3) जी हां।

(4) जी हां, विचाराधीन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): ठेकेदार का क्या नाम है ? और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? उस ठेकेदार ने जो कैंन्सिल किया है उसके खिलाफ कोई पैंनेल्टी लगाई है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब काम पूरा नहीं कराया गया तो पैंनेल्टी लगाने का सवाल नहीं है— पैंनेल्टी का कोई सवाल ही नहीं आता है।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, जो अर्थाभाव का कारण बतलाया गया है यह सड़क एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़क है। भरतपुर से सवाई माधोपुर को जोड़ने वाली सड़क है, क्या राज्य सरकार अपनी सेविंग में से इस साल कोई प्रावधान कर सकती है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जरूर प्रावधान किया जायगा। यह तीन मील का टुकड़ा है। हम भी चाहते हैं यह जल्दी खतम हो जाय। मेरा खयाल है हम इसको जल्दी ही समाप्त कर देंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सड़क खतम हो जाय या इसका बनाना खतम हो हो जाय।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सड़क जल्दी बन कर खतम हो जाय।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है क्या इस वर्ष में प्रावधान करने को तैयार हैं ? आज 40 बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं। आप उस पर चल नहीं सकते, कच्चे रास्ते हैं और जबसे बनी है उसकी मरम्मत नहीं हुई है। जो मैटेरियल उस सड़क के लिये आया था वह भी कहीं दूसरी जगह डाल दिया गया है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जांच करा ली जायगी और इस साल इसके लिये प्रावधान रखा जा रहा है।

प्रश्न संख्या 97

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मोहल्लों में पाइप एवं बिजली की लाइन की व्यवस्था

98. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पानी के लिये पाइप लाइन एवं बिजली लाइनों के लिये धनराशि की सरकार से मांग की गई है ? अगर हां, तो कितनी कितनी धनराशि की कब कब मांग की है?

Page No. 5

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त धनराशि की मंजूरी दी जाकर उपरोक्त पंचायत क्षेत्र में उपरोक्त लाइनें लगाने के लिये अब तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं तो क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या उपरोक्त धनराशि की मन्जूरी के लिये वित्त विभाग को मांग भेज दी गई है? अगर हां, तो कब? अगर नहीं, तो क्यों? अब इस बारे में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या इसी वर्ष उपरोक्त लाइनों के लिये गांधी शताब्दी के अवसर के महत्व को देखते हुये उपरोक्त धनराशि पंचायत को दे दी जावेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, समाज-कल्याण (श्री बी. एन. जोशी): (1) जी हां, मांग 69-70 में की गई थी पर प्रस्तावों में इन कार्यों पर भविष्य में होने वाले आवर्ती खर्चों को पंचायत समिति द्वारा वहन किये जाने का वचन नहीं होने के कारण आवश्यक पूर्ति हेतु लौटा दिये गये थे।

(2) जी हां। उपरोक्त वर्णित वचन की कमी के कारण स्वीकृति नहीं दी गई और पूर्ति हेतु वापस लौटा दिये गये।

(3) जी, नहीं। आवश्यक पूर्ति होकर प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। प्राप्त होने पर ही उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपने बताया हर एक पंचायत समिति अपना खर्चा स्वयं वहन करे तो क्या राजस्थान में यही नियम है?

श्री बी. एन. जोशी: बिल्कुल अनिवार्य नियम है। शहर हो तो नगरपालिका से और देहाती क्षेत्र हो तो ग्राम-पंचायत से।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: कई स्थानों पर इसका पालन नहीं किया गया है और कई स्थानों पर पैसा देकर पाइप लाईन लगाई गई है।

श्री बी. एन. जोशी: मेरी जानकारी में एक भी ऐसा केस नहीं है। आप बतायेंगे तो मैं अनुग्रहीत होऊंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: क्या किसी भी पंचायत समिति को बिलकुल भी धनराशि मंजूर नहीं की गई है?

श्री बी. एन. जोशी: सांचोर पंचायत का नियमों के अनुसार सर्टिफिकेट लोकल बॉडीज से नहीं आया है। वे खर्च वहन करने को तैयार नहीं हैं। उसको भिजवा दें, तैयार हो जायगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: कुछ इलाकों में फाइनेन्शियल हालत खराब है तो क्या इसका मतलब वे अन्धेरे में ही रहेंगी। कुछ पालिसी डिसिजन ले सकते हैं। इसका मतलब राजस्थान में, पंचायतों के लिये कोई पैसा मंजूर ही नहीं होगा।

श्री बी. एन. जोशी: रैकरिंग एक्सपेन्डिचर का कोई प्रावधान मेरे विभाग में नहीं है। क्योंकि यह बिजली विभाग का मामला है, कनेक्शन काट दिया जाता है क्योंकि यह कामशियल डिपार्टमेंट है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है क्या राज्य सरकार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
इस विषय पर ऐसे इलाकों में जहां राज्य सरकार समझे—जनता के हित में तो वहां पर एक्सपेंशन करने को तैयार है ?

श्री बी. एन. जोशी : ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है। आपका सुझाव आया है, अब विचार कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय ने ग्राम पंचायतों के लिये कहा है। जब विभाग ने नियम बनाये थे तो उस समय सरकार की ग्रान्ट-इन-ऐड मिलती थी, किन्तु आज पंचायतों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती हैं—सिवाय वेतन के। इसलिये समाज-कल्याण विभाग नये सिरे से प्रावधान बनाये ।

श्री बी. एन. जोशी : समाज-कल्याण विभाग वर्तमान प्रावधानों को देखते हुये इस मद में रुपया खर्च करने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये रेकरिंग एक्सपेन्डिचर को देने को तैयार नहीं हैं ।

श्री लालूराम बुलानिया (फागी) : एक बात छोटी सी और बता दें, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया सर्टिफिकेट नहीं आने से धन व्यय नहीं किया गया, कहीं राजस्थान में ऐसी जगह है जहां.......

श्री उपाध्यक्ष : यह पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 99

श्री बिरदाराम :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी।

जोधपुर में गटर लाइन की व्यवस्था

100. **श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर नगरपालिका ने गटर लगाने के लिये किसी से पचास रुपये और किसी से सौ रुपये लिये हैं व लेते हैं ?

(2) जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में अप्रेल, 1969 से आज तक कितनी गटर सरकार की तरफ से तथा कितनी निजी तरह से डाली गई तथा कितनी फ्लश टट्टियों के कनेक्शन दिये गये ?

(3) क्या जहां जहां गटर लाइन डाली गई हैं वहां की सड़कें ठीक कर दी गई हैं ?

(4) किन किन न्यूनतम आय वाले व्यक्तियों के शौचालय को फ्लश टट्टी में बदलने हेतु आर्थिक सहायता तीन सौ रुपये दी ? नाम, जाति व मोहल्ला तथा उनकी आय का विवरण कृपया देवें तथा सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह) : (1) जोधपुर नगरपरिषद् भूमिगत नाली (गटर लाइन) में कनेक्शन की फीस के पचास रुपये प्रति कनेक्शन लेती है।

(2) अप्रेल, 1969 से अब तक नगरपरिषद द्वारा 16 स्थानों पर गटर

(श्री खेतसिंह)
लाइन डाली गई है तथा 224 फ्लश टट्टियों के कनेक्शन दिये गये हैं।

(3) नगरपरिषद या मोहल्लेदारों द्वारा जहां जहां गटर लाइनें डाली गई हैं वहां की सड़के ठीक करवादी गई हैं।

(4) अभी तक किसी भी व्यक्ति को तीन सौ रुपये की सहायता नहीं दी गई है, इसलिये सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : प्रश्न संख्या दो के उत्तर में पढ़ा वह पूरा उत्तर नहीं है। मैंने पूछा है निजी कितनी गटर लाइन डाली गई है और सरकार ने कितनी गटर लाइन डाली इसका जवाब नहीं दिया।

श्री खेतसिंह : मैंने जवाब दिया 16 डाली गई हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : इसमें निजी कितनी हैं और सरकारी कितनी हैं? यह नहीं बताया है। तीसरे, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जोधपुर आते जाते हैं, खेतसिंह जी भी जोधपुर के ही हैं। जहां गटर लाइन डाली है वहां सड़कें ठीक नहीं हुई हैं। यह जवाब इनका असत्य है। आत्मा को साथ रख कर आप सत्य बोलिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सत्य बोलना तो इन्होंने सीखा ही नहीं।

श्री खेतसिंह : जिस नगरपालिका क्षेत्र में गटर लाइन डाली गई है वहां की मरम्मत कर दी गई है और जिन्होंने अभी सड़क ठीक नहीं करवाई है उनको नोटिस दे दिया गया है। जब तक आप अगले सत्र में यहां आयेंगे तो आपको इसकी दिक्कत नहीं होगी।

प्रश्न संख्या 101

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरा भाई।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह : प्रश्न संख्या 101।

श्री रामकिशन (श्री नत्थीसिंह द्वारा पूछे जाने पर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी प्रश्न है। भूमिहीनों से सम्बन्धित प्रश्न है। आज इस पर बहस भी हो रही है। इसको ले लिया जाय बहुत झगड़ा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बचेगा तो बाद में ले लेंगे। श्री बृजबल्लभ बोहरा।

ग्राम कैथून में चोरी का मामला

102. **श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में श्री केशरीलाल लालचन्द जैन के यहां माह जनवरी, 70 में चोरी हुई?

(2) इस चोरी में किस पुलिस अधिकारी द्वारा किन किन तारीखों में किस किस आदमी से माल बरामद कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(3) जिन व्यापारी अथवा दीगर लोगों के यहां से यह माल बरामद कराया है उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि जातखेड़ा ग्राम के चमार नाथू व मोडू आदि को पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के ही करीब 20 रोज तक हिरासत में रखा ? यदि हां, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखाई ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां । चोरी गये माल की सूची संलग्न तालिका (अ) में अंकित है ।

(2) माल की बरामदगी के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना संलग्न तालिका (ब) में दर्ज है ।

(3) अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि अब तक इस वारदात का मुख्य अभियुक्त मोहन बावरी ही गिरफ्तार हुआ है । उसके गेंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी बकाया है । उनकी गिरफ्तारी के बाद बकाया माल बरामद किया जाकर समस्त चोरों व उनसे चोरी का माल लेने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी । तफतीश जारी है ।

(4) जी नहीं, पुलिस ने जातखेड़ा ग्राम के चमार नाथू मोडू को 20 रोज तक हिरासत में नहीं रखा और न ही उन्हें गिरफ्तार किया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बृजवल्लभ बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया प्रश्न 4 के उत्तर में कि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया । इनमें गिरफ्तार करने की हिम्मत ही नहीं थी और बिना गिरफ्तार के माल कैसे बरामद कराया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उनको बुलाकर जानकारी प्राप्त की गई थी । उनके पास माल पाया गया और इसलिये ....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माल पाया गया तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उनको जंगल में पड़ा हुआ माल मिला था । उन्होंने चोरी नहीं की ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बिना अरेस्ट किये उनको पकड़ा कैसे और कैसे माल बरामद किया । असली बात यह है कि सौदे बाजी करते हैं और सौदेबाजी में रकम मिल जाती है इसलिये उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं होती और छोड़ देते हैं । कहीं ऐसा भी है कि 20 दिन तक उनको हिरासत में रखा और गिरफ्तार नहीं किया इससे ज्यादा शरम की क्या बात हो सकती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : न तो कोई शरम की बात है । माननीय सदस्य को जो उस क्षेत्र के हैं उनको तत्काल सूचना देनी चाहिये थी । उन्होंने क्षेत्र में बैठकर इत्तला भी नहीं दी । मैं जानकारी के आधार पर कह सकता हूं जो स्थिति है और स्पष्ट बात है उन्होंने चोरी से माल नहीं लिया था उन्हें जंगल में माल मिला था और जब माल मिला तो बरामद कर लिया गया । चोरी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

का माल मालूम होते ही माल को बरामद कर लिया गया और अभी तफतीश जारी है तफतीश खतम नहीं हुई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब किसी व्यक्ति को कोई पड़ा हुआ माल मिलता है तो क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उस प्राप्त हुए माल को वह पुलिस में जमा कराये ? उसने पुलिस में माल को जमा नहीं कराया तो पुलिस को कैसे ख्वाब आया कि यह माल उनके पास है और किस आधार पर यह कार्यवाही की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मैंने निवेदन कर दिया कि यदि वह कोई कानूनी ऑफेन्स बनता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तफतीश अभी जारी है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : पुलिस में इन लोगों ने जिन जिन से माल बरामद कराया उनके खिलाफ पांच-पांच सौ रुपये लेकर मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और इन लोगों ने ढील छोड़ दी है और इसका कारण यही है कि बाकी के शेष मुलजिम गिरफ्तार नहीं किये गये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : 80 प्रतिशत माल पुलिस ने दूसरी स्टेट्स से लाकर बरामद किया है और यह चार्ज लगाना कि मुलजिमों को छोड़ दिया है यह बिल्कुल असत्य है जब तक यह साबित नहीं हो कि उनकी नियत मुजरिमाना थी तब तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती। अभी तफतीश जारी है और अभी और गिरफ्तार होने बाकी हैं। उनके अाने पर साबित हो जायेगा और जिन लोगों के यहां से माल बरामद हुआ है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री लादूराम सुलानिया : आपकी पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पांच-पांच सौ रुपया लेकर मुलजिमों को छोड़ा है तो जिन्होंने पांच-पांच सौ रुपये लिये उसकी आप जांच कराना चाहते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने जैसा कहा कि उनके पास चोरी का माल नहीं समझकर गिरफ्तार नहीं किया और उसके अलावा थाने में नहीं रखा है तो मैं जानना चाहूंगा कि जो माल बरामद हुआ है वह उनके घर से बरामद हुआ है या किसी स्थान से हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यही है कि चोरी का माल जो बरामद किया है, वह किस आदमी से और किस जगह से किया है यह बता दें ? ऐसी स्थिति में माल बरामद होता तो वह आदमी चोर है और चोरी की सजा उसको मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री लादूराम सुलानियां : पाँच-पाँच सौ रुपये किस बात के लिए ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पांच सौ रुपये लेकर मुलजिमों को छोड़ने की बात कही गयी है तो यह बात हमारे सामने नहीं आई है। स्पेसिफिक चार्ज किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ लगायें कि किस मुलजिम को किसने छोड़ा—इस प्रकार का चार्ज देंगे तो जरूर जाँच की जायगी और यदि किसी के खिलाफ यह बात साबित होगी तो जरूर ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या पुलिस को अधिकार है कि किसी आदमी को 20 दिन तक अपनी हिरासत में रखें ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर—अगला प्रश्न !

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यह है कि चोरी का माल किसी के घर से बरामद हो तो क्या वह अपराधी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इसका उत्तर नहीं दिया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? क्या उसके पिछले जीवन का इतिहास है कि उसकी आपने जांच करवाई है ? क्या उसके सम्बन्ध में पुलिस के रेकार्ड को मंगवाया है ? क्या उससे साबित नहीं होता कि वह जरायमपेशा व्यक्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री जुझारसिंह !

कोटा व झालावाड़ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत

103. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या सार्वजनिक-निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करें:—

(1) सन् 1969-70 में कोटा व झालावाड़ की पी. डब्ल्यू. डी. डिवीजन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों या पुलियाओं की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और कितनी खर्च की गई है ? मय अलग अलग स्थानों की सूची के बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सांगोद पंचायत समिति के ग्राम राजगढ़ में बाढ़ से अत्यधिक नुकसान हुआ था व वहां पर भी सड़क की मरम्मत हेतु $1\frac{1}{2}$ लाख से अधिक धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थान पर सड़क की मरम्मत नहीं की जा सकने के क्या कारण हैं और इस सड़क की दुरुस्ती कब तक कर दी जाने की उम्मीद है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) केवल पुलियाओं के लिए प्रावधान अलग से नहीं था। सड़क व उन पर पुलियाओं के लिए प्रावधान था जिसकी सूची प्रस्तुत है।

(2) जी हां, मील 4 व 5 के ठेका श्री जगन्नाथ चोपड़ा ठेकेदार को दिया गया था परन्तु एलाइनमेंट बदलना उचित समझा गया था भूमि इसके लिए अवाप्ति की आवश्यकता थी। फसल खड़ी होने के कारण कृषकों ने अपनी भूमि देने से इन्कार कर दिया। ठेकेदार ने जब तक किसानों से भूमि प्राप्त न हो जाये तब तक कार्य

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
करने से असमर्थता प्रकट की है। अत: मील 6 व 7 का ठेका नहीं दिया जा सका। फसल अप्रेल, 1970 तक खड़ी रहने के कारण कार्य नहीं हो सका।

अब ज्योंहि धनराशि प्राप्त होगी कार्य कराया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि आपने एलाइनमेन्ट दे दिया है और मिट्टी का काम भी कर दिया है ? आपने कहा कि चूंकि भूमि अवाप्त नहीं की जा सकी, नया एलाइनमेंट देना जरूरी था लेकिन मैं जानकारी के लिए कहूं कि नया एलाइनमेन्ट दे दिया गया है और मिट्टी का काम कर भी दिया गया है इसलिए जमीन नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई छोटा टुकड़ा भी हो कि जहां किसानों का कोई झगड़ा नहीं हो और वहां अर्थवर्क का काम हो गया हो लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि काम हो।

श्री जुझारसिंह : इस काम के लिए मैं बराबर एक दर्जन कागज लिख चुका हूं और इसमें कम से कम दो साल लगे हैं, क्या आपने जानकारी कराई है कि वहां की वस्तु स्थिति क्या है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने जानकारी भी कराई है और आपके खतों का जवाब भी दिया है।

श्री जुझारसिंह : लेकिन काम तो नहीं कराया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर नहीं होगा जरूरी तो इसलिए जवाब भी दिया गया।

श्री जुझारसिंह : यह कोई जवाब है। जब ग्रान्ट मौजूद थी, लोगों ने जमीन दे दी है और जितने टुकड़े में डेमेज हुआ है और जमीन को अवाप्त करने का प्रश्न है वह तो एक पोरशन में हैं। कुल 7 मील का टुकड़ा है और उस 7 मील में से 5 मील सड़क ऐसी है कि जो इनके कब्जे में है तो उसका काम क्यों नहीं हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जैसा मैंने कहा कि जमीन अवाप्ति का झगड़ा था....

श्री जुझारसिंह : आपसे ज्यादा मुझे जानकारी है उस इलाके की। 7 मील लम्बी सड़क है और 5 मील पर इनका कब्जा है तो उसमें काम क्यों नहीं किया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह और जानकारी कर लेंगे कि फसल थी या नहीं थी। आपने अब कहा है कि फसल नहीं थी। हो सकता है उस समय मुझे कहते तो मैं जानकारी कर लेता।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब होता है कि फसल तो 69 के बाद से तीन कट चुकी हैं उसके बाद में आपने क्या किया ? क्या किसी मौके पर फसल थी तो फसल कटने के बाद आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब कार्यवाही का वक्त आया तो फसल थी और पैसा नहीं था।

Page No. 12

श्री कुम्भारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उस सड़क के उस पोर्शन में जिसमें अवाप्ति की जरूरत नहीं है जो कि पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क है और जिसमें डेमेज हुआ है उसमें रिपेयर करने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं जहां एक्वायर करने की जरूरत नहीं है और जहां एक्वीजीशन भी हो चुका है अगर आपने लीगली एक्वायर नहीं की है तो आप कब्जा करके बैठे हैं उस पर क्या करेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जिसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं उस पर सड़क बना देंगे।

श्री कुम्भारसिंह : लिखने का जवाब नहीं, एश्योरेन्स का जवाब नहीं। इस हाउस में तीन बार एश्योरेन्स दे चुके हैं और हाउस खत्म हो जाने के बाद भूल जाते हैं और फिर बारबार लिखना पड़ता है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह आरोप लगता है कि भूल जाते हैं। भूलते नहीं, बरहाल माननीय सदस्य बहुत मिलते रहते हैं ......

श्री कुम्भारसिंह : मिलने से क्या होता है.... ...

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब पैसे का प्रावधान होता है उसी समय तो काम हो सकता है।

श्री कुम्भारसिंह : 1 लाख 50 हजार का प्रावधान था जिसमें से 13 हजार का ही करवाया और यहां बहाना बनाकर प्रश्न को टाल देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बता दें कि 1 लाख 50 हजार का बजट स्वीकृत है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जरूर सही है लेकिन जनवरी में सैंक्शन हुई और अप्रेल में फसल कटकर खत्म हुई तो काम....

श्री कुम्भारसिंह : क्या करने जा रहे हैं अब ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सड़क के निर्माण के लिए 1,50,000 रु० का बजट सैंक्शन हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसमें से 13 हजार खर्च किये तो बाकी का कब तक खर्च हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न आसन के माध्यम से पूछा जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस सड़क के निर्माण के लिए 1,50,000 रु० का बजट स्वीकृत हुआ था उसमें सिर्फ 13,000 रु० खर्च हुआ तो बाकी 1,27,000 रु० कब तक खर्च हो जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जो 1,50,000 का प्रावधान रखा गया है (अत्यन्त कोलाहल होने से अश्रव्य) आपकी वजह से खास तौर से आपका मान रखने के लिए....

श्री देवीदत्त गाडिया : यह बहुत गलत बात है···

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप सुनिये तो सही।

....और अपना फर्ज समझते हुए हमारी यह कोशिश होगी कि इस सड़क को ठीक बनायें। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री लाभ चन्द वेद।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह कोई तरीका नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हर बात को टाल जाते हैं। आप यह कहें कि यह सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जायगा। अगला प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाडिया : बिना बजट स्वीकृत हुए तो कई जगहों पर आप रुपया खर्च कर देते हैं और जो स्वीकृत बजट है उसको क्यों नहीं खर्च किया ? जवाब दें। यह कोई तरीका है आपका ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तरीका है कि बजट वगैरह····(कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 10-15 मिनिट ऐसे रख लें कि खड़े होकर सब एक साथ बोल सकें तो अच्छा रहेगा। समझ में कुछ नहीं आ रहा है। माइक बहुत जोरदार है और मुंह पास में रखकर बोलते है तो कुछ भी सुनाई नहीं देता हैं। 15 मिनिट ऐसे रख लें ताकि ट्रेनिंग हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री लाभ चन्द वेद।

दुलिया वास

104. **श्री लाभचन्द वेद (सुजानगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दुलियावास, कस्बा सुजानगढ़ का ही एक अंग है और इसकी आबादी कस्बा सुजामगढ़ की आबादी से मिली हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में दुलिया बास (सुजानगढ़) को सुजानगढ़ कस्बे का ही एक अंग माना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सुजानगढ़ नगरपालिका की जो सीमा जरिये नोटिफिकेशन संख्या 15, दिनांक 2 सितम्बर सन् 1929 राज श्री बीकानेर से घोषित की गई थी उसमें आबादी मौजा दुलिया नगरपालिका क्षेत्र, सुजानगढ़ में शामिल थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भी दुलिया की बस्ती कस्बा सुजानगढ़ की नगरपालिका में शामिल रखी जानी उचित है ?

(श्री लाभचन्द वैद)

(5) क्या यह सही है कि पंचायतों के पुनर्गठन से पूर्व यह कस्बा कभी भी पंचायत क्षेत्र में नहीं रहा ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री खेत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग (3) में सन 1929 से सूचना चाही है वह प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जितनी है उतनी का उत्तर दे दें।

श्री लाभचन्द वैद : 1929 से कौन सी सूचना चाही है ?

श्री खेतसिंह : प्रश्न के भाग (3) में चाहा गया है।

श्री लाभचन्द वैद : मैंने सिर्फ राजपत्र का हवाला दिया है। मैंने उसमें केवल एक कानून का हवाला दिया है तो क्या आप 1929 का कानून नहीं देख सकते थे। ऐसा कौन सा प्रश्न है, महाराज।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्रीगण आये दिन सवालों को टालने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। प्रश्न के भाग (3) में जो घोषणा की गई है उसका हवाला मात्र है। उनसे 29 से कौन सी सूचना चाही थी ? मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में निश्चित रूप से व्यवस्था दें कि इस तरह से प्रश्नों को टाला नहीं जाय। इसमें कोई सूचना नहीं चाही गई थी सिर्फ 1929 के एक गजट का हवाला है और यह कैसे कह रहे हैं कि 1929 से सूचना चाही गई है। इन मंत्री महोदय को ताड़ना दें विशेष रूप से ये हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैंने कभी प्रयास नहीं किया है प्रश्न को टालने का।

श्री उपाध्यक्ष : अगले टर्न पर इसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री लाभचन्द वैद : यह तो केवल घोषणा है। इस सत्र में तो अगला टर्न आयेगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण, प्रश्न संख्या 105।

चूरू जिले में छोटे उद्योग

105. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला किसान संघर्ष समिति को उसकी मांग संख्या 5 के लिये राज्य सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे खोलने के लिए उद्योग विभाग एवं राजस्थान खादी बोर्ड परीक्षण कर उचित कार्यवाही करेंगे।

(2) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में): (1) ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है यह उद्योग विभाग की जानकारी में नहीं है।

(2) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ऊनी और सूती खादी तथा ग्रामोद्योगों

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
के प्रोत्साहन के लिए चूरू जिले में काफी काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त एक ऊनी मिल राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चलाई जा रही है। राजस्थान में चल रहे दो रूरल प्रोजेक्ट में से एक चूरू में है जो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु सुविधायें प्रदान करता है। चूरू जिले को अभी हाल ही में औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड एरिया घोषित किया गया है। इससे जिले में लगने वाले नये उद्योगों को ऋण आदि की ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी मैंने जो राजस्थान सरकार ने लिखित आश्वासन चूरू जिला किसान संघर्ष समिति को दिया था 10 मार्च को उसको कोट किया है, और चीफ सेक्रेटरी ने यह अपने हस्ताक्षरों से लिखित आश्वासन दिया था। माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री मंडल के अन्य सदस्य, सम्बन्धित सचिव, विभागाध्यक्ष और मंत्रियों की उपस्थिति में किसान संघर्ष समिति से बात की थी, और उनसे वार्ता के परिणामस्वरूप जो निश्चय हुए थे और राज्य सरकार ने जो स्वीकार किये थे, उनकी मांगों पर जो निर्णय लिये थे, उन निर्णयों को लिखित में मुख्य सचिव के हस्ताक्षरों से दिये गये थे, उस निर्णय की लाइन को मैंने कोट किया है प्रश्न के प्रथम खण्ड में और आप कहते हैं कि उद्योग विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। क्या राज्य सरकार ने बिना उद्योग विभाग की जानकारी के मुख्य सचिव के द्वारा लिखित में आश्वासन संघर्ष समिति को दिया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो लेटर आपने कोट किया था वही दे दें ताकि सही बात····

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो सारा विवरण बता दिया माननीय उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष की मार्फत आपको कि मुख्य सचिव ने संघर्ष समिति को अपने हस्ताक्षरों से····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने विवरण बताया है····

श्री दौलतराम सारण : यह आपको कम से कम राज्य सरकार को मालूम करना चाहिये था कि किसान संघर्ष समिति का 56 दिन तक एजीटेशन चला और वार्ता चली 3-4 दिन तक उसके बाद में फैसला हुआ और आन्दोलन विथड्रा हुआ और राज्य सरकार ने लिखित में आश्वासन दिये उनको और उन आश्वासनों को लाइन मैंने कोट की है और आप कहते हैं कि विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। मुझे अफसोस है कि आपके इस उत्तर से आप इस तरह से जनता की मांगों और अपने आश्वासनों को प्रदर्शन करते हैं। यह आपकी मखौल करने की प्रवृत्ति है जनता के साथ····

एक माननीय सदस्य : होगी ''

श्री दौलतराम सारण : होगी क्या आप किस मुंह से बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर है कि जनता का 56 दिन का आन्दोलन चला। राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने, मंत्री-मण्डल के सदस्यों और राज्य के विभागाध्यक्षों और सचिवों की मौजूदगी में संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ में एक एग्रीमेन्ट हुआ और उस एग्रीमेंट के करने बाद मंत्री यह कहें कि इस विभाग को जानकारी नहीं है। इससे खेदजनक, अफसोसजनक और लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब तो मैं कह सकता हूं ?

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा यह कहना हैं कि उद्योग विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया हो। आपने कहा है कि दिया गया है तो मैंने निवेदन किया है कि उसकी अगर कोई कापी हो तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा और उसके तहत आगे क्या कार्यवाही करना चाहिये उसके लिए कहूंगा।

श्री दौलतराम सारण : जब मुख्य सचिव ने लिखकर दिया है सरकार की तरफ से और मैंने उसमें कोट किया है तो आपका फर्ज था कि आप मुख्य सचिव से····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बीच बीच में मत बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आश्वासन दिया गया हो तो बहुत अच्छी बात और नहीं भी दिया गया हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। चूरू जिले में छोटे उद्योगों से सुसज्जित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर दी हैं, कई योजनाएं विचाराधीन हैं और उनकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो आपको मालूम हो जायगा कि आश्वासन और नो आश्वासन हम इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। अभी करीब 350 उद्योग इकाइयों का रजिस्ट्रेशन चूरू जिले के लिए किया गया है········

श्री दौलतराम सारण : कब ?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सुन लीजिये। इसके बाद में 246 योजनाएं विभाग के तहत अनुमोदित, एप्रूव्ड कर दी गई हैं और 246 में से 30 योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं, तथा 24 औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत भी किया जा चुका है, और यह अब तो 1970 के सितम्बर के बाद में यानी अक्टूबर, नवम्बर चल रहा है तो उसके बाद में 30 योजनाएं स्वीकृत की गई और 24 योजनाएं पंजीकृत भी की गई हैं। हाल ही में हमने चूरू जिले को बैकवर्ड एरिया घोषित कर दिया है और बैकवर्ड एरिया घोषित कर देने से छोटे उद्योगों की दृष्टि से ज्यादा लाभ उस क्षेत्र को मिल जायगा। दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में प्रिफरेन्स मिलेगा। उससे इनको प्रोत्साहन मिलेगा। खादी का काम सुजानगढ़ में हो रहा है और दूसरी जगह भी हो रहा है। करीब 6-7 लाख की खादी का काम वहां पर हर साल होता है जिनको राजकीय सहायता भी देते हैं। उससे रोजगार की सुविधा भी मिल सकेगी और रूरल प्रोजेक्ट स्कीम अलग चल रही है। सारे राजस्थान के लिए दो मन्जूर हुई थीं उनमें से एक चूरू जिले को दी गई है। इस तरह से राज्य सरकार की ओर से इसके उद्योग के पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से यह जो मैंने निवेदन की है वे कार्य करने जा रहे हैं। बैकवर्ड एरिया घोषित होने की वजह से और अधिक तेजी से इस जिले के लिए कार्य चलेगा।

श्री दौलतराम सारण : दूसरे जिलों के बराबर लाने के लिये भारत सरकार कोई विशेष सहायता देती है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वित्तीय निगम द्वारा भी सहायता दी जाती है, राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और दूसरी सहायतें भी दी जायेंगी।

एक माननीय सदस्य : सुजानगढ़ के अलावा और कहां कहां खोली गई हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा कि आपने अब तक क्या किया। मेरा प्रश्न यह था "क्या यह सही है कि चूरू जिला किसान संघर्ष समिति को उसकी मांग संख्या 5 के लिये राज्य सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खोलने के लिये उद्योग विभाग एवं राजस्थान खादी बोर्ड परीक्षण कर उचित कार्यवाही करेंगे ?" यह प्रश्न का प्रथम खण्ड था और दूसरा था "इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?" ये जो आपने उद्योग बताए हैं वे तो आन्दोलन से पहले से चल रहे हैं और ऊन मिल की आप बात करते हैं वह भी आन्दोलन से बहुत पहले से चल रही है। आपने जो विवरण दिया है, मैंने उसके सम्बन्ध में नहीं पूछा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सितम्बर 1970 के बाद के भी वर्णन किये हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेरा सीधा प्रश्न इस आश्वासन की पूर्ति के बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की, इस सम्बन्ध में था। उसका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने विवरण दे दिया।

श्री पृथ्वीसिंह : कहां कहां उद्योग खोले गये यह तो बता दीजिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो आप अलग से मुझ से लिस्ट प्राप्त कर लीजिये। किस को लाइसेन्स दिया, किस को क्या दिया गया, ये तो डिटेल्स की बातें हैं, मुझ से उनकी जानकारी ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : यह बहुत गम्भीर मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, आन्दोलन के समय राज्य सरकार कोई घोषणा करे और आश्वासन दे, और उस आश्वासन के बाद राज्य सरकार फिर कोई कार्यवाही नहीं करे यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सन्दर्भ में मैंने प्रश्न पूछा है, उसी सन्दर्भ में उत्तर दिया जाये। खादी बोर्ड ने और उद्योग विभाग ने संयुक्त रूप से क्या परीक्षण किया, क्या कार्यवाही की और क्या निश्चय किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने गम्भीर प्रश्न का ऊतर भी गम्भीरता से, सोच समझकर दिया है मैंने बताया कि वहां पर ऊनी और सूती खादी तथा ग्रामोद्योगों का काफी काम चल रहा है "

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सुन लिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इतनी योजनाएं स्वीकार करदी गई हैं, इतनी योजनाएं चालू करदी गई हैं, और खादी को बढ़ावा देने के लिए सुजानगढ़ में…

श्री उपाध्यक्ष : यह सब दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। दस मार्च को संघर्ष समिति के साथ जो वार्तालाप हुआ और जो आश्वासन दिए गए···

श्री उपाध्यक्ष : वह समझ गए हैं मन्त्री महोदय वे उससे इन्कार हो रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं पूछ रहा हूं उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेंट ने क्या किया यह बता देना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह पूछा है कि आपने संघर्ष समिति को जो आश्वासन दिए उसके संदर्भ में क्या किया है? इसका उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अर्ज किया कि आश्वासन और नो आश्वासन राज्य सरकार ने जो प्रगति की है इस जिले के औद्योगिक विकास के लिए, वह मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैंने निवेदन किया कि पहले ही चूरू जिले में चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया जावेगा, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, आपने जिस आश्वासन का हवाला दिया है, मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनकी जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने राज्य सरकार को जानकारी करा दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: या तो आप मुझे उस पत्र की कापी दे दीजिए।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह कह रहा हूं मुख्य सचिव का हस्ताक्षरित पत्र है। तो राज्य सरकार उसकी जानकारी अपने मुख्य सचिव से ही कर सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है ··

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि ये जान-बूझ कर नहीं देना चाहते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह प्रश्न स्थगित किया जाये।

श्री दौलतराम सारण : इसको स्थगित करके इसकी पूरी जानकारी दिलवायी जाये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्थगित किस बात के लिए?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैंने पत्र के लिए पहले ही कह दिया है कि चीफ सेक्रेटरी का लिखा हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो कहा है कि जानकारी नहीं है। अगर वे कहते हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कह दिया कि आश्वासन दिया है। आप इसकी जानकारी कर लें।

श्री दौलतराम सारण : वे जानकारी करके उत्तर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण : आप यह कहते हैं कि ऐसा कोई पत्र नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा।

ग्रामीण पेय जल योजना

106. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कुछ जिलों में ग्रामीण पेय जल योजना के तहत कुछ योजनायें चलाई जा रही हैं ? अगर हां, तो किस जिले में कौन कौनसी योजनाएं चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में रामगढ़ योजना स्वीकृत की गई थी और उसके कार्य के लिए पाइप भी रामगढ़ आज से चार वर्ष पूर्व पहुंच गए हैं ? अगर हां, तो आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराने के क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि रामगढ़ में आज भी पेय जल का पूर्ण अभाव है ? अगर हां, तो रामगढ़ से पाइप नागौर व अजमेर वापिस भेजने के क्या कारण हैं जब कि रामगढ़ के पास मीठा पानी भी पर्याप्त मात्रा में रनाऊ ट्यूब वैल में उपलब्ध है ?

राज्य मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड (1) के जवाब में जो सूची दी गई है, उसमें जैसलमेर के लाठी ग्राम का नाम भी है, तो क्या यह सही है कि लाठी ग्राम में आज कोई भी जल योजना नहीं चल रही है ?

श्रीमती सुमित्रा : मेरी सूचना के अनुसार तो चल रही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपकी योजना के अनुसार ?

श्रीमती सुमित्रा : सूचना के अनुसार। सूचना।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपके पास जो सूचना आई है वह कहां से आई है ?

श्रीमती सुमित्रा : विभाग से आई है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : कौन से विभाग से ?

श्रीमती सुमित्रा : जल-प्रदाय विभाग से।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि राजस्थान में वाटर वर्क्स के दो डिपार्टमेंट्स हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जो नहीं एक ही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : लाठी ग्राम में न कोई योजना बनी है, न चल रही है और न कभी प्रारम्भ हुई है। क्या यह सही है ?

श्री आईदानसिह : यह तो बहुत गम्भीर मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : लाठी की तो इतनी योजना है कि अगर ये हाथ में उठा लें तो बहुत कुछ हो जाये।

श्री बालसिंह सोढा : लाठी ग्राम जैसलमेर से कान्तु की मुख्य सड़क पर है और राजस्थान का कोई भी मंत्री जैसलमेर जाता है तो लाठी ग्राम बीच में आता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि लाठी में आज तक कोई भी वाटर वर्क्स की योजना न प्रारम्भ की गई, न चल रही है, न चलाई गई। यह जरूर है कि वहां की ग्राम पंचायत ने इस योजना के लिये पैसे जरूर जमा करवाये, लेकिन वहां पर कोई योजना चालू नहीं की गई।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह योजना स्वीकृत हो चुकी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लाठी की योजना क्या स्वीकार हो चुकी है ?

श्रीमती सुमित्रा : हमारे पास जो विभाग की सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार तो योजना सम्पूर्ण होकर चालू हो गई है।

(व्यवधान)

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार में इससे अधिक पोल क्या हो सकती है कि आप कह रही हैं कि योजना सम्पूर्ण हो चुकी, जब कि सही स्थिति यह है कि आज तक लाठी गांव में कोई योजना न बनी, न प्रारम्भ हुई और न चल रही है। आज तक लाठी ग्राम के लोग हाथ से पानी खींच कर पीते हैं। तो यह योजना कहां बनी ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा : लाठी ग्राम में योजना सम्पूर्ण की जाकर कार्यान्वित की गई थी, लेकिन आज के दिन वह स्टाप्ड पड़ी हुई है इसलिए माननीय सदस्य इसको गलत समझ रहे हैं कि वहां पर योजना आज तक बनी ही नहीं। यह बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि बिजली का कनेक्शन नहीं था और डीजल इन्जन से टरबाइन चलाना पड़ता था जो कि एक्सपेन्सिव पड़ता था और इस का खर्चा चलना मुश्किल पड़ जाता था। इसलिये आज के दिन वह स्टाप्ड है। आपकी सूचना गलत है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो गलत हूं, और मंत्री महोदया सही हैं लेकिन यह बता दें कि यह योजना कब सम्पूर्ण हुई, कब प्रारम्भ की गई,

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
कितने दिन बाद बन्द की गई और कितने दिन चली ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! यह जो तथ्य बताये है मंत्री महोदया ने, आप बता दें यह योजना कब चालू हुई थी ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : यही तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बतलाईये।

श्री भैरोंसिह : एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि जिस कुए में डीजल सैट लगाने की बात है और अतिरिक्त व्यय होने की बात है वह लाठी गांव में कौन सा कुआ है ?

श्रीमती सुमित्रा : कुए बिना यह सारी बातें होती नहीं।

श्री भैरोंसिह : मैं यह पूछ रहा हूं कि कुआ है या नहीं जिसमें डीजल सैट लगाने की बात चल रही है ?

श्री नत्थी सिंह : कुआ है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं सदन की जानकारी के लिए····

कई माननीय सदस्य: नहीं है, नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थागित किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बता दें कि लाठी गांव में क्या कोई ऐसा कुआ खुदा है?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! स्थगित किया गया।

श्रीमती सुमित्रा : कूप है वहां।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदया। ऑर्डर प्लीज ! स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढा : मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि यह जो प्रश्न स्थगित किया गया, इसका दूसरा खण्ड जो है···

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया, माननीय सदस्य !

श्री बालसिंह सोढ़ा : मेरी सूचना के अनुसार यह है, जैसा मैं कह रहा हूं कि खण्ड दूसरे का जवाब आया है वह भी गलत है रामगढ़ में गवर्नमेंट के तीन लाख के पाइप गये, वह तीन लाख के पाइप···

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इस सवाल का आन्सर वापिस लिया जाय, बाकी सवाल का जो उत्तर है वह भी वापिस लिया जाय···

श्री उपाध्यक्ष: पूरा प्रश्न स्थगित किया गया। माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जिस प्रकार से पहला खण्ड है···

श्री उपाध्यक्ष : आंर्डर प्लीज। स्थगित किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री महोदया को जानकरी दे रहे हैं।

श्री बालसिंह सौढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे दूं ताकि जब जवाब दें तो इसका भी जवाब दे दें। इसमें साफ है, जो सूचना दी गई है खण्ड दो में, जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। तो मैं यह सूचना देना चाहता हूं·····

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह बात कह दी हैं।

श्री बालसिंह सौढ़ा : रामगढ़ में तीन लाख के पाइप डिपार्टमैंट के चार साल तक पड़े रहे। अब सितम्बर, अगस्त में आधे पाइप तो नागौर गये और आधे पाइप अजमेर गये। इसका आन्सर भी देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया। आर्डर प्लीज ! श्री केशरीसिंह हाड़ा !

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न भी हैं आज तो।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न के बाद स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे।

ग्राम जावठी कलां के कांकड़ में भूमि अतिक्रमण के मामले

107. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बूंदी में ग्राम जावठी कलां के कांकड़ में सन्त्र 1968 तक क्या ग्राम गणेशपुरा, बछराज की झोंपड़ियां, नया गांव और नृसिंहपुर के भूमिहीन और अनार्थिक जोत वाले काश्तकारों के भूमि पर अतिक्रमण किया था? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(2) क्या यह सत्य है कि इस भूमि के काबिज शुदा काश्तकारों पर तहसीलदार द्वारा मुकदमें चला कर उस भूमि से बेदखल कर दिया गया था और उन पर हजारों रुपयों के जुर्माने भी किये गये थे?

(3) अब यह भूमि किसके अधिकार में है और क्या यह भूमि निलामी में दी गई थी? यदि हां, तो सरकार को उससे कितनी रकम प्राप्त हुई?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील बूंदी के ग्राम जावठी कलां के कांकड़ में सन् 1968 तक ग्राम गणेशपुरा, बछराज की झोंपड़ियां, नया गांव, नृसिंहपुरा के भूमिहीन एवं अनार्थिक जोत वाले काश्तकारों ने कोई अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया है।

(2) इन गांवों के काश्तकारों पर उनके द्वारा किसी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा नहीं करने से उनको बेदखल करने एवं उन पर जुर्माना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो यह उत्तर दिया गया है, यह बिलकुल गलत दिया गया है। जो अतिक्रमण हुआ भूमिहीनों की भूमि पर उसको सरकार द्वारा नीलाम करवाया गया है। यह भूमि भूमिहीनों से वापिस ली गई और वापिस लेकर रूंगटा फार्म बनाया गया, रूंगटा सेठ को बहु

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

जमीन नीलाम कर दी गई। वह भूमि भूमिहीनों से वापिस ले ली गई ओर सरकार ने उसका रुपया वसूल कर लिया। यह भूमिहीनों के साथ में कुठाराघात किया गया है। इसके लिए सरकार कहती है कि जानकारी नहीं है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि यह कार्य किया गया है, और यह बहुत ही चिन्तनीय विषय है।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य ! अगर विस्तृत विवरण दे दें कि किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया, किसने किया तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं निवेदन कर रहा हूं, सरकार आप चला रहे हैं। जो तहसील, बूंदी है वह बृजसुन्दरजी की कान्स्टीट्यूएन्सी है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी नहीं है। मैंने उस जगह को देखा है, वहां लोगों से बात की है। उन लोगों ने जिस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था उसको उनसे छीन कर रूंगटा सेठ को वह नीलाम कर दी गई। आप इसकी जानकारी बूंदी तहसील से करलें। मुझसे क्यों कहते हैं कि मैं जानकारी दूं। आपके पास विभाग है; तहसील है, आप जानकारी कीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि अतिक्रमण का अगर कोई विवरण हो तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : आप बताइये।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी सूचना के अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इस जमीन को रूंगटा सेठ को नीलाम किया गया या नहीं इसकी जानकारी होगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रश्न के उत्तर में जिलाधीश से जो सूचना मिली वह आपको निवेदन कर दी। आप जो अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं, उसकी फरदर जानकारी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! स्थगित प्रश्न !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ...

श्री उपाध्यक्ष : अब सम्भव नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : पेज तो पूरा करलें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री नत्थीसिंह : इतनी गम्भीर यह डकैती पड़ी है, इसमें इतना माल गया है, इस प्रश्न को आप ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने जो भी प्रश्न है, समयाभाव के कारण उन सबका उत्तर देना सम्भव नहीं होता।

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक स्थगित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ले लिजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम देखते हैं, आसन के द्वारा सीनियर मेम्बर और जूनियर मेम्बर में पक्षपात होता है। कोई सीनियर मेम्बर प्रश्न पूछ कर खड़ा हो जाता है तो आसन कह देता है अगला प्रश्न ले लें लेकिन हम कहते हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हम आसन की घोर भर्त्सना करते हैं और चेयर के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह डकैती का प्रश्न जरूर ले लिया जाय। यह इस तरह का प्रश्न है जो माननीय गृह मंत्री जी के नोटिस में है और यह राजनैतिक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको स्थगित किया जा सकता है।

श्री रामकिशन : स्थगित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न 115 महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसलिए ही आते हैं। लेकिन समयाभाव का प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल दो साल से चल रहा है लेकिन दो साल से सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। इसलिए इसका जवाब दिला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह सम्भव नहीं होगा, माननीय सदस्य ! श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : साहब, अभी तो वैसे भी टाइम है। पांच मिनिट बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न पांच मिनिट में सब नहीं हो सकते।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आगे टाइम बढ़ा देना।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री रघुनाथ विश्नोई।

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

रानीवाड़ा में हत्या का मामला

220. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 9-8-70 को रानीवाड़ा में विकास अधिकारी पंचायत समिति रानीवाड़ा के निवासस्थान के अहाते में श्री भैंराराम केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर के अध्यक्ष को जल्दी सुबह हत्या कर दी गई ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि कत्ल होते ही तुरन्त पुलिस थाना रानीवाड़ा में सूचना देने के बावजूद भी पुलिस थाना

Page No. 25

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
रानीवाड़ा में मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये। अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो क्या क्या कदम उठाये ?

(3) क्या इस पुलिस की गफलत के कारणों की जांच की गई है ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

(4) क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई है? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सत्य है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, सांचोर व भीनमाल द्वारा उपरोक्त मुकदमे के चार मुलजिमान के पेश होते ही जमानतें हो गई एवं मुलजिमान को पुलिस रिमाण्ड भी नहीं मिला ? अगर हां, तो क्यों ? उन हुक्मों की निगरानी या अपील सेशन्स अदालत में कब पेश की गई ? इतनी देरी से निगरानी या अपील पेश होने के क्या कारण हैं ? इसमें किसकी गलती रही है ? उस गलती के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहेगी ?

(6) उपरोक्त मुकदमे का मुख्य अभियुक्त पुलिस द्वारा अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है व कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा ?

(7) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त संगीन जुर्म की छानबीन में पुलिस द्वारा बहुत गफलत बरती गई है ? अगर हां, तो क्यों ? इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहेगी ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (अन्य किसी प्रश्न के उत्तर की एक पंक्ति पढ़ने के पश्चात्) सॉरी। (1) जी हां। श्री भैराराम की हत्या रात को सोते हुये रिवाल्वर से दो गोली दाग कर कर दी गई थी।

(2) जी नहीं। इस कत्ल की इत्तला थाने पर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिमानों की तलाश भी की लेकिन पक्की सड़क होने के कारण मुलजिमानों के खोज नहीं मिले और उनका पीछा भी नहीं किया जा सका। लेकिन मुलजिम झावरसिंह के छिपने के सम्भावित ठिकानों पर फौरी तलाश अवश्य करवाई गई जहां वह नहीं मिला।

(3) जी नहीं, पुलिस की किसी प्रकार की गफलत नहीं पाई गई।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) चार मुलजिमान में से दो को पुलिस रिमाण्ड नहीं दिया व पेश करते ही जमानत पर रिहा कर दिया। एक मुलजिम को एक दिन का पुलिस रिमाण्ड दिया गया व एक को 15 दिन का पुलिस रिमाण्ड दिया गया। अदालत के आदेशों की निगरानी जिलाधीश जालोर के मार्फत उच्च अदालत में करने की कार्यवाही फौरन कर दी गई थी। मुलजिमानों की जमानत की तिथियां तथा पुलिस द्वारा समय समय पर की गई कार्यवाही की तिथियां संलग्न तालिका 'अ' में अंकित है जिसे देखने से पाया जाता है कि किसी का दोष नहीं है। दिनांक 16-10-70 को नई शहादत के आधार पर

(श्री हीरालाल देवपुरा)
दरख्वास्त पेश कर जमानत कैंसल कराने के आदेश प्राप्त कर लिए। मुलजिमान पुनः दिनांक 6-11-70 को सेशन कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

(6) मुकदमे का मुख्य अभियुक्त झाबरसिंह तारीख बारदात से ही फरार है और बावजूद भरसक प्रयत्नों के भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए प्रोक्लेम्ड आफेण्डर घोषित कर उसकी मिलकियत को कुर्क करने का कानूनी दबाव भी डाला जा चुका है। मुलजिम की तलाश जारी है।

(7) जी नहीं, ऐसी कोई गफलत नहीं पाई जाती। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह मर्डर की सूचना मिली उसके बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने सारा निवेदन कर दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, मर्डर की सूचना मिली, मिलते ही तफतीश प्रारम्भ कर दी गई, मुलजिमान की तलाश प्रारम्भ कर दी गई, जहां-जहां उनके होने का आदेश हो सकता था वहां तलाश किया गया लेकिन मुलजिम नहीं मिले।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि इत्तला मिलते ही पुलिस नहीं पहुंची और पुलिस लेट पहुंची और उसके बाद हाट परस्यूट भी नहीं की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, इत्तला पुलिस स्टेशन पर पांच बजे मिली, उसके बाद साढ़े पांच बजे पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफतीश की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि जहां मर्डर हुआ वहां से पुलिस थाना केवल चालीस कदम दूर स्थित है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मर्डर के स्थान से कितनी दूर पुलिस स्टेशन है या कितनी दूर नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन पुलिस स्टेशन इत्तला पहुंचने के पन्द्रह बीस मिनिट के बाद में पुलिस मौके पर पहुंच गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके अनुसार मर्डर की पांच बजे इत्तला हुई और मौके पर पुलिस के पहुंचने का टाइम आधा घन्टे बाद बता रहे है, आप खुद ही बता रहे हैं। उसके बाद जिन हालात में मर्डर हुआ तो पुलिस ने हाट परस्यूट क्यों नहीं की ? रानीवाड़ा में जीप मिल सकती थी, वहां सारे साधन मौजूद हैं।

श्री मदनसिंह : वह बन्दूक लेने और कपड़े पहनने लग गये होंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या बन्दूक लेने और कपड़े पहनने लग गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह स्थिति नहीं है। जैसे ही इत्तला मिली, पुलिस ने जाब्ते की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रघुनाथ विश्नोई : जाब्ते की कार्यवाही की गई होती तो मुलजिम पकड़े जाते। लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की।

Page No. 27

श्री हीरालाल देवपुरा : आवश्यक कार्यवाही की है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस प्रकार से सारी कार्यवाही की गई है......

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर पुलिस ने तत्परता से मुलजिमों का पीछा किया होता तो वह रेड हैन्डेड पकड़े जाते। उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया है, माननीय सदस्य !

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने प्रश्न पूछा है कि जिस समय सूचना मिली, उस समय क्या कार्यवाही की ? रानीवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां जीपें हैं, सरकारी जीपें है। ऐसी हालत में यह नहीं माना जा सकता कि पीछा करने के साधन नहीं थे। ऐसा होता तब तो बात मानी भी जा सकती थी लेकित जब साधन मौजूद हैं और ऐसा गम्भीर मर्डर हो जाय, एक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव का चैयरमैन जनरल बाडी की मीटिंग को अटेण्ड करने जा रहा है और उसका रास्ते में मर्डर हो जाये, उसके बाद भी पुलिस ने क्या तत्परता से कार्यवाही की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रात को मर्डर हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो क्या हो गया ?

(शोरगुल)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैने कहा कि सोये हुए का मर्डर हुआ। मार्निंग आवर्स में मारा गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 5 बजे इत्तला दी गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं कह नहीं सकता। चीजें उपलब्ध नहीं हो सकी। लेकिन आपने जो कहा कि मुल्जिम पकड़ा जाता, यह आपकी राय हो सकती है। मुल्जिम के लिए जितनी पुलिस की कार्यवाही है, की गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या पुलिस ने कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि मुल्जिम को परस्यू किया जोधपुर की तरफ जब कि वह दूसरी डाइरेक्शन में चला गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस को जैसी सूचना मिली ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : पुलिस को जोधपुर की सूचना मिली.......

श्री आईदानसिंह : मेरा प्रश्न जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इत्तला किसने की कि मुल्जिम जोधपुर की तरफ गया है ?

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जो मुल्जिमान को जमानत पर तुरन्त छोड़ दिया गया, उसका कारण यह था कि पुलिस उनको गिरफ्तार करते समय कोई शहादत मुहैया नहीं कर पाई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा । रिमांड के लिए अदालत को पुलिस ने कहा फिर उनकी स्वीकृति लेकर भी मुल्जिमान को जमानत पर छोड़ा। लेकिन ज्योंही वापस शहादत मिली तो जमानत कैंसिल कराने के लिए पुलिस ने दरखास्त दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसकी सी. आई. डी. से जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री आईदानसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मर्डर किस समय हुआ, उसके बाद में पुलिस थाने में रिपोर्ट कब पहुंची ? तीसरी बात, उसके बाद में कौनसा पुलिस अधिकारी या हैड कान्स्टेबल या कान्स्टेबुल मौके पर पहुंचा और कब पहुंचा....

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने सारे जवाब दे दिए हैं।

(शोरगुल)

श्री आईदानसिंह : लिखित रूप में पुलिस को रिपोर्ट कब गई ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मुझे शक है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मुझे शक है कि मर्डर कराने में पुलिस अधिकारियों का हाथ है, यह बिल्कुल सही बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बिल्कुल सही बात है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : 40 कदम पर पुलिस मौजूद है जहां मर्डर हुआ है। बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि पुलिस का मर्डर कराने में हाथ है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश सी० आई० डी० के सुपुर्द हुई है। फाइल मंगवाकर देखी गई। इस तरह की बात पाई गई। तफतीश सी०आई० डी० को दी गई है और उनको देखरेख में तफतीश चल रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या पुलिस को गफलत नहीं है ? ऐसी हालत में पुलिस ने क्यों परस्यू नहीं किया ? मुल्जिम को रेड हैन्डेड पकड़ा जा सकता था। इसमें क्या है ? क्यों नहीं उसी समय पुलिस ने पीछा किया और मुल्जिम रेड हैन्ड पकड़ा जा सकता था ? पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री आईदानसिंह : मर्डर कितने बजे हुआ, उसके बाद रिपोर्ट लिखने कब पुलिस पहुंची ? अगर रिपोर्ट दी गई तो कब दी गई ? इसके बाद कौन सा पुलिस अधिकारी पुलिस कान्सटेबुल, हैड कान्सटेबुल मौके पर पहुंचा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हैड कान्सटेबुल ने पीछा क्यों नहीं किया मुल्जिम का ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री लाभूराम सुलानियां : क्या यह सही है कि मर्डर पुलिस के साथ देने के कारण हुआ है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मर्डर मानिंग अवर्स में हुआ और साढ़े पांच बजे पुलिस पहुंची है।

एक माननीय सदस्य : इतला लिखित में है या जबानी ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रश्न का उत्तर आने दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : इतला लिखित में है या जबानी, मुझे जानकारी नहीं है। इत्तला आते ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी और इन्चार्ज के तफतीश प्रारम्भ कर दी।

श्री आईदानसिंह : ऑफिसर्स कब पहुंचे?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुश्किल से मेरा प्रश्न साढ़े तीन साल बाद आया। फिर कब आएगा। बड़ी मुश्किल से भांडा-फोड़ हुआ, अब मेरे प्रश्न का क्या होगा साढ़े तीन साल चलते चलते आज बड़ी मुश्किल से एक पाप प्रकट होने का मौका आया है। फिर स्थगित कर रहे हैं। कृपा करके·······

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री आईदानसिंह : मेरी बातों का जबाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आ गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मंत्री महोदय ने तोड़ मोड़ कर उत्तर दिया···

श्री मनोहरसिंह मेहता : साढ़े तीन साल····

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न दुबारा स्थगित किया जाता है।

(शोरगुल)

श्री आईदानसिंह : मैं, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आप सी. बी. आई. को यह मामला सौंपने को तैयार हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : स्थगित प्रश्न इसी सत्र में आ जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसी सत्र में उत्तर दिलाया जायेगा। ऑर्डर प्लीज।

श्री आईदानसिंह : जो अंधे व बहरे हैं वह सुन नहीं सकते। पुलिस कस्टेडी में लेकर उनकी मारपीट करना और उसके बाद लोगों को छोड़ देना···

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री आईदानसिंह । ××××

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मारपीट कहां की, नहीं तो मर्डर खुल जाता।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। ऑर्डर प्लीज।

श्री आईदानसिंह व श्री रघुनाथ बिश्नोई : ××××

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इस प्रश्न को स्थगित इसलिए किया गया था कि पहले जानकारी पूरी नहीं थी। जब सप्लीमेंटरी का सवाल है, मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया और गोलमाल करके सी. आई. डी. का नाम लेकर, सी. आइ. डी. द्वारा जैसे

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No. 30

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
मंत्री महोदय ने बताया, जांच पहले हो चुकी है, अब सी. आई. डी. क्या जांच करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

(शोरगुल)

श्री बालसिंह सोढ़ा : मामला महत्वपूर्ण है। जांच के अन्दर 30 मुकदमों में झूठे लोगों को ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। ऑर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ×××

श्री गिरधारीलाल व्यास : पोलिटिकल कलर आपकी तरफ से दिया जा रहा है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई व श्री बालसिंह सोढ़ा ××××

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : चीफ व्हिप महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री आईदानसिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

(कई माननीय सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपस में बात न करें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर यह (एलीगेशन) आरोप लगाया है कि मैं कातिल को हारबर कर रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पुलिस की रिपोर्ट आई है। आपका रिश्तेदार है।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ×××

श्री रघुनाथ विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर कहना चाहते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले आया था।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : इस सदन में सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह एलीगेशन लगाया है कि आप उनको हार्बर कर रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि आखिर पुलिस और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं हार्बर कर रहा हूं तो वे क्या कर रहे हैं ? आपको कार्यवाही करते हुए किसने रोका है ? सदन के अन्दर जोर जोर से बोल कर....

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोर जोर से आप बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथजी कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि किसी सदस्य के ऊपर एलीगेशन लगाने से पहले लिख कर देना चाहिये यह आसन से व्यवस्था दी हुई है जबकि माननीय मंत्रीजी के ऊपर डकैती के लिये पर्सनल एलीगेशन लगाये थे और माननीय हंसराजजी पर भी आक्षेप लगाये थे।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये पर्सनल एक्स्प्लेशन दे सकते हैं। लेकिन वह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका मुंह बन्द क्यों था जब रामकिशनजी ने एलीगेशन लगाया था ?

श्री मदनसिंह : मैंने टोका था।

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य बहस कर रहे थे, वह की वह ही कर रहे थे। पार्टी ने अलग अलग कहा इसलिये थोड़ा सा कहा। यह कहा गया कि वहां रोड नहीं थी इसलिए चेज नहीं कर सके। इसलिये ऐसे सवालात का ऐसा जवाब समझ में नहीं आता। पुलिस वाले भी गंगानगर में मारे जाते हैं और लोग फरार हो जाते हैं। जहां तक सी.आई.डी का प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार के पास इससे अधिक व्यवस्था नहीं है। सी.बी.आई. की बात करते हैं तो सारी पुलिस इनकी है तो वह भी इनकी है इसलिये इनसे कुछ न हो तो सदस्यों को चाहिये और कटिबद्ध हो जाना चाहिये कि उनको पकड़ कर रखें। घर पर हो तो चेज करें। मर्डर होता है तो चेज करते हैं। पुलिस का कर्तव्य है। यह नहीं होता है उससे। इसलिए उसको पकड़ा कर सिद्ध कर दें कि जनता जागरूक है।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय ठाकुर साहब को मालूम ही नहीं है। हम स्वयम् ही सी. बी. आई. की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार एक भी शब्द कह दे। सी. बी. आई. को देंगे तो आपका असली मुल्जिम पकडा जायगा। आप नहीं चाहते हैं कि मुल्जिम पकड़ा जाय इसलिये आप इस इन्क्वायरी को उसको देने में मुकर रहे हैं। कितने दिन तक रोजनामचा खाली रहा ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। शंकित न हो।

श्री आईदानसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा :

श्री बालसिंह सोढ़ा : जिस प्रकार इस सदन में सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने नाराज होकर पोलिटिकल दृष्टि से जवाब दिया और मेरे पर एलीगेशन लगाये, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मर्डर हुआ पांच बजे या पहले "....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : 5 बजे इतला हुई पुलिस में ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : रानीवाड़ा के बी. डी. ओ. के यहां मर्डर हुआ। रानीवाड़ा पुलिस स्टेशन में सुबह पांच बजे सूचना हुई। सुबह पांच बजे। कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां पर सुबह पांच बजे जनता जाग नहीं जाती हो। माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस ने पीछा नहीं किया। मैं पूछता हूं पड़ौस में रहने वाले सदस्यों ने, पास में सोने वाले सदस्यों ने क्या कार्यवाही की ? कातिल कौन है और कहां है इसका निर्णय तो जांच के बाद होगा आप और हम नहीं करने वाले।

श्री उपाध्यक्ष : इसका आपके पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर से सम्बन्ध नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : पर्सनल एक्स्प्लेनेशन दे रहा हूं। उन्होंने मेरे उपर हार्बरिंग का एलीगेशन लगाया यदि वे इसको प्रूव कर देंगे तो मैं इस सदन से स्तीफा देने के लिये तैयार हूं और सजा लेने के लिये तैयार हूं और यदि वे प्रूव न कर सकें तो वे इस सदन से स्तीफा दें।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों नहीं देना चाहेंगे।

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक एलीगेशन लगाया जाय। कातिल को हार्बर करने का एलीगेशन मामूली एलीगेशन नहीं है। वह भी एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस सदन में लगाया जाय.......

श्री खेतसिंह : दोनों से कहिये कि एक सा ही मामला है। दोनों जोश में न आवें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : माननीय सदस्य और मंत्री जी तो ऐसे एलीगेशन्स सुनने के आदी हैं, इस प्रकार के दोष रोज लगते रहते है उन पर। लेकिन मैं इसका आदी नहीं हूं। माननीय सदस्य ने किस प्रकार से और किस आधार पर यह दोष लगाया है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपका भाई सांचोर में हैं उससे पूछ कर फिर कहो।

श्री बालसिंह सोढ़ा : भाई से क्या पूछूं ? जिसने एलीगेशन लगाया है उससे ही मैं पूछता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सांचोर में आपका भाई है उससे पूछो।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह बिलकुल झूंठ बेबुनियाद है, निरर्थक है और हार्बर का एलीगेशन लगाये तो जरा सोच समझ कर लगाया करें।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No. 33

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष होदय, सांचोर से आने वाले माननीय दस्य को जब यह मालूम था कि ये हार्बर र रहे हैं तो उन्होंने आज का दिन ही क्यों ।श्चित किया ? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं ो ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जोर से ोल रहे थे इसलिए कहा। उनसे मेरा कोई तभेद नहीं है। यह तो फैक्ट्स का मामला और किसी पोलिटिक्स का नहीं है।

श्री मदनसिंह : उनको उपाध्यक्ष महो-य, माफी मांगनी चाहिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : माननीय सदस्य । कहा कि आप जोर से बोलते हो इसलिये एलीगेशन लगाते हैं। क्या सदन में मेरा ोलने का अधिकार नहीं है ? झूंठे एलीगे-शन्स लगा कर हमारा मुंह बन्द करना ाहते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले एलीगेशन आपने लगाया। आप अपनी ईमानदारी और अपने अन्तकरण से पूछ कर फिर जवाब दीजिये। इसमें कोई मतभेद नहीं है। आप खुद ही ईमानदारी से अपनी अन्तरात्मा के कहने पर कह दीजिये। पहले सही चीज की जांच करिये। सांचोर में जो आपका भाई है उसको पूछिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मैं क्यों पूछूं? मेरा भाई नहीं पकड़ा गया। यह जो मर्डर हुआ है उसका जो कातिल है वह नहीं पकड़ा गया है। इसलिये कह रहा हूं इस मर्डर का असली कातिल नहीं पकड़ा गया है असली कातिल को छिपाया जा रहा है। एक सत्तर वर्ष के अन्धे आदमी को पकड़ा जा रहा है जनता में झूठा प्रचार किया जा रहा है। आप वास्तव में जांच कराना चाहते हैं तो इसकी जांच सी. बी. आई. से कर-वाइये इसमें आपको क्या ऐतराज है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप गलत और सही का कैसे कह सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है आप स्थान ग्रहण करिये। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। एक प्रश्न के सम्बन्ध में दो माननीय सदस्यो में आपस में काफी तेज झड़प हो गई। दोनों माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया इस तरह से शब्द एक दूसरे माननीय सदस्य के प्रति कहना उचित नहीं है। दोनों माननीय सदस्य घनिष्ठ मित्र हैं, आपस में ही मामले को सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो सदन के नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है। मैं चाहता हूं कि इसको विवाद का विषय न बनाया जाय। इसलिये इस बात को यहीं समाप्त कर दिया जाय और मैं आशा करता हूं यह मामला आपस में सुलझ जायगा। दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। भावावेश में कुछ किसी के द्वारा कह दिया गया हो तो वे आपस में ही निपट लें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महो-दय, मेरा जहां तक सवाल है........

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री लादूराम सुलानियां : कम से कम इस प्रकार के शब्द सदन की कार्यवाही से तो निकालने का आदेश दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज दिन तक ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे किसी माननीय सदस्य के अन्तःकरण को ठेस लगी हो। मैंने जो कुछ कहा है वह स्थिति को देखते हुए कहा है मैं आपसे भी यही कह रहा था आपने जैसा कहा कि झूठे मुलजिमान को फँसाया जा रहा है यह आप कह सकते हैं। आप ईमानदारी से कहना चाहते हैं तो आपको पहले वहां जाकर इसकी जांच करनी चाहिये। न आप आई विटनेस हैं और न मैं हूं। यह मामला पुलिस की इन्वेस्टीगेशन में है, अदालत में यह मामला सबजुडिस है इसलिये मैं इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता। यह जांच का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों महानुभाव स्थान ग्रहण कर लें। काफी मामला आगे चला गया है इसलिए इस मामले को यहीं समाप्त कर दीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सही और क्या झूंठ है या तो वहां जाकर आप जांच करें और भाई से पूछें तो पता चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री बालसिंह सोढ़ा : गलत और सही यह पुलिस का काम है देखने का, असली अपराधी कौन है यह काम है पुलिस का पकड़ने का।

श्री रघुनाथ विशनोई : मैं क्षमा याचना करता हूं अगर किसी के दिल को हर्ट हुआ हो तो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप क्षमा करेंगे। इस सारे मामले को लेकर जो सदस्यों में वाद विवाद हुआ है उसको देखते हुए यह विवाद कहीं दूसरा टर्न न ले ले अगर इसको ठीक ढंग से टेकल नहीं किया गया तो यह असंभव नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस तरह का विवाद कहीं दो जातियों के संघर्ष का रूप धारण न कर ले। इस कत्ल के बारे में जिस प्रकार की कार्यवाही हो रही है उसके बारे में जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी शंका व्यक्त की है कि इस बारे में ठीक प्रकार से कार्यवाही नहीं हो रही है और इसी तरह से जैसलमेर से आने वाले दूसरे माननीय सदस्य ने भी इसी प्रकार की शंका व्यक्त की है। सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि सी. आई. डी. के अफसरों को लगाकर उनकी निगरानी में तफतीश की कार्यवाही की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें सी. बी. आई. से भले ही आप जांच मत करवाइये राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा ही आप तफतीश करा लेते हैं तो मैं समझता हूं सभी पार्टीज को सन्तोष हो जायगा। यह विवाद ज्यादा सीमा तक नहीं बढ़ने पाये इसलिये मेरा यह सुझाव है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मामले के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं। जहां तक इस मुकद्दमें की तफतीश का सवाल है पुलिस जहां जहां भी कातिल के छिपने की सूचना मिली वहां वहां गई और पुलिस मौके पर पहुंची। अब रहा सवाल यह कि उस कातिल का परस्यू नहीं किया? माननीय मंत्री जी ने कहा वहां सड़कें न होने के

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कारण निशानात नहीं मिल सके । मुल्जिम किस डाइरेक्शन में गये यह पता नहीं चल पाया है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न तो आ गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मामले में तीन सीनियर ऑफिसर्स से तफतीश करवाई जिसमें ए. एस. पी., डी. एस. पी. थे अब भी जो तफतीश हो रही है उसमें कोई सब इन्स्पेक्टर नहीं है डी. एस. पी., सी. आई. डी. और एस. पी. कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : डी. वाई. एस. पी. से जो इन्वेस्टीगेशन करवा रहे हैं उसमें किसी भी पार्टी को सन्तोष नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें पार्टी का सवाल ही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी व्यक्ति को सन्तोष नहीं है । दोनों की शिकायत है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होगी कि इसकी इन्क्वायरी और इन्वेस्टीगेशन किसी सीनियर ऑफिसर द्वारा करवाया जाय । यदि डी. वाई. एस. पी. की इन्क्वारी से सन्तोष होता तो यहां पर वाद विवाद खड़ा नहीं होता। दोनों माननीय सदस्यों को भी इससे सन्तोष नहीं है इसी के कारण इतना उत्तेजनात्मक वातावरण बना । इसके लिये इन्डीपेडेण्ट इन्वेस्टीगेशन किया जाय ताकि सही मुलजिम गिरफ्तार होकर मुकदमें में असलियत सामने आ सके ..

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो एस. पी. नया आया है उसी को लगा दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी एस. पी. को मुकर्रर कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात आप बीस मिनिट पहले ही कह देते तो यह नोबत नहीं आती ।

श्री वार्लसिंह सोढ़ा : मेरा एक स्थगित प्रश्न रह गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बकरी दूध देती है और मैं मैं करके मींगनी भी करती है । हमारे गृह मन्त्री महोदय 20 मिनिट की उत्तेजना के बाद ही वक्तव्य देते हैं । बुढ़ापा है, यही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्थगित प्रश्न को भी स्थगित कर दिया है ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन

97. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) "गांधी शताब्दी" वर्ष में राज्य में कितने प्रार्थना-पत्र आवास भूखण्ड आवंटन हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के नागरिकों से प्राप्त हुए उनमें से किस किस को कहां कहां भूखण्ड आवंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

Page No. 36

(श्री नाथूराम)

(2) क्या यह भी सत्य है कि भूखण्ड आवंटन में अत्यधिक विलंब हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो एलॉटमेन्ट ऑर्डर्स किस किस को कब कब भेजे गये व कब्जा कब दिलाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

राजस्थान में बड़े उद्योग

99. **श्री बिरदाराम फूलवारिया** (जालोर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में बड़े उद्योग कहां कहां और किन किन वस्तुओं के हैं ? जिलेवार सूचना देने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि राज्य का व्यापारी वर्ग देश के अन्य राज्यों में उद्योग स्थापित करता है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

(3) क्या सरकार भारत सरकार से अनुरोध करके ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे राजस्थान के व्यापारियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हो सकें ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूचना की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में भी सुविधाएं उपलब्ध हैं आवश्यकतानुसार समय समय पर भारत सरकार से उद्योगों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बांसवाड़ा में भूमिहीनों की संख्या

101. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा के क्षेत्र में भूमिहीनों की संख्या क्या है तथा हर तहसील में कितने कितने भूमिहीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सन् 1960 से 1970 तक भूमिहीनों की तादाद में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है ? अगर हां, तो प्रति वर्ष कितने प्रतिशत ?

(3) क्या सरकार ने अब तक भूमिहीनों की बढ़ती हुई सख्या को देखते हुए जमीन देने की कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो कब तक जमीन दी जायगी और कौन सी जमीन कहां से ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले के भूमिहीन किसानों ने अपने परिवार के गुजर बसर के लिये नोतोड़ जमीन पर काफी मात्रा में नाजायज काश्त किया है ? यदि हां, तो कितने मामलों में नाजायज कब्जे के केस चल रहे हैं ?

(श्री हीराभाई)

(5) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि इस प्रकार के केस चला कर नाजायज कब्जों को रोका जा सका है ? अगर हां, तो 1960 से 1970 तक कितने मामलों में सजा या जुर्माना किया गया है और नाजायज कब्जों को प्रति-वर्ष कितना प्रतिशत कम किया गया है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राणावत आयोग की सिफारिशों के अनुसार पटवारियों की वेतन वृद्धि

97. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राणावत आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिन कर्मचारियों की राज्य सेवा से अवकाश ग्रहण करने की अवधि 10 वर्ष शेष रह गई है उन्हें 1 वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई है ?

(2) क्या यह वेतन वृद्धि राज्य के पटवारियों को भी दी गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सिविल सर्विस (नवीन वेतन मान) नियम, 1969 के नियम 12 के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है जिनकी राज्य सेवा से अवकाश ग्रहण करने की अवधि दस वर्ष या इससे कम रह गई हो।

(2) नवीन वेतन मान नियम 12 के अन्तर्गत ऐसे सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है जिनकी सेवा निवृत्ति की अवधि दस वर्ष रह गई हो चाहे वे राज्य सेवाओं में किसी भी पद पर नियुक्त हों।

ट्रेस-पासर तहसील लाडपुरा

98. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील लाडपुरा में कितने आदमी किस किस गांव के ट्रेस-पासर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन आदमियों के 5 साल से अधिक के कब्जे होने पर भी उनका नियमन क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) तहसील लाडपुरा के गैर उपनिवेशन क्षेत्र में 583 व्यक्ति ट्रेस-पासर्स हैं। सूची संलग्न हैं।

(2) गैर उपनिवेशन क्षेत्र के आदमियों के कब्जे 5 साल से अधिक के नहीं हैं। निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण नियमन नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

भूमि आवंटन

99. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार के जब से भूमि संबंधी आवंटन के नियम बने हैं और नियमों की

(श्री मूलचन्द डागा)
अवहेलना होते हुए जिनको भूमि आंवटन हो गई है क्या सरकार उनके आवन्टन को केन्सल करने का इरादा रखती है और खास तौर से उनकी जिनके पास कमाने के अन्य साधन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि के आवंटन से सम्बन्धित नियम 1957 में बनाये गये और अब नये भूमि आवन्टन नियम 1970 में बनाये गये हैं, जिनकी एक एक प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। पूर्व एवं मौजूदा नियमों में यह प्रावधान है कि भूमि का आवन्टन भूमिहीनों को ही किया जावे। जो आवंटिति आंवटन की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या भूमिहीन न होते हुए जिसको भूमि आवंटित हो जाती है उसे कैन्सल करने/अधिग्रहण करने का प्रावधान नियम 14 में दिया हुआ है। अत: विधिवत् कार्यवाही की जा रही है।

अकालग्रस्त इलाकों में लगान, तकावी आदि की वसूली माफ करने सम्बन्धी आदेश

100. **श्री शंकरसिंह** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग की आज्ञा संख्या क्रमांक एफ. एफ. 7 (86) राज/ग/ 67, दिनांक 18 नवम्बर, 1967 द्वारा अकाल ग्रस्त इलाकों में लगान, तकावी आदि की वसूली के सम्बन्ध में जिलाधीशों को तत्काल प्रभावी आदेश दिये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों में जिलाधीशों को अकाल की लगातार तीन वर्ष तक स्थिति रहने पर प्रथम वर्ष की वसूली स्वतः माफ करने तथा दूसरे वर्ष की वसूली न करने हेतु जांच करके प्रतिवेदन सरकार को भेजने के निर्देश थे ?

(3) क्या जिलाधीश, अजमेर द्वारा तत्कालीन दूसरे वर्ष की वसूली माफ करने के लिये कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो बताने की कृपा करें कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. जी हां। लेकिन प्रस्तावों में कुछ कमी होने के कारण जिलाधीश, अजमेर से उसकी पूर्ति करने के लिये कहा गया है, पूर्ति होने पर कार्यवाही की जावेगी।

एस. आईज. किशनगढ़ के परीक्षणार्थियों के वेतन, भत्ते आदि सम्बन्धी मामले

101. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पी. एस आई. 21, एस. आई. सी. पी. 21, एस. आई. सी. आई. पी. 15, एस. आई. एफ. पी. 4, इस प्रकार 61 कुल प्रशिक्षणार्थी

Page No. 39

(श्री दौलतराम सारण)
गत वर्ष किशनगढ़ में प्रशिक्षण के प्रारम्भ में थे ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में ट्रेनिंग जॉइन करने के लिये जो 28 जुलाई, 69 को आदेश दिये गये थे उनमें स्पष्ट कहा गया था कि ट्रेनिंग के दौरान वेतन एवं भत्ता आदि दिये जायेंगे ? और दिनांक 6-9-69 के नियुक्ति पत्र भी इसी हिसाब से दिये गये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि एस. आई. एफ. पी. को इसी आधार पर वेतन का भुगतान भी कर दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि सीधी भर्ती वाले अन्य प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति आदेश के अनुसार पूरा वेतन नहीं देकर केवल 150 रु. मासिक ही दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि आर. एस. सर्विस रूल्स के नियम 36 एवं 39 के अनुसार वेतन एवं भत्ते के सम्बन्ध में आर. एस. आर. द्वारा निर्धारण होता है ?

(6) क्या यह भी सही है कि आर. एस. आर. नियम 26 के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान नियुक्ति के दिन से ही पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान होता है ?

(7) क्या राज्य सरकार उपरोक्त मामलों में पुनर्विचार करके सब प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण काल में भी नियुक्ति आदेशानुसार पूरा वेतन भत्ता आदि दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

(8) क्या यह भी सही है कि एक एस. आई. एफ. पी. को बदल कर सी. पी. में लगा दिया गया जो नियमानुसार व आदेशानुसार लगाया नहीं जा सकता ? यदि हां, तो किसने लगाया व क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, 28 जुलाई, 69 के आदेश में वेतन एवं भत्ते बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

उप महानिरीक्षक पुलिस, सी. आई. डी. (सी. बी.) ने दिनांक 6-9-69 को जो नियुक्ति पत्र प्रसारित किया था उसमें उन्होंने वेतन शृंखला का गलत उल्लेख कर दिया था जिसे पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 13-10-69 द्वारा परिवर्तित किया जाकर 150) रु. माहवारी फिक्सड वेतन देने हेतु निर्देश दिये गये।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, यह फिक्स वेतन 150) रु. नोटिफिकेशन दिनांक 13-9-68 में अंकित शर्तों के आधार पर दिया गया।

(5) जी हां, यह सही है कि नियुक्ति होने पर रा. पु. स. सर्विस रूल्स के नियम 36 एव 39 के अनुसार ही वेतन एवं भत्ता दिया जाता है और आर. एस. आर. द्वारा वेतन निर्धारित होता है।

(6) जी हां।

(7) जी हां, ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

(गृह मंत्री)

(8) एफ. पी. व सी. पी. अलग अलग केडर नहीं है। अत: प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ए. एस. आई. के खिलाफ पेन्डिग मामले

102. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

भुंभुनूं जिले के श्री सुलतानसिंह, ए. एस. आई. के खिलाफ कितनी इन्क्वायरी सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले पिछले दो सालों की अवधि में हुई अथवा ेंडिग है और किस किस शिकायत से संबंधित है तथा किस किस अधिकारी ने उन शिकायतों की जांच की है, अथवा कर रहे हैं ?

उत्तर

भुंभनूं जिले के श्री सुल्तानसिंह, ए. एस. आई. के खिलाफ सितम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले पिछले 2 सालों की अवधि में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई, इन से मे 3 शिकायतें साबित न होने से फाइल की गई, एक शिकायत में भविष्य के लिये ए. एस. आई. को चेतावनी दी गई और एक शिकायत में एस. एस. आई. की 1 साल की वेतन वृद्धि रोकी गई। 2 शिकायतें अदालत में जेर तजबीज हैं और 3 शिकायतें पेंडिग हैं। शिकायतों बाबत विस्तृत सूचना संलग्न तालिका (क) में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नोहर कस्बे में पीने के पानी की व्यवस्था

103. श्री हंसराज आर्य (भादरा : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर में पुराना वाटर वर्क्स का पानी जो कुओं से लिया जाता था, खारा होकर पीने के लायक नहीं रहा है ?

(2) क्या इस समस्या को हल करने के लिये नहर का पानी वाटर वर्क्स में लेने की योजना चालू है ?

(3) यदि हां, तो इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

(4) नहर का पानी लेकर इस वाटर वर्क्स को कितने समय में पूरा करके कस्बे को पीने का पानी दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां, कार्य प्रगति में है।

(3) इनलेट चेनल बनकर तैयार हो चुकी है। टैंकों का निर्माण कार्य चालू है तथा अब तक योजना पर (सितम्बर 70) 10-30 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(4) इस योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 71-72 के अन्त तक पूर्ण किया जाकर नोहर कस्बे को पानी दे दिये जाने की सम्भावना है।

Page No. 41

नगरपालिकाओं पर बकाया ऋण

104. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दस सालों में किस किस नगरपालिका का बकाया ऋण बट्टे खाते लिखा गया, और कितनी कितनी धनराशि थी ?

(2) बकाया ऋण को बट्टे खाते लिखे जाने का क्या कारण है ?

(3) इस समय किस किस नगरपालिका के जुम्मे कितना 2 ऋण है और उस पर क्या सूद लगता है ?

(4) सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्त

(1) गत दस वर्षों में कोई ऋण बटटे खाते नहीं लिखा गया ।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(3) विभिन्न नगरपालिकाओं पर दिनांक 1-4-70 को जो ऋण बकाया है उसकी सूची संलग्न है ।

सूद की दर जो ऋण स्वीकृति के समय निश्चित की गई थी, उसी दर से लगता है । किश्त को रकम समय पर जमा नहीं कराई जाती है तो दण्डात्मक व्याज लगता है ।

(4) प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा भू-खन्डों का आवन्टन

105. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर विकास न्यास जयपुर, द्वारा चालू साल से लेकर गत तीन वर्षों में किन किन व्यक्तियों को कहां कहां पर किस किस साइज का भू-खण्ड कब कब एलोट किया तथा उनकी दरख्वास्तें किस किस तारीख से न्यास के पास थीं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त अलॉटमेन्ट करने के बाद किस तारीख से लेकर बाद की कितनी दरख्वास्तें बिना एलॉटमेंट के बची हैं ?

उत्तर

(1) तालिका 'अ' संलग्न हैं ।

(2) तालिका 'ब' संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

बेकारी की समस्या का समाधान

106. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बेकारी मिटाने के लिए सरकार का विचार उन व्यक्तियों को नौकरी नहीं देने का है जिनके संरक्षक या पिता इन्कम टैक्स देते हैं और जिनके घर में कोई रोजगार है ?

Page No. 42

(श्री मूलचन्द डागा)

(2) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) ऐसा कोई विचार नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता

107. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार का इरादा बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देने का है ? अगर हां, तो कितने रुपये माहवार।

उत्तर

(1) ऐसी कोई विशिष्ट गणना नहीं की गई है जिसके आधार पर राज्य के कुल बेरोजगार की ठीक संख्या बताई जा सके।

(2) जो नहीं।

छबड़ा कस्बे को सड़क से मिलाने हेतु पुलिया का निर्माण

108. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा में छबड़ा कस्बा सब डिवीजन हैडक्वार्टर है ?

(2) क्या यह सही है कि यह कस्बा आज तक किसी भी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सब-डिवीजन हैड-क्वार्टर को सड़क से जुड़े हुए नहीं होने का कारण सड़क पर पुलिया नहीं होना है ?

(4) क्या सरकार इस कस्बे को सड़क से मिलाने का निश्चित समय पर पूर्ण करवाने का आश्वासन देगी ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) यह कस्बा कवाई-छबड़ा सड़क। अकलेरा-सालपुर रोड से मिलता है।

(3) पुलिया के अभाव में अधिक वर्षा के कारण यातायात अवरुद्ध हो जाता है।

(4) अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित करना संभव नहीं है।

बामनवास तहसील में सड़कों के विकास हेतु योजना

109. **श्री श्रवण लाल (हिन्डौन)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर जिले की बामननास तहसील में सड़कों के विकास के लिये सरकार निकट भविष्य में क्या योजना बना रही है ?

(ख) जिला सवाई माधोपुर में सड़कों के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया है और

(श्री श्रवणलाल)
उसमें से कितनी धन राशि बामनवास तहसील में खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) बामनवास तहसील में वर्ष 70-71 की वार्षिक योजना में लालसोट से बन्ध मोरा सागर सड़क पर कार्य कराने की स्वीकृति दी गई है।

(2) प्रारूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी स्वीकृत नहीं है।

रामगन्ज मन्डी व सांगोद तहसील की पुलियाओं की मरम्मत

110. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मण्डी व सांगोद तहसील में भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय की सड़कों से अलहदा बनी हुई कितनी 2 पुलियाएं हैं और उनकी मरम्मत कब कब की गई थी और उन पर कितना कितना धन खर्च किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि पुलियाओं की मरम्मत करते समय बाला जी की धाक नामक दायी सिन्ध नदी पर स्थित पुलिया की मरम्मत नहीं की गई थी जिससे उस पुलिया की हालत अत्यन्त सोचनीय बन गई है। उपरोक्त पुलिया की मरम्मत कब तक करवादी जाने की उम्मीद है।

(3) क्या यह सही है कि बांरा मण्डी की पुलिया मरम्मत के बाद पिछली बरसात में टट चुकी है ? यदि हां, तो इसे दुरुस्त करने की क्या योजना हैं और कब तक पूरी करवा दी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर के जू में पशु-पक्षी कक्ष देखने हेतु टिकट व्यवस्था

111. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर के जू में पशु-पक्षी कक्ष को देखने के लिये टिकिट लेना पड़ता है ? यदि हां, तो कब से व कितने पैसों का ? गत तीन माह की आमद के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या पहले बिना टिकिट देखने की व्यवस्था थी ? यदि हां, तो पहले पशु पक्षियों पर कितना खर्चा होता था और अब कितना ?

(3) राज्य में अन्य पशु-पक्षी कक्ष कहां कहां हैं और उन पर क्या देखने का टिकिट है ?

(स्थगित किया गया)

हरिजनों को बिना ब्याज ऋण का वितरण

112. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हरिजनों को बिना ब्याज के लोन दिया जावेगा ?

(श्री श्रवणलाल)

(2) यदि हां, तो उसके लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

(3) उपरोक्त धन राशि अब तक कितने परिवारों को वितरण की गई है यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस वर्ष 8.50 लाख का प्रावधान है।

(3) बिना ब्याज ऋण देने के नियम अब स्वीकृत हुये है। इस कारण अब निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निमंत्रित किये जा रहे हैं। जिनके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

छात्रावासों के अधीक्षकों की पोस्टें

113. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में से कुछ छात्रावासों में गजेटेड अधीक्षक की पोस्टें कायम करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्यों ? कब से व कहां कहां ?

(2) विभाग के सीनियर अधीक्षकों को प्रमोशन देकर उक्त पदों पर लगाया जायगा या नये भर्ती किये जायेंगे ?

(3) यदि नई भर्ती द्वारा इन पोस्टों की पूर्ति की जाने का इरादा है तो क्यों ? जबकि विभाग में भी कई सीनियर अनुभवी योग्यता प्राप्त व समाज शास्त्र में ग्रेजुएट व विभागीय ट्रेनिंग पासशुदा अधीक्षक पहले से सेवा में हैं उन्हें प्रमोशन का मौका नहीं देकर, नई भर्ती से विभाग का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वांछित योग्यता रखने वाले विभागीय कर्मचारी भी सीधी भर्ती द्वारा लिये जा सकेंगे।

(3) मौजूदा अधीक्षकों में जो आवश्यक योग्यता रखते हैं उनके लिए आयु सीमा 45 वर्ष रखी गयी है। जिससे उन्हें अवसर मिल सके।

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

कैथून थाना हैडा सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

26. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कैथून थाना हैडा (झालावाड़ पी. डब्लू. डी.) की मरम्मत किन किन स्थानों पर कब कब करवाई गयी थी और उस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क की दशा सोचनीय है और उस पर बसों के आने जाने में दिक्कत होती है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करवादी जावेगी ?

(श्री जुझारसिंह)

(3) कैथून थाना हैडा रोड पर पुलियाएं बनना किन किन स्थानों पर बाकी है और किन किन स्थानों पर पुलियाएं टूटी हुई है ? पुलियाओं की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी।

उत्तर

(1) कैथून थाना हैडा रोड के कुछ स्थानों का मरम्मत कार्य 69-70 में 2277.16 रु० का कराया गया था।

(2) सड़क की दशा कुछ मीलों में खराब है। ज्योंही धनराशि प्राप्त होगी कार्य कराया जावेगा।

(3) मील 24 व 25 में नालों पर पुलिया नहीं हैं। मील 18 व 21 में क्रमश: खुराड़ नाला व अरुनदी की पुलिया खराब है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

कोटा व झालावाड़ की बाढ़ ग्रस्त सड़कें

27. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा व झालावाड़ पी. डब्लू.डी. डिविजनों में बाढ की क्षति को पूरा करने के लिए 1969-70 में कितनी राशि किन किन स्थानों के लिये मंजूर की गई थी ? अलग अलग स्थानों सहित मंजूर की गई राशि की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) बाढ़ ग्रस्त इलाकों पर मंजूर की गई रकम के अतिरिक्त कितनी धनराशि खर्च की गई और किन स्थानों पर ? कृपया बतावें।

(3) सांगोद राजगढ़ रोड़ पर बाढ़ ग्रस्त क्षति का क्या अनुमान लगाया गया था और उस पर कितनी रकम खर्च की गई है। उस सड़क पर मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची (क) प्रस्तुत है।

(2) चालू कार्यों को पूरा कराने में स्वीकृति से अतिरिक्त धनराशि जो खर्च हुई है। खर्च के आंकड़ों में दिखाई गई है।

(3) सांगोद राजगढ़ रोड पर क्षति का अनुमान 5,50,000 रु० आंका गया था तथा 69-70 में 2,00,000 रु० की मांग प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध 1,50,000 रु० की स्वीकृति की गई थी जिस पर विभागीय कार्य 13853 रु० का कराया गया है। मील 4 व 5 का ठेका श्री जगन्नाथ ठेकेदार को दिया था। फसल खड़ी रहने के कारण कृषकों ने भूमि देने से इन्कार किया। मील 6 व 7 के कार्य आदेश भूमि किसानों द्वारा नहीं दिये जाने के कारण नहीं दिये गये।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

अस्थाई ट्रेन्ड कानूनगों की संख्या

32. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरा-पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अभी राजस्थान में ऐसे अस्थायी कानूनगों (लैन्ड रिकार्ड) की संख्या कितनी है जो पांच साल से चल रहे हैं ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(2) इन अस्थायी कानूनगों को कब तक स्थाई किया जावेगा और अभी तक अस्थाई क्यों चलाये जा रहे हैं ?

(3) क्या स्थाई किये जाने का सरकार का कोई नियम है ? यदि हां, तो उक्त प्रति सदन की मेज रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(4-11-70)

सादड़ी (जिला पाली) चक नं. 2 का रास्ता खोलने का अदालत द्वारा निर्णय

33. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अदालत तहसीलदार देसूरी (जिला पाली) में मुकदमा नम्बर 1178/66 का निर्णय तहसीलदार ने तारीख 25-6-68 को दिया और क्रमांक 641, ता. 27-9-68 द्वारा तहसीलदार ने पटवारी सादड़ी (जिला पाली) चक नं 2 को निर्णयानुसार शीघ्र तामील कर रास्ता खुलवाया जाकर तामील रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने को लिखा ? यदि हां, तो आज तक इस क्रम में क्या क्या कार्यवाही की गई और कार्यवाही के फलस्वरूप रास्ता खुलवाया गया कि नहीं ?

(2) उपर्युक्त मुकदमा नम्बर 1178/66 के ता. 25-6-68 के निर्णय की प्रतिलिपि एवं इस संबंध में तहसीलदार द्वारा सादड़ी के पटवारी (चक नं 2 के) को लिखे गये उपर्युक्त आदेश क्रमांक 641, ता. 27-9-68 की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जावे।

(3) तहसीलदार ने अपनी संबंधित आज्ञा में रास्ता खुलवाने की समय सीमा एक सप्ताह दी हुई थी, परन्तु अभी तक रास्ता क्यों नहीं खुलवाया गया और अब कब तक रास्ता खुलवा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि मुकदमा नं. 1172/66 का निर्णय तहसीलदार देसूरी ने तारीख 25-6-68 को दिया व जरिये नं 641 ता. 27-9-68 को तहसीलदार देसूरी ने पटवारी सादड़ी, चक नं 2 को निर्णयानुसार रास्ता खुलवाया जाकर तामीली रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, जिसकी पालना में संबंधित पटवारी द्वारा रास्ता खुलवाया गया था।

(2) उपरोक्त निर्णय दिनांक 25-6-68 की प्रतिलिपि एवं इस सम्बंध में तहसीलदार देसूरी द्वारा पटवारी सादड़ी, चक नं. 2 को दिये गये आदेश क्रमांक 641, दिनांक 27-9-68 की प्रतिलिपि सदन पटल पर रख दी गई है।

(3) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि अभी तक रास्ता बन्द है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि

(श्री उपाध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री मदनसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि भूतपूर्व कैप्टिन श्री गोपाल शर्मा, ग्राम सांगानेर सूबेदार श्री रोड़ूराम ग्राम गणेशपुरा तहसील चाकसू दोनों को ही भूमि आवंटन हुए 5 वर्ष से भी अधिक समय हो गया और न्यायालयों से मुकदमें जीत गये किन्तु फिर भी गांव वालों ने तहसीलदार सांगानेर व तहसीलदार चाकसू से मिल कर भूमि को गोचर घोषित करवा दिया जब कि दोनों जमीन सेटिलमेंट नक्शों में सिवाय चक हैं।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नल बिजली वर्कर्स फेडरेशन द्वारा 25-11-70 से राजस्थान व्यापी भूख हड़ताल और आन्दोलन के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :

(3) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने बारां तहसील के ग्राम नियाणा, रारोती, खेड़ली, तिसाया मियाज आदि गांवों की करीब आठ हजार बीघा जमीन में पार्वती नदो नहर का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजी राम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर में गुण्डागर्दी चरम सीमा पर पहुंचने तथा पुलिस सत्ताधारी पार्टी से दबी होने के कारण गुण्डों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री प्रेमसिंह सिंघवी, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 5-11-70 को ग्राम पालड़ी, पंचायत समिति, सुमेरपुर, जिला पाली में जल प्रदाय योजना के उद्घाटन के समय अकस्मात पानी की टंकी फट जाने के कारण घटनास्थल पर ही पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं भी मिली हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) श्री कल्याणमल मीणा, सदस्य विधान सभा ने तहसील जहाजपुर में तालावों की पेटे की जमीन नियमों की अवहेलना कर वहां के स्थानीय अधिकारियों द्वारा चन्दा लेकर आवंटन करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा ने पूर्वी जर्मनी से आयात ट्रैक्टरों को राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा किसानों को वितरित करने तथा किसानों द्वारा इनकी कीमत बैंकों से ऋण लेकर चुकाने तथा थोड़े दिनों

(श्री उपाध्यक्ष)

में ट्रैक्टरों के खराब हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जा सके। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामकिशन : लोग मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे समाप्त करने दीजिये। (शोरगुल)

आर्डर प्लीज।

इनके अतिरिक्त राज्य सरकार से कुछ स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त होगई है जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी चित्तौड़गढ़ में मजदूरों की हड़ताल के संबन्ध में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में गृह विभाग एवं श्रम विभाग से जो सूचना प्राप्त हुई है वह संक्षिप्त में इस प्रकार है:—

श्रमिकों ने एक मांग-पत्र दिनांक 3-10-70 को बिड़ला सीमेण्ट वर्क्स के प्रबन्धकों को प्रस्तुत किया और यह नोटिस दिया कि यदि मांग पर समझौता नहीं हुआ तो वे हड़ताल कर देंगे। मांगों पर वार्ता असफल होने पर सरकार ने इस मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दिया और इसकी सूचना दोनों पक्षों को दे दी। इस कारण श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अवैधानिक थी।

राज्य सरकार के उत्तर में यह भी बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने श्रमिकों को उकसाया, जिसके कारण उन व्यक्तियों तथा सात श्रमिकों के नेताओं को जाप्ता फौजदारी की धारा 107/151 के तहत गिरफ्तार किया गया। कुछ श्रमिक उदयपुर से भी आये और इन श्रमिकों में शामिल हो गये। इस तरह इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया। इस तरह 37 गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से 2 ने शांति रखने की जमानत दे दी है और उनको रिहा कर दिया गया बाकी हवालात में हैं। पुलिस और मजिस्ट्रेट ने स्थिति का संयम और कुशलता से निमन्त्रण किया और किसी भी अप्रिय घटना को घटने से रोका।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने भूतपूर्व राजाओं की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी राष्ट्रपति महोदय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा पूरी तौर से अमल न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि भूतपूर्व राजाओं को:—

(1) चुंगीकर, हाउस टैक्स व अन्य टैक्सों की छूट

(2) मोटर गाड़ियां,

(3) शराब के स्टांक,

(श्री उपाध्यक्ष)

(4) पानी बिजली व चिकित्सा,

(5) पुलिस गार्ड, व

(6) शिकार, मछली पकड़ने व जंगलात से घास, चारा व ईंधन के बारे में आवश्यक आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। नरेशों की भूमि उनकी निजी सम्पत्ति है जो विशेषाधिकार में नहीं आती। उनके हथियारों के लाइसेन्स की छूट का मामला केन्द्रीय सरकार के अधीन है। उनके झन्डों और चिन्हों के बारे में स्पष्टीकरण आने पर कार्यवाही की जायेगी। प्रिवीपर्स बंद कर दिया गया है परन्तु भारत सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है कि उनके संबंधियों को गुजारा भत्ता आदि राष्ट्रपति महोदय के आदेश से बन्द नहीं किया जाना है और न ही इस आदेश से नरेशों की व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रभावित हुई है।

(3) बूंदी में अवैध रूप से जंगल की कटाई के सम्बन्ध में श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजसुन्दर जी शर्मा ने जंगल काटने के कोई आदेश नहीं दिये थे किन्तु 23 व 24 अक्तूबर को कुछ लोगों ने अवैध रूप से कटाई की थी जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और स्थिति पर काबू पा लिया गया है।

(4) श्री केदारनाथ, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री दौलतराम सारण, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री गंगानगर में रेल्वे गेट नं 118 पर गेट मैन द्वारा दरवाजा बन्द करने पर पुलिस द्वारा गिरफतारी करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि हड़ताल दिनांक 4-11-70 की दोपहर के बाद समाप्त हो गई थी और उसके बाद कोई हड़ताल नहीं हुई है। इस विषय में जिलाधीश, गंगानगर को जांच कर के रिपोर्ट देने के आदेश दिये गये हैं और ए. एस. पी. का स्थानान्तरण किया जा रहा है।

(5) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने कोटा जिले के अन्ता कस्बे में पुलिस कर्मचारी की अप्रत्यक्ष मदद से एक नवयुवक की हत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि दिनांक 14-7-70 को नाले में जो लाश मिली थी वह किसी मुसलमान की मालूम होती थी? उसका पोस्ट मॉर्टम कराया गया था और मौत असैफिक्सिस से होना पाया गया। लाश को कोई शनाख्त नहीं कर सका। दिनांक 14-9-70 को श्री कजोड़ ने रिपोर्ट की कि उसका लड़का मदन 2 महीने से गायब है। उसकी जांच की गई किन्तु कोई पता नहीं लगा। दिनांक 14-10-70 को श्री देवीदत्त गाड़िया ने रिपोर्ट लिखवाई की मदन का कत्ल हो गया है और नाले में जो लाश थी वह उसकी थी। इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और तफतीश की गई पर मदन के कत्ल होने का पता न चला।

ऊपर दिये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

कुछ माननीय सदस्यों ने निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की थी। उस पर पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि माननीय सदस्य श्री कृष्णकुमार गोयल के कोटा मेले के बारे में माननीय गृहमंत्री जी आज एक वक्तव्य दें और माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव शाहपुरा काण्ड के बारे में गृह मंत्री जी दिनांक 16-11-70 को वक्तव्य दें।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री दौलतराम सारण : मेरा एक व्यवस्था का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण!

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि इस सदन की परम्परा रही है कि जो महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव होते हैं, उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर, अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या पर, उन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं। लेकिन आज आपने जो व्यवस्था अपनाई है उससे हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आज राज्य सरकार को जो काम करना चाहिये था वह आसन ने किया है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसन और सदस्यों के बीच में क्लेश होने की सम्भावना रहती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जो परम्परा रही है उसको निभाने की दृष्टि से और आसन की गरिमा और गौरव को सुरक्षित रखने की दृष्टि से और माननीय सदस्यों की भावनाओं और इच्छाओं की अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से मिल सके उसके लिए वे अपनी तरफ से राज्य सरकार के सामने दूसरे प्रश्न भी रख सकें, पूछ सकें और उनका स्पष्टीकरण करा सकें इसके लिये यह आवश्यक है कि जैसा आज तक होता रहा है माननीय अध्यक्ष या आसन की ओर से राज्य सरकार का जवाब न होकर मंत्री महोदय की ओर से वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये जैसी कि गंगानगर की घटना है, चित्तौड़गढ़ की घटना है। इस तरह की अलग 2 घटनाओं का उल्लेख न करके यह प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि इन घटनाओं को लेकर जन जीवन में बड़ी उत्तेजना है, इन घटनाओं को लेकर जन जीवन में बड़ी उलझन है और इसकी वजह से माननीय सदस्य ने यहां अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। पर आसन की तरफ से राजस्थान सरकार के द्वारा जो सूचना मिली है वह सदन में प्रस्तुत की गई मन्त्री महोदय द्वारा की जानी चाहिये थी। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा जो गलत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया या जो गलत तथ्य बताये हैं उस सम्बन्ध में विवाद में पड़ने की स्थिति में नहीं रहते हैं और अगर पड़ते हैं तो एक पेचीदा और अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जावेगी आसन के और सदन के सदस्यों के सम्बन्धों के बीच में इसलिये मेरा आग्रह है कि आप इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और इस तरह की महत्वपूर्ण समस्याओं पर सरकार के द्वारा ही वक्तव्य प्रस्तुत करावें, स्वयं न दें तो अच्छा होगा। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : दौलतरामजी सारण ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। हम लोगों ने खास कर विरोधी पक्ष के सदस्यों ने आसन के साथ पूरा सहयोग करते रहने का सदैव प्रयत्न किया है। एडजोर्नमैन्ट मोशनों के माध्यम से हम लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के अवसर मिलते हैं। इस सदन में इस सत्र के काल में जो बहुत छोटा है विधायी कार्य इस तरह से रखा गया है कि इस प्रकार से प्रश्नों को उठाने का हमें समय मिलता नहीं। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस तरह से उठाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है फिर एडजोर्नमेन्ट मोशन्स के लिए और समय भी रहता नहीं है। इस बार तो अन ऑफिसियल बिजनेस भी नहीं रखा गया है।

इस स्थिति में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमारा गला घोंट कर कोई हमें चुपचाप बैठने को विवश कर रहा हो। पर मैं समझता हूं कि इन घटनाओं से पैदा हुई असन्तोष की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में सदन में प्रकट होनी चाहिये। पर खेद है कि आज सदन को चलते पांच दिन हो गये पर एक भी एडजोर्नमेंट मोशन पर बहस या उत्तर नहीं हो पाये हैं। अब केवल तीन दिन हमारे सामने और बाकी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम एक दिन का समय और बढ़ाया जाकर इन महत्वपूर्ण मसलों पर बहस करने का समय मिलना चाहिये। इस समय में ऐसे सारे एडजोर्नमेंट मोशन ले लिये जावें ताकि माननीय सदस्यों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके और सरकार की तरफ से भी स्थिति के स्पष्टीकरण के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

श्री मदनसिंह : मैंने भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जानकारी चाही गई है सरकार से।

श्री मदनसिंह : उनको दी गई जमीनों को वापिस छीनने का नया तरीका यह सरकार अपना रही है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी जवाब आ जावे तब आप कुछ कहें तो उपयुक्त होगा।

श्री मदनसिंह : इन्फोर्मेशन भी आ गई है। मैं निवेदन करूं कि उन भूतपूर्व सैनिकों के हक में तहसील से लेकर रेवेन्यू बोर्ड से लेकर गंगाराम जी तक फैसला हुआ है। ये दोनों चार साल से काश्त कर रहे हैं। पर आज नई स्थिति पैदा हो गई है। उनको वहां से हटाने का षडयन्त्र किया जा रहा है। नये नक्शे बन गये हैं फरजी नक्शे बन गये हैं तहसीलदार से मिलकर। उपाध्यक्ष महोदय मैं वे नक्शे सदन के सामने पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जब सरकार से जानकारी चाही है तो वह जानकारी मिल जावे तो उस वक्त आप कहें तो उचित होगा।

श्री मदनसिंह : मैं सरकार को जानकारी सदन में दे रहा हूं। आज नये नक्शे बनते जा रहे हैं। तहसीलदार और एस.पी. की साजिश से पुराने नक्शों में फरजी कार्यवाही करके नये नक्शे तैयार कर लिये हैं। उनको मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको स्थगन प्रस्ताव के साथ ही पेश कर सकते थे। सरकार से

(श्री उपाध्यक्ष)
इस बारे में जानकारी चाही है। जानकारी मिल जावेगी तब अवसर मिलेगा तो आप कह सकते है।

श्री मदनसिंह : आज यह कहा जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी एस. पी. तहसीलदार वहां जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारे इन कागजों को नहीं मानते, रेवेन्यू बोर्ड और सरकार के फैसलों को नहीं मानते, उनके खिलाफ एस. पी. और तहसीलदार जहां जाकर उनको डराते धमकाते हैं, उनके पक्के नक्शों को नहीं मानते। इस सम्बन्ध में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिना किसी आधार के आप बहस कर रहे हैं और सदन का समय ले रहे हैं।

श्री मदनसिंह : मैं भूतपूर्व सैनिकों के हितों पर इस तरह से आंच नहीं आने दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : भूतपूर्व सैनिकों का नाम लेकर आप आसन को बड़ी दुविधा की स्थिति में डाल रहे हैं।

श्री फतेहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के अधिकारियों के इस तरह के काले कारनामों से भूतपूर्व सैनिकों में और वर्तमान सैनिकों में भी बड़ा असन्तोष फैल रहा है, सरकार के रवैये के खिलाफ भी असन्तोष फैल रहा है।

श्री मदनसिंह : मुझे मालूम है आप की भावना मेरे साथ है। मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : आप डाल रहे हैं। इसलिये बार बार निवेदन कर रहा हूं: श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह : श्री दौलतराम जी सारण ने जो प्रश्न उठाया है, निश्चित रूप से वह बड़ा महत्वपूर्ण है। आज स्थिति यह बन गई है कि नीतियों सम्बन्धी मामलों पर भी हमें बहस करने का यहां अवसर नहीं मिलता। स्थगन प्रस्तावों के जरिये हम वह अवसर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें आसन की तरफ से और सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। फिर इस बार राज्य सरकार ने जो तरीका अपनाया है कि अध्यक्ष महोदय को जानकारी दे दी जाय और अध्यक्ष महोदय उस जानकारी को सदन में पढ़ दें और बस छुट्टी। इससे हम कठिनाई में पड़ते हैं।

हम चाहते हैं कि हर मुद्दे पर सही रूप में चर्चा हो। पर यह तब नहीं हो सकता जब कि इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की जानकारी आप सदन में पढ़ते हैं। यह एक नई परम्परा अपनाई गई है। आपने जो आज व्यवस्था दी है, मेरा निवेदन है कि आप उस पर पुनर्विचार करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सारण ने जो आपत्ति आपके समक्ष प्रस्तुत की है, उस पर मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि विरोधी पक्ष और आसन के बीच सद्भावना और सहयोग का वातावरण बना रहे, सामंजस्य सुदृढ़ रहे को-ऑपरेशन और अण्डरस्टेण्डिंग का। मैं नहीं चाहता कि आप स्थगित प्रस्तावों को स्वीकार ही करें या सरकारी उत्तर हो

(श्री लक्ष्मणसिंह)

दिलावें। आप अस्वीकार भी करें तो भी हमें आपत्ति नहीं होगी। पर इतने स्थगन प्रस्तावों पर एक पर भी सरकार की ओर से कोई मन्त्री जवाब ही न दे और वह विषय चर्चा का सदन में न बने तो यह मेरे खयाल में अस्वस्थ्य परम्परा ही नहीं है, पर हमारे स्वाभिमान के भी विपरीत है। यह जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा नहीं है। मेरा नम्र निवेदन आसन से इतना ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर दी गई व्यवस्था के प्रश्न को लेकर एक आपत्ति सदन में उठाई गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 51 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 51 इस प्रकार है:

"Method of giving notice-Notice of an adjournment motion shall be given before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following:—

(i) the Speaker,

(ii) the Minister concerned, and

(iii) the Secretary."

Then comes Rule 52-Restrictions on right to make motion—

"The right to move the adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions namely:—

(i) not more than one such motion shall be made at the same sitting;

(ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion;

(iii) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(iv) the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session;"

नियम 52 इस तरह से है: which further says:—

"(v) the motion shall not anticipate a matter, which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of anticipation, regard shall be had by Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House withreasonable time........" and so on.

और कुछ ऐसी कण्डीशन्स दी हुई हैं इसमें नियम 53 है: Regarding motion for discussion on matters before tribunals, commissions etc.

Then comes Rule 54-"The Speaker, if he gives conent under rule 50 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjourment of the House."

इसमें नियम 54 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि नियम 50 के अन्तर्गत अपनी कन्सेन्ट देंगे और इसके बाद फिर वह मैटर हाउस में उठ सकता है।

नियम यह है। 50 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। वहां लिखा है 50 में—

'Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

कन्सेन्ट ऑफ दी स्पीकर यह बात सही है, यह आवश्यक है लेकिन कोई कन्डीशन नहीं जिसमें यह आवश्यक हो, यह अपरिहार्य हो कि अध्यक्ष महोदय को एडजोर्नमेंट मोशन पर राज्य सरकार से जानकारी चाही जाय, राज्य सरकार जानकारी दे, उस ऐडजोर्नमेंट मोशन की ऐडमिशिबिलिटि को डिसाइड करें।

"The Speaker has to apply his mind whether the motion is in accordance with the rules of Procedure or not. The discretion of the Speaker is not fettered by any guidance or the instructions so far as the Government is concened."

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो परम्परा है कि अध्यक्ष महोदय के पास कोई स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाय उसको राज्य सरकार की जानकारी के लिये भेजे और राज्य सरकार जानकारी दें और फिर अध्यक्ष महोदय यह निर्णय दे क्योंकि राज्य सरकार ने यह जानकारी

Page No. 55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दी है इसलिये मैं इसे अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय अपने पावर्स को और डिस्क्रिशन को राज्य सरकार को डेलीगेट कर दें जो कभी भी इन नियमों में नहीं है—

"The delegation of this power of giving consent for applying his mind which exclusively is with the Speaker, that cannot be deligated to the Government, and that motion should not be disallowed on the ground of the information received from the Government."

इसलिये आपने जो व्यवस्था दी है उसमें यह कहा है जैसे उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं एक जानकारी बिड़ला सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों के बारे में थी और वह हड़ताल आज भी चल रही है, पुलिस का दमन बराबर चल रहा है, अखबारों में समाचार छपे हैं, माननीय सदस्यों को तार मिल रहे हैं, मेरे पास भी तार आया है। उस जानकारी के आधार पर जो राज्य सरकार ने श्रम विभाग या गृह विभाग ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर एजोर्नमेंट मोशन को डिस-अलाऊ करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उपाध्यक्ष महोदय आपने अपना माइन्ड एप्लाई न करके राज्य सरकार ने जो जानकारी दी है उस पर कह दिया गया कि इस प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं मानता। मैं मानता हूं यह आसन की गरिमा के प्रतिकूल है, आसन की प्रतिष्ठा के विपरीत है। अध्यक्ष महोदय जो व्यवस्था देते हैं वह राज्य सरकार की सूचना और जानकारी पर देते हैं यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, आसन की गरिमा बनी रहे, अध्यक्ष पद की गरिमा बनी रहे और अध्यक्ष महोदय को जो नियमों में अधिकार दिये गये हैं—

The Speaker shall apply his mind whether to give his consent or not.

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ में आ गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आ गई तो अनुमति प्रदान कीजिये। इन सारे एडजोर्न-मैन्ट मोशन्स पर राज्य सरकार वक्तव्य दें और उपाध्यक्ष महोदय मैं यह बात इसलिये भी कहना चाहता हूं कि लोक सभा में भी अपनी व्यवस्था निभाते हैं। लोक सभा जब प्रारम्भ होती है उसके पूर्व लोक सभा का जितना मैटेरियल होता है वह केन्द्र सरकार की ओर से मिलता है। कितनी ही डिबेट्स हों, कितने ही डिसकसन्स हों सारे पेपर्स लोक सभा के सदस्यों को पहले मिल जाते हैं। अगर श्रीमती इन्दिरा गान्धी अमेरिका गई है या विदेशों की यात्रा पर गई है तो उस सम्बन्ध के सारे पेपर्स पहले दे दिये जाते हैं, सारे सदस्यों को जानकारी देते हैं। इन्डस्ट्रियल लाइसेन्स पालिसी में सदस्यों को प्रारम्भ होने से पहले जानकारी मिल जाती है। यहां सदन शुरू हो गया है और सदन शुरू हुये काफी समय हो गया है किन्तु किसी प्रकार का कोई मैटेरियल नहीं मिलता है, कोई समय प्र

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डिबेट्स की प्रतियां नहीं मिलती हैं। एक दिन भी ऐडजार्नमेंट मोशन पर जानकारी देना दूर रहा राज्य में ला एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन, इन्डस्ट्रियल पीस का सवाल, एग्रीकल्चर के सारे घपले, फाइव ईयर प्लान का सवाल इन सारे सम्बन्धों में कोई जानकारी इस सदन के सदस्यों को नहीं दी जाती है जो तुरन्त दी जानी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले सब सदस्यों को वितरित कर दी जाय। सदन प्रारम्भ हो जाता है, कोई जानकारी आप हमें देते नहीं, प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दिया जाता, ऐडजोर्नमैंट मोशन्स पर आप व्यवस्था देते नहीं फिर कौनसा जरिया हमारे पास बचता है, सदन साढ़े पांच महीने पहले बुलाते नहीं, सात दिन केवल अधिवेशन चलायें, ऐडजोर्नमैन्ट मोशन एडमिट करें नहीं। प्रशासन पर गूंगें बहरे की तरह बैठे रहे तो इस राजस्थान की जनता का सवाल है जिन्होंने हमें प्रतिनिधि चुनकर भेजें हैं। इस सदन में हम कैसे जनता की समस्याओं का निराकरण कर पायेंगे, जनता के हितों की कैसे रक्षा कर पायेंगे उपाध्यक्ष महोदय जो सदस्यों को वैधानिक अधिकार है, यह हमारा प्रिविलेज है, हमारा विशेषाधिकार है राजस्थान की गरीब जनता पर इन पूंजीपतियों द्वारा हुकुमत की जा रही है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। इन सारे सवालात को सदन के समक्ष लायें और एडजोर्नमैन्ट मोशन्स रखें हैं उन पर अपने दिमाग को एप्लाई करते हुए व्यवस्था दें। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर दूं ....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सुन लीजिये........

श्री मूलचन्द डागा : बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपकी तरह मक्खन नहीं लगाता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मक्खन लगा रहे हैं।

श्री रामकिशन : मक्खन के साथ चन्दन का तेल भी लगा रहे हैं। आपकी (श्री मूलचन्द डागा) हैसियत तो नगर पालिका के सदस्यों की है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था दे दी गई है उसके सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं यह कोई बात नहीं है कि आसन सरकार जो कुछ लिख कर देती है उससे प्रभावित होकर अपनी व्यवस्था देता है। आसन जो ठीक समझता है, तथ्यों के आधार पर जो सही मानता है उसी पर व्यवस्था दी जाती है और दी गई है एक बात। दूसरा इस सदन में स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य सरकार की ओर से आया नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज भी दो हैं और अगले दिनों में भी एक-एक।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तीन दिन का समय तो सारा ही बचा है।

Page No. 57

श्री उपाध्यक्ष : अब सवाल स्थगन प्रस्तावों की जो व्यवस्था दी है मैंने जो राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की उन तथ्यों को भी मेन्शन कर दिया, यह सही नहीं है, वह पहले मेन्शन नहीं किये जाते थे मैंने मेन्शन कर दिया इसलिये कि माननीय सदस्य अपने स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हांसिल करलें मुझे ऐतराज नहीं होगा, जो तथ्य मेरी जानकारी में आयेंगे उसको अब नहीं लिखा जायगा और केवल यही लिखा जायगा कि तथ्यों के आधार पर आसन इस निर्णय पर पहुंचा है। मैं नहीं समझता अगर ज्यादा तथ्य सदस्यों के सामने आते हैं तो क्या ऐतराज है। सभी के सभी स्थगन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से उत्तर दिलाया नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं जो पहले परम्परा रही है उसी के अनुसार कार्य किया जाय और जो तथ्य आयेंगे उनको हम नहीं रखेंगे। एक और अर्ज कर देना चाहता हूं जो कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं उन पर बहुत सहानुभूति से विचार किया जाता है, सब तथ्यों की जानकारी की जाती है तथा माननीय सदस्यों ने चाहा कि जितने भी प्रस्ताव हमने दे दिये हैं उन पर तुरन्त जानकारी देनी चाहिये उन पर जानकारी ली गई और उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है और जो राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है जो सदन में रखा है मैं यह कहना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न नहीं रहता है अब, माननीय सदस्य। अब डिस अलाऊ कर दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राज्य सरकार ने गलत उत्तर दिया है......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय इसलिये कहना चाहता हूं नाले में जो मुसलमान की लाश को पकड़ा गया जो पंजामा और कमीज पहनता था। रतनलाल ने कपड़े बरामद किये, न उसकी फोटो ली गई, न पोस्टमार्टम कराया गया और न उसको जलाया और न उसको गाड़ा और वापस उस नाले में गाड़ दिया। एस.पी. को सूचना दी गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस की सारी सांठगांठ है। उपाध्यक्ष महोदय एक नवयुवक की हत्या का मामला है और उस आदमी ने उसको रोका जो कि हैड कान्सटेबल की बिरादरी का था और उन्होंने सांठगांठ करके उसकी हत्या करवाई और उसकी लाश को खड्डे में डलवाया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ.........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री देवीदत्त गाड़िया : कपड़े बरामद नहीं किये और न जलाया गया और न उसकी लाश को गाड़ा गया इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि यह एक रहस्यमय हत्याकाण्ड है और गृह मंत्री जी को इसकी सूचना दी। मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद में बार-बार जाकर थाने में रिपोर्ट की लेकिन रिपोर्ट लिखी नहीं गयी और एक रोज....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसका बाप अन्ता में आया.......

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। (श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर) अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज, अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अङ्कित नहीं हो रहा हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो, ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय होने के बाद भी जब आप अंकित करने के लिए भी मना कर देते हैं और बार बार सदन का कीमती समय लेने की आदत हो गयी है तो 292 रूल के तहत ऐसे सदस्य को बाहर निकाला जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बैठ जाइये। चमचागिरी करते हैं। हम भी समझते हैं नियमों को। इस सदन का दुरुपयोग करते हैं और वकालात करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सॉलिड फैक्टस नहीं आते हैं और आप डिसअलाऊ कर देते हैं और उसके बाद भी आपका निर्णय हो चुका है और फिर भी आपके निर्णय की अवहेलना करके माननीय सदस्य बोलते हैं और आप अंकित करने के लिए मना करते हैं उसके बाद भी नियमों की अवहेलना करके बोलते हैं तो उनके लिए एक ही बात हो सकती है कि उन्हें सदन से बाहर निकाला जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्याक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मनानीय श्री गाड़िया जी ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मूल चन्द जी डागा हमेशा बैठे बैठे बोलते रहते हैं और नियमों में है कि बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिए....

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 59

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । आसन अपने पैरों पर है ।

माननीय श्री मूलचन्द जी डागा कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, उन्होंने व्यवस्था का सवाल उठाया और मैं उसका विरोध करूंगा क्योंकि उसका विरोध करने का मेरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उसे रूल आउट कर दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उसे कैसे रूल आउट करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है । (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के बोलने पर) माननीय सदस्य आप डिबेट को लम्बा कर रहे हैं । उन्होने सुझाव दिया नियमों के अन्तर्गत....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर नहीं है । उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि आपकी रूलिंग के बाद श्री देवीदत्त जी या दूसरे सदस्य जो विघ्न उपस्थित कर रहे हैं उनको सदन से बाहर निकाला जाये यह 291-92 के तहत आता है, आपने तो कोई नियम ही नहीं बताया ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने नियम बताया है आप गलत बोल रहे हैं । आप सुन नहीं रहे हैं मैंने 292 रूल बताया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने 293 के लिये कहा है और मैं आपका ध्यान रूल 293 की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : 292 बताया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो आपने 293 कहा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : 'इट इज 292' ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छा 292 ही सही । वह यह है:

"The Speaker, may if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully, obstructing the business thereof.

श्री उपाध्यक्ष : यह सब पढ़ा हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने नहीं पढ़ा उनको सुना रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : उनसे समय ले लीजिए और फिर कहीं सुना दीजिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके दिमाग की कितनी बैंक्रप्सी है नियमों के बारे में वह बता रहा हूं

If a member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remainder of session....

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप नेम करें और फिर नहीं करें तो सस्पेन्शन का नियम है।

श्री मूलचन्द डागा : नेम कर दिया है आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए 292 लागू नहीं होता है। यह पॉइन्ट उठाया है यह पॉइन्ट ऑफ डिस्आर्डर है और इनको नियमों की जानकारी नहीं है यह बात आज तय हो गयी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए चर्चा करना चाहूंगा•••

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी। अगला बिजनेस लेने दीजिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब उपाध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो फिर आप क्यों खड़े हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न जब सदन के सामने विचारणीय हो तो किसी समय भी हो सकता है। इस समय कोई विषय नहीं है और मैं विचार कर रहा हूं कि कोई न कोई विषय लिया जाये।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटमोशन दिया था पूर्वी जर्मनी से आये हुए ट्रैक्टरों के बारे में वह बड़ा महत्वपूर्ण है और आप उसको महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। अकेले भरतपुर में ही 40 ट्रैक्टर्स आये हैं और जिनमें से 36 खेतों पर खड़े हुए हैं·······

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव में तो 30 दिया और उसमें 28 पड़े हैं।

श्री रामकिशन : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनः विचार करके सरकार का क्या रुख है इसको आप जरूर बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर चेम्बर में विचार करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो गंगानगर में रेल्वे विभाग के संबंध में सूचना दी उसमें एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमने एडजोर्नमेंट मोशन में दी थी कि माननीय मनफूलसिंहजी का स्टेटमेन्ट था उसकी फोटेस्टेड कॉपी पेश हुई और उनका मुख्य मंत्रीजी के कहने पर स्टेटमेन्ट हुआ उसके बारे में आया वह श्री मनफूलसिंह जी का स्टेटमेन्ट था या मुख्य मंत्री जी के कहने पर था या नहीं इसका कोई जवाब नहीं आया और यह इसमें महत्वपूर्ण बात है····

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेन्ट उन्होंने दिया या मुख्य मंत्री के कहने पर दिया यह कोई लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। लोक महत्व का प्रश्न था हड़ताल के बारे में और हड़ताल समाप्त हो गयी है। अब हड़ताल नहीं है और एक दो बात चाहते थे वह आप की स्वीकार करली गयी।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री महोदय जन आन्दोलन के साथ फ्रॉड करें, धोखा दें, नकली घोषणा करें नकली वादे करें यह महत्वपूर्ण बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : प्रिविलेज मोशन लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रीविलेज मोशन का सवाल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एस. पी. की बात थी और आपने कहा है कि ए.एस.पी. का किया जा रहा है तो यह एक महत्वपूर्ण फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जुर्म तो एस. पी. करे और तबादला ए. एस. पी. का किया जाय यह कितनी बुरी बात है। गुण्डागर्दी तो एस. पी. ने की है और तबादला ए. एस. पी. का करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इस तरह की रिपोर्ट दी है यह सही नहीं है। जो मनफूलसिंह स्टेट मिनिस्टर ने वहां पर लिख कर दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का टेलिफोन मिला है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है उसके आधार पर मैं यह लिख कर देता हूं कि एस. पी. और ए. एस. पी. को बदल दिया जायगा और रणवीरसिंह का केस जो है वह वापिस ले लिया जायगा और आई. ए. एस. अधिकारी के द्वारा इस मामले की जांच कराली जायगी। यह लिख कर दिया है। इस सम्बन्ध में हमने जो प्रस्ताव रखा है उसकी रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाया तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी और गृह मंत्री जी यह चाहते हैं कि गंगानगर के लोगों को बरबाद कर दिया जाय। आज ही मुझे एक प्रश्न मिला और मैंने पूछा था कि गंगानगर में एक माह में कितने कत्ल हुए तो उत्तर मिला कि 8 माह में 70 कत्ल हुए हैं। गंगानगर जिले में इस प्रकार की गुण्डागर्दी आये दिन होती रहती है। एक तार भी वहां से आया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी जो बैठे हैं या तो वे इसके बारे में स्पष्टीकरण करें अगर नहीं करना चाहते हैं तो या तो विधान सभा के सदस्यों को यहां से निकाल दें और आप लोग डिक्टेटर बन कर बैठ जायें तो इस प्रकार की प्रणाली चला सकते हैं अन्यथा हम नहीं चलने देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हियर, हियर।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई भी सरकार इस प्रकार से नहीं चल सकती है जो कि जनता के साथ में इस प्रकार के घृणित कार्य किये जायें। एस. पी. ने झगड़ा किया है और वहां के रेलवे के कर्मचारियों ने उसकी वजह से हड़ताल की है उससे लोगों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और हजारों मुसाफिर परेशान हुए हैं। स्टेट मिनिस्टर मनफूलसिंह को आपने वहां का सर्वेसर्वा बना रखा है तो उसने लिख कर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह से क्या आप प्रजातन्त्र को समाप्त कर देना चाहते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि आखिर सरकार किस तरह की गुण्डागर्दी वहां कराना चाहती है...

श्री उपाध्यक्ष : गुण्डागर्दी आपके प्रस्ताव में नहीं थी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने तो यह प्रस्ताव रखा है कि रेलवे के कर्मचारियों के साथ में गुण्डागर्दी एस० पी० ने की है उस बारे में होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस एस० पी० को निलम्बित कर दिया जाय। यदि नहीं करते हैं तो यह इनकी ढीठता है। जानबूझ कर एक गलत अधिकारी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए वहां पर गुन्डों का हौसला बढ़ा है और भले आदमियों को दबाया जा रहा है। यह इनकी नीति है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं स्थान ग्रहण नहीं करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हियर, हियर।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं उपाध्यक्ष महोदय ...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण कोलाहल)

श्री देवीदत्त गाड़िया (श्री गिरधारीलाल के बोलने पर): इस प्रकार से बैठे बैठे बोलते हैं इससे तो अच्छा है कि इनको चीफ ह्विपशिप से हटा दिया जाय। वे चीफ ह्विप के लायक नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप उपाध्यक्ष महोदय के ऑर्डर की अवहेलना करके मना करने पर भी बोल रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। विपक्ष के और सत्तारूढ़ दल के बहुत से माननीय सदस्य बिना नियमों के बोलते रहते हैं तो भी आसन बरदाश्त करता है इस बात को, लेकिन यह बात बरदाश्त नहीं की जा सकती है कि आसन यह कहे कि आप स्थान ग्रहण करें और उस पर कोई माननीय सदस्य यह कहें कि स्थान ग्रहण नहीं करूंगा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं वे बैठ गये।

श्री उपाध्यक्ष : क्लियरली अवहेलना है।

श्री मदनसिंह : उन्होंने गुस्से में कह दिया था लेकिन वे बैठ गये थे।

श्री उपाध्यक्ष: इस हालत में सदन की कार्यवाही चलाना कठिन हो जाता है।

श्री मदनसिंह : आपके आदेश को कहां टाला है। दूसरे सदस्य तो आपके हुक्म को टाल कर बोलते रहते हैं लेकिन उन्होंने तो तुरन्त माना है।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने कहा है कि नहीं बैठूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं बैठ सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने गंगानगर में जो गुण्डागर्दी हो रही है उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमें विश्वास में नहीं लिया है। इसलिए हमारा फर्ज है

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, आपकी आज्ञा की फिर अवहेलना कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप गंगानगर के लोगों को क्या बरबाद कर देना चाहते हैं? इसमें होम मिनिस्टर साहब की साजिश है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह प्रश्न बड़े लोकमहत्व का है....

श्री दिग्विजयसिंह : आसन ने ज्योंहि कहा तो वे बैठ गये थे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। हमारे मेवाड़ में एक कहावत है कि पहले गिलोय कड़वी और फिर नीम चढ़ी। तो कोई ऐसा अधिकारी जो कि शराब पीने वाला हो और रिश्वत खाने वाला हो वह गंगानगर में भेज दिया जाय तो क्या वह जुर्म नहीं करेगा? इस लिए यह मामला अत्यन्त ही लोक महत्व का है। वहां के लोग शिकायत करते हैं कि वह बहुत शराब पीता है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसलिये कृपा करके इसके ऊपर पूरा ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यहां पर मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और गंगानगर के बारे में माननीय सदस्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर कह रहे हैं. लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मन्त्रीजी दांत फैला कर बैठे रहें तो क्या इस प्रकार के असन्तोष को दूर करने के लिए खड़े होकर कुछ कह नहीं सकते हैं? क्या उनकी कमर में इतनी लचक आ गई है ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मनफूलसिंह जी को कहा है क्या वे इतनी सी बात नहीं कह सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या उनकी कमर में इतनी लचक है कि खड़े होकर इस प्रकार के असन्तोष को दो शब्द कह कर कि मनफूलसिंह को कहा है दूर नहीं कर सकते ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन का समय निरर्थक ले रहे हैं। ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया, ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो असन्तोष है इसको दूर करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्य जो भावना इस सदन में रख रहे हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। आर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य का भाषण अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : एक ही तथ्य है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, एक छोटा सा सजेशन इस मसले पर मैं यह देना चाहता हूं और वह छोटा सा सजेशन यह है कि सारी उत्तेजना को समाप्त करने के लिए मेरा हम्बल सजेशन यह है कि गंगानगर में जो घटना हुई है उसके सिलसिले में राज्य मंत्री, श्री मनफूलसिंह जी ने माननीय मुख्य मंत्री के आधार पर यह आश्वासन दिया और उस आश्वासन के आधार पर वह हड़ताल खत्म हुई कि सारे केसेज को विथड्रा कर लेंगे और एक आई. ए. एस. ऑफिसर से जांच करा लेंगे और जो एडीशनल एस. पी. और एस. पी. हैं उनका ट्रान्सफर कर दिया जायगा। ये तीनों आश्वासन दिये। इस पर हड़ताल खत्म हुई और मुख्य मंत्रीजी के टेलीफोन के आधार पर आश्वासन दिया। उसका डाक्यूमेंट मौजूद है। तो मुख्य मन्त्री जी खड़े होकर कह दें कि ये आश्वासन दिये थे तो सारा मामला ही खत्म हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब देने का प्रश्न ही नहीं था जहां कि अशान्ति हो। कुछ कहने की कोई गुन्जाइश तो मिले।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपके खड़े होते ही शान्ति हो जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य बैठें तब तक तो आगे गुन्जाइश हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुकाबला है, क्या करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गंगानगर में जो रेलवे के बारे में सवाल खड़ा हुआ है उसके बारे में जिस दिन मनफूलसिंह जी का मेरे पास टेलीफोन आया था और उन्होंने वहां पर जो रेलवे स्टाफ ने स्ट्राइक कर रखी थी उसके बारे में जिक्र किया था। उन्होंने मुझ से यह कहा कि ए. एस. पी. को लेकर यह मांग सामने आ रही है कि उनका यहां से तबादला कर दिया जाय और किसी आई. ए. एस ऑफिसर के जरिये इन्क्वायरी करवा ली जाय। सारे मामले में, और जो बखेड़ा किया गया है····

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि ए. एस. पी. भला आदमी है उसको निकलवाना चाहते है····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No. 65

श्री रामचन्द्र आर्य : गुण्डागर्दी कराकर एस. पी. जो है उसको वहां रखने की साजिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया है कि पूरी बात कहना आसान नहीं मालूम पड़ता है। उन्होंने ए. एस. पी. के बारे में, मुकद्दमों के बारे में और आई. ए. एस. अधिकारी द्वारा एन्क्वायरी वाली बात कही थी और वही सामने आती है। उन्होंने कहा था कि इस बात के कहने से यहां जो स्ट्राइक चल रही है वह समाप्त हो जायगी। तो मैंने इसके ऊपर अपनी तरफ से कहा था कि हमें इसमें ऐतराज नहीं होगा कि मामला इसके ऊपर समाप्त हो जाय। एस. पी. वाली बात मेरे सामने नहीं आयी थी, और ए. एस. पी. वाली बात की वजह से जो क्रान्ति हुई, उसको मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन एस. पी. की बात नहीं आयी थी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर आसन ने आवश्यक व्यवस्था दे दी है। इस पर और अधिक चर्चा उचित नहीं होगी।

श्री दौलतराम सारण : मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं····

श्री मदनसिंह : अब यह तो स्पष्ट हो गया है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने ऐसी चीज नहीं कही है। उस पत्र में एस. पी. के लिए नहीं कहा है। यह चीज तो स्पष्ट हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका स्थगन प्रस्तावों से क्या सम्बन्ध है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात शायद कहना भूल गये हैं, गेटमैन के खिलाफ जो केस है या और जो केसेज हैं, वह विथड्रा कर लिये जायेंगे। यह भी कहा गया था। तीन बातों के लिए कहा गया था-केस को विथड्रा कर लेंगे। ए. एस. पी. और एस. पी. का ट्रांसफर, और आई. ए. एस. ऑफिसर से जांच करवा ली जाएगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी केस के विथड्रा करने का सवाल ही नहीं उठता है। अभी केस कोर्ट में पुटअप् ही नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : रजिस्टर किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : रजिस्टर का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आसन ने व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार से जानकारी करा ली जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 गांवों में····

Page No. 66

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश की जा रही है। जानकारी करा ली जाएगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जैसलमेर के एक गांव के बारे में, ट्यूबवेल खुदे हुये हैं लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : उस विषय पर अब चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया हूं। उसके कारण बहुत मुसीबत होगी। यहां मेरी भी मुसीबत है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : अन्य किसी समय ले लिया जाएगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : उत्तर दिलाने में क्या आपत्ति है, आसन को।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय, यह कोशिश की जा रही है।

श्री लक्ष्मणसिंह : पेयजल की समस्या है। क्या यह बात सरकार को मालूम नहीं है? क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि तुरन्त कोई स्पष्टीकरण के रूप में कोई उत्तर दे दिया जाये। बड़े खेद की बात है। माननीय सदस्य ने बार बार इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। आसन का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार गूंगी बनकर बैठी रही है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार सिविलाइज्ड बनकर कोई न कोई उत्तर दे?

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : फिर, माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है, उपाध्यक्ष महोदय। बीच में दो एक बार बोलना चाहा लेकिन रखा नहीं। सवाल यह है, मैंने यह मुद्दा रखा है कि आसन को जो तथ्य सरकार की ओर से बताये जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें मैं नहीं बताऊंगा।

श्री दौलतराम सारण : मैं उन्हें बताने के लिए नहीं कहूंगा। इस प्रश्न से यह जाहिर हो गया है। दो ही केस में यह जाहिर हो गया है। गंगानगर और चित्तौड़ के केस में वहां जनता में असन्तोष है। जो तथ्य आप को भेजे जाते हैं या जवाब देते हैं, वह तोड़ मरोड़ कर जवाब देते हैं। यह तो स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार तोड़ मरोड़ कर उत्तर देती है। इसी तरह से सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में भी अनेक तथ्य हैं। आप को जो तथ्य दिये गये हैं, वह सही नहीं हैं। लेकिन मेरे लिए यह एक

(श्री दौलतराम सारण)
दूभर प्रश्न है । मैं आसन और सरकार के बीच में नहीं आना चाहता हूं । इसीलिए··

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री दौलतराम सारण : ऐसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर कोई जानकारी नहीं कराई जाये अपितु वक्तव्य दिलाये जायें । अगर गंगानगर और चित्तौड़ की घटनाएं अविलम्बनीय लोकमहत्व की नहीं है तो और कौनसी घटना अविलम्बनीय लोकमहत्व की हो सकती है । राज्य सरकार वक्तव्य देने की तमीज भी नहीं रखती है ? फिर और क्या लोकमहत्व का हो सकता है । राज्य सरकार से केवल इन्फार्मेशन लेकर आसन हमें सूचना दे देता है । आप राज्य सरकार को प्रताड़ित करें ताकि राज्य सरकार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वक्तव्य दे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी राज्य सरकार ने आसन को दी है, वह हमें दें या न दें । हम जो स्थगन प्रस्ताव रखते हैं, वह लोकमहत्व के प्रश्न होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप दो बार बोल चुके हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं 100 बार बोलूंगा । दिन भर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह कहा है कि राज्य सरकार ने जानकारी दी है । मैं यह कहता हूं कि वह झूठ है । हमारे पास तार आया है । पुलिस मजदूरों को नंगा करके पीट रही है । 12 हजार मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया है । मजदूरों को दबाया जा रहा है·······

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत कहा जा रहा है । जो स्थिति है, वही रखी गई है । वह गलत कह रहे हैं । अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं होने से ही यह एडमिट नहीं किया जा सकता है ।

श्री नत्थीसिंह : इसीलिये दुबारा निवेदन कर रहे हैं कि मजदूरों को नंगा करके पीटा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

(लगातार शोरगुल-अश्रव्य)

इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं हो सकता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाये ।

(लगातार शोर-अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार······· (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनिट पर आधा घण्टे के लिए स्थगित की गई ।)

(2·05 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी गयी उसको लेकर सदन में कुछ चर्चा में तेजी आ गयी थी। स्थगन प्रस्तावों पर जो व्यवस्था दी गयी उस पर पुर्नविचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने आवेंगे उन पर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिये जावेंगे :

(1) **श्री रामानन्द अग्रवाल** : भूतपूर्व नरेशों के सम्बन्ध में।

(2) **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : चित्तौड़गढ़ सीमेन्ट फैक्टरी के सम्बन्ध में।

(3) **श्री रामचन्द्र आर्य व अन्य माननीय सदस्य** : गंगानगर में हड़ताल के संबन्ध में।

माननीय श्री रामकिशन व माननीय श्री नत्थीसिंह के स्थगन प्रस्ताव ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में है, ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किये जावेंगे।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा के लिये यह व्यवस्था हो गयी? विशेष लोगों के लिये ही आप यह रख देते हैं तो उनकी ओर ही आप ध्यान देते हैं। दूसरी ओर एक सदस्य इतनी जोर से बोल नहीं सकता, आपके हुक्म में रहता है उसके लिये क्या यह अच्छी व्यवस्था है? जो जोर से बोल सकते हैं और झगड़ सकते हैं उसके लिये यह व्यवस्था दी है उसका मुझे अफसोस है।

श्री दिग्विजयसिंह : विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई इसके लिये यह व्यवस्था दी है। अब तक स्थगन प्रस्तावों पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।

श्री मदनसिंह : कोई भी विशेष परिस्थिति नहीं थी। कान्काड की ओर से भूतपूर्व नरेशों के सम्बन्ध में जो गवर्नमेन्ट ने कानूनी कार्यवाही की उसके सम्बन्ध में सारा दे दिया था। चूंकि रामानन्द जी अग्रवाल ज्यादा हल्ला कर सकते हैं और छोटी सी चीज रखें उसको भी इम्पोर्टेन्स दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि जहां जहां से दूसरे सदस्य आते हैं वे भी पब्लिक इम्पोर्टेन्स की दूसरी चीजें रखते हैं वह पब्लिक इम्पोर्टेन्स की न हों मैं ऐसा नहीं मानता।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) आपस में बात नहीं होनी चाहिये।

कोटा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

कोटा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में गृह मन्त्री द्वारा शासकीय-वक्तव्य

राज्य गृह मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्णकुमार गोयल : पहले इसके कि माननीय मंत्री महोदय, स्टेटमेन्ट दें मैं यह जानकारी करना चाहूंगा। यह आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं वह किस आधार पर दे रहे हैं यह आप बता दीजिये?

श्री हीरालाल देवपुरा : स्थानीय अधिकारियों से जानकारी करके वक्तव्य दिया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कलेक्टर की रिपोर्ट पर या एडीशनल आई. जी. पी. की रिपोर्ट पर या एस.पी. की रिपोर्ट पर ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एस. पी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट की रिपोर्ट के आधार पर। वस्तु स्थिति इस प्रकार है:—

"दशहरे के मेले के अवसर पर रोटेरी क्लब कोटा ने दिनांक 18 अक्तूबर, 1970 को रामलीला के रंगमंच पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका उद्देश्य मुख्यत: ब्लड बेंक के लिये पैसा एकत्र करना था और इसमें से थोड़ी सी धन राशि पुलिस वेलफेयर फण्ड के लिये भी देनी निश्चित हुई थी। दशहरे के मेले में आये हुए दो सिनेमा कलाकारों को इस आयोजन में अपना प्रोग्राम देने के लिये आमन्त्रित किया था। टिकट दर 3),5), 10),50),100) थी। कार्यक्रम आरम्भ होने से पूर्व काफी दर्शक ग्राउण्ड में उपस्थित थे व विद्यार्थीगण बुकिंग ऑफिस के पास एकत्र हो गये और कन्सेशन की मांग करने लगे। इस पर 5) वाली सीटों का मूल्य 1) कर देने का निश्चय किया गया। इसके बावजूद भी विद्यार्थियों व असामाजिक तत्वों ने दरवाजें जबरन तोड़कर और बुकिंग ऑफिस के स्टाफ, ड्यूटी पर पुलिस के जवान, अधिकारियों व अन्य कार्यकत्ताओं को धक्का मारकर अन्दर प्रवेश करना शुरू किया और इस प्रकार व्यवस्था में गड़बड़ उत्पन्न की।"

(2.10 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

"विद्यार्थियों व असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक नारे लगाये व व्यवस्था को भंग करने के लिये उत्तेजित किया। साथ ही व्यवस्थापकों व पुलिस पर हिंसा पर उतारू भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया जिससे पुलिस के अधिकारी, जवान व कुछ दर्शनार्थियों को चोटें पहुंची। इस अव्यवस्था को रोकने के लिये भीड़ को काफी चेतावनी दी गयी लेकिन बावजूद चेतावनी के स्थिति नियंत्रण में नहीं आयी। सिटी मजिस्ट्रेट कोटा ने पथराव न करने व तितर-बितर होने की चेतावनी दी और इस पर भी जब उग्रता कम न हुई तो सिटी मजिस्टेट, कोटा ने भीड़ पर अश्रु गैस प्रयोग करने के आदेश पुलिस को दिये। भीड़ पर 9 गैस शेल और 6 ग्रेनेड इस्तेमाल किये गये। कुछ देर उपरान्त काफी तादाद में लोग फिर से इकट्ठा होकर रंगमंच पर हमला करने की नियत से पथराव करने लगे अत: सिटी मजिस्ट्रेट ने हल्का लाठी चार्ज करने का आदेश दिया और इस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।"

"यदि यह न्यूनतम शक्ति का उपयोग समय पर न किया जाता तो स्थिति काबू से बाहर हो जाती। यह उल्लेखनीय है कि दशहरा मेला जिस स्थान पर लगता है वहां करीब एक हजार दुकानें लगी होती हैं और उन में कीमती सामान बिकने के लिये प्रदर्शित होता है। यदि स्थिति को नियंत्रण में न लाया जाता तो इस पूरे क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ सकता था और धन व जन की हानि हो सकती थी।"

"स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और एक केस धारा 147, 149, 353, और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

352 भारतीय दण्ड संहिता के अन्दर रजिस्टर किया गया। अभी इस केस में अनुसंधान जारी है। एडीशनल एस. पी. सिटी डी.वाई.एस.पी. और आर.ए. सी. के जवान व कार्यकर्ताओं को मिलाकर कुल 24 अधिकारीगणों को चोट पहुँची एवं पथराव के कारण घायल व्यक्तियों में दो जनता के व्यक्ति भी शामिल हैं।"

"यह कहना कि इस घटना में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया या महिलाओं को अपमानित किया गया सत्य नहीं है। इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई।"

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि 18 अक्टूबर की रात्रि को जिस समय राम रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और यह लोगों पर लाठी चार्ज, टियरगैस किया गया उस घटना के सम्बन्ध में उसकी जांच करवाने हेतु मैंने मुख्य मंत्रीजी को और गृह मंत्रीजी को तार दिया था? क्या यह सही है कि उस तार के दिये जाने के पश्चात् भी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इस घटना की किसी प्रकार की जांच नहीं करायी? क्या यह सही है कि इस घटना के उपरान्त स्वयं मुख्य मंत्री और राजस्थान मंत्रिमण्डल के स्तर के अनेक मंत्री नगर परिषद् के चुनाव के अभियान में अनेक बार कोटा गये, लेकिन इस घटना की किसी प्रकार से जांच नहीं करायी, कोई प्रयास नहीं किया गया? क्या यह सही है कि जिस समय यह सारी घटना हुई उस समय राम रंगमंच जो कि सराउन्डेड बाई वाल्स है, ऊपर छत नहीं है उसके चारों ओर ऊँची दीवारें हैं जिस पर केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था सुलक्षणा पंडित का जो कि संगीतज्ञा हैं उनका कार्यक्रम चल रहा था उस समय स्वयं एस. पी. और कलेक्टर, कोटा दोनों रंगमंच के अन्दर थे और एडीशनल एस.पी., डी. वाई. एस. पी. और सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा राम रंगमंच के बाहर जहां कि भीड़ खड़ी होती है वहां मौजूद थे? क्या यह सही है कि यह दुर्घटना जो कि 18 तारीख को हुई, उसके पहले भी 17 अक्टूबर की रात्रि को इसी राम रंगमंच पर इन्हीं गायिका सुलक्षणा पंडित का और उनके साथियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम कोटा नगर परिषद् के प्रशासक के द्वारा आयोजित था और उस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हुई और वह कार्यक्रम चलता रहा और जो यह गायिका आई थीं वह केवल 17 अक्टूबर को बुक थीं और इनका 18 तारीख से कोई सम्बन्ध नहीं था? क्या राज्य सरकार के पास में जानकारी है कि 18 अक्टूबर के लिये इन गायिका को पुलिस वेलफेयर फण्ड के लिये अथवा ब्लड बैंक के लिये बुक किया गया और यह बातचीत कब हुई? क्या यह सही है कि 18 अक्टूबर के कार्यक्रम के पूर्व जो रात्रि को प्रारम्भ हुआ यह गायिका मय अपनी पार्टी के जिलाधीश, कोटा के रेजीडेन्स पर उपस्थित हुई दिन में और वहां दिनभर शराब के दौर चलते रहे और शराब के दौर के मध्य में यह गायिका वहां पर गायन करती रही और यह कार्यक्रम शाम के 6 बजे तक चला? क्या यह सही है कि जब यह सांस्कृतिक कार्यक्रम राम रंगमंच पर आरम्भ हुआ, यह कलेक्टर कोटा, एस. पी. और दूसरे अधिकारी इस पब्लिक प्लेटफार्म पर जब अपनी परफारमेन्स दे रहे थे वे शराब के अन्दर धुत थे? क्या यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सही है कि जो यह निर्णय लिया गया कि इसके अन्दर केपेसिटी से ज्यादा लोगों को बिठाया जाये और सारे सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त में भेजा गया और विद्यार्थी वर्ग की जो बात कही जाती है, क्या राज्य सरकार के पास में यह जानकारी है कि कितने विद्यार्थियों को कन्सेशन दिया गया और 5 रुपये से लेकर 1 रुपये तक के टिकट पर कितने कन्सेशन विद्यार्थियों को इश्यु किये गये। और कितनी केपेसिटी राम रंगमंच में थी? सभापति जी, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी को यह सूचना देना चाहता हूं कि लोकेशन की दृष्टि से आप विचार करें। रंगमंच का स्थान, सभापति जी, इस दशहरे के मैदान से बिलकुल साऊथ में है उस स्थान पर कोई दुकानें नहीं हैं केवल कुछ स्टाल, प्रदर्शनियां वहां पर लगाई जाती हैं। दशहरा का मैदान बिलकुल उसके उत्तर के मैदान में है। इस राम रंगमंच और दशहरे के मैदान के बीच के अन्दर कम से कम 100-150 गज का फासला है। तो यह स्थिति है और कार्यक्रम आरम्भ हुआ था रात्रि के 8.30 बजे से और उस समय इस गायिका ने अपना संगीत प्रारम्भ किया और यह कार्यक्रम चलता रहा। जो यह कहा जाता है कि वहां पर भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता था मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार को यह सूचना है कि यह टियर गैस और आर. ए. सी. की टुकड़ियां, ये सारी की सारी राम रंगमंच पर कैसे मौजूद थीं? उनको वहां पर किस प्रकार से लाया गया? उनको टियर गैस, ग्रेनेड से सम्पन्न कर वहां पर इकट्ठा रखा गया। कार्यक्रम सभापति महोदय, चलता रहा, क्या यह ठीक था? क्या राज्य सरकार के पास में सूचना है कि इस राम रंगमंच का एक भी गेट नहीं टूटा, एक भी फाटक नहीं टूटा, एक ताला नहीं टूटा? सभापति महोदय और यहां पर यह कहा गया कि सिटी मजिस्ट्रेट ने टियर गैस और लाठी चार्ज के लिये आर्डर दिया। मैं स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट से घटना स्थल पर मिला और मेरी वहां पर उनसे बातचीत हुई। उस समय सिटी मजिस्ट्रेट ने यह स्वीकार किया था कि टियर गैस के लिये मैंने आर्डर्स दिये थे। उन्होंने यह बताया था कि पथराव हुआ और रंगमंच पर भी पथराव हुआ। मैंने स्वयं ने देखा है कि राम रंगमंच पर मुश्किल से 7-8 पत्थर छोटे छोटे से थे और वे भी बालकनी के अन्दर पड़े हुए थे। और उनसे कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। बाहर अवश्य हुआ लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने स्वयं ने मुझसे कहा है कि मैंने कोई लाठी चार्ज का ऑर्डर नहीं दिया है। इस घटना बाद मैं स्वयं राम रंगमंच और दशहरे के मैदान पर गया हूं और मैंने लोगों से सम्पर्क किया। जो ये यहां पर कहते हैं कि इस घटना में महिलाओं का अपमान नहीं हुआ, सभापति महोदय, इस घटना का मैं मुंह से वर्णन नहीं कर सकता हूं। अगर रवीन्द्र सरोवर काण्ड कलकत्ता के अन्दर हुआ था, तो कोटा के दशहरे के मैदान के अन्दर यह एक छोटा रवीन्द्र सरोवर काण्ड हुआ है और जिस प्रकार से वहां पर महिलाएं अपमानित हुईं यहां पर हुईं। आप अनुमान लगाइये, अश्रु गैस वहां पर छोड़ी जाती है, ग्रेनेड वहां पर छोड़ी जाती है और क्या यह सही है कि राम रंगमंच पर जो प्रोग्राम चल रहा था वह अन्दर से लॉक्ड था, उस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पर ताला लगा हुआ था और दस हजार से अधिक लोग वहां पर मौजूद थे वे उसमें पिट गये। आंसुओं के कारण उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। इस प्रकार की स्थिति थी। दशहरे में किस प्रकार के ऐलीमेंट होते हैं और वहां पर महिलाएं भी होती हैं, वे आंसू पोंछती हैं, उल्टी करती हैं, उस समय क्या इस ऐलीमेंट ने कोई घटना वहाँ नहीं की है? वहां पर किस प्रकार की घटना हुई है यह मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं 354 आई. पी. सी. का बातों पर इशारा कर देना चाहता हूं। इस तरह से यह खुल कर सारा काण्ड हुआ। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उनका वर्णन मुंह से नहीं कर सकता।

पूर्व सूचना की बात कही जाती है, हमने सूचित किया था। क्या यह सही नहीं है कि उधर टियर गैस के शैल चलते रहे और इधर कलेक्टर, एस. पी. मस्त होकर राम रंगमंच पर नाच गाना और तमाशा देखते रहे। अगर टियर गैस छोड़नी थी और पूर्व सूचना दे दी गई थी तो फिर राम रंगमंच क्यों नहीं बन्द किया गया। यहां कार्यक्रम क्यों चलता रहा? यहां गायिका किस प्रकार गाती रही?

लाठी चार्ज बाहर होता रहा और अन्दर महिलाएं, बच्चे और पुरुष फंसे बैठे थे, टियर गैस के आंसू पूछते रहे। पर दरवाजा बन्द होने के कारण बाहर नहीं निकल सके। आश्चर्य होगा आपको यह जानकर कि तीन बजे से उन अधिकारियों की तो मस्ती चल रही थी। वे कैसे डिस्टर्ब हो सकते थे। कलेक्टर, एस. पी. बड़े आराम से गाना सुन रहे थे। और सभापति जी, आप आश्चर्य करेंगे कि दरवाजे बन्द करके उसकी चाबियां श्रीमान् कलेक्टर साहब ने अपने पास रख रखी थीं।

एक माननीय सदस्य : उनकी भी हालत गैस से खराब हुई होगी?

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिलकुल। उनकी भी हालत खराब हुई। दरवाजा बन्द था काफी देर बाद थोड़ा सा खोला गया, जिसमें से इतने लोगों का निकलना सम्भव नहीं था। परिणाम यह हुआ कि लोगों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकालना पड़ा औरतों को उठा उठा कर फेंका गया। वे निकल नहीं सकी थीं। 15 अगस्त को हजारों की भीड़ उसमें थी। वे निकले और आप फिर उन पर टियर गैस छोड़ें और जख्मी कोई न हो, यह कैसे हो सकता है? राम रंगमंच के आसपास साठ गज के फासले पर शैल फेंके गये। पास में ही फेमिली प्लानिंग की एग्जीबिशन लगी थी सौ गज की दूरी पर। वहां तक भी आपने गैस के गोले फेंके। एक बच्चा जिसकी उम्र दस साल की होगी मोहम्मद हनीफ जिसके लगा गोला। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। गोले काफी दूर दूर जाकर पड़े, मैंने स्वयं ने देखा है कि उसका गाल गायब था। आप बता रहे हैं कि गलत एलिमेंट्स को भगाने के लिये टीयर गैस के गोले छोड़े। एक धर्म नारायण उम्र 55 साल का है उसकी टांग पर पड़ा। उसकी टांग में फ्रेक्चर हो गया। तीसरा व्यक्ति कृष्ण गोपाल सरकारी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
कर्मचारी अपने दूसरे भाई से जो भी कर्मचारी था मिलने गया था उसके भी पैर में पड़ा और वह भी फ्रेक्चर से गिर पड़ा ये तीन जख्मी व्यक्ति मैंने देखे हैं।

एक विद्यार्थी है टी. डी. सी. का प्रेम चन्द। उसने दस रुपये का टिकिट लिया था। गेट बन्द कर दिया तो उसने कहा कि मेरे पास टिकट है। गेट क्यों बन्द कर दिया? पर उसको पुलिस अधिकारियों ने इतना मारा पीटा कि वह आज तक पलंग पर पड़ा है। तो यह कहना कि हमने इस प्रकार से प्रिइन्टीमेशन दे दी थी, पूर्व चेतावनी दे दी थी, बिलकुल गलत है। मैं तो ह्यूमन क्वेश्चन रखता हूं। अगर पुलिस अधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी थी तो राम रंगमंच पर जो कार्यक्रम चल रहा था उसको क्यों नहीं बन्द करवाया गया? उसको क्यों नहीं रोका गया? वह कार्यक्रम बराबर चलता रहा। उनको पता ही नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और इधर टियर गैस के गोले छूट रहे थे। सारे दशराते के अन्दर। अपनी करतूतों पर परदा डालने के लिए कहा गया कि अगर ऐसा नहीं करते तो सारी दुकानें लुट जातीं। यह सारी अपनी करतूतों पर परदा डालने के लिये बहाना है। पुलिस के इस अत्याचार में महिलाओं का अपमान जिस प्रकार से भी हुआ है बेशक मैं उस पर कहना नहीं चाहता। वह केवल राम रंग मंच पर ही नहीं हुआ दशहरे के मुख्य बजार, कपड़ा बाजार में दुकानदारों ने अपनी मां बहनों की इज्जत लुटते देखा। उनके सामने उनकी इज्जत लूटी गई। इस के बाद लाठी चार्ज हुआ। जहां पर दुकानें लगी थीं। आपके घोड़े वहां दौड़ते रहे और आपके आदमी दौड़ते रहे और यह लाठी चार्ज दुकानों में चलता रहा। काफी शेज बाजार में भी पड़े हैं।

जब सारी जानकारी होने के बाद मैंने पुलिस अधिकारियों से और सिटी मजिस्ट्रेट से कहा कि जो कुछ आप कर रहे हैं यह बिलकुल आप जरूरत से बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं और मुझे दुख है कि मैं आपकी बातों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं सीधा वहां से चल कर टेलिफोन ऑफिस आया। यह मैं जानता था कि पुलिस अपने कारनामों को छिपाने के लिए अपनी सफाई के लिये कार्यवाही करेगी। मैं तुरन्त अस्पताल भी पहुंचा और अस्पताल पहुंच कर जो नाटक देखा ऐसा नंगा नाटक इस सरकार की हुकूमत के सिवाय और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। मेरे जाने से पहले सात-आठ व्यक्ति थे। पर उनकी मैडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं थी। डॉक्टर गुप्ता रिपोर्ट तैयार कर रहा था। एक लिस्ट बनाकर पुलिस से कहा कि यह छः सात की लिस्ट बनी है। मैंने पूछा कहां है वे छः। आप ताज्जुब करेंगे मेरे सामने 15 आदमी आये। किसी को मामूली खरौंच थी, एक के तो बिलकुल सूखी हुई पपड़ी थी। मैंने पूछा यह कहां की चोट है। कहा साहब यह तो दो तीन दिन पहले खरौंच लगी थी। उसमें 48 घन्टे का ड्युरेशन डॉक्टर ने भी लिखा है। इसके बाद हमारे अधिकारियों के भी नाम आये। ये थे एडीशनल एस. पी. पारीख, डी. वाई.

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एस. पी., महताबचन्द। मैंने कहा ये दोनों कहां है? जवाब मिला साहब देखते हैं। मैंने इस पर कहा कि गैर हाजिर ही लिखिये उस पर लिखा था एबसेन्ट जो बताया गया 24 के चोटें है यह भी बनावटी हैं। बनाई गई है। यह मान सकता हूं कि एक या दो व्यक्तियों के चोटें आई। एक के थोड़ा नाक पर और एक के पैर पर आई थी। मैं स्वीकार करूंगा इसे। पर यह भी उस समय हुआ जिस समय लाठी चार्ज हुआ और घुड़सवार मेले के मैदान में चले गये। मूंगफली के ठेले लूटे गये, छोटे मोटे खोमचे लूटे गये। खाने की चीजें लूटी गई, एक के तो बीस रुपये भी लूट लिये। इस प्रकार की बातें पुलिस ने की थीं। इसको लोगों ने प्रोटेस्ट किया पर यह कहना कि इतनी अव्यवस्था हो गई थी कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो बाजार और दुकानें लुटी जातीं। चारों तरफ गड़बड़ियां हो जाती। मैं कहता हूं कि अगर यह अव्यवस्था भी थी या होती तो आपके टियर गैस के कारण। आज तक जहां इस तरह के हजारों आदमियों के मेले लगते हैं, हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, वहां इस तरह की गड़बड़ी पब्लिक की तरफ से कभी नहीं हुई। पर आपने तो इतनी भारी भीड़ मे भी टियर गैस छोड़ते कुछ भी विचार नहीं किया कि इसके क्या परिणाम होंगे। छः छः शैल नो नो शैल एक एक साथ पूरी भीड़ मे छोड़ दिये गये। ऐसा करना बहुत बड़ी गलती थी।

यह कहना भी गलत है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने इसकी कोई पूर्व सूचना दी थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन घटनाओं की सूचना राज्य सरकार को समय पर तार द्वारा की गई तब भी राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस स्थगन प्रस्ताव पर भी जो दोषी अधिकारी थे, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर सरकार जवाब देती है। वही दोषी अधिकारी, एस. पी., एडीशनल एस. पी, सिटी मजिस्ट्रेट आदि और उन्हीं की रिपोर्ट पर यहां सरकार जवाब देना चाहती है। जो कुछ भी सूचना सरकार के पास इस बारे में आई है वह भी उन्हीं के द्वारा दी गई है जो अपराधी हैं। जो शराब में धुत्त थे। जिन्होंने अपनी ड्यूटी को नहीं समझा, पर अपने आमोद-प्रमोद का ऐश आराम का कार्यक्रम बनाया। कितना ही कलेक्शन जबर्दस्ती पब्लिक से किया आपकी इस पुलिस ने और इन पुलिस अधिकारियों ने। 17 तारीख को कोटा की नगर परिषद् अपना कार्य करती हैं। केवल वोट गिरते रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप अपने स्थगन प्रस्ताव को मुलाहिजा फरमायेंगे तो इन सारी बातों का उससे कोई सम्बन्ध नहीं बनता है। एक भी घटना का उल्लेख उसमें नहीं है। कलेक्टर एस पी. पर एलीगेशन का बिलकुल स्थगन प्रस्ताव में कहीं जिक्र नहीं है। 17 तारीख की बात का भी उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। आपकी इन सारी बातों का रेलेवेन्सी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दुख है, जिसी गम्भीरता से इस सारे मामले को आपको लेना चाहिये था आपने नहीं लिया, आप तरह की बातें कहकर इस मामले को ही

Page No. 75

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

टाल देना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि 18 को क्यों कार्यक्रम रखा गया, जब कि 17 को यह सब हो चुका। यह तथ्य है कि 18 तारीख को लाठी चार्ज किया गया। टीयर गैस छोड़ी गई। और इतने शैल छोड़े।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: इस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर भाषण सुनता ही रहा हूं जो रिलेवेन्ट नहीं है। अगर इसी तरह सुनते रहे तो यह गलत कन्वेन्शन हो जावेगा। अब इतने बड़े मसले पर जो वाकयात मिले हैं सदन को उस पर सदन क्या करे। मैं बहुत गहराई से इस बात पर सोच रहा था। वे कहें पर कहने की एक सीमा होती है। रूल्स का पालन करते हुए कन्वेन्शन का स्थान कहां रहे यह भी समझ में आता है। लेकिन इस सदन को पौन घण्टे तक आप भाषण देते चले जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आगे का कार्यक्रम बढ़े।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय मैंने ववेदन के द्वारा भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और दुख इस बात का है कि गृह मन्त्री जी ने जो कहा कि इस स्थगन प्रस्ताव में इस प्रकार के कोई मुद्दे नहीं उठाये। मैं कहना चाहता हूं लाठी चार्ज हुआ है, टीयर गैस छोड़ी गई है लोग घायल हुये हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने पहले सूचना दे दी थी कि इनको हटा लिया जाय। सूचना नहीं दी गई यह बात गलत है। ये सब बातें बताई गई हैं।

(घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है आपकी जानकारी के लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 18 तारीख की घटना को लेकर रंग मंच पर पुलिस के द्वारा टीयर गैस और लाठी चार्ज को लेकर जो ऐडजोर्नमेंट मोशन पेश किया गया है उसमें कलेक्टर के यहां दिन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एस. पी. की क्या हालत थी, कलेक्टर और एस. पी. की रंग मंच पर क्या हालत थी। इन बातों का कोई भी संकेत नहीं है। माननीय सदस्य ने जो तार मुझे दिया उसमें भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। मैं यह नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमें सदन की परम्परा को निभाना चाहिए। जो अफसर सदन में अपने आपको डिफेन्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिये सदन में अन्ट सन्ट बात कह देना उचित नहीं है। बिलकुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐसी बात कहना है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जितनी जिम्मेदारी से अपनी बात....

श्री दामोदरलाल व्यास ; आपका यह तरीका बिलकुल गलत है कि किसी अफसर के लिये आप जो चाहें कह दें। जिन बातों का आपने सदन में जिक्र किया है उनके बारे में पहले से नोटिस नहीं मिला है अतः इस सम्बन्ध में क्या निवेदन किया जावे। यदि अपने स्थगन प्रस्ताव में आप इन बातों का जिक्र कर देते तो निश्चय ही मैं उन पर प्रकाश डालता तथा आपको सन्तोष भी देता।

मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एक पार्टी

(श्री दामोदरलाल व्यास)
के बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं। उनसे यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे इस तरह सदन में गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात कहें। जो तार आपने मुझे भेजा है उसमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। मुख्य मंत्री जी को भी जो तार इस सम्बन्ध में मिला है उसमें भी उपरोक्त बातों के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। मुझे मालूम नहीं यह गलत इत्तला जिसे आप सदन में कह रहे हैं किसी का कान उड़ गया, किसी का क्या उड़ गया आदि मुझे माफ कीजिये—इन बातों का आपके स्थगन प्रस्ताव में कोई जिक्र नहीं है। अश्रु गैस और लाठी चार्ज हो····

(घंटी)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या स्थगन प्रस्ताव में पूरी रामायण लिखी जाती है क्या ?

श्री सभापति : श्री गाड़िया।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब अश्रु गैस और लाठी चार्ज होगा तो यह मानकर चलना चाहिये कि कुछ चोटें आयेगी। यदि वायोलेन्ट भीड़ पत्थर फेंके और जबरदस्ती घुसना चाहे—उस फंक्शन में जहां टिकिट है और टिकिट भी चैरिटि शो का तो लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिये पुलिस को यह अधिकार है कि फोर्स का इस्तेमाल करे। उन्होंने कानूनी अधिकार काम में लिया है और सिटी मजिस्ट्रेट के कहने पर ही लाठी चार्ज किया है। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है कि मैंने एन्क्वायरी नहीं कराई। एन्क्वायरी कराई गई है और उसी के आधार पर कलेक्टर ने मेरे पास रिपोर्ट भेजी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मजिस्ट्रेट ने टीयर गैस का ऑर्डर नहीं दिया यह आप गलत कहते हैं, यह सही नहीं है। कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है कि टीयर गैस और लाठी चार्ज दोनों का ही ऑर्डर मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि मोब वायोलेन्ट हो तो पुलिस को यह अख्तियार है कि वह लाठी चार्ज कर सकती है—यह कानून में है। मेरा निवेदन है कि सारे इश्यू को आप पॉलिटिकल इश्यू न बनायें बल्कि समाज विरोधी तत्व जो गड़बड़ी करते हैं, उसको दबाने के लिए पुलिस के साथ आपका कोपरेशन होना चाहिये। गड़बड़ करने वाले लोगों को इमदाद नहीं देना चाहिये। गड़बड़ करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को मदद करनी चाहिये। आप चाहते हैं कि राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत बिगड़े परन्तु यह नहीं हो सकता है। हम पूरी तरह से लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करेंगे और एन्टी सोशियल एलीमेन्ट्स के साथ सख्ती से कार्यवाही करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा और बहुत नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि ऐसे मामलों में आपका सरकार को सहयोग मिलना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि आप हर मामले को पॉलिटिकल इश्यू बनाकर उसको डील करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्थान के गृह मन्त्री जी ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना ढंग से उत्तर दिया है वह बड़ा दुख पूर्ण है। इन सब बातों के लिये मेरी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
शिकायत थी। अभी कलेक्टर मौजूद हैं, एस. पी. मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट को डिराइव करके.... (शोरगुल, अश्रव्य) अगर कोई रेस्पान्सिबिलिटी थी तो क्या आपने जांच करवाई ?

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामकिशन : आज जितने जोश में आप बोले उतने शायद कभी नहीं बोले ! बुढ़ापे में भी आप बहुत जोश के साथ बोलते हैं।

याचिका का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय मैं, रोजोन बान्ध (झालावाड़) स्वीकृत योजना अनुसार बनवाने सम्बन्धी विषय पर एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

विधायी—कार्य

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क !

(कई माननीय सदस्यों में आपस में बातचीत)

आर्डर प्लीज। इसके पश्चात् ही माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं....

(पुनः शोरगुल, अश्रव्य)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित यह करना चाहता हूं कि कल राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर इस सदन में विवाद चल रहा था। सदन के अनेक माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते थे और उन्हीं की मांग पर इस पर विवाद आज के लिये पोस्टपॉन किया था। आज जो शासकीय विधेयक है उनमें दो विधेयक और हैं एक तो राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 एसेन्शियल सर्विसेज के सम्बन्ध में और दूसरा राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970-एक छोटा सा विधेयक है इस तरह तीन विधेयक हैं पौने तीन बजने के लगभग हैं और दो घंटे का समय हमारे पास और है। राजस्थान भू-राजस्व बिल पर काफी सदस्य बोलने वाले हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : यह आज के एजेन्डे में नहीं है।

श्री सभापति : यह बिल कल रखा गया था आप उपस्थित नहीं थे। इसकी जानकारी सदन में उपस्थित रहने से ही हो सकेगी।

श्री रामकिशन : आप तो झुंझनूं की बस में चल रहे थे उस समय।

श्री सभापति : एसेन्शियल सर्विसेज के बारे में आज लिया जा सकता है या नहीं.... ?

(विराम)

एक घंटे में विधेयक पास कर सकेंगे ?

(कई माननीय सदस्यों की एक साथ 'ना' की आवाज)

श्री सभापति : भू-राजस्व के लिये माननीय चीफ व्हिप यह कहते हैं कि एक घंटे का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक घंटे में कैसे होगा। महत्वपूर्ण विधेयक है। गरीब किसानों से सम्बन्ध रखता है।

Page No. 78

श्री लादूराम बुलानिया : इसके लिये पूरे दिन का समय रखा जाय।

श्री सभापति : (श्री रामकिशन जी से) आपका क्या सुझाव है?

श्री रामकिशन : आप नियम के अनुसार चलते जाय। जो निर्धारित है एसेन्शियल सर्विसेज का बड़ा कन्ट्रोवर्सियल बिल है। वह बहुत लम्बा है, काफी समय लगेगा।

श्री सभापति : सरकार का आग्रह है कि सारे बिजनिस को खतम किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : पूरा एक दिन कम पड़ेगा।

श्री सभापति : राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970 जो अंग्रेजी में विधेयक पारित हुआ है उसकी अंग्रेजी का आथोरिटेटिव ट्रान्सलेशन करना है एक छोटा सा विधेयक है।

श्री रामकिशन : यह सरकार ने जो अब तक अंग्रेजी का मोह नहीं त्यागा है उसका ही केवल एक प्रश्न नहीं है- एक छोटा सा विधेयक हो यह बात नहीं है। इसमें सरकार की हर सूरत में निन्दा की जानी चाहिये कि दासता से चिपकी हुई है।

श्री सभापति : आप सहयोग दीजिए। इसको एक को कर लें और उसके बाद में लैण्ड रेवेन्यू वाला बिल ले लेंगे। मैं आशा करता हूं कि एसेन्शियल सर्विसेज वाला विधेयक है उसके लिए ठीक है सरकार ने व्यू पॉइन्ट रखा है लेकिन माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि वह आज नहीं लिया जा सकेगा। इसलिए मैं दोनों पक्षों का ही सहयोग चाहूंगा। एक पक्ष चाहता है कि एसेन्शियल सर्विसेज वाला विधेयक नहीं लिया जाये और सरकार चाहती है कि उसको आज ही लिया जाये और लैण्ड रेवेन्यू वाले विधेयक पर भी टाइम निर्धारित कर दिया जाये। ऐसी स्थिति में कम से कम कुछ न कुछ बिजनेस हम निपटा सकें इसलिए यह राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक को मेरा निवेदन है कि विचारार्थ ले लें और इसको पास करके लैण्ड रेवेन्यू पर जैसा भी सब लोग बोलना चाहेंगे तो मैं इस पर समय दे दूंगा।

श्री रामकिशन : इस राजभाषा वाले विधेयक पर तो हम बोलेंगे।

श्री सभापति : और भी बहुत से विषय हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, एसेन्शियल सर्विसेज वाला बिल है यह बहुत जरूरी है और इसको आज ही लेना बहुत आवश्यक है और इसको आज ही अकोमोडेट करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री सभापति : बहुत इम्पारटेन्ट है इसलिए मुझे भी विचार करना पड़ रहा है कि इतनी जल्दी कैसे पारित किया जाये और इसीलिए मुझे विरोधी पक्ष की भावना को भी ध्यान मे रखना पड़ता है। विरोधी पक्ष की मांग है कि इसको आज नहीं लिया जाये, इसकी तो व्यवस्था उस स्थिति में दूंगा जब कि माननीय सदस्य श्री रामकिशन जी यह सहयोग दें कि राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक है जो कि एक क्लॉज का ही बिल है जो कि अंग्रेजी कानून का हिन्दी अनुवाद अधिकृत किये जाने के बारे में है हांलाकि

(श्री सभापति)
राज्य सरकार की नीति बड़ी उदासीनतापूर्वक रही है परन्तु इस पर बाद में ही कह सकते हैं.......

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : केवल 10 मिनिट ही बहस करने दें इस पर।

श्री सभापति : फिर ठीक है। तो पहले राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक को लेते हैं।

राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय, यह जिस प्रकार का विधेयक है इसकी भावना का मुझे विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि दुनिया के दूसरे देश आजाद होने के बाद जब भाषा की गुलामी को छोड़ चुके हैं तो हिन्दुस्तान की सरकार चाहे वह राजस्थान सरकार हो या और सरकार हो अपनी भाषा को प्रतिष्ठापित कराने में असफल रही है। आज से कुछ दिन पहले की ही बात है और शायद माननीय सदस्यों को याद होगा कि लंका जो हमसे एक वर्ष बाद आजाद हुआ, जहां की राजभाषा अंग्रेजी थी वहां पर इस अंग्रेजी भाषा को समाप्त किया गया। जो भाषा शास्त्री हैं और जो भाषा को जानते हैं वह यह भी जानते हैं कि हिन्दी और सिंगली के शब्द हैं उनका कितना बड़ा भण्डार है। हमारी अपनी हिन्दी भाषा में 6 लाख के करीब शब्द हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और सिंगली ऐसी भाषा है कि जिनमें 36-37 हजार से ऊपर शब्द नहीं हैं। लेकिन जब वहां की सरकार अपनी लोक भाषा में काम चला सकती है तो हमें अफसोस है कि राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान सरकार जानबूझ कर विदेशी भाषा से चिपके हुए हैं। मेरे यह कहने से यह नहीं समझें कि मुझे कोई अंग्रेजी से दुश्मनी है। अंग्रेजी भी एक सम्पन्न भाषा है, एक अच्छी भाषा है और दुनिया के कई मुल्कों की मातृभाषा भी है। उस सूरत में हम उसका सम्मान करते हैं और आदर करते हैं और यह भी चाहते हैं कि किसी प्रकार के ज्ञान के लिए उसका पठन पाठन चले तो जरूर चलाया जाये। यदि अपने देश की कोई भाषा नहीं हो, कोई वाणी नहीं हो तो। लेकिन इसके होते हुए भी उसको चलाया जाये तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी लोकतन्त्रीय सरकार के लिए नहीं हो सकती। और तो और हमारे बगल में पाकिस्तान है उसने भी भाषा के सम्बन्ध में जो रुख अपनाया है वह भी हिन्दुस्तान की सरकार नहीं अपना पा रही है और आज भी वहां बंगला और दूसरी भाषा का विवाद चल रहा है लेकिन अंग्रेजी कहीं विवाद में नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार ने जान बूझकर इस प्रश्न को खड़ा किया है। यह सरकार चाहती है कि कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर कोई न कोई देश में विवाद बना रहे और उसकी मध्यस्थ बनकर सरकार बनी रहे और अपना मतलब हल करती रहे जो कि केन्द्रीय सरकार की नीति है और उसी नीति का अनुसरण राजस्थान सरकार कर रही है।

(श्री रामकिशन)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी जानकारी है राजस्थान की राजभाषा हिन्दी है और जो कानून यहां बने. जो कानून बनाये गये उनके आज हिन्दी अनुवाद के लिए विधेयक लाया गया है। शायद आपको जानकारी नहीं है कि अब तक अंग्रेजी में कानून बनते आ रहे हैं लेकिन जो काम आज से 23 साल पहले हो जाने चाहिये था वह काम आज 23 साल बाद होने जा रहा है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा हिन्दी है उसको भी जान बूझ कर लोग बिगाड़ रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों की रचना की जाती है और यह कह देते हैं कि यह टेक्नीकल ज्ञान को वजह से है या कानूनी भाषा में उपयुक्त शब्दावली की वजह से हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनियां में कोई भी भाषा अपने आप में पूरी नहीं होती है और उसमें दूसरी भाषा के शब्द होते ही हैं। अन्य भाषा चाहे उर्दू के शब्द हों, अंग्रेजी के शब्द हों जिन्हें जनसाधारण समझ लेते हैं उनका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पर या तो हम अंग्रेजी चलायेंगे और अगर अंग्रेजी नहीं चलेगी तो ऐसी हिन्दी चलायेंगे जिससे कि हम लोग जो हिन्दी का साधारण ज्ञान रखते हैं उनको भी समझने में कठिनाई आती है। भाषायें गढ़ी नहीं जाती बल्कि जनता के माध्यम से जो शब्द बोले जाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जिस प्रकार के अनुवाद हमारा विधि विभाग करता है या दूसरे विभागों की मार्फत होकर आते हैं मैं समझता हूं अंग्रेजी समझना तो आसान है लेकिन हिन्दी में नहीं समझ सकते। तो मेरा सुझाव है, यह हो सकता है अभी भारतीय नीति का प्रश्न खड़ा हो जाये लेकिन हम चाहते हैं कि जो अन्य अरबी के शब्द चालू हैं उनको हम भाषा के ट्रान्सलेशन के समय में काम में लाना चाहिए चाहे वह शब्द उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें कि जिनको समझना मुश्किल हो जाये। इस बात के लिए मैं राजस्थान सरकार की निन्दा करता हूं। यहां जिस समय राजाओं का राज्य था तो यहां कई रजवाड़े थे और उन रजवाड़ों की भाषा हिन्दी थी। इसमें विवाद की जरूरत नहीं थी कि हमारी तो पहले ही हिन्दी भाषा थी और हमारे राज्य में जितने भी कर्मचारी थे वह सभी हिन्दी मे काम करते थे। लेकिन राजस्थान बनने के बाद अंग्रेजी का प्रयोग किया गया और जब उसको हटाने की चर्चा होती है तो गैर हिन्दी भाषी राज्य कहते हैं कि जब हम ही अंग्रेजी से हिन्दी नहीं कर पाये तो हम पर यह क्यों लाद रहे हैं और इस षड़यंत्र में राजस्थान की सरकार, मध्यप्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार और सभी सरकारें इस षडयंत्र में शामिल रहीं और उसका नतीजा यह है कि हमारी भाषा का सवाल इतना उलझ गया है कि आज हम सभी कठिनाई में पड़ गये हैं। आज हम अंग्रेजी की बात कहते हैं, हमें अधिकृत अनुवाद मिल जायेगा लेकिन उसका ड्राफ्ट होगा तो अंग्रेजी में, नोट होंगे तो अंग्रेजी में और सब कुछ अंग्रेजी में होगा। केवल दस्तखत हिन्दी में होंगे। इससे ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है?

आज सरकार कहती है कि हमारे राज्य कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते मैं इसको

(श्री रामकिशन)
मानने के लिए तैयार नहीं हूं। राजस्थान में पांच-दस अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जिनको हिन्दी का ज्ञान न हो अन्यथा जिनकी इच्छा होती है वह सीख लेते हैं। हमारे यहां भरतपुर में 30-35 साल पहले अरबी और फारसी चलती थी और उर्दू भी चलती थी और जैसे ही महाराज किशन सिंह जी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने हुक्म दिया कि जो हिन्दी नहीं सीखेगा उसको राज्य सेवा से अलग कर दिया जायेगा और राज्य सेवा से किसी को नहीं निकालना पड़ा और 7 महीने के अन्दर सब ने सीख ली। भाषाओं के प्रश्न आर्थिक प्रश्नों से भी जटिल होते हैं। देश बनते हैं, युद्ध के बाद इटली का निर्माण हुआ, युद्ध के बाद जर्मनी का निर्माण हुआ, युद्ध के बाद जापान का निर्माण हुआ। इसके पीछे उनकी औद्योगिक शक्ति और टेक्नीकल नालेज है तो उनकी अपनी भाषा से है। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम विदेशी भाषा के गुलाम हैं। मुझे, सभापति महोदय-कल-परसों हंसी आई कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एक सम्मेलन था उसमें नत्थीसिंह जी को बुलाया था। मैं भी उनके साथ में चला गया। उसमें राजस्थान के कुछ मन्त्रियों के सन्देश पढ़े गये थे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सम्मेलन हो रहा है जिसमें कि कोई अंग्रेजी नहीं जनता है उसमें माननीय सिंचाई मन्त्री लड्ढा साहब का अंग्रेजी में संदेश था। हरिदेवजी जोशी का संदेश था अंग्रेजी में। तो दोनों के अंग्रेजी के सन्देशों में एक में 13 गलतियां और एक में 7 गलतियाँ थीं, तो मुझे हंसी आगई....

श्री सभापति : ये इतनी गलतियां तो तब जब कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं।

श्री रामकिशन : केवल राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष माननीय आचार्यजी का संदेश हिन्दी में था और एक जनसंघ के अध्यक्ष माननीय अटलबिहारी जी का संदेश हिन्दी में था, लेकिन उनकी दोनों की हिन्दी पंडिताऊ हिन्दी थी और जिनके अंग्रेजी में संदेश आये थे वे गलत अंग्रेजी में आये थे। वहां पर सिर्फ एकाध लोगों के ऐसे संदेश आये थे जिसे आदर्श मान सकते हैं। हमारी इतनी मानसिक गुलामी हो गई है। विदेशी भाषा से हमारा लोगों के साथ में सम्पर्क कायम नहीं हो सकता है। जो दूसरे देशों ने तरक्की की है वह अपनी भाषा में राज काज करने की वजह से की है। अपनी भाषा में टेक्निकल सबजेक्ट पढ़ा कर ज्यादा वैज्ञानिक उन्नति करली है, उन्होंने ज्यादा रिसर्च स्कालर पैदा कर लिये, ज्यादा फार्मेसिस्ट पैदा कर लिये। हमारी स्थिति यह है हमारे बच्चों का सारा समय सबजेक्ट को समझने के बजाय भाषा को सीखने में चला जाता है। इन बर्षो में हमने न कोई वैज्ञानिक पैदा किये, न प्रोफेसर पैदा किये, न राजनयिक पैदा किये। अगर कोई हैं तो पुराने हैं। उसमें एकाध नाम है राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमिशन के भूतपूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र जो कि एक वैज्ञानिक हैं। हम विदेशी भाषा से बेमानी चिपके हुए हैं। लड्ढा सहाब सही हिन्दी जानते हैं लेकिन वे अंग्रेजी में संदेश देते हैं हम अंग्रेजी इसलिए सीखते हैं कि अंग्रेजी में एक गुण है कि अंग्रेजी जानने वाला आदमी अपने आपको दूसरों से ऊपर की क्लास का समझने लगता है। जो कोईभी अंग्रेजी बोल लेता है वह अपने आप दूसरों से ऊपर बन जाता है, वह सवर्ण हो जाता है इस भेदभाव को मजबूत करने के लिए ही हम विदेशी भाषा से आज तक चिपके हुए हैं

(श्री रामकिशन)

जो भी कोई अंग्रेजी बोलेगा तो हम समझेंगे कि वह बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन असलियत यह होती है उसको 3-4 सिनेमाओं और 2- नावल से ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। जितना ज्ञान हमें अपनी भाषा से आ सकता है उतना विदेशी भाषा से नहीं आ सकता है। महात्मा गाँधी और सरोजिनी नायडू को छोड़ दें। जवाहर लाल नेहरू जो अंग्रेजी लिखते थे वह टूटी फूटी अंग्रेजी थी। ऐसी अंग्रेजी लिखने वाले तो हजारों हैं।

भाषा जो इस्तेमाल करें वह ऐसी करें जो सबको समझ में आजाय। जो शब्द चालू हो गये हैं उनका ही प्रयोग किया जाय चाहे वे दूसरी भाषा के हों मैं इस सम्बन्ध में कोई बोलने वालने वाला नहीं था, लेकिन इस बात का संकेत करने के लिए, व्यक्त करने के लिये कि एसी हिन्दी कब तक चलेगी कि सारा सरक्यूलर तो अंग्रेजी में और हस्ताक्षर है व हिन्दी में हैं। ग्राम पंचायतों को जो नोटिसेज जाते है, जिला परिषदों को जो सरक्यूलर जाते हैं वे सारे अंग्रेजी में जाते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में प्रधान और प्रमुख ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते है। पंचायतों में परिपत्र अंग्रेजी में जाते हैं तो बड़ा अजीब सी दिक्कत हो जाती है। वे हिन्दी ही जानते हैं। नतीजा यह होता है कि सेक्रेटरी ही केवल उनका मतलब समझता है और बाकी के लोग समझने कि स्थिति में नहीं होते हैं। राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी इस तारीख तक पूरी हिन्दी लागू हो जायगी और उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन वह हिन्दी इतनी ही लागू हुई है कि सारा सक्यूलर तो अंग्रेजी में होता तो है और हस्ताक्षर हिन्दी में होते हैं। इसलिए मैंने यह जो प्रस्ताव रखा है इसको स्वीकार करें सरकार की निन्दा करें। इन्ही शब्दों के साथ में प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं। मगर मैं यह मानकर चलता हूं कि चाहे और कोई इसका समर्थन करे या न करे लेकिन अमृतलालजी और भीखाभाई, जो कि पिछड़े वर्ग के हैं, भाषा के सवाल पर मेरा साथ देगें। भीखाभाई तो आधे अंग्रेज बन गये हैं। उनके जो संस्कार हैं, उनके जो अपने जाति संस्कार हैं वे उनमें नहीं रहे हैं। वे सवर्ण के साथ बैठ बैठकर सवर्णों की नकल करने लग गये हैं, लेकिन फिर भी इस काम के लिए चाहता हूं कि वे मदद करें और भाषा के सवाल पर इस सरकार की निन्दा करें। इन्हीं शब्दो के साथ मैं संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970 को अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प माननीय श्री रामकिशनजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

नहीं पास हुआ। संकल्प गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970 का विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

आप प्रस्ताव तो करिये विधेयक को पारित करने का।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, नियम के अनुसार विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव मंत्री प्रवर की तरफ से आना चाहिए था, परन्तु.......

श्री भीखाभाई : आगे किया है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजभाषा (अनपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मेरी दो याचिकाएं हैं उन्हें प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाय ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने सूचना दी थी कि दस्तखत हिन्दी में करते हैं लेकिन आजकल तो दस्तखत भी अंग्रेजी में होने लग गये हैं ।

श्री सभापति : श्री हरजीरामजी बुरड़क आप क्या कह रहे थे ?

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने दो याचिकाएं दी हैं उनको प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाय ।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क ने जो निम्नोक्त दो याचिकाएं दी हैं उनको प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाय :

(1) ग्राम पंचायत आसोटा (तहसील लाडनूं) द्वारा हरिजन बस्ती के लिए आबादी में परिवर्तित की गई भूमि के दुरुपयोग के संबंध में एक याचिका ।

(2) ग्राम निम्बी जोधा, तहसील लाडनूं में राजस्थान भू-जल मण्डल, जोधपुर द्वारा निर्मित नलकूप को चालू करवाने संबन्धी याचिका ।

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर अग्रेतर विचार

श्री सभापति : राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार । श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, कल मैं एक बात कह रहा था कि भूमि-आन्दोलन के मामले में....

श्री सभापति : इस विधेयक पर जो जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं कृपया वे अपने अपने नाम भेज दें ता अच्छा हो । इससे आसानी रहेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : यह भूमि समस्या का जो विषय है वह इन साम्यवादियों और संसोपा पार्टी के प्रस्तावों में फंस गया....

श्री रामकिशन : संसोपा का मतलब ही पार्टी से आ जाता है । पार्टी अलग से कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने बड़े बड़े दावे किये थे आन्दोलन करके भूमि हथियाओ आन्दोलन करके। यह आन्दोलन चलाया था और ये चाहते थे कि हम लोकतन्त्र के जमाने में अपने कानूनों को कायम न रखकर, कानूनों को हाथ में लेकर हजारों, लाखों गरीबों के लिए जमीनें दिलवा देंगे। बड़ा आन्दोलन शुरू किया। इन्दिराजी के फार्म पर जाने की कोशिश की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में इन पार्टियों का बिल्कुल सफाया हो, गया और बिल्कुल कामयाब नहीं हुए और इन पार्टियों ने बड़े जोश से कहा था कि इतनी जमीन गरीबों को दिलवा देंगे वह कुछ नहीं हुआ।

मेरी समझ में नहीं आया कि इस समस्या का निराकरण क्या है? एक बात यह भी कही गई है कि अगर भूमि कानून के द्वारा नहीं मिलती है तो भूमि पर अधिकार कर लेना चाहिए। प्रश्न यह होता है कि कानून बन जाने के बाद उसको अमली रूप नहीं दिया जाता है उस हालत में यह कदम उठा लेते हैं। वे लोग कहते है कि कानून बनने के बाद भी कानून लागू नहीं हो और उस कानून की अवहेलना हो तो हम क्या करें? आज भूमि-समस्या के अन्दर बात यह है कि आप भूमि नहीं दिलाते हैं।

(3 म प)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

1965 में राजस्थान सरकार ने कम से कम 29 लाख एकड़ दिलाई लेकिन सवाल यह, सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को भूमि गलत ढंग से मिली उनके लिये क्या इलाज है? हम सब लोगों को एक शिकायत है कि यह जो राज करने वाले लोग हैं, वह यह बताये कि जिन लोगों ने जमीन हड़प ली है, क्या वह काश्त करते हैं। काश्त करते नहीं हैं, उनके लिए क्या किया जाये? बात यह है कि कांग्रेस के कई लोग है, कई मंत्री हैं जिनके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने जो जमीन ले ली है, उनके लिए क्या किया जाये। तो हमारे मन्त्री महोदय ने लोगों की बात तो मानी है। उनके लिए प्रोवीजन कर दिया है। That the Collector shall have the power. अभी एक बात बतलाई, कि 14-4 को एलाटमेण्ट दर्ज हो गये हैं, उसको कलेक्टर रद्द कर देगा। जो पहले के रूल्स हैं, उनमें यह पावर है कलेक्टर को रद्द करने की। लेकिन जो पुराने नियम थे उनमें यह प्रावधान नहीं है। रेवेन्यू एक्ट में 84 में यह पावर्स हैं। एलाटमेण्ट के मामले नान् ज्यूडिशियल है।

एक माननीय सदस्य : किस में?

श्री मूलचन्द डागा : 83 या 84 है। स्टेट गवर्नमेण्ट को यह पावर है कि वह रिकार्ड मंगाकर कैंसिल कर सकती है। तो हमें क्या हो गया है कि इस प्रकार के मामले हम सदन में नहीं उठायें। नहीं उठाने से असन्तोष होगा। आप यह कह रहे हैं कि हमने हरिजनों को लाखों बीघा जमीन एलाट कर दी है। सवाल यह नहीं है कि हम जमीन दे रहे हैं। सवाल यह है कि जो काम करते नहीं हैं, मजदूरी करते नहीं हैं, वह कैसे कब्जा ले लें। सवाल यह है कि एक ओर हम देश का

Page No. 85

(श्री मूलचन्द डागा)
समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। दूसरी ओर श्रम की बिना प्रतिष्ठा किये, बिना काम किये, उसका फल उठा लें। एक तो प्रश्न यह उठता है कि यह तो राज्य सरकार इन लोगों के लिए 83-84 में कदम उठाना नहीं चाहती है। मैं कहता हूं, हमारे ही जिले में हजारों बीघा जमीन लोगों को एलाट हुई थी। मैं समझता हूं कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है, जिन लोगों को जमीन गलत अलाट हुई है, चाहे वह किसी भी पद पर हों, चाहे वह किसी भी पोजीशन में हों तो भी उन फायलों को मंगाकर उस भूमि को कैंसिल करना चाहिए। अगर यह बात आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि गरीबों में असन्तोष फैले। जितने भी माननीय सदस्य थे, वार बार इन्हीं बातों को कह रहे थे। वह कह रहे थे कि हमें दुःख है कि भूमि उनको दी गई है जो आदमी काश्त करते नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर यह कदम नहीं उठायेंगे तो मैं कहूंगा, यह पुरानी पीढ़ी नहीं उठा सकती है। जो ताकतें काम कर रही हैं। हम काम करते नहीं हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सदस्य डागाजी भाषण दे रहे हैं। वह रेवेन्यू मिनिस्टर से चर्चा कर सकते हैं। आज का जो विषय है, उसके बाहर जा रहे हैं। उनको रोका जाये।

श्री सभापति : श्री डागा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भूमि की समस्या पर बोल रहा हूं। माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। खांमाखां खड़े हो गये हैं और बिना मतलब व्यवधान पैदा कर दिया है।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मूलचन्द डागा : हम यह चाहते हैं, हमारे देश के अन्दर कई तरह के आन्दोलन चले हैं। लाखों बीघा जमीन लोगों को मिल चुकी है। तो या तो रूल्स में अमेण्डमेण्ट करो, या कैंसिल कर दो। तो रूल्स में अमेण्डमेण्ट हो सकता है। जो पहले भूमि का गलत अलाटमेण्ट हो गया है, उसको कैंसिल किया जाये। अगर यह नहीं हुआ तो इनक्लाब होगा। इनमें राजनैतिक शक्तियां काम कर रही हैं वह शक्तियां राजनैतिक पार्टी बन जाएगी जो कानून की अवहेलना कर रहे हैं। आपने कदम नहीं उठाये तो आने वाले जमाने में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। वह पोलिटिकल पार्टी हो जाएगी। समय आने वाला है, टाइम आने वाला है। इसीलिए माननीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा जी बार बार कह रही हैं। राजस्थान में जो जनता के विधायक हैं·······

श्री रामचन्द्र आर्य : जो गलत ढंग से जमीन हथिया ले उनको फांसी पर लटकाया जाये। उनको वही दण्ड मिलना चाहिए जो किसी को चोरी करने पर दण्ड दिया जाता है। वह चोरी करके अलाटमेन्ट करवा लेते है।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल यही होना चाहिए। आप जरा तेजी से कह रहे हैं। जो लोग यह कह रहे हैं उनको आने वाली पीढ़ी बरदाश्त नहीं करेगी। 62 से जिन

(श्री मूलचन्द डागा)

लोगों ने भूमि पर अधिपत्य कायम कर रखा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप अपनी पार्टी में बैठकर यह फैसला करें कि जो कांग्रेस वालों ने कब्जे किये हैं, वह छोड़ दें।

श्री मूलचन्द डागा : अगर पार्टी ने यह किया है तो वह ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकती है। जो आने वाली पीढ़ी है, वह चाहती है कि असमानता कम हो। अगर इस फर्क को हमने नहीं मिटाया तो आने वाली पीढ़ी समाप्त करेगी। लेकिन यह जो साम्यवादी और समाजवादी है, जो भूमि हथियाओ आन्दोलन चला रहे हैं। और जो जमीन हड़प ली है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने जो जबर्दस्ती सरकार बना ली है उसका किसने क्या किया ?

श्री मूलचन्द डागा : जबर्दस्ती नहीं बनायी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जबर्दस्ती बना ली है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, जो इस प्रकार कानून को हाथ में लेकर अराजक तत्वों को महत्व दे रहे हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, मैं समझता हूं, आने वाले जमाने में आप लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हमें एक बात करनी पड़ेगी....

श्री श्रवणलाल : जिन भूमिहीनों को जमीन देने जा रहे हैं, उनको मनमाने ढंग से भ्रष्ट किया है, उनको खरीदा है और आपने इस प्रकार सरकार बनाई है।

श्री मूलचन्द डागा : हमने खरीदा नहीं है। हमने संवैधानिक तरीके से सरकार बनाई है, कानूनी तरीके से सरकार बनाई है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि चार साल से यह सरकार टिकी हुई है। और आज भी इस बात का सबूत है कि नगर-पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस का बहुमत आया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लोग इस्तीफा देकर चुनाव लड़ो मुख्य मन्त्री जी से कहो कि इस्तीफा दो फिर चुनाव लड़ो।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, जो हारे हुए हैं, जिनमें ताकत नहीं है वह यही कहते हैं। आखिर आप जो इस प्रकार के आन्दोलन चलाते हैं वह इस लोकतंत्र के अन्दर गलत हैं। आप संसदीय प्रणाली से भूमि दिलवा सकते हैं—वह तरीका सही है। आप आज कहते हैं, भूमि हड़पो, भूमि पर अधिकार कर लो। लेकिन कानून के अनुसार भूमि हड़प लेने के बाद उस पर खड़ी फसल को काटने नहीं देंगे तो क्या होगा ? मैं चुनौती देता हूं कि संसोपा और कम्युनिस्ट पार्टी, जो इस प्रकार के आन्दोलनों को गांवों गांवों में फैलाती है इस प्रकार के आन्दोलन आज की इस लोक-तंत्रीय प्रणाली के विरुद्ध हैं, उनको आप बन्द करें अन्यथा देश में अराजक तत्व पैदा होंगे, इससे देश में अन्दर, गांव गांव के अन्दर अशांति पैदा हो जायगी, अराजकता पैदा हो जायगी। इसके अलावा कानून की मन्शा भी यह नहीं है। यह कानून कहता है, जो नया कानून बना है, वह ठीक ढंग से बना है।

अब केवल एक सवाल है, और एक शिकायत है कि जिन लोगों ने गलत

(श्री मूलचन्द डागा)
एलॉटमेंट कराया है उनका एलॉटमेंट कैंसिल होना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं हो तो ?

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, इनसे पहले मुझे समय दे दें, क्योंकि मुझे नहीं जाना है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, इनको तो मैं राजी कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह भरतपुर के माननीय सदस्य रोज पहले जल्दी चले जाते हैं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, अभी अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य दो भाषाओं में बोल रहे थे । यह उनकी मजबूरी है जिसके कारण वह दो भाषाओं में बोलते हैं । एक तरफ तो उनको कुर्सी नजर आती है, दूसरी तरफ उनको जनता नजर आती है, अपने क्षेत्र की—इसलिए एक भाषा में तो वह मक्खन लगाने का काम कर रहे थे । दूसरी भाषा मे कह रहे थे कि हमारी पार्टी चेती नहीं और जनता की ओर ध्यान नहीं दिया तो यह पार्टी भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है । तो यह उनका दूसरी भाषा है । पहली बात तो यह है कि कुर्सी पाने के अन्दर पिछले चार साल आप नाकाम रहे हैं और अब भी रहे हैं इसलिए आपने इस तरह से मक्खन लगाया । दूसरे आप कहते हैं कि ससोपा और कम्युनिस्ट पार्टी जो आन्दोलन चलाती है उनके बारे में किसी प्रकार की बात आपके समझ में नहीं आई । आपकी समझ में आयेगी भी नहीं । समझ में इसलिए नहीं आयेगी कि जनता की भावना को ऊपर ऊपर से आप देखना चाहते हैं । कल भी कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में लिस्ट पेश की, उनकी जिन मंत्रियों, बड़े बड़े व्यापारियों और आफिसरों ने जमीन का आवंटन भूमिहीन के नाम पर करा कर कब्जा किया है । उसके बाद सरकार ने जिस आसानी से जवाब देने की कोशिश की, वह साफ तौर से बताता है कि आपके मन में न कोई शंका है और न दुःख है कि एक तरफ तो भूमिहीन लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ, जो आज सब तरह से सम्पन्न लोग हैं, वह भूमिहीन के नाम पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं । इसका आपके पास जवाब नहीं है, आप कहते हैं कि जो मंत्री का बेटा है, क्या उसको रोजगार करने का अधिकार नहीं है ? मंत्री का रिश्तेदार है क्या उसको कोई काम करने का अधिकार नहीं है ? इस तरह की आपकी भावना है, यह बताती है कि जनता की जो भूमि की समस्या है उसको निपटाने के लिए आपके अन्दर उत्कट इच्छा नहीं है । आप नारा जरूर यह देते हैं कि 1971 तक सारी जमीन को बांट देंगे, भूमिहीनों को भूमि दे देंगे, जमीन सुधार का कानून लागू कर देंगे । लेकिन कल जो मंत्री महोदय ने यहां जवाब दिया वह बताता है कि सरकार इस मामले में जागरूक नहीं है । कई बार इस सम्बन्ध में, कहने पर भी जमीन के सम्बन्ध में सीलिंग के सम्बन्ध में, भूमि सुधार के सम्बन्ध में चुप हैं । आप इस सम्बन्ध में पूरा कानून इसी सदन में लायें इसी सत्र में लायें । हमें मालूम है, मुख्य मंत्री जी कुछ कहते नहीं हैं लेकिन आपने चुपके चुपके इस बात का फैसला कर लिया है कि पंचायतों के चुनाव दिसम्बर में नहीं करा रहे हैं । अब नहीं करा रहे हैं तो फिर

(श्री नत्थीसिंह)

आखिर ऐसा कौनसा कहर पड़ रहा है कि आप भूमि सम्बन्धी पूरा कानून इस सदन में नहीं ला सकते हैं ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी कथनी और करनी में भेद है। आप कहते है कि भूमि सुधार करेंगे, लेकिन आप केवल जनता को नारा देना चाहते हैं, वास्तव में आप उन कानूनों को बनाना नहीं चाहते है, उनको कार्यान्वित करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं भाई मूलचन्द जी को सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि संसोपा पार्टी का यह लक्ष्य है, एस.एस.पी.का यह इरादा रहा है कि जब तक जनता को परेशानी है तब तक हम हर हालत मे जनता की मांगों के लिए इस सदन में लड़ेंगे और इस सदन से बाहर क्रियात्मक रूप से लड़ेंगे। यह मूल बात भाई डागा जैसे साथियों की समझ में नहीं आती है। इसलिए एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आन्दोलन चला. इस आन्दोलन में आपने एक नियम बनाया कि जो भी आन्दोलन में भाग लेगा उसको कोई जमीन लेने का हक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में श्री रामानन्द जी ने सवाल उठाया, मैंने भी सवाल उठाया लेकिन आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी के पास फाइल गई है। यह बताता है कि आपकी कितनी सुस्ती है इन छोटी छोटी बातों को निपटाने में कि अभी तक मुख्य मंत्री जी के पास से फाइल लौट कर नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन पड़ी है, जैसा कल सवाल उठाया था, जो जमीन पचास लाख एकड़ पड़ी हुई है उसमें से केवल तेरह लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों के पास पहुंची है और सैंतीस लाख एकड़ जमीन दूसरे लोगों के पास पहुंची है। यह हमारा इन्टरप्रिटेशन है। अब इस सरकार को चुस्ती और सुस्ती का उदाहरण, सभापति महोदय, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यदि कोई बड़े आदमी का सवाल हो तो राज्य सरकार के अधिकारियों में चुस्ती आ जाती है और जो छोटे आदमियों के मामले होते हैं उनके मामले में अधिकारी सुस्त रहते हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का आदेश है कि जयपुर के बारह मील के अन्दर कोई भूमि आवंटन नहीं होगी, लेकिन कल यहां अकाल राहत के मामले में कई उदाहरण दिये गये लेकिन मैं यहां सरकार की चुस्ती और सुस्ती की बात बता रहा हूं कि जयपुर से चार मील दूर एक बस्ती है नहर, वहाँ महर लोग रहते हैं। वह बस्ती झील में डूबी हुई रहती है, वह बस्ती झील में रहती है पिछले पांच साल से इस समस्या को वहां के लोग उठा रहे हैं कि इनकी बस्ती को ऊंचाई पर लाया जाय। 3 नवम्बर, 1964 को राजस्व मन्त्री जी को मौके पर लेकर गये, बृजसुन्दर शर्मा को। उन्होंने एक आदेश दिया कि यह जमीन खसरा नम्बर है, यह इन्हें इन महरों को बसाने के लिए अलाट की जानी चाहिए। लेकिन सभापति जी, कितने दुःख की बात है कि राजस्व मंत्री का वह सारा हुक्म खटो में पड़ गया। इस खसरा नम्बर जमीन के सम्बन्ध में 18-5-68 के पहले तो रिपोर्ट मांगी जाती है उस संस्था से, जिस संस्था में आपके मनचाहे लोग हैं, आपका नगर सुधार न्यास, जिसमें आपके एलची लोग बैठते हैं, और को उसमें मौका नहीं देते हैं, उसके जरिये कलेक्टर रिपोर्ट मांगते हैं क्योंकि जीवन बीमा विभाग के डाइरेक्टर की एक भाभी को जमीन दिलवानी

(श्री नत्थीसिंह)

है। उस सम्बन्ध में नगर सुधार न्यास की मीटिंग में फैसला नहीं होता, उसके अध्यक्ष नहीं लिखते हैं, उसके सचिव लिख देते हैं बिना न्यास की मीटिंग बुलाये कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1964 के अन्दर यह आॅर्डर जारी कर दिया गया कि यह जमीन अवाप्त करनी है, 1965 में आदेश देते हैं राजस्व मन्त्री जी कि यह जमीन महरों को बसाने के लिए देनी है लेकिन 18-4-65 को उसका एलाॅटमेंट आॅर्डर दे दिया गया और 18-5-65 में ही कब्जा देने की कार्यवाही लिख दी जाती है। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी चुस्ती है बड़े आदमी को जमीन देने के लिए तो अधिकारी इतनी चुस्ती दिखाते हैं, जो चन्द्रमणि टेमाणी हैं, उनकी भाभी हैं शांति देवी उनको जमीन देने के लिए कह दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब महरे चार पांच साल से पुकार रहे हैं, जिन्होंने अपील की है और जिनके सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री जी का हुक्म है और उप मंत्री, जो आपकी बगल में बैठे हैं, उन्होंने फैसला दिया है कि यहां पर महरों को बसाना चाहिए, यह जमीन बड़े आदमी की भाभी को नहीं देनी है, लेकिन आज तक उस मामले को अटकाया हुआ है और यह जमीन उन गरीब, अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दी जा रही है, जबकि बड़े आदमी को एक दिन में दे दी जाती है।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिसकी आप बहुत डींग मारते हैं कि हम कृषि क्रांति कर रहे हैं, और हरित क्रांति की बात करते हैं। मेरे पास में लम्बी लिस्ट है, कल जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य चित्तौड़ की लिस्ट सुना रहे थे, लेकिन उराई में जो कुछ हुआ है, वहां पर कृषि विभाग के जो उप मंत्री हैं, उन्होंने एलाॅटमेंट किया है, उसकी मेरे पास में सूची है, जिसमें उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने कामदारों को, मर्जीदारों को भूमिहीनों के नाम से जमीन दिलवायी है, यह हरिसिंह बेगू ने जमीन दिलवाई है जिसकी मेरे पास में सूची है. आप कहें तो पूरी सूची मैं दे दूं लेकिन क्या आप में हिम्मत है कि इस तरह जो नाजायज काम किये जा रहे हैं उनकी जानकारी और जांच करायें। आपमें यह हिम्मत नहीं है। आप यह कह कर बात टालना चाहते हैं कि मन्त्रियों के बेटों और रिश्तेदारों को भी काम करने का अधिकार है। लेकिन यह आपकी टेंडेंसी रही तो निश्चित रूप से ज्यादा जोरों से क्रांति आयेगी और उसको आप दबा नहीं सकते हैं और उस क्रांति का जो तूफान आयेगा उसमें आप एक तिनके के समान उड़ जायेंगे। इसलिए समय रहते हुए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस भूमि की समस्या को आर्म चेअर पालिटिसियन की तरह निपटाने की कोशिश न करें। जहां जमीन एलाॅट हुई है उसके उदाहरण कल बताये। रोजाना उदाहरण रिश्वत-खोरी के दिये जाते हैं, ऐसे उदाहरण आते हैं कि रिश्वत लेकर काम किये जा रहे हैं। इसको रोकने के अन्दर आप अक्षम रहे हैं और यह अकेले राजस्व मन्त्री के बस की बात नहीं है। राजस्व मन्त्री जी तो इस विषय में अकेले में कह देते हैं, तहसीलदार ऐसा है कि मैं क्या कहूं ऊपर का हाथ है। यह हालत है हमारे राजस्व मन्त्री और अन्य मन्त्रियों की, आज राजस्थान में

(श्री नत्थीसिंह)

केवल मुख्य मन्त्री, एक आदमी का शासन चल रहा है, जब तानाशाही चल रही है तो कैसे सुधार आ सकता है, कैसे भूमिहीनों की समस्या हल हो सकती है। इसलिए, सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह जितने भी यहां उदाहरण दिये गये हैं इन दो दिनों में, क्या राजस्व मन्त्री जी इन सब की जांच कराने के लिए तैयार हैं। वह तो एक बात कह देते हैं कि कलेक्टर को अधिकार दे दिये हैं। यह जो कलेक्टर को अधिकार दे दिये हैं इसके सम्बन्ध में, हमें सन्देह है कि वह पूरी बात की पिछले समय में जो जमीन के एलॉटमेंट हो चुके हैं उनकी जांच करके उनको निरस्त कर सकता है या नहीं, लेकिन कलेक्टर को अधिकार देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यदि वास्तव में आप जांच कराना चाहते हैं और इसको गम्भीरता से लेना चाहते हैं तो जो गलत आवंटन हुए हैं, जो सम्पन्न लोगों ने जमीन हड़पी है, जिनके उदाहरण अनेक हैं, उनको दूर करना चाहते हैं तो इस सदन की एक कमेटी बनाइये। सदन में पहले भी यह बात आई थी और यह तय किया गया था, जब मनफूलसिंह जी के बारे में बात चली थी, और लोगों की बात भी चली थी, इसलिए इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय लेकिन कभी भी कमेटी नहीं बनती। अगर राजस्व मंत्री ईमानदारी से चाहते हैं कि गलत एलॉटमेंट्स के संबंध में सही व निष्पक्ष जांच हो तो सदन की कमेटी बनाइए और उसका अध्यक्ष सदन के अध्यक्ष रखें, फिर जांच कराइए, समय निर्धारित करें कि सत्र से पहले सारे मामले सामने आएं। मंत्री हों, अधिकारी हों, विधायक हों, प्रधान हों, सरपंच हों। सभी एक तरह से एलॉटमेंट के काम में शामिल होते हैं। रिश्तेदारों के नाम से, भाई-भतीजे के नाम से, अपने नाम से जमीनें ली हैं। जांच करके रिपोर्ट दी जाय और कारगर कदम उठाए जायं तब निपटारा होगा वरना कोरे आंसू बहाते हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

(घंटी)

आप चाहे कितना भी कहें इससे कुछ नहीं होगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह आंदोलन और तेज होगा। हमें आश्वासन दिया गया था कि जो जमीनें पड़ी हुई हैं उनको तोड़ा जायगा। बड़े लोग कभी भी चारागाह नहीं रहने देंगे, वह वास्तव में तोड़ देते हैं। थोड़े-थोड़े टुकड़ों से काम को चलाते हैं। वह एलॉट करने के लिए यहां से आदेश दें। भरतपुर जिले में मरेना की रूंड व कांव की बावड़ी है, वहां बड़े-बड़े भूखंड भूमिहीनों को दिए जा सकते हैं लेकिन उस संबंध में भी कोई साफ राय नहीं बताई, पूछा तो कहते हैं कि हां देंगे लेकिन इस सदन में एलान करने में कौनसा संकोच होता है? जो इस तरह की जमीनें पड़ी हुई हैं वह भूमिहीनों को बंटवायें।

एक तरफ आप कहते हैं कि इन लोगों को कब्जा नहीं मिला। आपने कल कहा कि अगर कलेक्टर के यहां नहीं मिले तो हमारे पास आओ। एक तरफ एलॉटमेंट कमेटी का चेयरमैन तहसीलदार था उसकी अपील एडीशनल कलेक्टर को जाती थी, फिर राजस्व अधिकारी को जाती थी। आज आपने एस. डी. ओ. को चेयरमैन बनाया उसकी सीधी अपील राजस्व

(श्री नत्थीसिंह)

अधिकारी को जायगी लेकिन जहां भूमिहीन ज्यादा हों, जहां जमीन अगर ज्यादा हो तो वहां आप का रवैया क्या है ? भरतपुर जिले में भूमि की समस्या तीव्र है । एस. डी. ओ. चेयरमैन होंगे, उसके खिलाफ भूमिहीन अपील में जायं तो हमने बड़ा झगड़ा किया, तब आपने कहा कि कोटा में जो राजस्व अधिकारी बैठता है वह 7 दिन भरतपुर में जायेगा लेकिन आप राजनैतिक दृष्टि से सोचते हैं । आपने फैसला किया है कि वह अधिकारी भरतपुर में नहीं रहेगा अलवर में उसको लगा दिया । आपको पता चल जायगा कि रेवेन्यू केसेज कहां हैं । आप राजस्व अधिकारी की सीट भरतपुर में क्यों नहीं करते हैं ? यह प्रावधान आपने नहीं किया है । अलवर को देखने वाला राजस्व अधिकारी कितनी बार भरतपुर को जायेगा ? शिकायत लेकर लोग अलवर में आ जायं, अपील करें, वह पीड़ित रहें । न मुकदमा लड़ने की व्यवस्था अपने जिम्मे लेना चाहते हैं न मौका देना चाहते हैं कि सही तौर पर राहत मिले, अपने मुकदमे की सुनवाई कर सकें । इस तरह की केवल मात्र राजनैतिक आधार पर, नारेबाजी के आधार पर फैसला करते हैं वह गलत है । जैसे मैंने बताया डाइरेक्टर ऑफ इन्शोरेन्स की भाभी को जमीन दे दी और मुख्य मंत्री ने हमारे दल के नेता को पत्र लिखा है अगस्त, 1970 में जिसमें लिखा है कि यह मामला जो आपने भेजा है, मैंने राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है, जल्दी निपटाया जायगा । आज नवम्बर गया । राजस्व मंत्री की नींद अभी नहीं खुली है । यह गरीबों के साथ हमारी हमदर्दी का बरताव है । इस तरह की यदि गरीबों के प्रति लापरवाही रही और घोर उपेक्षा रही तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन चलेगा और देश में इतनी जोर की क्रांति आएगी जिसमें आपका कहीं पता भी नहीं लगेगा और देश में हरी क्रांति के बजाय लाल क्रांति आयगी । इसलिए समय रहते चेतिए । आपके ऐसे कामों से जनतंत्र खतरे में पड़ गया है । आप इस तरह बैठे रहें और गरीब आपकी नारेबाजी से संतुष्ट हो जायगा, यह नहीं हो सकता । इसलिए पूरा विधेयक इसी सत्र में लायें भूमिहीनों के संबंध में और जांच समिति बिठायें कि किन अवांछनीय लोगों ने जमीन ले ली है । हमारा आंदोलन भूमि मुक्ति आंदोलन था, नाजायज तरीके से जिन लोगों ने जमीन ले रखी है उनसे वह मुक्त कराने में पूरा सहयोग देना चाहिए । अगर इसमें सहयोग नहीं देंगे तो दुनिया समझेगी कि आप या आपसे संबंधित लोग नाजायज कब्जा किए हुए हैं और वह मुक्त कराने के लिए कोई आंदोलन सामने आए तो कदम नहीं उठाना चाहिए । हमारा आपसे आग्रह है कि इसी सत्र में निर्णायक कदम उठाए जायं वरना एस. डी. ओ. को चेयरमैन रखें या और किसी को । पहले भी आपकी पावर थी और अब भी है वह उच्चकुलीन लोगों के हित के लिए पावर होती है, यह ट्रेंड बदलना चाहिए वरना दुनिया अपने आप सारी चीज को बदलेगी ।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त गाड़िया (अनुपस्थित)

श्री लाभचंद वैद (अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मैंने राज. भू-राजस्व (द्वितीय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

संशोधन) विधेयक में एक संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में मेरा उद्देश्य यह है कि भू-राजस्व कानून में जिस संशोधन को लेकर सरकार ने यह विधेयक पेश किया है, आज की जो परिस्थितियां भूमि सम्बन्धी सुधारों या इस कानून में जिसमें यह संशोधन किया जा रहा है, इसमें जिन संशोधनों की आवश्यकता है, वह केवल मात्र इस संशोधन से कि तहसीलदार के बजाय एस. डी. ओ. एलॉटमेन्ट कमेटी के चेयरमैन बनाया जाय केवल इस मात्र से वह समस्या हल नहीं होगी और इसलिए जबकि हम इस सदन में अपने प्रांत की भूमि के सम्बन्ध में कानून बनाने चले हैं तो यह उपयुक्त होगा कि उस समस्या के सम्बन्ध में पूरी तरह पर गौर किया जाकर और इस प्रकार का कानून लाया जाय ताकि आज जो प्रांत की भूमि सम्बन्धी ज्वलन्त समस्यायें हैं, वह उनसे हल हो सकें।

तो इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि क्या वह भूमि सम्बन्धी समस्यायें जो कि हमारे सामने उपस्थित हुई हैं, जिनका इस कानून से सम्बन्ध है, उन पर हमें गौर करना चाहिए। पहले मैं सीधी तौर पर उसी समस्या पर आता हूं जो कि इस एलॉटमेन्ट कमेटी के चेयरमैन को बदल कर और एलॉटमेंट की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में सरकार इस संशोधन कानून के जरिए कदम उठाना चाहती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आज एलॉटमेंट के सम्बन्ध में हमारे सामने केवल यही सवाल है कि तहसीलदार चेयरमैन होने के कारण ये सारी समस्यायें उलझी हुई हैं और अगर हम उसके बजाय एस डी. एम. को चेयरमैन बना दें तो हमारी समस्या का हल हो जायगा ? मैं समझता हूं यह समस्या का एक परसेंट भी हल करना नहीं होगा और यह समस्या को सही रूप से समझना नहीं होगा। एलॉटमेंट की, या दूसरे शब्दों में कहें, भूमि की दुबारा वितरण की समस्या क्या है ? मैं समझता हूं, यह भूमि समस्या प्रांत में आज इस रूप में है कि बावजूद देश में यह नारा आजादी के समय भी और आजादी आने के बाद भी हम लोगों ने दिया है और सैद्धान्तिक तौर से मैं समझता हूं सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भूमि की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें जो जमीन को काश्त करे वह उस जमीन का मालिक हो।

सिवाय इसके कि हम इसमें किसी तरीके कोई एक्सेप्शन किसी नाबालिग या विधवा या इस प्रकार के लोग जो किसी विशेष कारणों से अयोग्य हैं, उनके अलावा हम जनरल ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। परन्तु आज की परिस्थिति यह है कि बावजूद कितने ही कानून बनाने के जमीन का मालिक कोई और है, काश्त करने वाला कोई और है और भूमि का कन्सन्ट्रेशन ऐसे लोगों के अन्दर है जो खुद काश्त नहीं करते हैं, बावजूद जागीरदारी एबोलिशन के, बिस्वेदारी और जमींदारी एबोलिशन के जो यह स्थिति है जिसको हम सामन्ती सिस्टम कहते थे वही सिस्टम आज भी मौजूद है और उसका नया रूप पूंजीवादी सिस्टम जमीन के अन्दर बढ़ता जा रहा है जिससे पूंजीपति लोग जमीन खरीद करें, दूसरों को नौकर रखा करें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और जिस प्रकार कारखानों में मालिक काम कराते हैं उसी प्रकार मजदूरों को रखकर काम कराते हैं। कारखानों में मिल मालिक और मजदूर का सम्बन्ध होता है वह ही जमीन के अन्दर हो रहा है।

इसलिये हमारे प्रान्त में भूमि वितरण और एलॉटमेंट की समस्या इस रूप में है। जमीन का कन्सन्ट्रेशन एक तरफ, राजाओं, भूतपूर्व जागीरदारों और तीसरे खुद खातेदार बन गये हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन है, इस कन्सन्ट्रेशन को तोड़कर, एक सीलिंग से ऊपर इन तमाम लोगों से जमीन लेकर जो खुद काश्त करने वाले नहीं हैं, उनकी जमीन लेकर भूमिहीनों में बांटी जाय।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक राजा महाराजाओं से जमीन लेने का कानून पास होने के बावजूद भी लागू नहीं हुआ है इसलिये लाखों बीघा जमीन राजाओं के पास मौजूद है। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका जिक्र पहले कर चुका हूं।

दूसरी तरफ सरकार ने खुद आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार सीलिंग कानून के तहत 21,12,186 एकड़ जमीन 36,624 ऐसे लोग हैं जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन हैं, अगर सीलिंग कानून लागू कर दिया जाय तो 21 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध हो जायेगी। यह सब सरकारी आंकड़ों से है। 60 से कानून बना हुआ है। 70 आ गया और खत्म हो रहा है। आपने 68 के आंकड़े दिये हैं जबकि इससे पहले ही लोगों से हस्तान्तरण करदी है। लेकिन आज 21 लाख एकड़ भी आप हस्तान्तरित नहीं करते हैं जो कि इन लोगों के पास है।

चौथे रूप में जो समस्या खड़ी हुई है वह यह है कि लोगों ने गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पी हुई है। किसी के नाम पर एलॉटमेन्ट नहीं हुआ है, कानूनी हक नहीं है और गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार के कई मसले हैं जो सदन में कई बार आये हैं। कुछ मिसाल के तौर पर गंगानगर जिले में इस आन्दोलन के दौरान मुझे जाने का मौका मिला, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे आपको विदित होगा कि यह समस्या कितनी है वह मालूम होगी।

टेम्परेरी एलॉटमेन्ट के बारे में हाई पावर कमेटी बनी थी। चन्डीदान जो बारैठ के पास 2,600 एकड़ भूमि। अनूपगढ़ में एक हैं, श्री मुरारीलाल जी कावरा एक्स चेयरमैन अनूपगढ़ उनके पास 3,850 बीघा। हंसराज और अमरचन्द भिंडा के पास 2,775 बीघा जमीन पायी गयी है। एक गांव है उनका 78 मुरब्बे का चक है जिसमें से 70 मुरब्बा उनके पास है और 8 मुरब्बा केवल हरिजनों के पास है। वे जबकि वास्तविक लोग हैं 64 हरिजनों के नाम पर यह श्री हंसराज कावरा फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से एक सेठ मालपानी हैं बीकानेर के जो कि एक करोड़पति फर्म है, उन्होंने तीन हजार एकड़ पर एक फार्म बनाया हुआ है।

(3.36 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसी प्रकार जोधपुर के भूतपूर्व राजा के भाई के पास पांच हजार बीघा जमीन है। बीकानेर के महाराजा, उनके भाई अमरसिंह जी के पास हजारों बीघा जमीन है। नाजायज तरीके से बहुत से लोगों ने जमीनें हड़पी हुई हैं और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लाखों लोगों की तादाद, जो भूमिहीन हैं।

अभी मेरे दोस्त पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जो आन्दोलन चलाया वह आन्दोलन चलाकर लोगों को कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं जिससे अराजकता फैलेगी। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको किसी पार्टी के खिलाफ या हक में जोड़ने की बात नहीं है। सही तरीके से सोचें कि क्या यह सही स्थिति नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया है कि कितने लोगों ने हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आपने जिक्र किया कि कितने हजार बीघा पर एलॉटमेन्ट किया या माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि कितने हजार बीघों का एलॉटमेन्ट किया लेकिन उसके बावजूद भी उनको कब्जा नहीं मिला। क्या यह अराजकता की स्थिति नहीं है? क्या यही कानून पालन कराने का और सही अमल का तरीका है?

इन कानूनों को तोड़ने वालों के खिलाफ आन्दोलन उठे उसको आपका मन्त्री मंडल मीट न कर सके, पुलिस मीट न सके तो फिर भूमिहीन कौनसा रास्ता अपनायेंगे? या तो भूमिहीन निराश होकर बैठ जायं कि हमारी किस्मत में और कोई रास्ता नहीं है और जो अराजकता आप फैला रहे हैं कि आप व्यवस्था और कानूनी रूप को आप मानते नहीं, फिर वे अपनी ताकत से बढ़ेंगे। कानून तोड़ने की दृष्टि से नहीं और अराजकता की दृष्टि से नहीं बल्कि आपको मजबूर करने की दृष्टि से आप ऐसा कानून बनावें जिससे कि इस अराजकता को खत्म किया जा सके। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं यह सुनता हूं कि लोग यह कह रहे हैं कि वे लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई इस देश में नहीं लड़ी जा सकती थी अगर अंग्रेजों के बनाये हुए कानूनों को हाथ में नहीं लेते, उसको तोड़ते नहीं, सड़कों पर उसको जाकर तोड़ा, बंदूकें और गोलियां खाकर तोड़ा और गांधी और नेहरू के नेतृत्व में तोड़ा। हिन्दुस्तान के लोगों ने शहीद होकर तोड़ा। अंग्रेज कहते थे कि अराजकता फैलेगी कानून हाथ में लेंगे तो। लेकिन उन्होंने लोगों को अराजकता सिखायी। अराजकता के नाम पर इसको कायम करने वाले लोग, एन्टी रिवोल्युशनरी लोग, जो क्रान्ति नहीं चाहते हैं और इसी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं वह कानून का नाम लेकर नये बदलाव को रोकना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आप यह कहते हैं हमने कानून को हाथ में लेने के लिये जनता को तरजीह दी है मैं आपसे यह गम्भीरता के साथ निवेदन करना चाहता हूं। आपने राजस्थान में नाजायज तरीके से लोगों को भूमि पर कब्जा दिया। 1969 में आपकी सरकार ने कानून बनाया। इस तरह की हिदायत निकाली कलेक्टर्स को कि जिस जिस का नाजायज कब्जा हो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उसको रोका जाय लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। जनवरी, 60 में रिमाइण्डर किया मार्च, 60 में रिमाइण्डर हुआ अगस्त, 1961 में फिर स्मरण कराया उसके बाद सितम्बर, 62 में स्मरण कराया इस तरह से चौथा रिमाइण्डर दिसम्बर, 62 में और पांचवा रिमाइण्डर अप्रेल में दिया गया इसके बाद 5-10-67 को रेवेन्यू विभाग ने लिखा कि बड़े अफसोस की बात है इतने रिमाइण्डर्स के बावजूद कहीं भी किसी ने नाजायज कब्जे को रोकने के लिये कदम नहीं उठाया। यह आकस्मिक बात नहीं थी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी तो मुझे दस मिनिट भी नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : आप एक दो मिनिट और ले सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल भी मैंने निवेदन किया कल कई सदस्यों को एक एक घंटा मिला है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैं संकेत दे रहा हूं दो मिनिट से पांच सात मिनट भी ले सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत ही इररेलेवेण्ट बोल रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सरकारी आदेशों का पालन भी नहीं करवा सकते इसको आप महत्त्व नहीं देते। आज जो स्थिति आपकी सरकार की है इसके आदेश को कलेक्टर नहीं मानता वह इल्लीगल पजेशन को रुकवा नहीं सकता और जब भूमिहीन लोग भूमि के बंटवारे के लिये किसी भी तरह से सामूहिक तौर पर यह करना चाहते हैं तो उसको आप गैर कानूनी करार देते हो और जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया जिनके पास पहले भी जमीन है वे अपनी जमीन को रेगुलेराइजेशन के लिये दरख्वास्त देते हैं उनको रेगुलेराइज कर देते हैं। आपने उन लोगों को जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं क्या उनको नोटिस दिया है और जब भूमिहीन लोग कब्जा करते हैं तो उनको बेदखल करने के लिये कानून बनाते हैं छोटे लोगों को कब्जा नहीं करने देंगे। 60 से लेकर 67 तक जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिये उनको आपने रेगुलेराइज कर दिया। तो मेरा यह कहना है कि भूमि आन्दोलन के सिलसिले में जिन लोगों ने भूमि पर कब्जा किया उनके लिये यह कहना कि उन्होंने अराजकता फैलाई कत्तई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारे संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रींसिपल्स हैं उसके अन्तर्गत आर्थिक नीतियों की घोषणा कर रहे हैं उनका पालन करने के लिये आप और हम सब कटिबद्ध हैं। अगर आप कानून के जरिये अमली रूप नहीं देते हैं तो लोग संगठित होकर उसका मुकाबला करेंगे जमीन के वितरण के लिये कानून बनाया लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है तो यह मानी हुई बात है कि उसके कारण जनता में उत्तेजना फैलेगी या तो वह चुपचाप बैठ जायं या उसके पालन करवाने के लिये संघर्ष पर उतारू हों।

समय मेरे पास ज्यादा नहीं है इसलिये मैं डिटेल्स में ज्यादा जाना नहीं चाहता।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
बहुत से लोगों ने सीलिंग से ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन पर सरकार कब्जा नहीं कर सकी है। इस आन्दोलन के दौरान जिन भूमिहीनों ने भूमि पर कब्जा कर लिया है उनका नियमन होना चाहिये उनको विक्टीमाइज करने की बात नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं एलॉटमेण्ट में गड़बड़ किस तरह से होती है और किस तरह से नाजायज लोगों को अलॉटमेण्ट होता है। आप इस तरह से कानून जो नहीं मानते हैं आप उनको इस तरह से कानून तोड़ने के लिये प्रोत्साहन देते हैं इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। इससे आप देखेंगे कि कानून को तोड़ने का प्रोत्साहन कौन देते हैं? कौन लोग कानून मनवाते हैं और दरअसल किनके द्वारा कानून तोड़ा जाता है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बारे में मैंने एडजोर्नमेण्ट मोशन भी दिया था और इस बारे में मैंने नोटिस भी दिया था कि मैं इस काण्ड को डिबेट में लाऊंगा। जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं वे इस सदन के भी सदस्य रहे हैं और आजकल जो रोडवेज कोरपोरेशन के अध्यक्ष हैं वे श्री ज्वाला प्रसाद हैं इन्होंने जयपुर के पास यहां से करीब 6 माइल पर जहां पर एक बावड़ी बनी हुई है उस बावड़ी की करीब आज पचास हजार रुपये की कीमत होगी इस बावड़ी का इतिहास इस प्रकार है आज से बीस वर्ष पहले यहां की कोई महारानी थी उनकी बांदी सज्जन बाई ने इसको बनवाया था। उस बावड़ी के पास प्याऊ और मन्दिर भी बना हुआ है। उस बावड़ी से पानी लेकर प्याऊ भी चला रखी है जिससे आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाया जाता है अभी तक उस बावड़ी का मुन्तजिम प्याऊ पर पानी पिलाने के लिए पांचूराम नाम का ब्राह्मण था सरकार की तरफ से उस बांदी के मर जाने पर उसको नियुक्त किया था उसके ऑर्डर मौजूद हैं। उसके बाद पांचूराम ब्राह्मण के लड़के को जिसका नाम प्रहलाद है उसको देवस्थान विभाग द्वारा नियुक्ति का ऑर्डर हो जाता है। पानी पिलाने का जो पांचूराम को मिलता था अब वह उस प्रहलाद को मिलता है····

श्री अध्यक्ष : आपने जैसा फरमाया कि इस पर स्थगन प्रस्ताव है और उस पर अभी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है •••

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह मन्जूर होगा या नहीं होगा यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मैंने इस घटना के जिक्र के बारे में उनको लिख कर दिया है····

श्री अध्यक्ष : मैं केवल इसलिए कह रहा हूं इससे दुविधा उत्पन्न होती है आपका स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिये दिया गया है। और जिस प्रश्न का आप जिक्र कर रहे हैं उसका प्रीवियस नोटिस दिया गया है। उसको मान भी लिया जाय तो भी स्थगन प्रस्ताव तो स्टैण्ड करता है। उस पर जानकारी चाही गई है उससे पहले आप इस पर विवाद करें यह कहां तक उचित है?

श्री मदनसिंह : स्थगन प्रस्ताव लेलिया जाय। अभी तो उस पर व्यवस्था हो नहीं हुई है?

श्री अध्यक्ष : मैं तो इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आप जो तथ्य रख रहे हैं ट्रेजरी बेन्चेज से उसका उत्तर भी मिल पायेगा या या नहीं। क्योंकि आप किसी स्ट्रेन्जर के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह जानकारी के लिए सरकार के पास भेजा गया। जानकारी आने पर इसको किसी दूसरे रूप में उठाया जा सकता है आप यदि अभी इस मामले को उठा देते हैं तो जो स्थगन प्रस्ताव मेरे पास है उस पर जो व्यवस्था देनी है वह क्या व्यवस्था होगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिबेट में किसी स्ट्रेन्जर का मामला लाना हो पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता रहती है हमारे नियमों के अनुसार वह मैंने दे दिया है और इस बारे में मेरी उपाध्यक्ष महोदय से बात भी हो चुकी है....

श्री **अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव भी तो आपका है, इस बारे में क्या व्यवस्था होगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रह रहा था सन् 1936 से श्री पांचूराम ब्राह्मण उस बावड़ी के अन्दर रहता आया है उसका परिवार उसके आस पास बने हुए कच्चे मकानों से रहता आया है। उसका लडका प्रहलाद भी उसी में रहता था। कोई भी जाकर देख सकता है कुवा बहुत ही नीचे है आसपास मकानात बने हुए हैं और पचास हजार रुपये की वह बावड़ी है। उस बावड़ी पर कब्जा किया श्री ज्वालाप्रसाद ने 5-6 महीने पहले वहां पर 22 बीघा जमीन खरीदी। उस ब्राह्मण के पास दस बीघा जमीन भी है। उस ब्राह्मण ने अप्रेल के महीने में दरख्वास्त दी कि मेरी खातेदारी दर्ज कर दी जाय, मैं काश्त करता हूं इस बारे में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दर्ज है जिसमें यह कहा गया है यह बावड़ी और जमीन 36 से इस ब्राह्मण के कब्जे में चली आ रही है और आज भी वह उसी के पास है। उसने यहां तक लिखा है कि इसी व्यक्ति को दी जाय इसकी दरख्वास्त है। इसके बाद श्री ज्वालाप्रसाद आठवें महीने में दरख्वास्त देते हैं उसके नीचे लिखते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ रोडवेज, अध्यक्ष रोडवेज कोरपोरेशन। वे 3-8-70 को दरख्वास्त देते हैं। उस ब्राह्मण को तो खातेदारी नहीं दी जाती है और दूसरी तरफ श्री ज्वालाप्रसाद को पचास हजार रुपये की बावड़ी को 25 रुपये में खातेदारी दे दी जाती है। इसके बाद ज्वालाप्रसाद इमीजियेटली अपने आदमियों को लेकर उस बावड़ी पर जाते हैं और 36 से जो परिवार वहां रहते आये हैं उनको जबरदस्ती से हटाया जाता है, जबरदस्ती से उनके मकानों से सामान निकलवाकर बाहर फेंक दिया जाता है और उस पर जबरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश करते हैं। और पड़ौस में जितने भी झौंपड़े थे उन सब में आग लगा दी गई। आज भी कोई भी जाकर देख सकता है वहीं झोपड़ों में लगी हुई आग की राख आज भी मौजूद है। मैं खुद परसों मौके पर गया। मैंने देखा जबकि मैं यह बात हाउस में उठाने जा रहा हूं तो मुझे मौके पर जाकर देखना चाहिये। मैंने वहां जाकर देखा है जले हुए झोपड़ों के निशान अब तक मौजूद हैं सामान वहां पर जो बाहर निकाल दिया गया था वह बिखरा हुआ पड़ा है। इस प्रकार की हरकतों के बाद वह ब्राह्मण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कलेक्टर के पास पहुँच कर स्टे आर्डर की दरख्वास्त देता है। पुलिस वहां पर जाती है लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं करती 9वें महिने तक कोई कार्यवाही नहीं होती। इस तरह से उन लोगों को वहां से अपने मकानों से बाहर निकाल दिया उनकी जो खड़ी फसलें थीं उनको जला दिया लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की।

इतना होने पर जब वह ब्राह्मण कलेक्टर के पास जाता है और सारी दास्तान बताता है तो कलेक्टर स्टे ऑर्डर देता है इसके बावजूद भी ज्वालाप्रसाद के आदमी वहां जाकर उनको आतंकित करते हैं और उन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। उसी रात को वहां ट्रेक्टर पहुँचता है रात को जीप और कार में बैठकर लोग जाते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि यहां से चले जावो चाहो तो हजार दो हजार रुपये ले सकते हो। वरना निकल जाइये। कलेक्टर मेरा नौकर है। तुम किससे मुकाबले में फंसे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि चाहे यह बावड़ी प्रहलाद को मिले या ज्वालाप्रसाद जी को मिले, लेकिन यह एक सार्वजनिक बावड़ी है। उस इलाके में और कोई कुआ नहीं है। वहां के सब लोग यहां का पानी पीते है और इसे सार्वजनिक कार्य के लिये सार्वजनिक पैसे से बनाया गया था और इसका खाता ज्वालाप्रसाद जी के नाम कर दिया जाये और वह भी केवल 25 रू. में और गांव के लोग चिल्लाते रहें उनकी कोई सुनवाई न हो और ज्वालाप्रसाद जी और उनके आदमी जबरदस्ती उनको वहां से हटा दें और उनकी झोंपड़ी में आग लगा दे और आपकी यह पुलिस कोई कार्यवाही ही नहीं करे क्या यही आपकी कानून की व्यवस्था है ? हम इसका मुकाबिला करेंगे। किसान इसका मुकाबला करेगा। यह कहा जाता है कि किसान कानून को तोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार की आपकी यह कानून की व्यवस्था है ? क्या इसी तरह की कानून की व्यवस्था आप करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इतना बड़ा इम्पार्टेंट एडजोर्नमेंट मोशन मैंने यहां पर दिया था और जिस प्रकार से उसका उत्तर आने में समय लग रहा है, इसलिये लग रहा है कि आप इसको डिसकस करवाना नहीं चाहते हैं और इस तरह से गरीब लोगों की मजबूरियों पर ये फायदा उठाते जा रहे हैं। गृह मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं। यह जगह मैंने स्वयं ने देखी है उनको अगर कोई इन्फरमेशन लेनी थी तो वे टेलीफोन से सारी जानकारी ले सकते थे। और आपको क्या इन्फरमेशन चाहिये, ये सारे डाक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं। आप चाहते क्या हैं ? ज्वालाप्रसाद जी मेरे भी मित्र हैं और यह गलत बात मेरा कोई मित्र भी हो कोई दुश्मन भी हो, मगर मित्रता निभाने के लिये हम यहां पर नहीं आये हैं। मित्रता निभायेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पायेंगे। श्री भैरोंसिह जी यहां पर मौजूद नहीं है। उन्होंने भी मुझे बताया है कि कमाल हो गया है। 25 रुपये के अन्दर ही 50 हजार की खातेदारी दे दी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक छोटी सी मिसाल है, जिसको आप एक कानून की मिसाल दे सकते हैं। कम्युनिस्टों और सोशलिस्ट पार्टी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आन्दोलन को आप अराजकता का आन्दोलन कहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको गलत आन्दोलन की संज्ञा देते हैं। फिर आप मेरिट पर किस बात को लेते हैं। क्या इस मिसाल को लेते हैं.... ... ..

श्री अध्यक्ष : आप विशेष रूप से प्रकाश डाल दें। आपने इसी प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव दे रखा है और उस पर व्यवस्था होना बाकी है। क्या उसके पूर्व चर्चा करना उचित होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने इसकी सूचना पूर्व में दे दी थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बुनियादी समस्या को हमें हल करना चाहिये आप हल नहीं करेंगे तो लोग संगठित होकर आन्दोलन करेंगे और इस व्यवस्था में तब्दीली करवायेंगे और वे इस कानून में तब्दीली करवाने के लिये आन्दोलन करेंगे और तब्दलियां इसी तरह हुई हैं परन्तु आप इसको यह कहने की कोशिश करेंगे कि यह अव्यवस्था फैलाते हैं, अराजकता पैदा करते हैं। इसको आप नक्सलवाद कहने को कोशिश करेंगे। चाहे नक्सलवाद और कोई वाद आप इसको कह दीजिये, मैं समझता हूं कि जनता, गरीब जनता संगठित होकर अपने अधिकारों के लिये लड़ेगी और इस विशिष्ट वर्ग के समाज को उखाड़ फेंकेगी और नहीं तो अपनी ताकत से फेंकेगी। चाहे आप इसको कानून का तोड़ना कहें, कुछ भी कहें, पुरानी व्यवस्था को तोड़ना इसमें लाजिमी होता है। पुराने कानून को तोड़कर और नये कानन बनवाना इसी में हम विश्वास करते हैं और इसी से आपके ये गंदे कानून टूटते हैं। इन गंदे कानूनों की रक्षा में आपका फायदा है तो ठीक है मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक सुझाव देना चाहता हूं। 12 व 13 को यह विधान सभा का सत्र नहीं होगा और 14 तारीख को होगा। कई माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि 12, 13 व 14 को भी स्थगित कर दें तो ठीक हो। 14 की कार्यवाही स्थगित्त होकर 17 को सत्र किया जाये याने 14 का बिजनेस 17 को ही लिया जाये। इसमें सहमति है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसमें सभी की सहमति है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)। अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले तो आपकी मार्फत राजस्व मंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि हमारे भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर ने इस गांधी शताब्दी वर्ष में बहुत अच्छे ढंग से अलॉटमेंट किये और सैकड़ों भूमिहीन लोगों को भूमि मिल सकी है। यह बहुत सुन्दर बात है और आजादी के बाद इस तरह से अगर काम हुआ होता तो जितने लैंडलेस हैं उनको बहुत जमीन मिल गई होती लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहले जितने काम हुए हैं वे गलत ढंग से हुए हैं।

आपने बिल में एस. डी. एम. का प्राविजन नहीं रखा....

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(3.45 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

और आपने फरमाया है कि नियमों में ही इसको रखेंगे। क्योंकि आपके प्रति हमको विश्वास है इसलिये मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि कोई हर्ज नहीं है हम विश्वास करते हैं। लेकिन क्या भरोसा है आज आप राजस्व मंत्री है कल नहीं रहेंगे तो क्या होने वाला है। मैं आपको मेरे क्षेत्र का एक किस्सा बताऊं। आपके पहले जो राजस्व मंत्री जी थे उन्होंने लगभग दस लाख रुपये की जमीन जो कि जंगलात की जमीन थी और जंगलात से सन् 70 से निकली उन्होंने सन् 67 में ही 15 बीघा फी व्यक्ति के हिसाब से दो समितियों को एलॉट कर दी। वह दस लाख की जमीन थी और 50 हजार से अधिक रुपया उन किसानों को खर्च नहीं करना पड़ा होगा यह सही है और इससे बढ़कर पाप क्या हो सकता है? एक तरफ भील, चमार भूमि के लिये तरस रहे हैं लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने 40-50 हजार रुपये में सन् 68 में जो जमीन राजस्व के पास में नहीं थी वह उन्होंने समिति के नाम पर एलॉट कर दी, एलॉट करने का आदेश दे दिया और वह भूमि राजस्व में सन् 70 में आई और जंगलात की जमीन देने का राजस्व मंत्री को अधिकार नहीं था। अब मेरा निवेदन यह है कि अब तो यह भूमि राजस्व विभाग के पास में है और इसके एलॉटमेंट के लिये मैं कहता हूं तो यह जवाब दिया जाता है कि मामला विचाराधीन है। अब यह राजस्व विभाग के पास में आ गई है तो यह भूमि भूमिहीन को दे देनी चाहिये परन्तु आप कहते हैं विचाराधीन है। सभापति जी, मैं आपकी मार्फत राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माण्डलगढ़ क्षेत्र का नमक खा रहा हूं और मैं वहां पर गलत आवंटन नहीं होने दूंगा चाहे इसके लिये मुझे अपने प्राणों की बाजी ही क्यों न लगा देनी पड़े। मैं भूख हड़ताल करूंगा। यह जमीन उनको दीजिये जो कि हाथ से खेती करते हैं। यह आप घर में बुलाकर कह दीजिये और आपको रुपयों का इन्तजाम करने में कठिनाई होती है तो हम से कहिये लेकिन आप में उनको घर में बुलाकर रुपया लौटाने की हिम्मत नहीं है। हम चन्दा करके आपको दे सकते हैं।

सभापति जी, दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नील की खेड़ी में 200 बीघा जमीन जो कि 4 लाख रुपये की होती है पटवारी, तहसीलदार लक्ष्मीशंकर और जो पहले चतुरबिहारीलाल ए.डी.एम. थे और रिश्वत के लिये मशहूर हैं उन्होंने मिल कर एक सोसायटी बनाई। यह सोसायटी रजिस्टर्ड नहीं हुई और उसके पहिले ही जमीन को उनके नाम पर एलॉट कर दिया गया और क्षेत्र के दुःखी लोग जमीन के लिये तरस रहे हैं। हमारे यहां उस समय कलेक्टर अच्छे थे-असीम चटर्जी उन्हें शिकायत की और उन्होंने वह जमीन रोक दी है। आज तक वह जमीन नहीं बट सकी है। कृपा करके इस जमीन को बंटने दीजिये ताकि गरीबों को वह मिल सके।

आपके पहले राजस्व मंत्री ने माण्डलगढ़ तहसील में लोगों को नहरी जमीन एलॉट की, चित्तौड़ की भी बहुत सी जमीन एलॉट की है। यह सौभाग्य की बात है कि वे अब नहीं है। अगर वे अब तक रहते

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तो मेरा ऐसा विश्वास है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र पूरा का पूरा ही पट्टे में चला जाता और गरीब लोग तरसते रहते। जब एलॉटमेंट हुआ तो रात के बारह बारह बजे मीटिंग चलती रहीं। लक्ष्मीनारायण जी तहसीलदार ने इन एलॉटमेंटों में इतनी इतनी गड़बड़ियां की हैं कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है। मैं उठा चुका हूं यह मुद्दा। आप इन एलॉटमेंटों पर एन्क्वायरी बिठाइये तो पता लगेगा कि कितने कितने पाप इन्होंने किये हैं। रात रात भर एलॉटमेन्ट होते रहे। थड़ौदा, भोपतपुरा आदि गांवों की जमीन का आपस में लूट-खसोट और बटवारा होता रहा और सभी मिलकर ले रहे हैं।

कल राजस्व मंत्री जी ने फर्माया कि कार्यकर्ताओं को क्या जीने का अधिकार नहीं है? मैं निवेदन करता हूं कि जीने का अधिकार अवश्य है। पर जिसने कार्यकर्ता बनने की ठानी है, उसने सबकी सेवा करने का व्रत लिया है, सबकी सेवा करने की ठानी है तो उनका स्थान है मां की जगह। मां का बच्चा भूखा हो और सबका खाना मां अकेली खा जावे, बच्चों को नहीं खिलावे तो वह मां नहीं कहलावेगी, डाइन कहलावेगी। वह मां का रूप नहीं ले सकती आप जब कार्यकर्ता बने हैं तो फिर आपकी स्थिति भी मां जैसी है और मां कभी पहले नहीं खाती, वह तो अपने बेटों को खिलाकर फिर खाती है। अपने भूखे बच्चों का पहले पेट भरकर फिर बचे-खुचे में अपना पेट भरती है। लेकिन आपने जब अपने अपने लिये आपा-धापी करके जमीन ले ली जगह-जगह तो उन गरीब बच्चों के लिये, उन गरीब बेरोजगार भूमिहीन किसानों के लिये कहां जमीन बची? आप हाथ से खेती करते नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर बने बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ-साहूकार और नेता बने बैठे हैं, बड़े बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट बने बैठे हैं पर जमीन आपको सबसे पहले और सबसे अधिक चाहिये, फिर चाहे छोटे किसान, भूमिहीन किसान मजदूर भूखों मरते रहें, जमीन के एक एक टुकड़े के लिये तरसते रहें।

कुण बरजे दीवाण ने, मन चावे जो लेय।
कामदार जी आपका कांजद पाछा रेय॥

यदि आपने जमीन ले ली तो फिर हर क्षेत्र में लालसा जगी और सबने इस कदर जमीन ले ली कि कुछ बची ही नहीं, फिर भी गांधी शताब्दी में कुछ ठीक ढंग से भी एलॉटमेन्ट हुए। गलत एलॉटमेन्ट बहुत हुए। मेरे क्षेत्र का ही ले लीजिये। 1400 गलत एलॉटमेन्ट हुए हैं। कलेक्टर ने बड़ी तत्परता दिखाई और उसने सबकी जांच करवाई तो पता लगा कि अकेले मेरे क्षेत्र में 1400 के करीब गलत एलॉटमेन्ट हुए-ऐसा पाया गया। इससे अन्दाज लगाइये कि सारे राजस्थान में तो न जाने कितने ऐसे गलत एलॉटमेन्ट हुए होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपके क्षेत्र में गड़बड़ी ज्यादा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मनोहरसिंह मरने को तैयार है। वह अपने क्षेत्र में यह नहीं होने देगा। इतना तो जुल्म करने से सहने वाला ज्यादा दोषी है। मैं कभी यह जुल्म सहने वाला नहीं हूं, मैं कभी इस पाप का भागी नहीं बनूंगा। मैं यह सब ठीक कराके रहूंगा, किसकी हिम्मत है जो इस तरह के जुल्म वहां करेगा, अगर करेगा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कोई तो वहां मनोहरसिंह की लाश मिलेगी आप इसको समझ लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री मनोहरसिंह मेहता : लेकिन आज तो हालत यह है कि कोई हाथ से खेती करता है, पर उसको जमीन नहीं मिलती। पर नहीं करने वाले को मिलती है।

खेती करे न हाथ सूं, धरा नपावे जाय।
खेती करे जु हाथ सूं, धरा न पावे हाय॥

वह धरा नहीं पा सकता। यह स्थिति है आज। इसलिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जितने भी गलत एलॉटमेन्ट हुए हैं उनके लिये कलेक्टर को पूरी तरह से अधिकृत कीजिए कि वह उन सबको कैंसिल कर दे। चाहे वह सन् 62 का एलॉटमेन्ट हो या 60 का हो। पहले का हो, या पीछे का हो। सबको वापिस नये सिरे से ठीक करें और जितने भी गलत एलॉटमेन्ट हुए हैं उनको खारिज करें। ऐसा अगर कर सकेंगे तो काफी जमीन निकल आवेगी और जो भूमिहीन किसान हैं उनको मिल सकेगी।

साथ ही मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि केवल जमीन से ही काम नहीं चलेगा। पर दुर्भाग्य तो हमारा बहुत बड़ा है। हमने ग्रामोद्योगों को अपनाया नहीं। यह आज का विषय नहीं है, इसलिए आज इस पर अधिक नहीं कहूंगा। फिर कभी अवसर आवेगा तो इस पर कहूंगा। आज तो अधिकांश लोग ऐसे हैं, इतने गरीब हैं कि जिनके बच्चों को आज तक भी भुट्टे का दर्शन नहीं हुआ। तो यह स्थिति तो ले आवें कि उनके भी बच्चे भुट्टों के बिना तो न तरसे। तो इन गलत एलॉटमेन्टों को आप तुरन्त ठीक करें।

बोल की जमीन को जो 70 में जंगल से राजस्व में आती है उसको 68 में ही एलॉट कर देते हैं। यह सब पापाचार है, दुराचार है, अनाचार है। अगर आप मिनिस्टर रहे तो मुझे भरोसा है कि यह पापाचार, दुराचार और अनाचार तो नहीं रहेगा पर कौन जानता है आप कब इस विभाग से निकल कर दूसरे विभाग में चले जावें। इसलिये आपसे निवेदन किया है मैंने कि जब तक आप इस विभाग में हैं जल्दी से इन गल्तियों को ठीक कर दें। और इस लिये कृपा करके जनमत जानने हेतु इसको एक महीने के लिये प्रसारित कीजिये ताकि लोग-बाग अपना अपना मत भी इस पर व्यक्त कर सकें। क्योंकि जमीन ही एक ऐसी चीज है जो किसान के लिये सब कुछ है। वह रीढ़ का हिस्सा है। इस तरह से संक्षेप में मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति जी, जो इसमें एस. डी. ओ. को भी आवंटन का अधिकारी माना गया है, मेरी राय से तो उसको मानना वाजिब है। पर तहसीलदार भी बराबर का अधिकारी है। दोनों का अपने अपने स्थान पर उत्तरदायित्व बराबर है तो समझ में नहीं आया कि उसको हटाकर इसको क्यों रखा गया? गलत आवंटन अगर तहसीलदार करता है तो आप उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करते।

सभापति जी, यह तो स्पष्ट ही है कि इस आवंटन समिति में तीन प्रतिनिधि हैं,

(श्री शंकरसिंह रावत)
स्थानीय सरपंच, प्रधान और विधायक। अब जमीन के लिये सभी लालायित रहते हैं तो सीधा नहीं कराकर अपने रिश्तेदारों को करा देते हैं तो यह न कराकर जो सही अधिकारी हैं उनको करना होगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपको मौका नहीं मिला क्या ?

श्री शंकरसिंह रावत : आवंटन कमेटी के मेम्बरों को तो इस प्रकार के कामों से दूर रहना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा।

श्री शंकरसिंह रावत : क्योंकि वे जनता के प्रतिनिधि हैं, पहले जनता को मिलना चाहिये और फिर जनता अगर यह कहे कि नहीं थोड़ा हिस्सा आपको भी मिलना चाहिये तो फिर जन प्रतिनिधि को लेना चाहिये नहीं तो नहीं। पर आदमी अपने अपने स्वार्थ को आजकल देखता है और इसलिये वास्तव में भू-आवंटन आजकल सही मायने में गरीबों को नहीं होता।

आपने एस. डी. ओ. को. रखा, पर फिर भी आलोचना तो अब भी होगी क्योंकि तहसीलदार और एस. डी. ओ. में कोई अन्तर नहीं है। इसलिये जो अध्यादेश जारी किया है इसमें कम से कम कानून की जो मंशा है उसे ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा न्यायपूर्वक एलॉटमेन्ट होना चाहिये। अब जहां तक भूमि का सवाल है सब झगड़े भूमि के लिये होते हैं। लोग कहते हैं मरेंगे पर एक इंच भूमि नहीं जाने देंगे। तो इसलिये भू-आवंटन को सही नीति होनी चाहिये।

कुछ अभी हमारे संसोपा के सदस्य ने भी कहा कि आन्दोलन ज्यादा होगा। आन्दोलन हो, इसकी चिन्ता नहीं। पर सरकार अगर कानून बनाती है कोई तो आप भी उसके भागीदार होते हैं। आप भी उससे बरी नहीं हैं। आप सदन के मेम्बर है। जनहित को ध्यान में रखकर नियम बनाये जावें, भूमि आवंटित की जावे, राष्ट्र को हानि नहीं पहुंचे-ऐसा करना चाहिये। यह संविधान की सही मंशा है। इससे आन्दोलन भी नहीं होने वाला है। किसी भी चीज को हड़पने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरों के धन को हड़पना चाहे और अगर करता है तो डाकू और चोर की श्रेणी में आता है।

अगर पार्टी के बाहर आन्दोलन करना चाहते हैं तो इस दिशा में सही हो सकता है, वरना तो जनहित में डाका डालने की ही कोशिश हैं।

सही नीति से गहराई तक जाकर भूमिहीनों को भूमि दिलाने की चेष्टा करनी चाहिये। आलोचना करने से कुछ नहीं होता है। जनहित में काम करायें। आन्दोलन करने से कुछ नहीं होता है। जयपुर के सरे बाजार में यह नारा लगाया था कि जनता के खून से होली खेली गई है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो केवल नारों से क्या हुआ ? उनका यह कदम होना चाहिए था कि हम विधान सभा में पांव नहीं धरेंगे जब तक न्याय नहीं हो। लेकिन पद का लोभ इन्हें भी है और झट से आकर बैठ गये। इसलिये मेरा कहना है कि कथनी और करनी में फर्क है। अगर हमारे यहां सरपंच अपने पद का दुरुपयोग करता है और चाहे कोई भी

(श्री शंकरसिंह रावत)

अपने पद का दुरुपयोग करे, चाहे वह विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो—इस तरह गलत आवंटन कराता है तो वह भी कानून के अन्तर्गत आता है। इसलिये जो भूमि गलत आवंटन करा; उसको कैन्सिल करावें।

सभापति जी, मेरा तो यही निवेदन है कि कोई भी कानून भू-आवंटन का हो-उसको अच्छी से अच्छी तरह चलाया जाय और जिन्होंने नाजायज एलॉटमेंट करवाया है, हमारे जिलाधीश को पावर है वह उन गलत एलॉटमेंट्स को कैन्सिल करें ताकि हमारे वास्तविक भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हो जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं जो कानून और विधान बनायें उस कानून और विधान की मंशा जनहित में हो। जनहित के कानून की बात करनी चाहिये न कि इसकी आलोचना करनी चाहिये कि यह कर दिया, वह कर दिया। बल्कि सबका ध्येय यह होना चाहिये अपने अपने क्षेत्र में चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य हो या भू-आवंटन कमेटी का मेम्बर है। तो मैं समझता हूं इससे उस कानून की व्यवस्था भी अच्छी होगी और सही ढंग से उसका पालन होगा।

श्री सभापति : श्री प्रेम सिंह।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, जो यह सरकार ने संशोधन विधेयक एलॉटमेंट के सिलसिले में पेश किया है उसके विषय में अपने विचर रखना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ इन्सटान्स इस प्रकार के देना चाहता हूं जिसको माननीय मंत्री महोदय नोट करें। मैं कोटा जिले की छबड़ा और छीपा बड़ोद तहसील की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। छबड़ा और छीपा बड़ोद जो तहसील क्षेत्र हैं उस तहसील क्षेत्र में अब ऐसी कोई जमीन कृषि योग्य नहीं रह गई है जो जमीन एलॉट की जा सके। और जो आपके पास आंकड़े है वह इस तरह के हैं कि किसी नदी के किनारे की जमीन को दर्ज करा रखी है और वही आपके अफसरान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं इस पक्ष में हूं कि जमीन एलॉट होनी चाहिये लेकिन ऐसी जमीन एलॉट नहीं करनी चाहिये जो नदी के किनारे की जमीन हो, जो नदी के किनारे पड़ी हो। अगर वह जमीन कट जायगी तो वहां के सारे खेत नष्ट हो जायेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा कृपया आप खेतों के पटाव को बचाने के लिये 100 गज या एक फलांग तक नदी के किनारे एलॉटमेंट न करें ताकि वह बिगड़ न पाये। दूसरे जो जमीन मौजूद है वह जमीन जंगलात की जमीन है। छीपा बड़ोद और छबड़ा तहसील के क्षेत्र में जो वन विभाग की जमीनें हैं उन जमीनों की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है जिन पर ट्रेसपास किया है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में भी राज्य सरकार का उत्तर आया है जिसमें 16 हजार बीघा जमीन पर ट्रेसपास हुआ है। मैं निवेदन करूंगा इसी पंचायत समिति छीपा बड़ोद में एक जंगलात की बीड थी जिसका रकबा करीब ढाई हजार एकड़ है। उस बीड़ को वहां के पंचायत समिति के प्रधान ने मिलकर फाड़ा

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
और मैं कई दफा माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं, माननीय जंगलात मंत्री जी का भी मैं ध्यान आकर्षित कर चुका हूं किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर उन्होंने जमीन को फाड़ी है तो उस गरीब काश्तकार ने क्या पाप किया जो एक अर्से से उसको जोतता आ रहा है मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि राजस्व मंत्री जी ने उस जमीन को पंचायत समिति के नाम आवंटन करने के आदेश दे दिये हैं यह बहुत ही दुखदायी और दुखपूर्ण बात है। एक गरीब काश्तकार, मीणा, चमार हरिजन जमीन फाड़े तो उसको सजा देने को तैयार हैं और एक जन प्रतिनिधि उसको फाड़ता है तो आप रेगूलेराईज करने के आदेश दे देते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि इस तरह के गलत कामों को आप रोकेंगे।

छबड़ा तहसील में कुछ समय पूर्व हजारों बीघा जमीन इस तरह ग्रो मोर फूड या और कई कारणों से आवंटन की गई है। हजारों बीघा जमीन एक रानी है बाल बाई उसको 1700 बीघा जमीन लीज पर दे दी गई। वह जमीन को दिनों दिन बेच रही है और लीज का समय कम होता जा रहा है। इस तरह आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीब काश्तकार का शोषण हो रहा है। मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे। बस मैं इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय राजस्थान भू राजस्व द्वितीय संशोधन विधेयक, 1970 एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं सदन के समक्ष यह रखना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने भूमि सुधारों के बारे में बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं क्या बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में और क्या दिल्ली में ? चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स बुलाकर भी इस बात पर बल दिया, जोर दिया कि भूमि सुधारों को लागू किया जाय और उसमें जितने प्रगतिशील कदम उठाये जाने चाहिये वे उठाये जायं।

सीलिंग के बारे में भी उनकी यह धारणा रही है कि सीलिंग की सीमा घटा दी जाय, ठीक है। प्रश्न यह उठता है राजस्थान ने क्या कदम उठाये, कोई प्रगतिशील कदम उठाये जा रहे हैं क्या ? भूमि सुधारों में राज्य सरकार ऐक्टिव इन्टरेस्ट ले रही है या नहीं ? पहले मुझे यह कहना है कि जो सीलिंग एक्ट पास हुआ उसके इम्पलीमेन्टेशन के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस बारे में स्पष्टीकरण करें क्योंकि यह सीलिंग के इम्पलीमेन्टेशन में दो तीन लाख एकड़ जो जमीन प्राप्त होगी वह अलॉटमेन्ट करनी होगी। वह जमीन लेन्ड लेस टीनेन्टस को मिले इसलिए वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि सीलिंग का इम्पलीमेन्टेशन किस प्रकार किया जाता है यह स्पष्ट नहीं हुआ है। कोई अभी तक फेज प्रोग्राम नहीं आया इसलिए रेवेन्यु मिनिस्टर फेज प्रोग्राम रखें कि किस प्रकार इस सीलिंग एक्ट का इम्पलीमेंटेशन किया जा रहा है, यह हम जानना चाहते है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रभावशाली व्यक्तियों ने अलॉटमेंट में जमीन प्राप्त की हैं -- प्रभावशाली व्यक्तियों ने या एम० एल० एज० ने जिसने जो नाजायज तरीके से जमीन प्राप्त करली है उसके बारे में हमें संकोच नहीं करना चाहिये। अगर हम प्रगतिशील कदम उठाना चाहते है और वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं और समाजवाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ कदम अवश्य उठाने पड़ेंगे और अगर उन कदमों को उठाने से कुछ आदमियों को नाराज भी करना पड़े तो हमें कुछ भी संकोच नहीं होना चाहिये। हमें डरना नहीं चाहिये, हममें घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमारी गवर्नमेन्ट फेल हो जायगी, मैं समझता हूं कि कोई गवर्नमेन्ट फेल होने वाली नहीं है बल्कि गवर्नमेन्ट तो उल्टे मजबूत होने वाली है। इसलिए हर बार हमारी प्रधान मन्त्री जो कि महान देश की महान प्रधान मन्त्री हैं जिन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, राजाओं की राजाशाही खतम कर दी- यह कोई प्रगतिशील कदम कम नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का कदम भी उन्होंने उठाया और इसी प्रकार से भूमि सुधारों के लिए भी वह जोर दे रही हैं और बड़ी चिन्ता प्रकट कर रही हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी का मूवमैन्ट चला, जो संसोपा का मूवमैन्ट चला और उन्होंने जबरदस्ती जमीन छीनने का प्रयास किया इसको हम कानून की दृष्टि से उचित नहीं समझ सकते और इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम कितनी भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें और हमारी प्रधान मन्त्री जी ने भी कहा है और मैं भी कहता हूं कि क्रांति आयेगी और खूनी क्रांति जरूर आयेगी और अगर यह आई तो इसके कसूरवार हम होंगे। प्रजातंत्र असफल हुआ तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए हमें प्रगतिशील कदम उठाने हैं और प्रान्त की प्रगति करनी है। राजाओं के पास बहुत जमीन पड़ी हुई है, जागीरदारों के पास बहुत जमीन पड़ी हुई है और कुछ लोगों के पास जो वेस्टेड इन्टरेस्ट वाले हैं उनके पास भी बहुत जमीन पड़ी हुई है उस जमीन को हमें उनके पास से निकालनी पड़ेगी और चाहे इसके लिए हमें कोई हाई पावर कमेटी मुकर्रर करनी पड़े या सदन के सदस्यों की कमेटी मुकर्रर करनी पड़े या कलेक्टर्स को पावर्स देकर कुछ कदम उठाने पड़ें। हमें कुछ न कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को जो भूमिहीन हैं उनको जमीन देनी पड़ेगी। 50 लाख एकड़ जमीन हमने वितरित की लेकिन देखना पड़ेगा कि उसमें से भूमिहीनों को कितनी जमीन मिली। अगर भूमिहीन किसानों को नहीं देंगे तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हमें सोचना है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने हैं।

अब सभापति महोदय, मैं विशेष तौर से चारागाहों के बारे में कहना चाहता हूं कि चारागाहों की जमीन को हमें लेने का प्रयास नहीं करना चाहिये क्योंकि हमें हमारी मवेशियों की भी रक्षा करनी है। गाय की भी हमें रक्षा करनी है। अगर चारागाहों की जमीनों पर हम कब्जा करके देने की कोशिश करेंगे तो हमारी पशु शक्ति का ह्रास होगा। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि चारागाहों पर लोग नाजायज

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कब्जा कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो भी चरागाह की जमीन पर नाजायज कब्जा करे तो उसको तो हमें जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए! पंचायतें इसके बारे में कोई कार्यवाही करती हैं कलेक्टर मदद नहीं देते, तहसीलदार मदद नहीं देते और चरागाहों की जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है। इसके लिए भी सोचने की आवश्यकता है क्योंकि हमें पशु धन को भी जीवित रखना है, उसका भी विकास करना है और रेगिस्तान में पशु धन ही हमारी आर्थिक प्रगति का सूचक है इसलिए हमें इसके बारे में भी कदम उठाना है।

अब मैं इस बात पर भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी अलॉटमेन्ट कमेटी हैं उनमें प्रधान हैं, एम. एल. एज. हैं, सरपंच हैं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य भी उनमें लिये गये हैं। जितने भी अलॉटमेन्ट्स हुए हैं जो नाजायज तरीके से हुए हैं। यह किसने किये? करने वाले तो अपने ही हैं, आखिर अलॉटमेन्ट कमेटी में एम. एल. ए. भी तो मेम्बर है, प्रधान भी मेम्बर है और सरपंच भी मेम्बर है यह कार्य किया है यह अपन लोगों ने ही तो किया है। गलत कार्य किया है और इसलिए किया है कि हम वेस्टेड इन्टरेस्ट वाले लोगों से दबे हुए हैं और हम स्वार्थ को मानते हैं। हम कोई फैसला करते हैं तो जब कोई व्यक्ति असरदार वाला आता है तो हम उसके सामने दब जाते हैं और गरीब आदमियों की तरफ नहीं देखते हैं। इसलिए हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा कि हमें ईमानदार और सच्चे को मान्यता देनी पड़ेगी। हमें ईमानदार कार्यकर्त्ता को सपोर्ट करना पड़ेगा। महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का प्रचार करना पड़ेगा और हमें सच्चाई की तरफ लोगों को लाना पड़ेगा। अगर सच्चाई की तरफ लोगों को नहीं लायेंगे तो जितने भी अलॉटमेन्ट होंगे वे ऐसे ही होंगे.......

श्री मदनसिंह: महात्मा गांधी ने देश के लिए खूनी क्रांति का हवाला नहीं दिया।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): महात्मा गांधी ने खूनी क्रांति के लिए नहीं कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर नहीं चल रहे हैं इसलिए डर है कि यह स्थिति पैदा हो सकती है जिसको हम ठीक नहीं समझते। अगर हम सच्चाई से नहीं चलेंगे, अपने प्रधान, सरपंच और एम. एल. ए. को जो कर्त्तव्य सौंपे गये हैं उनको वे अदा नहीं करेंगे और अलॉटमेंट कमेटी में हमने अपने कर्त्तव्य अदा नहीं किये तो यही स्थिति पैदा होगी और इसी कारण से आज हमें सोचना पड़ रहा है कि जो नाजायज अलॉटमेन्ट्स हैं उनको किस तरह से नलीफाई करें और किस तरह से कैंसिल करें—यह सोचना पड़ रहा है और यही पेचीदा प्रश्न है। इसलिए हमें महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलना पड़ेगा और खूनी क्रांति को न लाने के लिये भी चलना पड़ेगा, प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए भी चलना पड़ेगा और गरीब आदमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका शोषण नहीं हो और समाजवाद को मजबूत करने के लिए हमें चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त भी इस भूमि सुधार में अग्रणी रहे और सम्पूर्ण देश को एक दिशा दिखाये।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक को राज्य सरकार ने यह मन्शा प्रकट करके प्रस्तुत किया है कि यहां राजस्थान के अन्दर जो भूमि आवंटन की व्यवस्था तहसीलदार के माध्यम से है उसके बजाय जैसा कहा जा रहा है कि एस. डी ओ. के माध्यम से व्यवस्था बनाई जाये। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार स्वयं अपने आप में स्पष्ट नहीं है बल्कि यह आरोप सरकार पर लगाया जाये कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से इस विधेयक के द्वारा अपने हाथ के अन्दर एक अधिकार लेना चाहती है कि जब चाहे जिस प्रकार से रूल्स के अन्दर संशोधन करके राज्य सरकार अपने कटपुतली व्यक्तियों को या अधिकारियों को यह अलॉटमेन्ट के अधिकार दे दे ताकि इसके माध्यम से जहां एक ओर भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन करने का नारा दिया जाये दूसरी ओर इसकी आड़ के अन्दर राजनैतिक पोषण किया जाये। जब मैं राजनैतिक पोषण की बात कहता हूं तो यह तथ्यहीन नहीं है। अभी तक के जितने आंकड़े है और जिस प्रकार के प्रश्न इस विधान सभा के अन्दर इस विधेयक पर समय समय पर लाये गये हैं, साधनों की कमी नहीं है। राज्य सरकार के ऊपर के अधिकारियों ने और राजनैतिक नेताओं ने यों कहें कि पॉलीटीकल सफरर के नाम से अन्य व्यक्तियों को भूमिहीनों का हक छीनकर भूमि का आवंटन किया है और राजस्थान का कोई नेता या अधिकारी इससे अछूता नहीं है कि जहां लोग न तो किसान की परिभाषा में आते, न भूमिहीनों की परिभाषा में आते, न भूमि को कभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा—उनको भी उनके नाम से, उनकी पत्नी के नाम से, उनके परिवार के नाम से भूमि का आवंटन राजस्थान के अन्दर किया गया है। आज अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय पर चर्चा की और मैं भी राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि जब आप समाजवाद का नारा देकर केन्द्रीय सरकार में आज देश की प्रधान मन्त्री संविधान की बिना चिन्ता किये हुए, लोकसभा की बिना चिन्ता किये हुए आज वाहवाही लूटने के लिये बैंक राष्ट्रीयकरण के नाम पर, प्रिवी-पर्स समाप्त करने के नाम पर 'सो काल्ड' बहुत ही प्रगतिशील कदम उठा रही हैं। तो आज राजस्थान की सरकार के सामने क्या वादा है कि जिन व्यक्तियों ने किसान बन कर भूमिहीन किसान बन कर कानून के अन्दर जो खामियां थीं, कानून के अन्दर जो कमजोरियां थी, लैण्ड लैस कल्टीवेटर की जिस प्रकार की परिभाषा थी उस आड़ के अन्दर जो भूमि का आवंटन करा लिया, आज जो राज्य सरकार के सामने ऐसे लोगों की जो भूमि आवंटन की गयी है वह राज्य सरकार वापिस छीन कर भूमिहीन लोगों को मुहैयया कराये—इसके अन्दर आज राज्य सरकार के सामने कई प्रकार की अड़चनें हैं सीलिंग के प्रश्न को लेकर के आपने काश्तकार की परिभाषा को संशोधित करने का प्रयास किया है। हमारे दल ने मांग की थी कि आप यह परिभाषा लैंडलैस एग्रीकलचरिस्ट का संशोधन कर रहे हैं तो इस परिभाषा को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से किसी प्रकार का क्यों नहीं संशोधन करना

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चाहते हैं ? आज आवश्यकता है कि भूमि पर केवल वही काबिज हो जिसके हाथ में हल हो। वही जमीन को हांके और रखे। आप केवल इस बात का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। जिन फर्जी लोगों ने भूमि का आवंटन अपने तरीके से करवा लिया है उनको निरस्त करके क्यों नहीं आप भूमिहीनों को भूमि मुहैया करा सकते हैं ? लेकिन इस प्रकार का कदम यह राजस्थान सरकार उठा सके, माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में इस प्रकार का कदम उठा सके यह बिल्कुल असम्भव है।

आज इस बात को देखने को आवश्यकता है कि राजस्थान के अन्दर भूमिहीनों को भूमि आवंटित की जाय तो कुल कितनी जमीन आपके पास है। जितनी भी है वह लगभग 26 लाख एकड़ आपने बताई है। उसमें ऐसी कितनी भूमि है जो कि उर्वरक है, जिसके अन्दर प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जिसके ऊपर भूमिहीन किसान सर्वस्व अपना अर्पित करके भूमि हांकने के लिए वह तैयार हो जायेगी। वह कितनी भूमि है ? कोटा जिले के बारे में मुझे सूचना है कि आदिवासी लोगों को जो भूमि का आवंटन किया जा रहा है, जो पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को भूमि का आवंटन किया जा रहा है, सभापतिजी, वह सारी इस प्रकार की है कि जो पथरीली है, जिसके अन्दर हल नहीं चल सकता है, और यदि हल भी चल जाय और बीज भी डाल दिया जाय तो किसी प्रकार की पैदावार नहीं हो सकती है। आज इस प्रकार का आवंटन कोटा जिले में कोटा नगर के आसपास भूमिहीनों के नाम पर आदिवासी लोगों को किया गया है। आज नारों में लोगों की आस्था नहीं है। आज प्रश्न है इस प्रकार का कि इस प्रकार के कदम उठाये जायं, कानून बनाये जायं जिनके माध्यम से हम जिन फर्जी लोगों ने आवंटन कराके जमीन पर कब्जा कर लिया है उनके हाथों से जमीन छीन ली जाय। केवल यह कह देना कि इन रूल्स के अन्दर जिलाधीश को अधिकार दे दिया है कि इस प्रकार के जो लोगों को एलॉटमेंट गलत हुआ है उनको वह निरस्त कर दे, यह काफी नहीं है। कोई भी तहसील, कोई भी जिला राजस्थान में ऐसा नहीं है कि जहां के जिलाधीश को इस प्रकार का ज्ञान न हो कि उनके जिले के अन्दर भूमि का आवंटन किन किन राजनैतिक नेताओं, पंचों, सरपंचों, एम० एल. एज. को किया गया है, लेकिन क्या वे आज तक कोई भी कदम उठा पाये हैं या जैसी स्थिति आज राजस्थान के अन्दर बनी हुई है जिलाधीशों को अधिकार देने के बाद भी क्या आप यह आशा लेकर चलते हैं कि जिलाधीश इस प्रकार का एक्शन इन लोगों के खिलाफ उठा सकेंगे जो अधिकारी जयपुर के इशारे पर लगाये जाते हैं, जिनके प्रमोशन रुके हैं क्या ऐसे अधिकारी इन रूल्स के अन्दर जिलाधीश को अधिकार देने के बाद इस प्रकार के कदम उठा पायेंगे ?

मैं आज आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं कि मोर फूड कैम्पेन के अन्तर्गत, अधिक अन्न उपजाओ कानून के अन्दर सारे राजस्थान के अन्दर मनमाने ढंग से भूमि का आवंटन किया गया है। लोगों की कालोनियां बन गई हैं। आज दीनानाथ भाई, मन्नू भाई, बसन्ता भाई कहां नहीं है। ये राजस्थान के हर भाग में आज मिल जायेंगे। ये कोटा जिले के अन्दर मिल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जायेंगे, ये बूंदी जिले के अन्दर मिल जायेंगे सब जगह भूमि का आवंटन इनको किया गया है और आज तक भूमि को इन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन जमीन के हकदार चले आ रहे हैं अधबाड़े से जमीनों पर काश्त हो रही है। नारा समाजवाद का देते हैं तो क्या आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि जिन्होंने ग्रो मोर फूड कैम्पेन के अन्दर भूमि हथियाली है और जिन्होंने भूमि पर काबिज होकर भी अपने हाथों से जमीन पर काश्त नहीं की है, जिनको काश्तकार की परिभाषा में नहीं लिया जा सकता है उनसे जमीनें वापिस ले ली जायं। आप उन जमीनों को वापस नहीं लेंगे।

आज बोगस को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटीज के नाम से राजस्थान के अन्दर लोगों ने भूमि का आवंटन अपने हक में करा लिया है, जो को-ऑपरेटिव फार्मिग सोसाइटीज बोगस हैं और फन्क्शन नहीं कर रही हैं और को-ऑपरेटिव के नाम पर आपने भूमि का अलॉटमेंट किया है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि उस जमीन को राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले मैं कोटा जिले और बूंदी जिले के दो दृष्टान्त आपके सामने देता हूं। एक बेटर को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी मनाली (मवाली) जो पाकिस्तान बनने के बाद शरणार्थी राजस्थान के अन्दर आये थे उन परिवारों के लिए बनी थी उसको 900 बीघा जमीन बूंदी जिले में मवाली के अन्दर जहां चम्बल कमाण्ड क्षेत्र है उसमें वह जमीन आती है तो वहां पर 900 बीघा जमीन का आवंटन किया गया था 56 के अन्दर और 1970 तक न तो को-आपरेटिव का कोई रूप वहां दिखाई देता है और न सहकारिता का कोई रूप दिखाई देता है और आज एक परिवार उस 900 बीघा जमीन जो चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में है उस पर कब्जा करके बैठा है क्या राज्य सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि ऐसी बोगस को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज की जमीन को अपने कब्जे में लेकर जो भूमिहीन किसान हैं राजस्थान के अन्दर उनके अन्दर इसको आवंटित करेगी ?

सभापति महोदय, कोटा जिले के अन्दर तहसील लाडपुरा में एक गांव है भीमपुरा तो उसमें भी बेटर को-ऑपरेटिव फार्मिग सोसाइटी को इन्हीं शरणार्थियों को बसाने के लिए उनके परिवारों को बसाने के लिये 500 बीघा जमीन का आवंटन किया गया था। यह 500 बीघा जमीन भी चम्बल कमांड क्षेत्र के अन्दर है और चम्बल नहर का पानी जाता है। न तो और परिवारों का पता है, न को-ऑपरेटिव का पता है और आज केवल एक परिवार उस 500 बीघा जमीन का हकदार है। तो इस प्रकार से जो बोगस को-ऑपरेटिव फार्मिग सोसाइटीज हैं जिन्होंने आज तक को-ऑपरेटिव का कोई भी काम नहीं किया क्या राजस्थान सरकार उनकी जमीन को अपने हाथ में लेगी ? लेकिन राजस्थान सरकार कभी भी उसको अपने अधिकार में लेने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार केवल नारे देती है उसके दिखाने के और खाने के अलग अलग दांत हैं। राजस्थान सरकार केवल नारे ही दे सकती है कदम नहीं उठा सकती है।

राजस्थान सरकार ने ढिंढोरा पीटा था कि हमने सीलिंग का कानून पास कर दिया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है और सीलिंग कानून के अन्दर जो हमने एग्जेम्प्शन दिये थे उनको विथड्रा कर रहे हैं, और गये सत्र में राजस्व मंत्री जी आपने संशोधन बिल पास करके जो डेयरी फार्मिंग या दूसरे इस प्रकार के फार्मस यानि शूगर केन फार्मिंग को एग्जेम्प्शन दिये थे उनको विथड्रा किया है और विथड्रा करने का मतलब यह है कि 30 स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन अधिक से अधिक सबके पास रहेगी। चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे पोलट्री फार्मिंग हो चाहे दूसरी तरह के फार्मिंग कोई भी फार्मिंग हों 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक जमीन उनको मिलने वाली नहीं है। तो एक सवाल, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जालौर जिले के अन्दर उनका यहां पर कौनसा लाडला था कि उसकी कम्पनी को एक हजार एकड़ जमीन जंगलात से रिलीज कराकर डेयरी फार्मिंग के नाम पर देदी। यह आर्डर पढ़कर सुना देता हूं:—

Letter No. F. 2(151)/Rev./B. 70, dated 13-8-70 from the Deputy Secretary to Government, Revenue (B) Department, Rajasthan, Jaipur to the Collector, Jalore, and copy endorsed to the Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur.

Subject:—Allotment of 1,000 acres of forest land out of Junjani jor to Indian Dairy Enterpreneurs Agricultural Co. Ltd. Jaipur for Dairy Farming.

यह लेटर है जिस आदेश के द्वारा जालौर में जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है उसमें जो जंगलात है जो स्टेट के टाईम से एक बीड़ है जिसके अन्दर जानवर चरते थे उस एक मात्र जंगल को, एक हजार एकड़ के बीड़ को जोकि जंगलात में था उसको आपने एक लिमिटेड कम्पनी को कैसे एलॉट कर दिया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापतिजी, एक हजार एकड़ का पूछना चाहता हूं कि वह कम्पनी कौनसी है, कौनसा लाड़ला बेटा है जयपुर का ? वह कक्कड़ एन्ड कम्पनी है। न जाने कौनसी सफाई हुई और किस स्टेज पर हुई और तब जाकर 1000 एकड़ जमीन उसको अलॉट कर दी। किसने कर दी। राजस्व मंत्रीजी आप इन्कार करेंगे लेकिन यह तथ्य है कि मुख्य मंत्रीजी के दबाव में आकर आपको हस्ताक्षर करना पड़ा। हस्ताक्षर करना पड़ा और एक हजार एकड़ का जंगल डेयरी के नाम से दे दिया। कहां गया सीलिंग का कानून ? सीलिंग कानून के अन्दर 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं देना चाहिए इनको। लेकिन सीलिंग कानून को आपने कोई परवाह नहीं की, उसकी धज्जियां उड़ा दीं। उसके अलावा और पूछना चाहूंगा कि यह जो अलॉटमेन्ट होता है डेयरी के नाम पर वह होता है राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड टू डेयरी एण्ड पाल्ट्री फार्म्स रूल्स 1958 के अन्तर्गत।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसके अन्तर्गत आप अलॉटमेन्ट करते हैं डेयरी फार्म को, उसके अन्दर लिखा हुआ है कि अधिक से अधिक आप जो जमीन दे सकते हैं वह पांच सौ बीघा दे सकते हैं, पांच सौ बीघा रूल्स में है जो 1958 में बने, अब सीलिंग कानून को संशोधित करके लिखा है उसमें तीस स्टैण्डर्ड एकड़ रखा है, तीस स्टैन्डर्ड एकड़ से आगे बढ़कर पांच सौ बीघा से आगे बढ़कर अपने उस लाडले को एक हजार बीघा जमीन अलॉट करते हैं, डेयरी के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अलॉटमेन्ट किया है, उसके लिए कितना पैसा लिया जाय, लीज कितने समय के लिए दी जाय, इसके सम्बन्ध में नियमों में जो व्यवस्था है उसके अनुसार लीज के लिए कानून के अन्दर मेक्जिमम टेन ईअर है, जब कि आपने अपने उस लाडले बेटे को तीस साल के लिए लीज दे दी जबकि रूल्स मे दस साल के लिए है। रूल्स में दस साल है लेकिन आपने अपने पहले ऑर्डर के आधार पर तीस साल के लिए दे दी। दूसरे उसके बाद में रिन्यू करने की बात है। उसके अन्दर रिन्यू करने की व्यवस्था है, राजस्थान सरकार लीज रिन्यू कर सकती है। दूसरे उससे क्या लगान लेंगे, क्या लीज मनी लगे—उसके लिए रूल्स में व्यवस्था है। रूल्स में व्यवस्था है कि अगर सेटलमेन्ट उसका हो चुका है तो सेटलमेन्ट के अनुसार वन फोर्थ ऑफ द रेंग आप उससे लीज मनी लेंगे और अगर सेटलमेन्ट नहीं हुआ होगा तो भी लिखा हुआ है कि हर बीघा पर पच्चीस रुपया लिया जायगा। उसका सेटलमेन्ट नहीं हुआ है लेकिन आपने और आपकी सरकार ने कक्कड़ कम्पनी को, जिसका नाम मैंने बताया एन्टरप्रिन्योर कम्पनी उसका एक रुपये बीघा में दे दिया, एक रुपया टोकन मनी के आधार पर एक हजार लीज मनी के ऊपर दे दी। दूसरी जो व्यवस्था है इस कानून में, उसके आधार पर आज तक उसने आपको बताया कि किस किस मवेशी को वह रखेगा, कितने मवेशी रखेगा, कितनी भैंसे रखी जायेंगी। यह उससे पूछा नहीं गया है और न जानकारी ली गई है। केवल सेक्रेटेरियट लेवल पर चीफ मिनिस्टर के दबाव के कारण एक हजार बीघा जमीन उसके नाम पर रिलीज कर दी है। इसी आधार पर एक हजार बीघा जमीन जंगल की जालोर के अन्दर कितने भूमिहीनों को आवंटित की जा सकती है, क्या इस बात की कल्पना आपने कभी की है? आपने यह अगस्त, 1970 में ऑर्डर दिया, अब मैं अक्टूबर, 70 में पूछना चाहता हूं कि क्या इस जमीन के अलॉटमेन्ट और कब्जे के बाद में मवेशी उसके द्वारा पर्चेज किये गये हैं, कितने मवेशी उसने लिये हैं, किस किस ब्रीड के लिए हैं, जो आवश्यक ब्रीड थी उसके मवेशी खरीदे गये हैं। लेकिन वह सब कुछ नहीं किया गया है और केवल एक ऑर्डर के द्वारा इस कम्पनी को, इस कक्कड़ कम्पनी को एक हजार बीघा जमीन जालौर के अन्दर अलॉट कर दी है। क्या इन्हीं कारनामों के आधार पर आपकी राजस्थान की सरकार राजस्थान के गरीब भूमिहीन और गरीब जनता को विश्वास दिलाना चाहती है........

श्री रामचन्द्र आर्य : मवेशी खरीद रखे हैं, 37।

श्री लादूराम पुलानियां : 40 हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इसी आधार पर राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहेंगे ? क्या ईमानदारी से आप सीलिंग कानून को लागू करना चाहते हैं ? ईमानदारी से सीलिंग से बची हुई जो जमीन है उसको अपने हाथ में लेकर भूमिहीनों को बांटना चाहते हैं ? जितनी भी भूमि उपलब्ध है राजस्थान के अन्दर वह केवल भूमिहीनों को ही बांटी जायगी-क्या इस प्रकार का आप विश्वास दिला सकते हैं ? ऐसा करने की न आपमें सामर्थ्य है और न आपकी मन्शा है। राजस्थान के अन्दर राजस्थान की सरकार इन चन्द पूंजीपतियों के दम पर, फेमिन के नाम पर, फेमिन के पैसे का घोटाला करके अपने शासन को स्थाई करना चाहती है ? इसलिए अधिक निवेदन न करते हुए इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर यह संशोधन करके तहसीलदार की जगह एस. डी. ओ. कर दें या एस. डी. ओ. की जगह कलेक्टर कर दें कि अलॉटमेन्ट यह अधिकारी करेंगे—इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे न भूमिहीनों की समस्या मिटने वाली है। अगर ईमानदारी से इस भूमिहीनों की समस्या को मिटाने वाले हैं तो अभी तक भूमि के आवंटन, जो गलत ढंग से किये गये हैं, नेताओं को किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में आप इन्तजार करेंगे कि कलेक्टर कुछ कार्यवाही करेगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए जितने प्रश्न उठे हैं और जितने सवाल को लाकर इस विधान सभा में उठाया गया है, इन सारे प्रश्नों का कोगनीजेंस राजस्थान सरकार ले, इन सबका कागनीजेंस राजस्व मन्त्री लेकर कलेक्टर को इन्क्वायरी करने के लिए और अलॉटमेन्टको कैंसिल करने के लिए लिखें। अब तक जो भूमिहीनों की परिभाषा आपने सीलिंग के कानून जो बनते आये हैं, परिभाषित की है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से परिभाषित कीजिये ताकि जिन निकम्मे और बेकार लोगों का भूमि पर कब्जा हो गया है, जिन्होंने जमीन हथियाली है वह कैंसिल हो सके। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्रकुमार !

श्री मदनसिंह : समय बढ़ा दिया जाय। समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि चार रोज की छुट्टी है, इसको आज अधूरा रहने देंगे तो चार दिन बाद भी यों का यों ही रहेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, गांधी जन्म शताब्दी में सरकार ने आदिवासियों और हरिजनों को जमीन देने के लिए जो प्रावधान रखा था उसके लिए तो मैं सरकार का आभारी हूं। आपके सामने सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो आदिवासियों और हरिजनों के लिए जमीन देने का प्रावधान रखा है उन लोगों को काफी, पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं दी गई है और कुछ लोग जो प्रभावशाली हैं, उन लोगों को अन्दर ही अन्दर जमीन देकर उसका कब्जा करा कर कुछ आदिवासियों और हरिजनों को, नाम मात्र की जमीन दे दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन

(श्री देवेन्द्र कुमार)

(4.47 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

जाति के लोगों को भूमि का एलॉटमेंट किया, जमीन अलॉट की, लेकिन अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया है और वह लोग मारे मारे फिरते हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है और एस. डी. ओ. के दरवाजे पर जाकर वह लोग हर दिन खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों और हरिजनों के लिए सरकारी जमीन का अलॉटमेंट करने के बारे में और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए जो भी कोशिश की है उससे आदिवासी और हरिजन लोग अपनी गरीबी को दूर करने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभापति महोदय, उदयपुर डिवीजन के अन्दर बहुत सा पहाड़ी एरिया है और वहां पर पहाड़ी एरिया में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वहां भी कहीं कहीं जमीन पड़ी हुई है, वहां सरकार ने जमीन का अलॉटमेंट किया है लेकिन अभी तक पटवारी लोगों ने उनको कब्जा नहीं दिया है। इसका क्या कारण है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका बहुत बड़ा कारण उन गरीब लोगों की गरीबी है। माननीय राजस्व मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण जमीन पर कब्जा नहीं कर पाते हैं। वहां पटवारियों ने यह धन्धा बना रखा है कि जिसके पास से पैसा आयेगा उसको कब्जा दिलाया जाय। इस तरह से लोगों ने अपना धन्धा अपना रखा है। इस तरह से अच्छे प्रभावशाली लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है और इन आदिवासियों और गरीब लोगों को जमीन नहीं दी है। इसका नतीजा क्या होने वाला है? क्या होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन गरीबों के पास में कोई दूसरा धन्धा नहीं है भुखमरी को मिटाने के लिए और पेट की आग को बुझाने के लिए उनके पास क्या धन्धा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इन लोगों ने सही तरीके से अच्छी जो जमीन ले ली है, उन लोगों को सरकार को सही ढंग से जमीन पर कब्जा दिलाना चाहिए, और जो नाजायज ढंग से कब्जा करते चले आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, उदयपुर डिवीजन में बहुत पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों के बीच में जमीन है वह जमीन आज किसके कब्जे में है। वन विभाग के कब्जे में है तो वनों के अन्दर जहां घने पेड़ नहीं हैं और जहां ऐसी जमीन पड़ी हुई है तो काबिल काश्त है उसको उन जंगलात में से निकाल कर आदिवासियों को दिया जाय। अभी सरकार की ओर से माननीय एस. डी. ओ. को जो अधिकार देने का किया गया है, मुझे इसमें थोड़ा शक है। इसका कारण यह है कि वह हर गांव में जा नहीं सकता है, वह सब जगह मीटिंग अटेण्ड नहीं कर सकता है जिससे काफी दुरुपयोग होने की सम्भावना है। इसके अलावा मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि 14 नवम्बर, 70 तक हरिजनों और आदिवासियों को जमीन देने की सीमा थी, वह अब समाप्त हो रही है इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 30 जून, 1971 तक इसकी म्याद बढ़ा दी

(श्री देवेन्द्र कुमार)

जाय वरना बहुत सी जमीन जो जंगलात से आ रही है, और बहुत सी जमीन जो सीलिंग से आयेगी उससे यह वंचित रह जायेंगे और दूसरे लोग फायदा उठा लेंगे। मैं आपके द्वारा इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय...

श्री लादूराम सुलानियां : मैं थोड़ा टाइम लूंगा।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, जो संशोधन राजस्व मंत्री जी की तरफ से आया है कि तहसीलदार के बजाय एस. डी. ओ. महोदय को भू आवंटन कमेटी जो है, इसका अध्यक्ष या चेयरमैन बनाना चाहिए। यह मांग, मैं समझता हूं, इस विधान सभा के सारे सदस्यों की थी। उनकी तरफ से जब आवाज उठी थी कि तहसील लेवल पर बहुत अन्याय हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उसी मन्शा को लेकर यह संशोधन हुआ है लेकिन इस मन्शा की पूर्ति हो जाय इसके लिए गवर्नमैन्ट का कोई दृष्टिकोण है कि भूमि आंवटन नहीं हो और ऐसे आरोप नहीं लग सकें। यह निश्चित है कि शासन एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कमजोर है। इसमें नीचे के स्तर पर, मैं तो यहां तक कहूंगा कि पटवारी के स्तर पर जब भी कमेटियां बैठती हैं तो सारी जमीन का जिस वक्त आवंटन होता है तो न तो एम. एल. ए. को मालूम होता हैं और न सरपंच को कि कौन से नम्बर की जमीन किसको आवंटित की जाती है। इसलिए, सभापति महोदय, में राजस्व मंत्री जी का ध्यान आपकी मार्फत इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब भी आवंटन हो तो उससे पहले तहसीलदार को कहें कि वह इसकी पुख्ता जांच करें कि जिन नम्बरों का आवंटन किया जाना है वह सही है या नहीं। दांता रामगढ़ के लिए मैं कह सकता हूं, मैं वहां था, मेरे साइन थे, पंच, सरपंच के साइन थे फिर भी पटवारियों ने क्या किया कि वास्तव में जिनको भूमि मिलनी चाहिये थी उनको उन नम्बरों की जमीन नहीं दी गई। सरपंच के सामने जो नम्बर रखे जाते हैं वह गलत रखे जाते हैं। हरिजन समझते है कि हमको तो जमीन मिल गई, जमीन का उसको विधिवत एलॉटमेंट हुआ है, हरिजन का पट्टा हुआ है लेकिन जब वह कब्जा लेने जाता है तो वहां नम्बर दूसरा मिलता है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां भी आवंटन होता है तो कम से कम एस. डी. ओ. लेवल पर उसके पूरे पेपर्स आ जाने चाहिए कि वास्तव में जो पटवारी नम्बर देता है वह सही देता है या नहीं? दूसरी चीज यह है कि जब भूमि आवंटन होती है तो आवंटन होने के बाद जहां मिल कर कब्जा होता है तो उस वक्त, सभापति महोदय, एक दावा किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस दावे के अन्दर जब तक राजस्व विभाग में लड़ते रहते हैं, उससे पहले कलेक्टर लेवल पर जो गोचर भूमि नहीं है उसको पब्लिक दर्ख्वास्त देकर गोचर भूमि घोषित करा देती है। थोड़े दिन के बाद राजस्थान सरकार के लेवल पर फैसला हरिजनों के पक्ष में हो गया तो उसके बाद तहसीलदार के जरिये पुलिस के जरिये जो पहले निवेदन किया, उसको गोचर भूमि सिद्ध कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं।

(श्री मदनसिंह)

सभापति महोदय, सदन में अनाउन्समेंट हुआ था, एक साल केवल हरिजनों के लिए भूमि आवंटन होगा, आज उसका नतीजा देखा जाय तो आज जब एक साल खत्म हो गया और दूसरा साल शुरू हो गया है, तब भी हाल यह हो रहा है कि आज तक उनको भूमि नहीं मिली है। मैं समझता हूं उस वक्त निश्चित रूप से यह कानून बना देना चाहिए था। मेरा क्षेत्र है उसमें अधिकतर गोचर भूमि के पास तलाइयां हैं, वहां हरिजनों को या फौजियों को जमीन मिलती है तो गांव वाले कब्जा नहीं करने देते हैं। उसके सम्बन्ध में कलेक्टर महोदय को हमने एक उपाय सुझाया तो बहुत कामयाब हुआ। वह यह है कि गोचर भूमि और बड़ी बड़ी तलाइयां जहां हैं वहां जितनी जमीन तलाई की है वह गोचर भूमि में परिणत करके गोचर की भूमिहीनों को काश्त के लिए दे दी जाय। इससे एक तो चरागाह अच्छे रहेंगे, दूसरे गांव के पशुओं के लिए अच्छा प्रबन्ध रहेगा और दूसरी तरफ हजारों वर्षों से जो तलाई बनी हुई हैं वह कायम रहेंगी। इसके लिए आदेश निकाल दिया जाय क्योंकि हरिजनों के लिए जमीन रही नहीं है, छोटे छोटे गोचर और तलाइयां रही हैं। जब हरिजनों को अलॉटमेंट होता है तो लोग कहते हैं यह तलाई में है, जबकि वास्तव में वह तलाई में नहीं है। इसलिए राजस्व मंत्री जी ऐसा आदेश निकालें कि गोचर की भूमि हरिजनों को दे दी जाय और इसी ढंग से जो अच्छी तलाइयां हैं उनको गोचर भूमि में परिणत कर दिया जाय। इसी तरह से वन विभाग के लिए भी आदेश हो जाना चाहिए कि हरिजनों को वन की पन्द्रह बीघा जमीन मिले इस नम्बर की और हमारे वनों के अन्दर जो अच्छी जमीन काश्त की है तो उसे काश्त की जमीन में परिवर्तित कर देना चाहिए। इससे मैं समझता हूं कि इसके अन्दर काफी गुंजाइश है कि लोगों को जमीन मिले। दूसरा निवेदन यह है कि राजस्व विभाग और होम विभाग, दोनों, जो भूमि के केसेज आते हैं उनके सम्बन्ध में समझौता रखें। आज कल, सभापति महोदय, अक्सर करके जितने पुलिस के लोग हैं वह न्याय करने लगे हैं भूमि के सम्बन्ध में। मैं समझता हूं कि पुलिस और राज्य सरकार के पुलिस कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं है कि वह हरिजनों को जमीन का कब्जा दिलायें और पट्टा बतायें जो भूमि आवंटित की हुई है उसको दरख्वास्त बतायें तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि यह जमीन नहीं है, इस पर तो दूसरे लोगों का कब्जा है। मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग से रेवेन्यू विभाग को इस सम्बन्ध में बात करनी चाहिए। पुलिस रेवेन्यू का अधिकार ले लेती है तो इसमें सबसे ज्यादा घोटाला होता है। इसलिए राजस्व मंत्री, मैं समझता हूं, होम मिनिस्टर महोदय से यह निवेदन करें, कोशिश करें कि पुलिस अधिकारियों के लिए इस प्रकार का सरक्यूलर निकाला जाय कि जहां भूमि का आवंटन हो जाता है, जिसके नाम पर आवंटन हो जाता है पुलिस अधिकारियों को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के लिए कह सकता हूं कि पुलिस के जरिये, थानेदार के जरिये न होकर, जो पुलिस के सुपरिंटेंडेंट हैं उनके जरिये नेताओं के कहने से हस्तक्षेप होता है इसी कारण हरिजनों को भूमि आज तक नहीं मिली। इसी तरह से

(श्री मदनसिंह)

फौजियों के लिए ऐलान सरकार ने बहुत किये और आज भी करती है, आज भी स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि जो आदेश जाते हैं उनका पालन नहीं होता है। गोपाल राम शर्मा के लिए, खुद राम शर्मा सूबेदार के लिए मैंने कहा। उनके लिए आदेश राजस्व विभाग और राजस्व मंत्री का दिया हुआ है, चार साल पूर्व फैसला ले लिया है लेकिन सांगानेर के तहसीलदार और थानेदार ने एक हजार, दो हजार रुपये लेकर उस फैसले के बावजूद भी खेत में खड़ी अच्छी फसल को लुटवाया है। वह सूबेदार जगह जगह गया है, होम मिनिस्टर ने एस. पी. को आदेश दिया है कि इसकी सुनवाई करो। उन्होंने कागज की पूर्ति कर दी लेकिन उस की सुनवाई नहीं की गई। मैंने कागज होम मिनिस्टर को दिये तो कहा कि मुझे नक्शों और कागजों की जरूरत नहीं है...

श्री गिरधारीलाल व्यास: सभापति महोदय, समय समाप्त हो रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक बिल समाप्त न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री मदनसिंह : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : चीफ ह्विप बहुत एलर्ट हैं।

श्री सभापति : कितना समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री मदनसिंह : चार दिन की छुट्टी हैं इसलिए उसके बाद में बहस जारी रहेगी। तो यही सब बातें फिर आयेंगी। इसलिए आज समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : ठीक है, विधेयक पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, भू-राजस्व कानून बना हुआ है लेकिन नीचे स्तर पर ठीक ढंग से उसके अनुसार दृढ़ता-पूर्वक कदम नहीं उठाया जाता। रोज हम लोग शिकायत करते हैं, रोज मंत्री महोदय आदेश दे देते हैं, पुलिस को और कलेक्टर को आदेश दे देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका पालन नहीं होता है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में ऐसे गांव हैं जहां भू-आवंटन सही ढंग से नहीं हुए हैं और गोचर भूमि घोषित की गई है जब कि भूमि अलॉटमेन्ट के केसेज पेंडिंग हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री जो जब तक इस सम्बन्ध में कड़ा कदम नहीं उठायेंगे और ऑफिसरों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक मैं समझता हूं, न दोष तहसीलदार का होगा और न कमेटी का होगा। इस सदन के जो सदस्य हैं, विधान सभा में जब इस सम्बन्ध में चर्चा होती है तो कोई भी सदस्य सही रूप से इसका कोई सही उपाय नहीं बता पाते हैं। कोई तो कहते हैं कि भूमि का अतिक्रमण कर लेना चाहिये, कोई कहता है कि जो भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है उसको वापिस रेगुलेराइज कर देना चाहिए। कोई कहता है कि अमुक अमुक व्यक्ति अगर यह कर लेते हैं तो यह नहीं होना चाहिये। तो आपके पास ऐसा कौनसा थर्मामीटर है जिससे जज होगा कि इस तरह से भूमि पर अतिक्रमण कोई करे तो सही है। मैं समझता हूं कि चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा कानून सबके लिए एक सा होना

(श्री मदनसिंह)

चाहिए। इसलिए जब कोई भी भूमि पर प्रतिक्रमण करता है, भूमि पर नाजायज कब्जा करता है तो वह गलत है और इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि महाराजा मानसिंह और रामानन्द जी में फर्क नहीं होना चाहिये।

अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो एक भूमि पर ही क्यों ? इन्दिराजी से लेकर रामानन्दजी तक केवल इस जमीन के संबंध में ही कहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि बिरला की बिल्डिंग छीन लो, इसको पैट्रोल पम्प पर आक्रमण कर दो और कई चीजों पर आक्रमण कर दो। भूमि की तरफ किसानों का और समाज का आकर्षण करते हैं जिससे पूंजीवाद बढ़ जाय। रामानन्द जी मैं आपके साथ हूं आक्रमण करना है तो महलों पर हो, आप चन्द्र महल में बन्द रहे हों। आप किसी महाराज के पास जायं ना नहीं है। कब्जा कर लो। आक्रमण उन पर करो जो कानून पास करके वहां से आवाज करते हैं खूनी क्रांति की। कांग्रेस की तरफ से खूनी क्रांति का पता नहीं डर किसको बता रहे हैं। अगर जमीन सबसे ज्यादा मिलेगी तो जो चिल्ला रहे हैं उनको मिलेगी। मैं उस दिन का स्वागत करूंगा जब वह खूनी क्रांति आए, सही ढंग से बंटवारा हो लेकिन खूनी क्रांति केवल राजपूत व राजाओं पर हो और अग्रवाल पर न हो तो वह गलत है, तब तक यह इकानामिक डिस्पैरिटी रहेगी। मैं समझता हूं कि वह सब पर आनी चाहिए...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अग्रवाल तो बहुत मिल जायेंगे।

श्री मदनसिंह : रामानन्द जी आपकी संस्था के जरिए जैसी खूनी क्रांति होती है उसमें मेरा विश्वास नहीं होता। अलवर महाराज कुमार का एक बहुत बड़ा प्लॉट है वहां पर रामानन्द जी अग्रवाल वहां झंडे लेकर अपने आदमियों के साथ पधारे। जब वहां जमीन पर हमला करने पधारे तो वहां पुलिस आई और उन्होंने महाराज कुमार से कहा कि आपको हमारी सहायता की जरूरत है क्या ? महाराज कुमार ने कहा मुझे पुलिस की सहायता की जरूरत नहीं है। उन्होंने 20 कुत्ते उनके पीछे कर दिए। झंडा वहीं छोड़कर ये लोग भाग गए। जूतों का पता नहीं, आज तक उनको जूते वापिस नहीं मिले...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात फैक्चूएली बिल्कुल गलत है।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, अगर झूंठी बात है तो विधान सभा में इनकी चप्पलें ला सकता हूं जो ये वहां भूल से छोड़ आए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ले आओ।

श्री मदनसिंह : तो कब्जा क्यों नहीं किया ? इसलिए गरीब जो बेचारे कानून को नहीं चाहते, उनको आप आगे करते हैं और आप असेम्बली में बिराजे रहते हैं और खूनी क्रांति का नारा देते हैं। मैं पहला राजस्थान का राजपूत होऊंगा आपके साथ अगर किसी अग्रवाल महाजन पर जहां लाखों रुपए की संपत्ति है, वहां पर हमला करें बाकी खूनी क्रांति इन्दिराजी भी नहीं करने वाली है। अगर सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए तो जगजीवनराम को मिलनी चाहिए जिन्होंने पहले ऐलान किया

(श्री मदनसिंह)
था कि जहां जहां जमीन हो जबरन कब्जा कर लो। आज उसकी प्रधान मंत्री कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके 4 एकड़ के फार्म पर बैठ गए तो पुलिस भेज दी। इसलिए कुछ नेताओं की कहनी और कथनी में जैसा फर्क है, मैं समझता हूं वह जनता को बरगलाना है वैसे किसी के पास थर्मामीटर नहीं है। बार बार विधायक कहते हैं कि किसान किसको मानें। आज कोई विधायक अगर किसान की सही परिभाषा करे तो मैं चेलेंज करता हूं। या तो गरीब हो जिसकी आमदनी हो, चाहे वह राजा महाराजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, कम से कम कोई जरिया हो....

श्री रामनारायण चौधरी : जिसका पैतृक धंधा खेती हो।

श्री मदनसिंह : हम गारंटी दे सकते हैं। आय तो कम से कम आए तो ऐसी चीज हो। आप सबको समान समझते हैं चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्री हो, महाजन हो अगर हल पकड़ कर जोते, वही सिद्धांत रखा जाय तो इसमें किसान की परिभाषा से कोई भी सदस्य मुझे यह कायल नहीं करता। इसलिए सही चीज तो यह है कि सरकार में ढिलाई है। आप कानून बनाते हैं उसको कार्य के रूप में परिणत करने के लिए उनको दंड नहीं देंगे तब तक कानून का कोई असर नहीं। हमने हजारों बार कहा है कि अमुक पटवारी ने इतना घोटाला किया है, जिसके पास 200 बीघा जमीन है उसको और मिल रही है। तो उन अधिकारियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी जब तक खुद राजस्व मंत्री खुद पर्सनली कभी जाकर उनको स्पाट पर दंड नहीं देंगे तब तक मैं समझता हूं चाहे कानून बना लें, खूनी क्रांति आए और हो हल्ला किया जाय लेकिन जहां गल्ती है उसको नहीं पकड़ा जायगा तो वह समस्या हल नहीं होगी और आज जब कभी इन्दिराजी हल्ला करती हैं तो उसके पीछे सारी पार्टीज हल्ला करती हैं। आप पोलिटिकल फायदा उठाते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : आप इन्दिरा जी के आह्वान को हल्ला नहीं कह सकते।

श्री मदनसिंह : इन्दिराजी नेतो जवाहर लालजी से मुकाबला लिया हुआ हैं। इन्दिरा जी राजनीति में अभो बच्ची हैं। आपके लिए बड़ी होंगी। मगर इन्दिराजी जब खूनो क्रांति के लिए कहती हैं तो गांधीजी के सिद्धांतों की हत्या करती हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्दिराजी कब खूनी क्रांति के लिए कहती हैं ?

श्री मदनसिंह : कहा है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : उन्होंने कहा था कि अगर करीब जनता का भला नहीं हुआ तो खूनी क्रांति आएगी, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

श्री मदनसिंह : खूनी क्रांति इन्दिराजी को नहीं कहना चाहिए, वह गांधी सिद्धांतवादी हैं, उनको भूख हड़ताल करनी चाहिए। वह कम से कम भूख हड़ताल करतीं कि ऐसी बात हो रही है, उनको कहना चाहिए कि मैं सत्याग्रह पर बैठी हूं, मैं मरूंगी, ऐसा काम नहीं होना चाहिए।

(शोरगुल)

हम तो खूनी क्रांति नहीं लायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कैसे ला सकते हैं ?

श्री मदनसिंह : आप चाहें तो आज ही कर दें। आप प्रस्ताव पास कर दें, कल से खून खच्चर।

श्री रामनारायण चौधरी : खूनी क्रांति करने वालों ने कभी प्रस्ताव पास नहीं किया है।

श्री मदनसिंह : आप पंजाब में और दूसरी जगह इन्दिराजी से करवा रहे है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनमें से कोई इंडीकेट नहीं है 2-4 को छोड़कर····

श्री मदनसिंह : हम तो खूनी क्रांति के लिए नहीं कह रहे हैं। हम काफी लड़े हैं। इसलिए थके हुए हैं। आपको शौक है तो आगे आयें। वास्तविकता यह है कि प्रशासन में ढिलाई है, नीचे के आफिसर तक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा तकड़े हों। कई मंत्री हैं केन्द्र के और अलग प्रांतों के जो तकड़े पड़ते हैं, उनके नीचे स्तर पर काम अच्छा होता है। इसलिए रेवेन्यू में काफी ढिलाई है। आज पटवारी के किए हुए को राजस्व मंत्री वापस करने में हिचकिचाता है। उसका क्या कारण हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाता। उसके आगे क्या कारण बनेंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन सारी बदनामी सरकारी मशीनरी की है कि वह प्रॉम्प्ट नहीं है। यदि कोई आवाज उठाई जाती है तो जल्दी जल्दी से आदेश होने चाहिए। जो आवंटन गलत हुए हैं उन पर कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तसल्ली हो और हरिजनों को आज तक जो भूमि दी गई है उन पर पुलिस के जरिए या स्पेशल आर्डर के जरिए उनका कब्जा होना चाहिए, काश्त की सुविधा होनी चाहिए और जिनसे वापस कब्जा गलत ढंग से लिया गया है उनको वापस कब्जा दिलाया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी): सभापति महोदय, आज विधान सभा के अन्दर····

श्री सभापति : क्या है ? बोल चुके हैं। पार्टी के सब ही सदस्य तो नहीं बोल सकते।

श्री लादूराम सुलानिया : 2 तारीख से आज तक नहीं बोला हूं।

श्री सभापति : आप पांच मिनिट में खत्म कर दीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे सामने जो यह अमेन्डमेन्ट बिल आ रहा है उस पर सब से ज्यादा दलील दी जाती है वह यह दी जाती है कि हमने हरिजनों को ज्यादा जमीन दी है, ज्यादा संरक्षण दिया है और विशेष सहायता दी है। इस बात के अलावा राज्य सरकार या मेजोरिटी की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ नहीं कहा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 23-24 वर्ष में राज्य सरकार कितने हरिजनों को जमीन दे पायी है और कितनी देनी चाहिये—इन दोनों बातों को मद्दे नजर रखते हुए विचार करें तो इसका पता लग सकता है कि आपकी उदारता किस सीमा तक और कहां तक अच्छी मानी जा सकती है ? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान

(श्री लादूराम सुलानियां)

को लेकर चलें । राजस्थान में जितनी जमीन है और आबादी है उसके अन्दर कितना प्रतिशत परिगणित जाति और जन जाति का है उस हिसाब से जमीन का भाग नहीं दिया जाता तो बीस वर्ष के कांग्रेस के राज्य में क्या परिगणित जाति और जन जाति के साथ न्याय किया है ईमानदारी से ? अगर हम उस तुलना में देखें तो जो जमीन दी भी है तो वह कुछ नहीं है । नाम मात्र जमीन है । आज से बीस वर्ष पहले जो इन लोगों के कब्जे में भूमि थी उससे कुछ अधिक हो सकती है लेकिन जो उनको प्रतिशत मिलना चाहिये था वह उनको नहीं मिला है ।

श्री मदनसिंह : चौथे बांटे में सब चलता था । उन लोगों को निकाल दिया ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं अब भी समय है । गरीब और पिछड़े हुए लोग आज तक वंचित रहे हैं इस बात से, जब कि कानून भी बनाया और ऑडर्स भी निकाले, गांधीजी की सौ वर्ष की शताब्दी मनायी जरूरी और यह घोषणा की कि हरिजनों को ही एक वर्ष में जमीन देंगे दूसरों को नहीं । उसके बीच में अदला बदली भी की । तहसीलदार को हटा कर एस. डी. ओ. को पॉवर्स दिये लेकिन उसका नतीजा जीरो रहा । आज इस स्थिति में जमीन का सर्वे करायें, आप दो सर्वे करवा कर देख लीजिये—जमीन जो हरिजनों को अलॉट हुई है उसकी हालत क्या है । खराब से खराब जमीन भी है उसमें उनको क्या कब्जा ये अगर दो तीन बातें मद्देनजर रख कर देखें तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अलॉटेड जमीन में से दस पर्सेन्ट पर भी हरिजनों का कब्जा नहीं है । अलॉटमेन्ट जो भी हुआ है उसके लिये भी अदालतों में मुकदमे जावेंगे और अदालतों से यह निर्णय हो जावेगा कि यह सही अलॉटमेन्ट हुआ है तो उसकी अपीलें होंगी और अपीलों में भी यही होगा कि अलॉटमेन्ट ठीक है फिर भी गांवों में उन जमीनों पर उनको कब्जा मिल नहीं सकेगा ।

प्रश्नों के दौरान आपने बताया कि जिलाधीश कोई शिकायत करेगा तो दो महीने में कब्जा दिलायेंगे । दो महीने में आप कब्जा दिलायेंगे । जब कि वह पूरे जिले के अधिकार रखते हैं । दो महीने में दिलायेंगे एक दिन में नहीं ? दो महीने में क्या होगा ? दो दिन में उसको कब्जा क्यों नहीं मिलता दो महीने में क्यों ? जिलाधीश के पास शिकायत आये और तुरन्त तहसीलदार को लिख दे कि कब्जा दिला दें । मौके पर जाकर वह कब्जा दिला दे । आप यह नहीं करना चाहते हैं । हरिजनों को पचास चक्कर उसके दफ्तर में दिलवाना चाहते हैं । फिर रिपोर्ट आवेगी कि कब्जा दे दिया ।

मैं बताना चाहता हूं कि जितनी रिपोर्ट तहसीलदार और कलेक्टर के पास आयी हैं वे 80 प्रतिशत झूठी हैं और कब्जा नहीं दिया गया है । उप मंत्री और मंत्री महोदय दोनों ही सुन रहे हैं । आप मेरी बात पर विश्वास करके एक तहसील दो तहसील की जांच करवा लीजिये, कब्जा दिया हुआ है वह कागजों में है । 20 प्रति कब्जा मिलेगा और 80 प्रति झूठ है । यह सही है तो आप विभाग को कन्ट्रोल कर लीजिये।

(श्री लादूराम सुलानियां)
चाहे आरोप प्रत्यारोप से संतुष्ट हो जायं। आज हजारों अपीलें रेवेन्यू मिनिस्टर के पास पड़ी हुई हैं। पैन्डिग हैं और तीन तीन

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

साल तक उनका फैसला नहीं होता है। आप आज राजा महाराजाओं की बात करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजा महाराजाओं के पास यदि दरख्वास्त लेकर जाते तो दो महीने में क्या यदि करना चाहते तो एक दिन में कर देते थे। तीन तीन वर्ष तक फाइलें, अपीलें मिनिस्टर के पास पड़ी रहें और आप निर्णय न दे सकें। लोग बहस पर आते हैं। आप दौरा करने चले जाते हैं और पेशियां बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में हरिजन और गरीबों को कब्जा मिलना मुश्किल है।

विशेष यहां इस सम्बन्ध में नहीं कह कर यही कहना चाहूंगा कि लोगों ने जिस प्रकार जमीनें हड़पी हैं, इस बात से कोई भी सदस्य अनभिज्ञ नहीं है और मन्त्री महोदय भी जानते हैं और उनके पास शिकायतें भी आती हैं। अनधिकृत कब्जे करते हैं वे भूमि वाले करते हैं, भूमिहीन नहीं कर पाते हैं। 50 एकड़ पहले कब्जे में है और पचास एकड़ और हड़पने के लिये नाजायज सिफारिशें करते हैं और आप उनको बढ़ावा देते हैं। हरिजन जाति और जन जाति के लोग उससे महरूम रहते हैं। आज कलेक्टर, एस.डी.ओ. और तहसीलदार और पटवारी सब आपके हुक्म के मातहत में खड़े रहते हैं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक उदाहरण देकर बताया। मैं तो उदाहरण क्या दूं। जयपुर की 12 मील की सीमा में आप जांच करायें तो आपको मालूम हो जायगा कि मिनिस्टर लेवल पर कितने गलत अलॉटमेन्ट करते हैं। जिनके बच्चे, औरत मेहनत कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, गाय, भैंस, बैल रख सकते हैं, उनके पास एक इंच जमीन नहीं है। और आप सेठ और साहूकारों के नाम पर अलॉट कर रहे हैं। हिन्द होटल के पहले के मालिक की बीबी को जमीन अलॉट की। क्या वह काश्त कर सकती है? क्यों इस प्रकार के संरक्षण आप देते हैं? रेवेन्यू मिनिस्टर का ऑर्डर होता है कि उनको जमीन दी जाय। जयपुर का बहुत बड़ा सेठ, जिसका हिन्द होटल चलता हो, उसकी बीबी वहां जाकर खेती करेगी और जमीन को साफ सुथरी कर सकेगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार 20-22 वर्ष में भी हरिजनों को, भूमिहीन को जमीन देने में कामयाब नहीं हुई है। इतनी अंधेरगर्दी

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और अराजकता फैलायी है और 14 नवम्बर के बाद पीरियड नहीं बढ़ाया तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा आन्दोलन होगा और उसका खमियाजा राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पांच ही मिनिट तो हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आधा घंटा हो गया है।

श्री लादूराम सुलानियां : जोशीजी जैसे 800 बीघा जमीन लेकर बैठ जायं। नवाब लुहारू का फार्म, यह कुम्भाराम जी का फार्म, यह गंगारामजी का मैंने नहीं

(श्री लादूराम सुलानिया)
सुना, आपका भी फार्म है ? आपके बड़े-बड़े फार्म हैं। मैं 10 साल पहले से विधान सभा में आया हूं और एक बीघा जमीन नहीं ली। आपके परिवार के कितने बच्चे हल चलाते हैं और कितने खेती में लगे हुए हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो बिल्कुल मत लेते जमीन और सारी की सारी जो जमीन है वह परिगणित जाति और जन जाति के लोगों को दे दीजिये। भूमि आन्दोलन की बात करते हैं तो विनोबा भावे को दान में दे दीजिये। उससे यों भो नाम बढ़ जायगा "

एक माननीय सदस्य : आपका फार्म कितने बीघे का है ?

श्री लादूराम सुलानिया : राज्य सरकार द्वारा एक इंच भी भूमि दी गई हो तो बता दो। मैं चेलेन्ज करता हूं अगर यह बता दें कि मुझे सरकार ने एक इंच भी भूमि दी हो। हमारे मन्त्रिमण्डल के सदस्य बड़े-बड़े महानुभाव जिनके फार्म हैं बीबी बच्चों के नाम से फार्म हैं कौन से वे हल चलाते हैं ? आखिर किस हैसियत से जमीन हड़पी है ? मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने यह बात कही है सैंकड़ों बीघा जमीन ऐसे लोगों को अलॉट की है जिनका कभी पीढ़ियों का भी काश्त से रिश्ता नहीं रहा है। मैं, मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं फागी में एक बीड़ जोडाणा नाम का है उसके लिये गरीब काश्तकारों ने 30 हजार रुपया एक दफा और दूसरी बार फिर तीस हजार रुपया राजस्व विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में दिया। मैं इसको साबित कर सकता हूं। इसके बावजूद भी उन लोगों को एक इंच भूमि तक नहीं मिली। साठ हजार रुपया आपके विभाग वाले उन गरीबों से ले लेकर खा गये। आप खा गये।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आपको चैलेन्ज करता हूं। आप इसकी जांच करवाइये, मैं साबित करने के लिये तैयार हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपका चैलेन्ज स्वीकार करता हूं आपने जो कहा कि आप खा गये।

श्री लादूराम सुलानिया : आप यह समझते होंगे रामकिशोर जी व्यास खा गये यह मेरे कहने का मतलब नहीं है। आपके हाथ में रेवेन्यू विभाग है यदि आपका एक पटवारी भी एक रुपया खाता है तो उसका रेला आप तक भी आता है। आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो इस भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपके सामने कल सदन में अर्ज किया था आप मुझे लिखकर दीजिये मैं एन्टी करप्शन से जांच करवा सकता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं आप जैसा कि हर बार कहते हैं लिखित में दें तो जांच करवा सकता हूं। मैं जन प्रतिनिधि की हैसियत से विधान सभा में कह रहा हूं आपको नोट करना चाहिये। वैसे यहां पर

(श्री लादूराम सुलानिया)

हम जो बोलते हैं उसका एक एक शब्द यहां नोट होता है। आपको हमारे कहने के आधार पर ही जांच करवा देनी चाहिये। मैं विधान सभा में खड़े होकर आरोप लगा रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले सेशन में यदि यह झूठ मालूम हो जाय तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। हम जो कुछ कहते हैं यहां लिखा जाता है आपको उसी के आधार पर जांच करवा देनी चाहिये। आप मेरे साथ को-ऑपरेशन करें, आप किसी अधिकारी को मेरे साथ भेज दें मैं उनको सभी जगह ले जाऊंगा और वहां की स्थिति की जानकारी दूंगा। साठ हजार रुपया खाने के बाद भी वह जमीन उन बेचारे गरीबों को नहीं मिल पायी है। उनका मामला पांच साल से आपके विभाग में पड़ा हुआ है। यह रुपया तहसीलदार से लेकर एस. डी. एम., कलेक्टर और विभाग के लोगों के पास पहुंचा है उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया है। आप इसकी जांच करवाइये मैं पूरे सबूत आपको दूंगा। लोग इतना रुपया खा जायं और उसके बाद भी जमीन का अलॉटमेन्ट न हो यह कितनी बुरी बात है। आपको चाहिये कि आप किसी विश्वस्त आदमी को मेरे साथ भेजिये फागी तहसील का दौरा करने के लिये उनकी रिपोर्ट जो भी आये आप उसको सही मानिये। मैं समझता हूं इसी से हरिजनों का भला हो जायगा। आप हरिजनों के भलाई की बात करते हैं लेकिन उनके लिये आपने कुछ किया नहीं। आप जो यह कहते हैं कि हमने इतने बीघा जमीन हरिजनों में इस गांधी शताब्दी वर्ष में बांटी है मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप एक तहसील की जांच करवा लीजिये आपको पता चल जायगा कि वास्तव में कितने हरिजनों को जमीन का अलॉटमेंट हुआ है। इससे आपको पता चल जायगा कि आपके राज्य में गरीबों के साथ कितना अन्याय हुआ है और जो आरोप मैंने लगाया है उसके लिये मैं फिर से कहना चाहता हूं आप ईमानदारी से जांच करवाइये। यह बात सत्य है, सत्य है। इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय सभापति महोदय···

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। मैं आपको रोकना तो नहीं चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं पांच सात मिनिट में आप समाप्त कर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान भू-राजस्व द्वितीय संशोधन विधेयक पर बहस हो रही है···

श्री सभापति : बी. के. डी. का कोई मेम्बर बोला नहीं है बाकी पार्टियों के सब के सब बोल चुके हैं।

श्री रामकिशन : रामानन्द जी पार्टी से एक ही बोले हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : राजस्थान भू-राजस्व द्वितीय संशोधन विधेयक पर जो चर्चा चल रही है उसमें तहसीलदार से अधिकार लेकर उसकी जगह एस. डी. एम. को देना चाहते हैं। मैं समझता हूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजस्थान सरकार की जो भूमि अलॉटमेन्ट सम्बन्धी नीति है वह सही नहीं रही है। अगर सही तरीके से जमीन बांटनी है तो आप चाहे तहसीलदार रखिये या एस. डी. एम. रखिये

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितनी भी जमीन दी गई है वह गलत ढंग से और धान्धली बाजी से दी गई है। आपने जो भूमिहीन और हरिजनों को भी भूमि दिये जाने के आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े सही नहीं हैं। जमीन बहुत कम दी गई है और काश्तकारों को कम ही मिली है। बड़े बड़े लोगों ने जमीन को हथिया लिया है, अधिकतर उन लोगों ने जमीन को हथिया लिया है जो कांग्रेस के नजदीक बैठते हैं।

कस्बा नोहर में एक अनाज के बड़े व्यापारी श्री डूंगरमल तलवाड़िया हैं जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास पहले एक बीघा जमीन नहीं थी इस समय उन्होंने एक मुरब्बा भूमि पर कब्जा किया हुआ है। धान्धली बाजी से उन्होंने अपने नाम जमीन अलॉट करवा ली है।

राजस्थान कैनाल की योजना जो राजस्थान में चल रही है उसकी जमीन को अलॉटमेण्ट करने के लिये सरकार ने आज तक नीति निर्धारित नहीं की है। इससे बढ़ कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लोग वहां की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं, गलत आदमियों को भूमि दी जा रही है, हजारों बीघा जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। आज तक आपने पुख्ता अलॉटमेण्ट के बारे में कोई कदम नहीं उठाया और आप जल्दी से उठाने वाले भी नहीं हैं।

श्री सभापति : राजस्थान कैनाल की जमीन का अलॉटमेन्ट इन रूल्स के तहत तो होने वाला नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सवाल नीति से है। आप वहां पर जो जमीन है उसको इसलिये अलॉट नहीं करना चाहते कि वहां की जमीन के नाम पर वोट लिये जायं। यही नीति आपकी रही है जो दुर्भावना-पूर्ण नीति है। इसके अलावा जमीन के अलॉटमेण्ट के बारे में जो अलॉटमेन्ट कमेटी बना रखी है उस अलॉटमेन्ट कमेटी की राय को मानते नहीं हैं। तहसीलदार मनमाने ढंग से अलॉट कर देता है। हम लोग जब विधान सभा की मीटिंगों में आते हैं उस समय के दौरान मीटिंग बुला कर मन चाहे व्यक्तियों को जमीन अलॉट करवा दी जाती है। कागजों में गलत सलत बताकर जमीनों को अलॉट कर देते हैं। इसी तरह से जो आपने एस. डी. ओ. को तहसीलदार की जगह रखा है वह कभी वहां जाने वाला नहीं। पंचायत के पास यह अधिकार होने चाहिये। वैसे ही एस. डी. ओ. को समय नहीं इसलिये एस. डी. ओ. और तहसीलदार में कोई फर्क नहीं है। राजस्थान सरकार की भूमि अलॉटमेण्ट सम्बन्धी नीति सही नहीं है उसको दुरुस्त किया जाय। इस बारे में विधायक, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने बड़ी वेदना प्रकट की है। भूमि समस्या का हल नहीं किया गया तो क्रान्ति पैदा हो जायगी। गांधी के नाम पर कहा जाता है कि गांधी शताब्दी वर्ष में भूमि का अलॉटमेण्ट हरिजनों को कर रहे हैं। आपकी भू-राजस्व की आमदनी इतनी नहीं है जितनी शराब से आमदनी है। काश्तकार बेचारे अपने कागजों को निकलवाने के लिये अदालतों में जाते हैं तो उनको एक-एक कागज की नकल के लिये 100) रुपये देने पड़ते हैं तब जाकर कहीं कागज की नकल मिलती है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जैसा लादूराम जी ने यहां पर कहा है दो महीने रखे, चाहे 5 दिन रखे जब तक इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी बगैर पैसे लिए वह कागज नहीं देगा। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया इसलिये सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी को चाहिये कि जितनी जमीन उन्होंने हथियायी है वह सारी जमीन जनता के सुपुर्द कर देनी चाहिये। यह सब चीजें जनता के सामने हैं। अगर आप सही मायने में भूमिहीनों का भला करना चाहते है तो आपको अपनी तमाम जमीन वापिस कर देनी चाहिये। लेकिन आज क्या हो रहा है ? मुख्य मंत्रीजी अपने रिश्तेदारों, लड़कों के नाम जमीन अलॉट करवा रहे हैं और उनके मंत्रिमण्डल के दूसरे मंत्री भी अपने रिश्तेदारों, पत्नी और लड़कों के नाम जमीन ले रहे हैं। फिर ऐसी आपाधापी में कोई मेम्बर कैसे पीछे रह सकता है। उनकी पार्टी के मेम्बर भी अपने रिश्तेदारों और लड़कों के नाम से जमीन का अलॉटमेंट करवा रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति इनके साथ रहते हैं वे भी इसका फायदा उठा रहे हैं। इस जमीन पर दबाव इसीलिये पड़ रहा है कि ये पूंजी-पति अपने काले धन को छिपाने के लिये इस जमीन की तरफ दौड़ रहे है और ब्लैक का पैसा ओपन करने के लिये खेती में लगा रहे हैं। यह प्रचार किया जाता है कि सुखाड़िया जी के फार्म पर एक लाख रुपये के अंगूर पैदा हुए। इस प्रकार गलत तरीके से अर्जित सम्पत्ति को एकदम नम्बर एक की सम्पत्ति में लाने की यह लोग कोशिश कर रहे हैं। आज जमीन का गलत अलॉटमेंट हो रहा है। जिनका कि जमीन से वास्ता नहीं है वे आज जमीन को हथियाने के लिये भाग रहे हैं। इसलिये राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिये और मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पर क्या सोच रही है। वह तो आज भ्रष्टाचार से सनी हुई है। यह उनके कोई बस की बात नहीं है। कानून आये साल ये बदलते रहते हैं लेकिन इसको लागू करने की इनकी हिम्मत नहीं है और आज तक क्या इन्होंने किसी कानून को लागू किया है ?

राजस्थान में इतना बड़ा भूमि हथियाओं आन्दोलन हुआ। लोगों की इस तरफ नजर गई है। इसका नतीजा कुछ भी रहा हो लेकिन इससे लोगों की आंखें खुल गई हैं। इसलिए यह राज्य सरकार का काम है कि इस प्रकार की जो प्रवृतियां बढ़ रही हैं उनको रोका जाये और समय पर ही इस समस्या का निवारण कर दें। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। सत्ताधारी लोग जो कुकर्म करते हैं वह आम लोगों से कोई छिपा हुआ नहीं है। आप अपने आपको सुधारें। केवल भाषण करने से ही कुछ नहीं होगा। भाषण के मुताबिक आपको काम करना होगा, आचरण करना होगा। आप अपने भाषण के अनुसार अपने आच-रण को नहीं ढालेंगे तो कभी भी राजस्थान में आप शांति कायम नहीं कर सकेंगे। भूमि समस्या का हल भी नहीं कर सकेंगे।

जमीन किस तरह से अलॉट की जाये इस के बारे में मैंने यहां पर यह निवेदन किया था कि जो भूमि अलॉट करने आप जा रहे हैं उनमें ऐसे भी गांव हैं जहां पर कि पानी खारा है। वहां पर गोचर भूमि है और गोचर के लिये जमीन को रखा है,

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बीड़ के लिए जमीन को रखी है। उस जमीन को आप गांव वालों की मर्जी के बिना अलॉट नहीं करें। राजस्थान में ऐसी जमीन है जिनके द्वारा गांव के लोगों का गुजारा होता है। आप एक आर्डर जारी कर देंगे और जो तालाब के पेटे की जमीन है वह सारी की सारी जमीन अलॉट कर दी जायेगी। अगर ऐसा हो गया तो लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा इलाका हो और जिस प्रकार की जमीन है उसको मद्दे नजर रखते हुए पहले इसको ध्यान में रखा जाये। यह न होगा और बीड़, गोचर की भूमि को अलॉट कर दिया जायेगा और यह कहा जायेगा कि क्योंकि अधिक अन्न पैदा करना है, इसलिये अलॉट कर दी जाये। आपके पास में लाखों, हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी है और जिन गलत लोगों के हाथ में जमीन चली गई है वह जमीन उनसे छीनकर भूमिहीनों को देनी चाहिये। उन लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाये जाने चाहिये और यह विधान सभा इसके लिये कानून बनाये कि जिसने गलत तरीके से जमीन ले ली है उसके खिलाफ यह कार्यवाही होगी। लेकिन यह करने के लिये आप लोगों में हिम्मत नहीं है। जितने कानून आपने विधान सभा में बनाये हैं उन पर पूरा अमल होगा यह मैं कैसे मान सकता हूं। आप इसको भी सही तरीके से अमल में नहीं लायेंगे। एस. डी. एम. को आप चेयरमैन रखना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका यह ख्याल है कि एस.डी.एम. के चेयरमैन रखने से ठीक ढंग से जमीन का बटवारा हो जायेगा, यह कोरा भ्रम है। मैं आपको अपने क्षेत्र की एक मिसाल देता हूं। एक मदनसिंह थानेदार है। उसके लड़के नाबालिग हैं और वे थानेदार अपनी तारीख भुगताने के लिये बीकानेर से हनुमानगढ़ एस. डी. एम. की कोर्ट में जाता रहता है परन्तु इस भूमिहीन को भूमि नहीं मिल पाई है और आज 3 साल इसमें लग गये हैं। इसलिये एस.डी.एम. को जो चेयरमैन बनाया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले तो राज्य सरकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिये और इसके लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिये तब तो आप सही अलाट कर सकते हैं नहीं तो व्यास जी आप कुछ नहीं कर सकेंगे और आप चले जायेंगे। सुखाड़ियाजी जिस तरह से इस शासन को चलाना चाहते हैं उसकी बुनियाद में भ्रष्टाचार है सामन्तशाही का युग भी समाप्त हो गया और आज धीरे धीरे उनका नामोनिशान भी मिटता जा रहा है तो क्या सुखाड़ियाजी आपका यह शासन नहीं मिटेगा ? यह भी मिट जायेगा और लोग आपके मुंह पर थूकेंगे। जिस तरह की व्यवस्था आपने दी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को आपने पनपाया है गलत अलॉटमेंट के जरिये जिन लोगों ने जमीन को हथिया रखी है उनको कठघरे में खड़ा होना पड़ेगा। सत्ता आपके हाथ में नहीं रहेगी तो आपको कोई जैरामजी की नहीं करने वाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजस्थान सरकार की जो भूमि अलॉटमेण्ट करने के सम्बन्ध में जो गलत नीति है उसे उसको स्पष्ट करना चाहिये और भूमिहीन काश्तकारों को सही मायने में जमीन मिलनी चाहिये और नहीं मिलती है तो आप जाने और आपका भगवान जाने।

श्री सभापति : श्री व्यास ।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य ने

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय,....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : अभी समय देने में मजबूरी है । आपके दल से.........

श्री दौलतराम सारण : और समय बढ़ाया जा सकता है ।

श्री सभापति : समय का अभाव है ।

श्री दौलतराम सारण : कोई समय का अभाव नहीं है । जितने ज्यादा लोग बोलेंगे राजस्व मन्त्रीजी का उतना ही ज्ञानवर्द्धन होगा और भूमि नीति को अमल कराने में ज्यादा बल मिलेगा ।

श्री सभापति : नहीं, अब फिर कभी बोल लीजियेगा ।

श्री दौलतराम सारण : मैं बोलना चाहूंगा ।

श्री सभापति : यह तो कोई बात नहीं । खैर, 5 मिनिट आपको समय दे सकता हूं क्योंकि बी. के. डी. के आज कोई मेम्बर नहीं बोले हैं ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापति जी, मेरे बोलने की इच्छा नहीं थी परन्तु अब बोलना आवश्यक है । मैं कुछ बुनियादी प्रश्न रखना चाहता हूं । वह यह है कि इस सदन में भ्रष्टाचार, गलत अलॉटमेंट, कानूनी खामियां आदि बहुत से प्रश्न सामने आये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब कामों को करने के लिये जिस इरादे की, जिस निष्ठा की और जिस दृढ़ता की आवश्यकता है वह सरकार में नहीं है । तो फिर चाहे कैसी भी नीति हो, कैसा भी कानून हो, किसी भी प्रकार की उसकी व्यवस्था हो — वह व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती । आज के शासन की न तो कोई भूमि सम्बन्धी स्पष्ट नीति है, न भूमि सम्बन्धी स्पष्ट कानून है और न ही भूमि सम्बन्धी स्पष्ट आधार है इसलिये यह शासन भटक रहा है । कोई दिल्ली में बैठा हुआ आदमी जिसका कि खेती से कोई ताल्लुक नहीं है, कृषि के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है, उसने एक नारा लोगों को दिया और उसके पीछे सारा देश और उसके दल के लोगों ने भोंपू की तरह बोलना शुरू कर दिया । इस तरह से हिन्दुस्तान नहीं चल सकता । जब तक सही नीतियों का निर्धारण नहीं हो, सही नीतियां नहीं बनायी जायें उनका अमल व्यवहारिक रूप से करना कठिन होगा । प्रधान मंत्री ने कह दिया सीलिंग की सीमा कम होनी चाहिये । एक बड़ा जोरदार नारा लगा, भूमि सुधारों पर तेजी से अमल होना चाहिये । एक और बड़ा जोरदार नारा लगा हरित क्रान्ति को सफल किया जाये । इस तरह से भावना प्रधान नारे इस देश में चल रहे हैं । नारों पर आधारित शासन कभी स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता । कभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता । वह शासन चल सकता है जिसके पीछे इरादा हो, जिसके पीछे स्पष्टता हो—नीतियां हो और कार्यक्रम हो । लेकिन यह कोई नीति नहीं है

(श्री दौलतराम सारण)

लेकिन यह कोई नीति नहीं है। सीलिंग की बात पहले से कहते आ रहे हैं सन् 52 के आम चुनावों से। इसके बाद आपने अपने अभी के चुनाव घोषणा-पत्र में शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग निर्धारित करने का तं किया।

श्री मदनसिंह : इसके आधार पर तो ये चौथा चुनाव लड़ चुके हैं। पर यह सीलिंग की बात इनकी अस्पष्ट है। उनको तो यह भी मालूम नहीं कि भूमि क्या है। अगर वे अलॉटमेन्ट जमीन का सही तरीके से करना चाहते हैं तो उनको गरीबों को और भूमिहीन हरिजनों को करना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : पर इसके पीछे उनकी क्या भावना है। भूमि बांट दी जावे। इस तरह की बातें सुनते हैं तो कलेजा हिलने लगता है कि आखिर ये करने क्या जा रहे हैं। अगर आपकी यही गलत नीति अलॉटमेन्ट की रही तो इसके परिणाम बड़े गलत और भयंकर होंगे।

जैसे उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं। रेगिस्तानी क्षेत्र का सवाल है। अलॉटमेंट पर जोर दे रखा है सरकार ने। वहां बड़े वैज्ञानिक ढंग से गांव बसाये गये थे। हर गांव के पास साग्रीडिंग ग्रेजिंग आदि किसी न किसी नाम से गोचर बीड़ की व्यवस्था की गई थी। पर इस सरकार ने सेटलमेंट में उनको गोचर बीड़ दर्ज नहीं किया। जोड़ ताल दर्ज नहीं किया। उसे सरकारी जमीन मान ली गई। नतीजा यह हुआ कि उसका बाद में तोड़ कर अलॉटमेंट किया जा रहा है अब वहां की भौगोलिक स्थिति यह है कि वहां पानी किसी निश्चित स्थान पर ही मिलता है। पर हुआ क्या कि वहां जो पानी का स्थान था, पानी की कुइयां बनाने का स्थान था वह भी अलॉट हो गया। इस तरह से यह अलॉटमेंट का नारा बुलन्दी के साथ चल रहा है। मैं सरकार को सावधान करता हूं कि इसका परिणाम खतरनाक आवेगा। इस तरह के अलॉटमेंट से खेत तो बेहताशा तरीके से बढ़ते जावेंगे, पर पानी उनके लिये नहीं रहेगा। पानी कहां से लावेंगे? उसका भी तो एक ही सीमित क्षेत्र है।

इन इलाकों में पशु मुख्य जरिया है अपने गुजारे का। पर इसके लिये भूमि चरने के लिये नहीं छोड़ी गई है। चरणोट भूमि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो केवल नारे के पीछे हमें बह जाना है व्यवहारिक कठिनाइयों और उसके नेट परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिये। नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जावेगी।

इस रेगिस्तानी क्षेत्र के अलावा बीहड़ क्षेत्र में भी वन खण्डों की भी कमी है। फिर इनमें भी वैज्ञानिक ढंग से जितने और जैसे चाहिये वे भी नहीं हैं। पर इसके बाद भी रोज नारा सुनते हैं कि वन की जमीन निकाल कर राजस्व में दिया जावे तो यह और भी बड़ा खतरनाक रास्ता है।

हमें वनों का संरक्षण करना चाहिये अन्यथा हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने का डर है। भूमि रक्षण भी अधिक होगा। कटान बढ़ता जावेगा और कई तरह की समस्यायें खड़ी हो जावेगी।

एक तरफ इसके लिये सॉइल कन्जर्वेशन के लिये करोड़ों रुपया खर्च करने का प्रावधान बजट में आप कर रहे हैं या करते रहना पड़ेगा पर दूसरी तरफ उन

(श्री दौलतराम सारण)
वनों को हम खण्डित करते जा रहे हैं और अन्धाधुन्ध अलॉटमेन्ट के नारे के पीछे दौड़ते जा रहे है।

मैं यह भी देखता हूं कि प्रत्येक को जमीन दिया जाना भी असम्भव है।

श्री मदनसिंह : वन विभाग की अच्छी जमीन नाल खाल की अच्छी जमीन काश्त के लिये ली जावे तो इसके तो आप विरोधी नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं अपने विचार रख रहा हूं। आप अपने विचार रख दीजियेगा।

नारे और आन्दोलनों के बलबूते पर फैसला करके नहीं चलना चाहिये। दृढ़ता के साथ भूमि नीति आप निर्धारित करें भूमि के हित में और खेती के हित में सबसे अच्छा सोच विचार कर और फिर उस पर दृढ़ता से अमल करना चाहिये। मैं देखता हूं आज कि यह सरकार कितनी कमजोर है। 59 में इसने सीलिंग कानून पास किया पर 70 तक भी अमल नहीं कर सकी। एक कमाण्ड एरिया में ओराई डेम में दो वर्ष में आपने नाजायज अलॉटमेन्ट करवाये हैं। इस पर अलग अवसर पर विस्तार से मैं जब अवसर आवेगा तो प्रकाश डालूंगा।

भूमिहीनों की बात कही जाती है। इतनी लाख भूमि उनको दी गई। पर अगर छानबीन करवाई जावे तो आपको आश्चर्य होगा कि कृषि पेशा लोगों को बहुत कम जमीन अलॉट हुई है। ज्यादातर तो उनने ली है, जो कृषि पेशा नहीं हैं। जो दूसरे पेशों में पहले से लगे हैं। उनको अलॉट हुई है, खरीद में भी उनको दी गई है। नाजायज तरीकों से, रेगुलेराइजेशन में जमीनें ली हैं। जमीन के मसले को आप इस तरह से हल न करें। नहीं तो, परिणाम इसके बहुत भयंकर आवेंगे। नारेबाजी में प्रभावित होकर भी जमीन के मसले पर नहीं चलें।

इसका सम्बन्ध सीधा हमारी अर्थनीति से है। रोजगारी से है, 80 परसेन्ट जनता के जीवन की रक्षा से और उसके जीवन यापन से है। इसलिये हमें इस मसले को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये। आम आदमी को, जिन्होंने कभी इसे काश्तकारी का पेशा नहीं माना उनको भी भूमि अलॉट करने से काम नहीं चलेगा। कृषि करना आसान काम नहीं है। इसका गहरा ज्ञान और पुश्तैनी अनुभव चाहिये। क्षमता चाहिये। इसके लिये शारीरिक शक्ति भी चाहिये। अभ्यास भी चाहिये। इसलिये जिनका कभी काश्तकारी का पेशा नहीं रहा उनको आप कोई धन्धा दें दूसरा, उद्योग में लगाएं यह तो समझ में आ सकता है। सुनारों को सोना घड़ने के काम से अलग कर दिया तो यह नहीं कि उनको भी आप जमीन दे दें। पर आपने उनको भी जमीन दी। वैसे मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि उनको मिलनी चाहिये ही नहीं या जो पुश्तैनी काश्तकार हैं उनका ही यह ठेका है, यह भी नहीं कहता। अगर दृढ इरादे के साथ कोई काश्त करना चाहता है और मेन धन्धे के रूप में इसे चलाना चाहता है तो मैं उस गैर काश्तकार को भी जमीन दिये जाने का स्वागत करूंगा। पर यह तथ्य है कि हर आदमी खेती नहीं कर सकता। इसके लिये बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। साधनों की,

(श्री दौलतराम सारण)
पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव की और शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता है। और इसलिये खेती के मामले में जो परम्परागत तरीकों से खेती पर आश्रित हैं उन लोगों को खेतिहर मजदूरों को जिनको हम भूमिहीन कहते हैं जो इसी पर निर्भर हैं, उनको देने में प्राथमिकता देनी चाहिये। अन्य लोगों ने नाजायज तरीकों से जो जमीनें हड़प ली हैं उनसे वर्तमान कानून के अन्तर्गत अगर वापिस जमीन छीन सकते हैं, तो छीनें। नहीं तो आर्डिनेन्स बनाकर आप उनसे जमीनें लें वापिस। बिलकुल आर्डिनरी कामों के लिये आप किसी कमेटी के अध्यक्ष के लिये आप आर्डिनेन्स ला सकते हैं, खादी बोर्ड के चेयरमैन के लिये, वाइस चेयरमैन के लिये और कमेटियों के चेयरमैन बनाने के लिये आप आर्डिनेन्स ला सकते हैं तो क्या आप भूमि की समस्या का समाधान करने के लिये, इसकी प्राथमिकता को महसूस करते हुए कोई कानून पास नहीं करवा सकते, आर्डिनेन्स नहीं ला सकते।

पर मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि इस सम्बन्ध में भी आपके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। इसके पीछे अमल करने की दृढ़ता आप में नहीं है। इसलिए वह काम आप कर नहीं सकते। कर नहीं पाते। नाजायज तरीके से आप स्वयं भूमि हड़पना चाहते हैं अपने भाई भतीजों और रिश्तेदारों को और जिनसे आपका काम बनता है, जिनके भरोसे आप इन कुर्सियों पर जमे रहना चाहते हैं उनको खुश करने के लिये आप इस जमीन के अलॉटमेन्ट में भी बेइमानी से काम करना चाहते हैं इसलिए आपका काम सही तौर से हो नहीं पाता। भूमि नीति आपकी स्पष्ट और दृढ़ हो नहीं सकती। पर देश के हित में, कृषि के हित में आपको भूमि नीति के बारे में स्पष्टता लेकर चलना होगा दृढ़ता से काम करना होगा।

प्लानिंग कमीशन ऐसा बना है देश में कि वह सारी नीतियां निर्धारित करता है। वह जो प्लान भेज देता है पोस्ट ऑफिस की तरह से उसे मन्जूर कर लेते हैं और आगे सरका देते हैं। जवाहरलालजी ने एक नारा दिया वन विलेज वन पंचायत और सहकारिता वन स्कूल। सारे देश में वही नारा चल पड़ा। हर गांव में स्कूल पंचायत और सहकारिता। एक बार सहकारी समिति पांच हजार की संख्या की बनाई गई, दूसरे दिन उसे तोड़कर गांव वार बनाया गया। फिर कई गांव मिलाकर बनाई। पंचायत छोटी है की बात कह कर और आज वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण फेल हो रही है तो मैं कहना यह चाहता हूं कि थ्योरी से तो अच्छा लगता है यह सब पर व्यवहारिक दृष्टि से फेल हो जाते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से जो सही साबित हो वह हमें करना चाहिये। उनके इरादे कोई नेक नहीं थे, यह मैं नहीं कहना चाहता पर यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अनुभव का उनमें कतई अभाव था। भूमि नीति ऐसे लोग निर्धारित कर रहे हैं जिन्होंने कभी भूमि जोती नहीं। खेती की नहीं। उन्होंने गलत स्लोगन दिये और उसके गलत परिणाम हमारे सामने आये सहकार आन्दोलन फेल हुआ। पंचायत राज इसी कारण फेल हुआ। इसलिये मैं कहता हूं कि बनावटी नारों से आप प्रभावित मत होइये।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये लेण्ड रेवेन्यू एक्ट है। (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : मुझे ज्ञान है इसका। मेरे मित्र कानून की बातों का हवाला दे रहे थे। पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये हमें। ऐसी बातें कहने के परिणाम गम्भीर होते हैं। यहां हमें सोच समझ कर बोलना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि भावनाओं के आधार पर भूमि समस्या का मसला हल मत करिये। भूमि नीति के मामलों में, कृषि नीति के मामले में नारों से प्रभावित न होकर व्यवहारिक पक्ष देखकर चलना चाहिये आर्थिक दृष्टि से कितनी जमीन जरूरी है, एक ट्रैक्टर के लिये कितनी जमीन चाहिये यह सब देखकर हमें अपनी नीति निर्धारित करना चाहिये। एक तरफ कृषि निगम ट्रैक्टर दे रहा है और दूसरी तरफ यह सरकार दो बीघा जमीन अलॉट करने की बात भी कर रही है। एक तरफ तीस स्टेण्डर्ड एकड़ की बात कर रही है और दूसरी तरफ सीलिंग की सीमा कम करने की बात चल रही है।

राज्य सरकार को चाहिये कि वह अपनी भूमि नीति स्पष्ट करे, व्यवहारिक दृष्टि को सामने रखकर उसको निर्धारित करे, और फिर उस पर दृढ़ता से अमल करे। इकोनामिक बेस भूमि का क्या है और वह भूमि अलॉट किसको की जावे, भूमि आवंटन करने का आधार क्या हो यह सब व्यवहारिक दृष्टि से सोच समझकर तै किया जावे। जो भूमि आवंटन गलत हुआ है उसको सही किया जावे। इस सब की सर्वे कराई जावे। फिर सख्ती के साथ उस पर अमल किया जावे। फिर चाहे कोई भी हो, मुख्यमन्त्री का सहयोगी हो, भाई भतीजा हो चाहे कोई हो, मंत्रिमण्डल का सदस्य हो या उनके भाई भतीजे हों कोई हो सख्ती के साथ गलत अलॉटमेट को खारिज किया जावे। सभापतिजी मैं कहना चाहता हूं कि गांव की आबादी भूमि को अलॉटमेन्ट करने से पहले देखना चाहिये, इसके बाद गांव की आबादी गोचर भूमि को देखना चाहिये और इसके बाद सार्वजनिक भूमि के उपयोग की बात सोचनी चाहिये। इसके बाद ही अलाटमेंट करना चाहिये, जो कृषि कार्य करते आये हैं जिनके पास जमीन नहीं है, गैर पेशा लोग हैं या दूसरे धन्धे में लगे हुए लोग जो एम्प्लाइड हैं उनको खेती के लिये जमीन देना या लेना बिल्कुल गैर वाजिब बात है, अव्यवहारिक है, अनुचित है। इसलिये इस समस्या को पैदा होने से रोकना चाहिये। बहुत से प्रश्न और हैं—इस विभाग के दो विभाग कर रखे हैं। एक उपनिवेशन विभाग और एक राजस्व विभाग। एक राजस्व मंत्रीजी और दूसरे उपनिवेशन मंत्री जी। एक ही विभाग को दो मंत्री डील करते हैं। एक मंत्री को कोई बात कहते हैं तो वह मंत्री कह देता है मेरा सम्बन्ध नहीं है। इसी तरह दूसरा मंत्री जवाब दे देता है। वास्तविकता यह है कि भूमि को दो तरह से नहीं देखा जा सकता है, उसके लिये एक कार्य की जरूरत है इसलिये मैं कहना चाहता हूं अगर आप चाहते है भूमि की समस्या सही तरीके से हल हो, ईमानदारी से हल हो, तो इसको अमल में लायें। वाकई आप तरक्की करना चाहते हैं और आर्थिक क्रान्ति करना चाहते हैं भूमि के सम्बन्ध में तो भूमि के अलॉटमेंट को ठीक कीजिये

(श्री दौलतराम सारण)
और भूमि पर काम करने वालों को उद्योगों में लगाइये। आज से डेढ़ सौ वर्ष पहले अमेरिका की भी वही स्थिति थी जो आज भारत की है लेकिन उन्होंने अपने उत्पादन में सुधार किया। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से उन्नति की है। मुझे अवसर नहीं दिया गया है कि मैं तुलनात्मक दृष्टि से पेश कर सकूं इसलिये मैं कहना चाहता हूं हम लोग जो नारा देते हैं हर एक को जमीन दी जाय, यह बिल्कुल गलत है। हमें इसके बजाय रोजगार का नारा बनाना चाहिये न कि जमीन देने का नारा और जमीन से हटा कर दूसरे धन्धों में लगाना चाहिये। अगर आप बेकारी को दूर करना चाहते हैं, असली समाजवाद लाना चाहते हैं, क्रान्ति लाना चाहते हैं तो केवल इन नारे बाजी से काम नहीं चलने वाला है। नारा अब रोजगार देने का रखना होगा।

आप देश को भिखमंगा, अर्द्ध नंगा और अर्द्ध भूखा बनाना चाहते हैं इसलिये आपको पुनः विचार करना चाहिये। इन्दिराजी ने कह दिया इसलिये इसको को हरित क्रान्ति या समाजवाद का नारा नहीं मानना चाहिये। बहुत से प्रश्न हैं लेकिन समय का अभाव है—जिनको हल करने की आवश्यकता है।

लगान एक ही तरह की जमीन पर अलग अलग। सोइल क्लासीफिकेशन में भिन्नता। उसमें एक जगह लगान की दर कुछ तो दूसरी जगह लगान की दर कुछ और तीसरी जगह अलग। इस तरह से जमीन के 8-8, 10-10 तरह के क्लासि—फिकेशन में फर्क। इस तरह मैं कहना चाहता हूं आपकी भूमि सम्बन्धी नीति में न कर में समानता है और न कोई आधार है और न भूमि के क्लासिफिकेशन का कोई आधार है, न सीलिंग का आधार है। सीलिंग में जो क्लासिफिकेशन किया है वह बिल्कुल गलत ढंग से किया है। मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं एक एक जिले और एक एक तहसील का उदाहरण बता सकता हूं। कोई भूमि की उर्वरा शक्ति का ख्याल नहीं, कोई भूमि के सेटिलमेंट का आधार नहीं इसलिये मैं कहना चाहता हूं भूमि के मामले से जितने सम्बन्धित प्रश्न हैं उनको एक कन्सोलिटेड रूप में, एकत्रित रूप में हैं उनको अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो देश की अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से, दूर दर्शिता की दृष्टि से, देश के भविष्य निर्माण की दृष्टि से उचित नहीं होगा आप जो गैर जरूरी कानूनों के लिए अध्यादेशों का सहारा लेते हैं उसके लिये आप इन्तजार कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके अपना सकते हैं लेकिन आप में शासन की दूर दर्शिता नहीं है।

चाहे कोई आपका आज एस. डी. ओ., तहसीलदार हो, कलेक्टर हो और चाहे कोई और अधिकारी हो शासन में जब शिथिलता होती है, योग्यता का अभाव निष्पक्षता का अभाव होता है, दूरदर्शिता का अभाव होता है, प्रमाणिकता और चारित्र्य का अभाव होता है तब शासनतन्त्र ढीला पड़ जाता है, शासन की बागडोर शिथिल हो जाती है और आपा धापी मच जाती है। आज न तहसीलदार कन्ट्रोल में है, न एस. डी. एम. कन्ट्रोल में है और न कलेक्टर ही कन्ट्रोल में है जो सरकार के हुकुम की कतई परवाह

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं करता है जिसे हम शासन का मेरुदण्ड कहते हैं। अगर आप अपने कार्यक्रम पर अमल करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार कीजिये। अगर यह बात होगी और दृढ़ इरादे से होगी और दृढ़ता से पालन करवायेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आयेंगे और जो खिलाफत करें उस पर सख्त कार्यवाही करें। आप क्या कार्यवाही करते हैं कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं करते हैं! इसलिये शासन में पूर्ण शिथिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री जी। समय का आप भी ध्यान रखें। जो जनरल पॉलिसी के मेटर्स हैं उनको ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : नहीं. आज तो इनको खूब बोलने दो।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति जी, सदन में जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं और मैंने भी निवेदन किया था। कुछ बातों पर इनमें से मैं अपने मुख्तसिर विचार रखना चाहता हूं। हमारे डूंगरगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। ऐसा लगता है कि उनकी शिकायत और विचारों में काफी तब्दीली हुई है। जो बातें कुछ अर्से पहले बहुत अच्छी समझते थे वे बातें आज बहुत बुरी समझने लगे हैं। इस पंचायती राज को कुछ अर्से पहले बहुत अच्छा मानते थे....

श्री दौलतराम सारण : अब भी मानता हूं लेकिन आपके नकली पंचायती राज को नहीं।

श्री मदनसिंह : अगर देश के लिये खराब सिद्ध हुई है तो कम से कम खराब तो मानते हैं। कोई गाय की तरह पूंछ तो नहीं पकड़ी है।

श्री दौलतराम सारण : पंचायत राज आज भी अच्छा मानता हूं लेकिन असली पंचायत राज हो तब न।

श्री रामकिशोर व्यास : सहकारिता को भी वे अच्छा मानते थे लेकिन अब उसकी भी बुराई करने लगे हैं। अवसर आयेगा तब बताऊंगा....

श्री दौलतराम सारण : मैं मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं वस्तुस्थिति क्या है? यह आप भी जानते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : गांवों में लुहार हैं—मजदूर पेशा आदमी हैं उनको जमीन दी जाय तो वह भी गैर मुनासिब होती है। आपने यह भी बात कही है कि राजस्थान सरकार की भूमि सम्बन्धी नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। कोई नीति नहीं, अनिश्चित अवस्था है....

श्री दौलतराम सारण : बिलकुल सही है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन करूं जहां तक भूमि सम्बन्धी नीतियों का प्रश्न है वह इस सदन ने खुद ने तय की है। इस सदन ने बहुत सारे नियम और बहुत कायदे कानून बनाये हैं और वे क्रियान्वित हुये हैं। जहां तक नीतियों का प्रश्न है इस हाउस के द्वारा निर्धारित की हुई हैं जैसे टीनेन्सी लाज हैं, लेवर लाज हैं और बहुत सारे नियम हैं—इस सदन ने तय किये हैं और नीतियां निर्धारित की हैं।

(श्री रामकिशोर व्यास)
इसमें दो बात नहीं है नीतियों का जहां तक ताल्लुक हैं, स्पष्ट नीतियां हैं। आप कह सकते हैं तो यह कह सकते हैं कि क्रियान्विति नहीं हुई हैं, इसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ। यह बात कह सकते हैं। इसमें आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें अधिक भाग अमल में लाया गया है लेकिन एक चीज ऐसी है कि जिसमें डिले हुई है, जिसमें देरी हुई है और वह हमारे बियोण्ड रीजन्स हुआ है। बाकी और बातों को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और जो नीतियां इस हाउस ने तय की हैं उन पर अमल बराबर हुआ है। लैण्ड रिफार्म्स के बारे में जो मुख्य मुद्दा है मैं कह सकता हूं कि राजस्थान अन्य राज्यों से आगे भी है और पीछे रहने का सवाल तो है ही नहीं। आज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर माना जाता है। राजस्थान में काफी अरसे से तय हो रहा है। आज किसी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता सिवाय उन नियमों के तहत जो कि कानून में दिये हुए हैं। जो रेन्ट की बात है उसके बारे में आपको मालूम है कि यहां जो रेन्ट चार्ज किया जाता है 1/6 रेन्ट हम चार्ज करते हैं और आज कई जगह ऐसी मिलेंगी जहां कि यह रेन्ट ज्यादा चार्ज करते हैं और राजस्थान में ही फिक्सेशन ऑफ रेन्ट हुआ है वह कहीं बेहतर हुआ है बमुकाबले और राज्यों के और आज उसका अमल भी हुआ है।

इसी तरह से टैनेन्सी एक्ट बना 56 के अन्दर और एक स्ट्रोक ऑफ पेन से आपने खातेदारी राइट्स लोगों को दे दिये। उस पर अमल भी हुआ है और मैं यह भी कहता हूं कि सेक्शन 15 और सेक्शन 19 जो टेनेन्सी एक्ट में थे उसके अन्दर लोगों को खातेदारी राइट्स मिले हैं और उसकी दफा 15 के अन्दर 5, 37, 642 लोगों को खातेदारी हकूक मिले हैं और सेक्शन 19 के अन्दर 1,99,505 आदमियों को खातेदारी हकूक मिले हैं। तो ऑनरशिप के जो राइट्स हैं वह भी लोगों को दिये गये हैं। खातेदारी हकूक दिये गये हैं। मैं इसके और अधिक ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इशारतन कहना चाहता हूं कि जो भूमि के संबंध में नीति है उसके ऊपर अमल किया गया है।

डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ लैण्ड और भूमि के आवंटन का सवाल है उसके बारे में कल बताया गया और आज भी कहता हूं कि 50 लाख एकड़ भूमि मोटे तौर से भूमि का आवंटन राजस्थान के अन्दर हुआ है और यह आंकड़े हैं जिनको कि यह भूमि दी गयी है वह भूमिहीन हैं। इसी तरह से सीलिंग वाली बात मैंने कही कि उसमें जरूर डिले हुई है और इसको मैं मानता हूं। लेकिन इस संबंध में लिटीगेशन हुआ, हाईकोर्ट में झगड़े हुए—उसकी वजह से डिले हुई। इसी तरह से क्रेडिट फैसेलिटीज वगैरह के मामले हैं वह हमारे सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हैं। हमने लोगों को बैंक क्रेडिट दी, कर्जा दिलाया वह सब नीतियां हमने निर्धारित की हैं। इसके अलावा हमने यह नीति भी तय की है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीन है वह जमीन किसी को नहीं दी जा

(श्री रामकिशोर व्यास)

सके और उस पर भी हमने फैसला किया है और अमल किया गया है ।

इसी तरह से जो गैर खातेदार लोग थे वह रहन रखकर विकास के कामों के लिए रहन नहीं रख सकते थे वह भी उनको हक दिये गये हैं और वह भी अपनी जमीन गैर खातेदार लोग अपनी जमीन रखकर बैंक से रुपया ले सकते हैं । यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नीति है जो कि आपने तय की है और राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अमल किया है । इसकी मौजूदगी में कहना कि राजस्थान गवर्नमेन्ट की कोई नीति नहीं है उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि यह कहना तथ्यों पर आधारित बात नहीं है ।

एक बात इस सदन में बहुत जोरों से कही गयी और वह कल भी कही गयी और आज भी कही गयी और वह बात भूमि हथियाओ आन्दोलन के बारे में थी और उसकी बड़ी माकूल दलील दिये जाने की कोशिश की गयी । उनकी दलील सबसे बड़ी यह थी कि भूमि छीनो आन्दोलन इसलिए करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा अलॉटमेंट करे और एक्साइट करना चाहते हैं, ज्यादा तरजीह देना चाहते हैं कि वह करें । दूसरी दलील यह दी कि चूंकि भूमि गवर्नमेंट अलॉट नहीं करना चाहती है इसलिए हमको जबरदस्ती लेनी पड़ती है । इस प्रकार की दलीलें सामने आईं । मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट की नीति बहुत साफ रही है । नीति भी रही और उस पर अमल भी रहा है कि इसमें बड़ी तादाद में भूमिहीनों को जमीनें दी गईं और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अभी इस ब्यौरे में तो नहीं जाना चाहता कि इतनों को भूमि दी गई है और इतनों को नहीं दी गई है । आप समझ सकते हैं कि यह कितने बड़े पैमाने पर काम है और इतने बड़े पैमाने पर होने वाले काम में दो-चार-पांच परसेन्ट गलतियां भी हो सकती हैं—यह तो मैं मान सकता हूं लेकिन सारे के सारे मामले सौ में से सौ या सौ में से अस्सी परसेन्ट गलत अलॉटमेंट हुए हैं यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं । हां, यह मैं मानता हूं कि दस-पांच परसेन्ट अलॉटमेंट गलत हुए होंगे यह समझ में आता है । जिन अधिकारियों को यह अलॉटमेंट के काम दिये गये थे हो सकता है कि उनमें कहीं कमजोरियां आई हों और कुछ लोगों ने गलत डिसीजन लिया हो, यह मानता हूं लेकिन 80 परसेन्ट या 90 परसेन्ट अलॉटमेंट भूमि के ठीक किये गये हैं । तो यह कहना कि राजस्थान गवर्नमेंट भूमि देना नहीं चाहती और इस वजह से भूमि हथियाओ आन्दोलन करना पड़ता है तो यह दलील उनकी सही नहीं है और ठीक लगती भी नहीं है ।

इसी तरह से एक दलील इसके लिए यह दी जाती है कि हम तरजीह देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूं कि जब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि गांधी सैन्टेनरी में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन दी जायेगी तब आपने ही यह डिसीजन लिया था । राजस्थान गवर्नमेन्ट का फैसला कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं इनको ही केवल इस वर्ष भूमि दी जाये यह तो आपका फैसला उसके बाद का फैसला है इसलिए यह कहना कि भूमि गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है और इसलिए यह भूमि

(श्री रामकिशोर व्यास)

हथियाओ आन्दोलन करना पड़ता है, यह दलील सही नहीं है। लेकिन मैं नीति के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में और जो भूमि हथियाओ आन्दोलन है इसमें भेद है और डेमोक्रेसी एक रूल ऑफ ला है—इसको आप नहीं मानेंगे तो डेमोक्रेसी को बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचेगी और इससे डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचता है। आज किसी की जमीन जबरदस्ती छीनना जिसको कि वह कानून के हक से मिली है कहां तक उचित है यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। आज तो आप छीन रहे हैं जमीन और कल को किसी के मकान में घुसना चाहोगे, किसी के पेन को छीनना चाहोगे, किसी की किताबें छीनना चाहोगे और फिर किसी के कपड़े उतरवाना चाहोगे तो यह कौन समाज बरदाश्त करेगा। जिस चीज की कानून इजाजत देता है उसको आप लेना चाहते हैं, उसको आप छीनना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के ये चीजें माफिक पड़ती ही नहीं है। हां जो बात आप करना चाहते हैं उसके भी जरिये हैं और उस जरिये से आप एजीटेट कर सकते हैं लेकिन रेस्पेक्टफुल ला के साथ लेंगे तो डेमोक्रेसी को आप बढ़ायेंगे और डेमोक्रेसी की मदद करेंगे....

श्री मदनसिंह : डेमोक्रेसी में तो कक्कड़ को जमीन दी जा सकती है।

श्री सभापति : Don't disturb.

श्री मदनसिंह : I have right to say when the Hon. Minister says something about democracy. डेमोक्रेसी में एक हजार बीघा जमीन कक्कड़ एण्ड कं० को दी जा सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन बातों से तो डेमोक्रेसी को खतरा पहुंच रहा है और कोई भी समाज इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। यही निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात यह कहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कोई जमीन नहीं दी गई और उनके लिए बहुत बुरा जमाना आया ऐसा यहां पर कहा गया। मैं आपसे कहता हूं कि इससे अच्छा जमाना और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कब आने वाला है। आज उनके लिए बेहतर से बेहतर जमाना है। मैं आपको कह सकता हूं क्योंकि 20 साल से काफी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काम हुआ है यह मैं मान सकता हूं कि जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ है और मैं इसको भी मानता हूं कि और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिये आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का वह जमाना है कि उनमें आई. ए. एस. आफिसर हैं, आई. पी. एस. हैं, कलेक्टर्स हैं, एस. पी. हैं और वह जमाना भी आपकी नजर में है जब कि यह लोग कभी इतने ऊपर नहीं आ सकते थे। वह जमाना कभी देखा नहीं होगा। इसलिए यह कहना कि उनके लिए सबसे खराब जमाना आया है यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं सवा तीन लाख अनसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को अलॉटमेंट हुआ है और

(श्री रामकिशोर व्यास)

15 लाख एकड़ भूमि अनसूचित जन जाति के लोगों को दी गई है कुल 50 लाख में से 15 लाख का एवरेज निकालें तो एक-तिहाई के करीब करीब होता है उस लिहाज से मैं समझता हूं कोई अनफेयर अलॉटमेंन्ट नहीं हुआ है और 15 लाख आउट ऑफ 50 लाख के अन्दर से है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो लेटेस्ट फीगर्स दिये थे भूमि-सुधार कमेटी की मीटिंग में वह मेरे पास में हैं उसमें आपने 43 लाख बताया है।

श्री मदनसिंह : उसके बाद में 10 दिन हो गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह 26....

श्री रामकिशोर व्यास : 18 लाख प्रोजेक्ट का है उसका अलग है ?

मैं अर्ज कर रहा था कि यह हमारी नीति है और यह कहना कि हरिजनों के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आज बहुत खराब जमाना है, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, और सही भी नहीं है।

और जिन बातों को सदन में उठाया गया है मैं मुख्तसर में कह देता हूं। अब रहा सवाल जो यहां पर आया है कि इन नये रूल्स के अन्दर कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वह मिसरिप्रेजन्टेशन, फ्राड, वायलेशन ऑफ रूल्स के बिना पर अगर कोई बेजा बात हुई है तो अलॉमेंन्ट को कन्सीडर करके किसी की एप्लीकेशन पर वह सेट असाइड कर सकता है। लेकिन यह सवाल सामने आता है कि जो पुराने केसेज हैं, जो पुराने अलॉटमेन्ट हुए हैं उसके बारे में क्या होगा ? मैं निवेदन करूंगा कि कल भी मैंने निवेदन किया था कि सारे अलॉटमेन्ट रूल्स के तहत में होते हैं और रूल्स बने हुए हैं अलॉटमेन्ट के और रूल्स के तहत में अलाटमेन्ट का प्रोसेस होता है तो कैन्सिलेशन का प्रोसेस भी रूल के तहत में होता है। किसी को कैन्सिल करना पड़ेगा तो रूल्स के तहत में करना पड़ेगा। वैसे नहीं कर सकते हैं। किसी के जायज अलॉटमेंन्ट को हटा दें तो सेट असाइड भी हो सकता है क्योंकि जिन लोगों के हक पैदा हो गये हैं....

श्री मदनसिंह : राजाओं के राइट्स और प्रिवीपर्स को निरस्त किन रूल्स के अन्दर किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह संविधान के अन्दर किया गया है।

श्री मदनसिंह : गिरी, गिरी के आदेश से।

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स के तहत करना पड़ेगा।

श्री मदनसिंह : प्रेसिडेन्ट से यह भी आदेश दिला दें कि हरिजनों को राइट मिल जाय जमीनों का।

श्री रामकिशोर व्यास : जब रूल्स के खिलाफ किया जायेगा तो सेट एसाइड किसी वक्त भी हो सकता है। 10-15 साल अलॉटमेन्ट को हो गये। ग्रोमोर फूड कैम्पेन

(श्री रामकिशोर व्यास)
की जमीन की बात आती है तो विचारणीय बात यह रह जाती है कि उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। उन पर उन लोगों के राइट्स क्रियेट हो गये, इन्वेस्टमेन्ट हो गये तो उनको सरलता से हटा सकते हैं क्या ? यह लीगल पॉइन्ट विचारणीय है। लेकिन जहां तक····

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप से नहीं हो सकता है तो दूसरे करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : रूल नहीं है या वह नहीं यह मुझे तस्लीम नहीं है।

हमसे बनेगा उतना हम करेंगे और बाकी रहेगा तो और करेंगे। हमारा ही ठेका थोड़े है। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे और और लोग भी करेंगे। आज आप करेंगे तो उसके बाद में आपके बाद में आने वाले लोग भी करेंगे। तो यह सिलसिला जारी रहता है दुनियां के अन्दर और वह बराबर जारी रहेगा। पहले भी किया है और अब भी हो रहा है और बाद में भी लोग करेंगे और उससे ज्यादा करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : यह ब्रह्मज्ञान की बातें हैं आप उसमें कहां पड़ गये।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि सेक्शन 14 (4) के अन्दर कलेक्टर को अधिकार दिया है और उसके परव्यू में यह आता है कि कहीं पर ऐसा गलत अलॉटमेन्ट हो गया है या तहसील की कमेटी वगैरहा ने किया है तो उसको कन्सीडर करके उसमें संशोधन करेंगे, ऐसा मै मानता हूं। जो आवंटन हो गये हैं उनमें लीगल डिफिकल्टीज के कारण····

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से एक स्पष्टीकरण चाहा था···

श्री सभापति : आप बाद में। बड़ा धाराप्रवाह भाषण चल रहा है क्यों टोकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी चाहूंगा कि इस अमेंडमेंट के पहले राजस्थान सरकार को डाइरेक्टली जमीन एलॉट करने के पावर्स थे या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कल अर्ज किया था। इस दृष्टिकोण से कि रूल 161 जो पहले के अलॉटमेंट रूल्स का है उसके अन्दर गवर्नमेंट को एलॉटमेंट करने का अख्त्यार है।

श्री भैरोंसिंह : एक्ट में है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्ट के अन्दर दिया जाता नहीं है वह रूल्स के अन्दर ही दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : एक्ट के सेक्शन 101 है इसमें आपने, राज्य सरकार ने तहसीलदार को लैण्ड एलॉटमेंट के राइट्स दिये हैं तो गवर्नमेंट कैसे अलॉटमेंट कर सकती है। यह एक कन्फ्यूजन था और हाई कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट के फैसले भी इस सम्बन्ध में हो चुके हैं। केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : कल मैंने अर्ज किया था उस वक्त आप तशरीफ नहीं रख रहे थे। गवर्नमेंट जो है वह जमीन की मालिक है, लैण्ड की ऑनर है और जो

(श्री रामकिशोर व्यास)

गवर्नमेंट लैण्ड को ऑनर है वह एलॉटमेंट भी कर सकती है, वह उसको वापिस भी ले सकती है। जो 161 का रूल है उसमें इस बात को रखा था कि जो एलॉटमेंट होगा को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को वह यहां से होगा, पंचायत समिति वगैरह को वह यहां से होगा। 15 बीघा का एलॉटमेंट तो कमेटी करेगी लेकिन उससे एक्सेस का यहां से होगा। वह 161 में प्रोवीजन है। लेकिन सवाल इस तरह का आया था कि एक्ट में गवर्नमेंट को इस तरह के पावर्स हैं कि नहीं कि वह अलॉट कर सकती है या नहीं? हम इस शंका को मिटा देना चाहते हैं और इसके लिए एक स्पेशल प्रोवीजन कर देना चाहिए कि गवर्नमेंट एलॉटमेंट कर सकती है, और गवर्नमेंट को एलॉटमेंट करने की जरूरत भी पड़ती है। ऐसा उसका हक भी है। जैसा कि मैंने अर्ज किया पंचायत समितियों के बारे में, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, मिलिट्री पर्सनल्स के बारे में अक्सर गवर्नमेंट को अलॉटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अलॉटमेंट कमेटी जो अलॉटमेंट करती है वह एक पर्टीक्यूलर एरिया में ही अलॉटमेंट कर सकती है, जैसे, मानलें कि अलॉटमेंट एक पंचायत में करना पड़ता है तो वह उस जगह की अलॉटमेंट कमेटी ही कर सकती है और दूसरे जिले में या अपने क्षेत्र के बाहर वह नहीं कर सकती है। यदि दूसरे जिले में अलॉटमेंट करना होगा किसी दूसरे जिले में किसी मिलिट्री पर्सनल को देना होगा तो वह गवर्नमेंट वहां पर कर देगी। इसलिए गवर्नमेंट के पास यह अधिकार होना जरूरी है। इसलिए बात साफ भी है कि गवर्नमेंट को वह अधिकार भी है।

श्री भैरोंसिंह : मगर एक्ट में…

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड ने निर्णय दिये हैं कि सरकार को अधिकार नहीं है। क्या आपने उन हाई कोर्ट के निर्णयों पर मनन किया है? क्या यह मानलें कि आपने उनको पढ़ा है?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट को अधिकार है इस बात का क्योंकि गवर्नमेंट लैण्ड ऑनर है और हर ऑनर को अधिकार है।

श्री मदनसिंह : अगर यह अधिकार है तो हरिजनों के हक क्यों नहीं हो जायं आपके यहां से?

श्री रामकिशोर व्यास : वह इसलिए नहीं करते हैं कि बड़ी कम्प्लीकेसीज हैं। इनमें भी देखना पड़ेगा कि कौन मुस्तहक है और कौन नहीं। तो कमेटी के जरिये जिसमें नॉन ऑफिशियल मेम्बर भी बैठते हैं तो वह बैठकर ज्यादा अच्छी तरह से फैसला कर सकते हैं। हरिजनों में भी बहुत से अच्छे लोग हैं। तो उनमें भी किस हरिजन को मिलना चाहिए वह देखना पड़ेगा। इसलिए उसको ऐसा किया गया है।…

एक माननीय सदस्य : गंगानगर में…

श्री भैरोंसिंह : माननीय राजस्व मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे। सेक्शन 161 में लिखा है—

"Save as otherwise provided elsewhere by this Act, land for agricultural purposes shall be allotted by a Tehsildar after entering the application........"

(श्री भैरोंसिंह)

तो राज्य सरकार ने यह जिस समय कानून बना था उस समय विधान सभा में इस कानून में यह व्यवस्था रखी थी कि जमीन का अलॉटमेंट तहसीलदार द्वारा जो कमेटी बनाई जायगी उसके द्वारा ही अलॉटमेंट होगा। उसमें गवर्नमेंट कहां से आती है ? आप इनहेरेन्ट राइट लेते हैं, लैण्डलॉर्ड हैं इस कारण जमीन देने का अधिकार है वह बात दूसरी है, लेकिन सेक्शन 101 में आपको इस प्रकार का अधिकार नहीं था। जहां तक किसी को-ऑपरेटिव सोसाइटी आदि को देने का प्रश्न है वह आगे के सेक्शन में इस प्रकार का अधिकार मिला है, लेकिन एग्रीकलचरल लैण्ड को एग्रीकलचर परपज के लिए अलॉटमेंट करने का राइट सेक्शन 101 में था, वह इसके अन्दर आपको नहीं मिला है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें लिखा है और आपने जो पॉइंट उठाया है उसमें दो बातें लिखी हैं—Subject to provisions of the Act, and subject to rules.

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड........

श्री रामकिशोर व्यास : "Save as otherwise provided elsewhere by this Act, land for agricultural purposes shall be allotted by a Tehsildar after entering the application in the register kept for the purpose and allotment by him shall be subject to such rules as may be made by the State Government from time to time in this behalf."

श्री भैरोंसिंह : तहसीलदार अलॉटमेंट करेगा सबजेक्ट टू दी रूल्स मेड बाई दी गवर्नमेंट।

श्री रामकिशोर व्यास: यह गवर्नमेंट के अलॉटमेंट के राइट को बार नहीं करता है। यह जो सेक्शन है वह गवर्नमेन्ट के अलॉटमेन्ट के राईट को बार नहीं करता है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट को अलॉटमेन्ट के अधिकार भी नहीं देता है।

श्री रामकिशोर व्यास : ज्युरिसप्रूडेन्स का बेसिक प्रिन्सीपल है कि जो लैण्ड ऑनर है वह मालिक है। वह जमीन दे भी सकता है। देट इज दी बेसिक प्रिन्सीपल ऑफ दी ज्युरिसप्रूडेन्स। अगर आपका मकान है, बंगला है तो आप उसको किराये पर भी दे सकते हैं, उसको रख भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट का कौनसा हिस्सा है तहसीलदार ? Government is represented by Council of Ministers and Government is also represented by the Tehsildar. [After all, the Tehsildar also represents Government.

श्री रामकिशोर व्यास : तहसीलदार को अधिकार देने का मतलब यह है कि उनको गवर्नमेन्ट के पावर्स चले गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Tehsildar represents the Goveroment.

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड के जजमेंन्ट आपके ध्यान में आये कि नहीं जिनमें कि गवर्नमेन्ट के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड ने यह लिखा है कि गवर्नमेन्ट को पावर्स नहीं है सेक्शन 101 में। ये पावर्स केवल तहसीलदार को हैं जो कि रूल्स के मातहत अलॉटमेन्ट कर सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसी वजह से तो बहुत साफ कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : आप साफ कर दें यह तो अच्छी बात है लेकिन जब तक आपने सफाई नहीं की, जब तक वह साफ नहीं हुआ, उसके पहले अलॉटमेन्ट हुए हैं उसकी क्या पोजीशन होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसको हम मानते हैं। हमने इस बात को तस्लीम किया नहीं है कि गवर्नमेन्ट को पावर नहीं है। आज बीस वर्ष से यह गवर्नमेन्ट बनी है और बराबर अलॉटमेन्ट होता चला आ रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट के जजमेन्ट....

श्री शंकरलाल : लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में ऐसा है कि जो ऐसे पावर्स हों जो कि तहसीलदार में वेस्ट करते हों वे एस. डी. ओ. में वेस्ट करते हैं जो कि उसके ऊपर का ऑफिसर है, जो पावर्स एस. डी. ओ. को हैं वे पावर्स कलेक्टर के हैं और कलेक्टर के पावर्स को गवर्नमेन्ट एक्सरसाइज कर सकती है। यह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 21 या 22 में है। इसलिए 101 में तो स्पेसिफिक पावर्स दिये हैं। उस प्रकार से गवर्नमेन्ट के पावर्स थे ऑलटमेन्ट के।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक मेरी व्याख्या है, वह है कि कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड की कोई रूलिंग नहीं है। कुछ और भी पॉइण्ट्स आये हैं। जैसे जालोर की डेयरी की जमीन के बारे में आया है। डेयरी को जो 1 हजार एकड़ जमीन दी गई है, वह एक बड़े पैमाने पर डेयरी चलाना चाहते हैं। जैसे अमुल डेयरी है। उसी पैमाने पर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या वह डेयरी के लिए जमीन रूल्स के आधार पर दी है ? या इन रूल्स में नहीं दी है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी डिटेल्स फर्दर इनफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन के रूप में पूछ लें। मैंने यह जानकारी आपको दे दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डेयरी रूल्स के तहत में आपने दी है।

श्री मदनसिंह : अगर इनक्वायरी में आपको मालूम हो जाए कि यह डेयरी रूल्स के खिलाफ दी है तो क्या आप वापिस ले लेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने रिकमेण्ड किया है, तब उनको दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह नहीं है। फाइल में यह तो होगा कि फलां को फलां काम के लिए एक हजार एकड़ जमीन दे रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अच्छे काम के लिए दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसकी क्या प्रमाणिकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल्ड इनफार्मेशन चाहिए तो वह मैं बाद में दे सकता हूं। इस वक्त, पहले से मुझे इनफार्मेशन नहीं थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह तो बताइये, यह जो अलॉटमेन्ट किया गया है, इसके लिए एप्लीकेशन किसकी है ? उसका नाम क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन है यह भाग्यशाली ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : बताइये, यह कौन भाग्यशाली है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतना मैंने सुना है कि बहुत अच्छे लोग हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अलॉटमैन्ट आपके हाथों से हुआ है या सुखाड़िया जी के हाथों से ?

श्री रामकिशोर व्यास : कृषि विभाग की सिफारिश पर किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्व मन्त्री व्यास ने अप्रूवल और सैंक्शन अपने हाथ से दी है। फाइल सामने आई है। आपको नाम मालूम नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : आई है, मैंने निवेदन किया कि डिटेल्ड इनफार्मेशन मैं अभी नहीं दे सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक हजार एकड़ जमीन दी जाये और आपको नाम मालूम नहीं हो ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी मुझे याद नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपको याद है। लेकिन आप जानकारी देना नहीं चाहते है। माफ करना, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्व मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार यदि सदन के सामने गलत तथ्य रखने की कोशिश करेंगे तो हम सदन में यह चलने नहीं देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : इस तरीके की गुफ्तगू आपको मुनासिब नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक हजार एकड़ जमीन का प्रश्न है।

श्री रामकिशोर व्यास : जानकारी मैं रखता नहीं हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप के रेवेन्यू अधिकारी बैठे हैं, जानकारी क्यों नहीं करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आवश्यक समझता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप बाद में नोटिस देकर जानकारी कर सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मारफत जानकारी करना चाहता हूं। क्या राजस्थान सरकार की यह नीति है कि एक तरफ तो

(श्री दौलतराम सारण)

15 एकड़ जमीन की सीमा निर्धारित करते हैं और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग को जो कृषि क्षेत्र में नहीं था, उसके लिए आप ट्यूबवैल, डेयरी फार्म, कृषि फार्म या चम्बल खोहों के नाम पर हजारों एकड़ जमीन देना अपनी घोषित नीति के विरुद्ध देना मानते है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैने आपके सामने अर्ज किया है। इसी तरह से वाटर सप्लाई का है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कक्कड़ डेयरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड कौन है ? क्या इन्होंने डेयरी की मशीनरी खरीद ली है ? जानवर खरीद लिए हैं ? यह सारी जानकारी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा जवाब यह है की आप सवाल पूछ लें। मैं पूरी इत्तिला दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसी बारे में सवाल है, और सवाल क्या पूछें ? रूल्स के बारे में पूछें।

श्री दौलतराम सारण : एक तरफ सीलिंग कानून बनाकर आप समाजवाद कायम करने का नारा दे रहे हैं। हरित क्रान्ति का बहाना दे रहे हैं। और पूंजीपतियों को हजारों एकड़ जमीन दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं यह चार्ज रेवेन्यू मिनिस्टर पर ही नहीं रामानन्द जी पर भी लगाऊंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने जालोर में एक हजार एकड़ जंगल दे दिया। यह सम्पत्ति सरकार की थी। आपने उसको काटने और बेचने का अधिकार कैसे दे दिया ? क्या आपने सांठ गांठ की है ? क्या जंगल में खड़े पेड़ सरकारी सम्पत्ति थे क्या बेचने का राइट नहीं दिया है ? लखपति तो आपने वैसे ही बना दिया है। आपने एग्रीमेण्ट किया है। आपने दस्तखत किये हैं। क्या आपने व्यवस्था की है ? जंगल में लाखों रुपयों की सम्पत्ति खड़ी है। उसकी सुखाड़िया जी से सांठ गांठ थी आपने दबाव में आकर दिया है।

(शेम-शेम, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने 3 बीघा भूमि के लिए 6 वर्ष तक कागजों को लटकाये रखा। मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी पर चार्ज लगाऊंगा क्यों नहीं रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यह कहा कि यह रूल्स के खिलाफ है। गरीबों के कागजों को रेवेन्यू सेक्रेटरी लटका कर रखते हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की है ? क्या रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यह रिपोर्ट की है कि यह जमीन नहीं दी जा सकती है ? अगर ऐसी रिपोर्ट है तो मैं सही समझता हूं कि सरकार की गलती हो सकती है वरना रेवेन्यू सेक्रेटी ख्वामाख्वाह आब्जेक्शन करें तो मेरा निवेदन है कि सबसे बड़ी किसी की सांठ गांठ हो सकती है तो रेवेन्यू सेक्रेटरी की सांठ गांठ है। क्या उन्होंने सीलिंग रूल्स को नहीं देखा है ? आज कल क्या रूल्स हैं; क्या यह नहीं देखे हैं ? मैं समझता हूं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो कुछ सांठ गांठ कर रखी है, उन्होंने खुद अंधेरे में रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने पिछले सैशन में,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जो मई के महीने में हुआ था, सीलिंग कानून के अन्तर्गत एक्जेम्प्शन को विथड्रा किया था, स्पेशली डेयरी फार्म के लिए जो एक्जेम्प्शन था वह विथड्रा किया था ••

श्री कृष्णकुमार गोयल : 13-8-70 को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 13-8-70 को यानि अगस्त के महीने का आॅर्डर है। तो एक तरफ जब सीलिंग कानून पास करके आपने एक्जेम्प्शन विथड्रा किये तो उसके बाद आखिर कौनसे डेयरी फार्म आपने कब्जे में लिये हैं? आपने अभी कहा कि सीलिंग कानून लागू नहीं कर सकें। जो सीलिंग कानून पास किया है वह लागू नहीं किया है। इससे नीयत आपकी जाहिर होती है कि आप सीलिंग कानून और एक्जेम्प्शन विथड्रा करने के कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं, इसको अमल में लाने में कोताही रही है। इधर आप नये एक्जेम्प्शन क्रियेट कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी काॅमनसेंस वाला आदमी यह नहीं मान सकता कि रेवेन्यू मिनिस्टर जिस चीज पर दस्तखत करें वह उस पर ऐसे लाइटली दस्तखत कर देंगे बगैर बैक ग्राउन्ड जाने। आपने दस्तखत किये हैं, मैं समझता हूं कि आपने अपनी रेस्पान्सिबिलिटी को सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया है। आखिर एक हजार एकड़ के और अलाॅटमेन्ट हुए नहीं होंगे। अगर आप कहें कि ऐसे केसेज दर्जनों हैं तो बात समझ में आ सकती है। यह आपका मानना है कि यह सोलिटरी केस है·······

श्री कृष्णकुमार गोयल : और हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और भी हैं तो कितने और हैं? और हैं तो कितने ऐसे केसेज हैं? आपने सबकी जानकारी की होगी, कौन लेने वाला है, कौन नहीं है। सैंक्शन देने से पहले यह जानकारी की होगी। इसलिए आप जानकारी दीजिये कि यह लेने वाला कौन है? और अगर आप इस बात को छिपाते हैं, इस जानकारी को छिपाते हैं तो यह उचित नहीं है। मन्त्री महोदय, इसके अलावा मन्त्री मण्डल के द्वारा इसकी सैंक्शन हुई है या केवल डिपार्टमेन्ट ने दी है—इन सब बातों की सारी जानकारी दे दें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया, जो भी सूचना आप चाहें वह देने में मुझे गुरेज नहीं है। पूरी इत्तला दी जायेगी। आज इस बात का नोटिस नहीं था, इसलिए जितनी वाक्यात की जानकारी थी······

श्री मदनसिंह : इसी सैशन के समाप्त होने से पहले का कोई समय आप दे दीजिये, कि अमुक तारीख को सूचना दे देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रेवेन्यू मिनिस्टर सारे मामले में डिपार्टमेंट को शील्ड कर रहे हैं। यह छोटा मसला नहीं है, एक हजार एकड़•••

श्री रामकिशोर व्यास : क्या हो गया?

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या कुछ नहीं हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितने ज्यादा कैटल रखेगा उतनी ही ज्यादा जमीन चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस प्रकार लीज दी गई तो उसकी टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स क्या थीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस प्रकार के. एम. मुन्शी की मन्शा और स्कीम थी कि सारे कैपिटेलिस्ट्स को जमीन बांट दें और भूमिहीन भूखे नगे रहें, वह आप लागू कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, जैसा मैंने आपको बताया था, जो एलॉटमेंट ऑर्डर है ...

श्री सभापति : एलॉटमेंट से इन्कार नहीं कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसमें जो टर्म्स एन्ड कण्डीशन्स हैं, उन टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स में....

श्री भैरोंसिंह : उनमें अलॉटमेंट रूल्स का वायोलेशन किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एलॉटमेंट रूल्स को भी खा गये। "The land shall be allotted on lease for thirty years."

जब कि मेग्जिमम समय है टेन ईयर्स। "The lease money shall be worked out and recovered per year as follows:—

In the first year : A nominal lease money of Re. 1 for the entire land."

(शेष शेम)

श्री प्रद्युम्नसिंह : शेम ऑन यू।

श्री कृष्णकुमार गोयल : "In the next 4 years :—3% of the prevailing average market price of agricultural land in Jalore district but not exceeding Rs. 250 per acre"

जब कि पच्चीस रुपया एक बीघा पर लेना अनिवार्य है। "After the first 5 years :—6% of the above market price but not exceeding Rs. 250 per acre."

आपने फिक्स प्राइस दी है : "The terms of the lease would be subject to revision after a period of 30 years, if the lessee may desire it to be renewed."

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इसका रिप्लाई पोस्टपोन कर दें। मिनिस्टर साहब सारी इन्फार्मेशन गैदर करलें और इन्फार्मेशन 16 को दे दें।

श्री रामकिशोर व्यास : आप जो भी इन्फार्मेशन चाहेंगे वह मैं दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें रिवीजन का प्रोविजन रखा है। उसके बाद में

"The lessor would have the option to raise the amount of the lease money by 100% at the time of renewal of lease.

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

"The land shall primarily be used for dairy and dairy industry including cattle breeding, manufacture of dairy products and poultry and poultry industry, if the lessee so desires."

आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिकमण्डेशन पर किया है। लेकिन इसमें लिखा है आपने :

"The Agriculture Department would lay down the minimum number of cattle to be kept on the farm." कहां रिकमन्डेशन की है कि एक हजार एकड़ जमीन डेअरी फार्म के लिये चाहिये ? किस आधार पर एक हजार एकड़ तय हुआ जब स्वयं राज्य सरकार एक हजार एकड़ लेंड अलॉट करते समय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डाइरेक्शन दे रही है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यह बताये कि कम से कम कितने कैटल रखने चाहिये....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फर्म में कौन हैं ? यह तो मालूम होना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : "The lessee would grow fodder and fodder crops but not commercial crops on the land. The lessee would not be allowed to grow grains for purposes other than fodder."

The lessee would be allowed to construct buildings for purposes like cattle shed, poultry shed, storage godowns, residence of workers engaged on the dairy farm, dairy industry, workshop and other ancilliary purposes subject to sanction of the Government in Revenue (B) Department.

"The land shall not be sub-let or otherwise in any way transferred by the lessee."

The lessee shall execute an agreement incorporating all the above terms and conditions and get it duly registered at his own expenses."

यह सारा का सारा ऑर्डर है जो अपने आप में वेग है और अस्पष्ट है। वह लिखने के अन्दर, अलॉटमेंट के अन्दर, एप्लीकेशन के अन्दर जितनी फार्मेलिटीज की जरूरत थी, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, कैटल की संख्या देना जरूरी था, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, फाइनेन्शियल पोजीशन बताना जरूरी था—इन सारी फार्मेलिटीज को पूरा नहीं किया गया है। एप्लीकेशन कलेक्टर के थ्रू आनी चाहिए. वह सारी सर्वे और इन्वेस्टीगेशन तहसीलदार के थ्रू होनी चाहिए—यह सारी फार्मेलिटीज अलग रख कर, रूल्स में जो पांच सौ बीघा मेग्जिमम दी जा सकती है, उसके साथ साथ अधिक से अधिक दस साल के लिए दी जा सकती है—इन सब बातों को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
अलग रख कर एक हजार एकड़ जमीन इन श्रीमान् कक्कड साहब, जिनके लिए कहा जाता है कि सुखाड़िया जी के होने वाले समधी है इनको ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : सुखाड़िया के समधी नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाम क्यों नहीं बताते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बताइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन है यह बताइये। रेवेन्यू मिनिस्टर सहाब आप बताइये, कौन है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बताइये कौन है ?

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सुखाड़िया जी के लड़के-लड़कियों की शादी हो चुकी है। हर बात में आप सुखाड़िया जी का नाम लेते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, यह प्रोसीडिंग्स से निकाल देना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : रिश्तेदार होंगे तो तुम्हारे होंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बता दें, कौन हैं। यह बताइये, कौन हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप अपने आपको घोर प्रगतिशील कहने वाले हैं। यह व्यक्ति कौन है, यह कहने की आप में हिम्मत नहीं है....

श्री किशनलाल वर्मा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर...

श्री दौलतराम सारण : माननीय सभापति महोदय....

श्री किशनलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री सभापति : वन एट ए टाइम।

श्री दौलतराम सारण : नीतियों का बघार दिया जा रहा है, नीतियों का बखान किया जा रहा है....

श्री सभापति : पॉइन्ट ऑफ आर्डर आ गया है।

श्री दौलतराम सारण : यह मालूम हो स्पष्टतया। हम नाम जानना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय खड़े हुए हैं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। पॉइन्ट ऑफ आर्डर क्या है।

श्री किशनलाल वर्मा : सभापति महोदय, ऐसा है निवेदन करना कि यह जमीन जो दी गई है यह वापिस लेवें और यह जमीन भूमिहीनों को दें। एक तरफ तो समाजवाद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक हजार एकड़ एक व्यक्ति को जमीन दे रहे हैं यह बिल्कुल नियमों और कानून के खिलाफ है। हमें इससे मतलब

(श्री किशनलाल वर्मा)
नहीं होना चाहिए और यह जमीन वापिस ली जानी चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि यह जमीन वापिस ली जाय और····

श्री रोशनलाल शर्मा : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर कौनसा है?

श्री किशनलाल वर्मा : यह भूमि भूमिहीनों को दी जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर मामला है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक हजार बीघा जमीन बिडला को दी थी उसके सम्बन्ध में वहां सारी पार्टियों ने मिल कर आन्दोलन किया, हजारों आन्दोलनकारी जेल गये, कितने ही जख्मी हुए और एक आदमी शहीद हो गया और आखिर में उसको कैंसिल करना पड़ा। आप चाहते हैं कि राजस्थान में भी इस तरह से हो तो निश्चित तौर से होगा। एक तरफ आप समाजवाद और सीलिंग की बात करें और दूसरी तरफ एक हजार एकड़ के फार्म एक एक व्यक्ति को दे दें। मैं समझता हूं आपकी समाजवाद में आस्था नहीं है। आप नाम बताइये। वह कहते हैं वह नहीं है तो आप सारी डिटेल जानते हैं, आप कहिये कि कौन है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, हम नाम जानना चाहेंगे, आप कुछ भी करें हम बिजनेस आगे नहीं बढ़ने देंगे। यह तो बाड़ ही खेत को खा रही है।

श्री सभापति : वह ठीक है। आप उनको सुनिये, उनको कुछ कहने दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नाम नहीं बतायेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, आसन से नम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो फॉइल है वह आसन के द्वारा निर्देश देकर मंगवा ली जाय और अध्यक्ष महोदय उस फाइल का निरीक्षण करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सीलिंग का पक्ष लेने वाले बोलते क्यों नहीं है? शंकरलाल जी आप सीलिंग का पक्ष लेते हैं तो बोलते क्यों नहीं है?

श्री देवीदत्त गाड़िया : नियमों के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध और समाजवाद की नीति के विरुद्ध यह एक हजार एकड़ जमीन दी गई है। वन संपदा जो लाखों रुपए की थी, वह उनको देदी····

श्री प्रद्युम्नसिंह : रेगिस्तान की जमीन है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन्होंने लाखों रुपया कमा लिए····

(शोरगुल)

मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक हजार एकड़ भूमि में जो वन संपदा थी लाखों रुपए की थी, जो राजकीय संपत्ति थी, वह एक ही आदमी को कैसे दे दी? क्यों नहीं सरकारी कब्जे में ले ली। आपने एग्रीमेंट के अन्दर क्यों नहीं किया? इसलिए साफ जाहिर है कि लाखों रुपए की राजकीय संपत्ति आपने ऐसे ही आदमी को दे दी, उसकी चिंता नहीं। आपको चिंता तो इस बात की है कि लाखों रुपए का धंधा जो मिलता है····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । भाषण क्यों दे रहे हैं ? जानकारी चाहिए ...

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी केवल दे दें । मंत्री महोदय राजस्व विभाग के मंत्री हैं....

श्री रोशनलाल : लिमिटेड कंपनी को दी है या किसी व्यक्ति को दी ?

श्री भैरोंसिंह : रोशनलाल जी, बात यह है कि राजस्व मंत्री को उनका नाम लेने में शर्म आती है, इनको पता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप ले लो ।

श्री भैरोंसिंह : एक नाम नहीं लूंगा, दो आदमियों की शकल दिखा दूंगा और बताऊंगा कि राजस्व मंत्री जो कह रहे थे कि वह मक्खन बनायेंगे, मैं बताऊंगा कि कितना मक्खन लगाकर जमीन उन्होंने ले ली है । सवाल यह है कि राजस्थान में ऐसे ऐसे राजस्व मंत्री हैं कि एक हजार एकड़ जमीन अलॉट करने के बाद भी उनका नाम नहीं जानते । ऐसी हालत में राजस्थान की राजस्व का क्या हाल होगा ? यह जो जमीन आपने अलॉट की, जो कन्डीशन्स लिखी हैं, आपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराया ...

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल्स पूछ लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : बिना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराए पजेशन दे दिया । आप बताइए आपने पजेशन से पहले एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराया?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं सब जानकारी दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने दो घंटे पहले सवाल उठाया था, दो घंटे पहले, राज्य सरकार इस बीच सूचना ले सकती थी ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह जमीन जालोर में है डेजर्ट एरिया है । दूसरी बात, कैटिल डेयरी के लिए है, ज्यादा नहीं होगी, तीसरी बात पूरे डिटेल्स जब आप जानना चाहते हैं तो दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दें और सरकार को इन्स्ट्रक्शन्स दें कि जानकारी लेकर बतायें ।

श्री सभापति (मंत्री महोदय से) : इस प्रश्न पर जानकारी देने का आश्वासन दे दें तो डिबेट को आगे चलायें ।

श्री भैरोंसिंह : पहले सदन को स्थगित कर दें । हम यह टॉलरेट नहीं करेंगे कि एक तरफ लोगों की जमीन सीलिंग के नाम पर छीनने का कानून बनायें, दूसरी तरफ राज्य सरकार सेठों के साथ सांठगांठ करके हजारों एकड़ जमीन अलॉट करें, यह अन्याय नहीं चलेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : अलॉटमेंट के रूल्स आपके सामने हैं, पूरी इन्फरमैशन मैं दे सकता हूं । बिल से ताल्लुक नहीं है इसका....

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने नोटिस नहीं दिया, इसके लिए मिनिस्टर साहब...

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर आप पहले नोटिस दे देते तो वह जानकारी प्राप्त कर लेते। नोटिस नहीं दिया, ऐसी हालत में....

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस बात का नोटिस दें ?

श्री सभापति : (श्री गिरधारी लाल व्यास के खड़े होने पर) : वन एट ए टाइम श्री शंकर लाल।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं बार बार खड़ा हो रहा हूं।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री श्रवणलाल : मैं बार बार खड़ा हो रहा हूं। मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, जानना चाहता हूं...

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री श्रवणलाल : XXX

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में जो आप निश्चय करेंगे, उसकी पूरी जानकारी करके सदन को दे दूंगा।

श्री मदनसिंह : जानकारी क्या करेंगे ? घोषणा हुई थी कि एक साल तक केवल हरिजनों को जमीन दी जायेगी। क्या जानकारी करेंगे ?

श्री श्रवणलाल : सदन के अन्दर फैसला हुआ कि गांधी सताब्दी में केवल अनुसूचित जाति वालों को ...

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय खड़े होकर कहें कि फौजियों को नहीं मिलेगी, हरिजनों को नहीं मिलेगी, तो कौन है वह जिनको मिली है ? किसकी जानकारी लेनी है ? सदन में तय हुआ हरिजनों के लिये स्पेशल सेशन बुलाया गया था और उसके लिए आज किससे पूछेंगे कि हरिजनों को मिली या नहीं ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : कोई विशेष अलॉटमेन्ट गलत हुआ है या नहीं। इस शताब्दी में केवल हरिजनों को मिलनी चाहिए। वह सदन के रूल्स के तहत किया गया है या नहीं। मैं समझता हूं जब कोई अलॉटमेन्ट किया गया है, उसके बारे में राजस्व मन्त्री को पूरा जवाब उनके पास नहीं है, तो पूरा जवाब आने पर हम खुद चाहेंगे, चाहे इधर बैठने वाले चाहे उधर बैठने वाले, अगर अलॉटमेन्ट गलत हुआ है, गलत व्यक्ति को हुआ है या रूल्स के खिलाफ हुआ है तो आप तो क्या हम भी सरकार से कहेंगे कि उस अलॉटमेन्ट को कैंसिल किया जाय लेकिन सवाल यह है कि पहले पूरी जानकारी आ जाय....

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : जानकारी नहीं होगी। पुरानी दरखास्त ली जायगी दो साल पहले की तारीख में, उसमें करेक्शन होगा। जब एक साल पहले हरिजनों के लिए घोषणा की गई तो फिर उसको क्यों दी गई, क्या परिस्थितियां थीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कागजात जब्त करवाइये।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया।

श्री मदनसिंह : जब तय किया था तो फिर इसमें क्या जानकारी करनी है ? हरिजनों के बजाय.......

श्री शंकरलाल : मैं समझता हूं, यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। एक विषय जिसके लिए राजस्व मन्त्री को नोटिस नहीं हो और उसके लिए जानकारी चाही गई है और अब नतीजा निकाला जाय, आज तक ऐसी परम्परा नहीं रही। पूरी जानकारी आ जाय, हम स्वयं चाहते हैं कि अगली बैठक जो 16 तारीख को हो रही है, उस दिन के लिए यह विषय रख दें। आप पूरा जवाब दें, सदन चर्चा करे, उसके बाद निर्णय लिया जाय। जब तक पूरा जवाब नहीं आता, हमारे सामने पूरे तथ्य नहीं आते, तब तक क्या विचार कर सकते हैं ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को 16 तारीख तक स्थगित किया जाय और दूसरी प्रोसीडिंग्स को लेकर आगे चला जाय।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, यह काफी गम्भीर मामला है क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार ने डेयरी फार्म्स के एग्जेम्प्शन्स विथड्रा किए और दूसरी तरफ डेयरी फार्म को हजारों एकड़ जमीन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स नियमों के तहत कब रजिस्टर करते हैं ? जब आप सैटिस्फाई हो जायं कि उन्होंने कैटिल खरीदा है या अमुक कैटिल उसके पास उपलब्ध है। एग्रीमेन्ट से जाहिर होता है कि न कैटिल लिया और यह इन्डीकेशन मिलती है कि उसने डिपार्टमेन्ट से पूछा है कि कितना कैटिल लें। एडवाइज भी आप करें तब कैटिल खरीदेंगे, इतना होते हुए भी आपने हजारों एकड़ जमीन अलॉट कर दी यह गम्भीर मामला है। इसलिए मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को प्रेस्टिज इश्यू न बनायें, गम्भीरता से विचार करें। जब एग्जेम्प्शन विथड्रा कर रहे हैं, डेयरी फार्म्स वालों से कह दिया एग्जेम्प्शन विथड्रा किया तो उन लोगों से कैसे माना गया कि डेयरी फार्म के काबिल नहीं है। आपने इस तरफ मान्यता दे दी, जिसने कैटिल नहीं खरीदा, आपने हजार एकड़ भूमि दे दी लेकिन जिसके पास कैटिल मौजूद है, जिसका भैरोंसिंह जी ने उदाहरण दिया सिंदरी के राव साहब का, उनके एग्जेम्प्शन्स विथड्रा हो गए। जिसके पास प्राणी नहीं है, उसको हजार एकड़ जमीन दे दी। तो यह गम्भीर विषय है, इसको प्रेस्टिज इश्यू न बनायें। राज्य सरकार को पुनः विचार करके 16 तारीख को पूरी जानकारी प्राप्त करके सदन को देनी चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति जी, हम लोग यहां प्रहरी के रूप में बैठे हैं और एक एक हजार एकड़ जमीन अलॉट कर दी और मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको नाम नहीं मालूम है तो मुझे मेवाड़ के पुराने महाराना की बात याद आ जाती है कि एक दफा गांव में डाका पड़ा तो उन्होंने कहा कि खेमली लुट गयी तो रांडा बाहर क्यों निकली ? उनको पता नहीं था कि गांव है या औरत। मंत्री जी ने एक हजार बीघा जमीन अलॉट की और उसका नाम ही नहीं मालूम। आपको यह भी नहीं मालूम कि एक हजार एकड़ जमीन अलॉट की तो किसको की। इसको आप इतना लाइटली न लें। आपकी तरफ महान् समाजवादी बैठे हैं और चुपचाप सहन कर रहे हैं। यह

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कौनसा समाजवाद है कि एक एक हजार एकड़ जमीन एक व्यक्ति को अलॉट की जाय ? उन्हें पता ही नहीं है कि यह क्या हो रहा है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति जी, यह प्रश्न उठाया गया कि मंत्री महोदय को समय नहीं मिला और उन्होंने इसको नहीं देखा। 4½ बजे मैंने इस प्रश्न को उठाया था। आपने 4½ बजे रिप्लाई आरम्भ किया। आप चाहते तो आप सदस्यों को सन्तुष्ट कर सकते थे और प्रारम्भ में ही विधान सभा को इसकी जानकारी दे सकते थे। आपने नियम नहीं देखे है और कानून नहीं देखा है तो यह अलॉटमेन्ट किस प्रकार किया है। राजस्व मंत्री जी ने फाइल पर यस क्यों किया। आपके पास क्या रूल्स नहीं थे ? राजस्थान लैण्ड अलॉटमेण्ट रूल्स क्या ये रूल्स नहीं थे ? केवल ये ही रूल्स हैं जिनके अन्तर्गत आपने अलॉटमेण्ट किया है और एप्लीकेशन्स इन्वाइट की हैं। रूल 7 में यह लिखा है एक केटल पर एक बीघा और पांच सौ तक मेक्सिमम दे सकते हैं। लीज फोर मेक्सिमम टेन इयर्स।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको कहा कि मैं आपको जानकारी करके बता सकूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह उठाया गया कि एक हजार एकड़ अलॉट की गयी है और माननीय मंत्री महोदय यह जाहिर करते हैं कि सारी सूचना उनके पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : अभी फर्स्ट रीडिंग चल रहा है।

श्री सभापति : विरोधी पक्ष को इस प्रश्न पर काफी उद्विगनता है। मंत्री महोदय ने कहा कि सारी जानकारी करके सदन को विश्वास में लेकर सारी जानकारी दे दूंगा। जहां तक यह प्रश्न है, प्रश्न बहुत गम्भीर है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष चिन्तित हैं। दोनों ओर से जानकारी चाही गयी है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे सारी जानकारी करके दे देंगे। इस प्रश्न को छोड़ कर बाकी का उत्तर देना चाहें उसको सुनें।

श्री मदनसिंह : आप वहां आसन पर बिराजते ही ऐसे कैसे बोलने लग जाते हैं ?

श्री सभापति : यह तो आसन की मेहरबानी है। मैं नहीं बोलता हूं यह तो आसन बोलता है।

श्री मदनसिंह : फिर भी एक विधायक के रूप में आप बोलते हैं और आसन को जिस प्रकार आप मना लेते हैं उसी प्रकार हम आपको मना लेते हैं। उनका नाम क्या है यह बता दीजिये।

श्री सभापति : नाम तो कक्कड़ है।

श्री मदनसिंह : वे नहीं बता रहे हैं।

श्री सभापति : आप उनका नाम बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा वे कह रहे हैं, कक्कड़ हैं।

श्री भैरोंसिंह : इतनी झेंप क्यों आ रही है ?

श्री दौलतराम सारण : यह राजस्व मंत्री जी को मालूम होगा कि उन्होंने यह मन्जूरी

Page No. 154

(श्री दौलतराम सारण)
नहीं दी है, उन्होंने तो दस्तखत किये हैं और ऊपर से ऑर्डर आया है।

श्री सभापति : दिन भर कलम चलती है राजस्व मंत्री जी और याददाश्त धीमी रहती है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल समय का है। राजस्व मंत्री जी समय चाहते हैं। इसका फर्स्ट रीडिंग हो रहा है, सैकिंड रीडिंग होगा और फिर थर्ड रीडिंग होगा। दो तीन घण्टे इसमें लग सकते हैं। लगेंगे तो लगेंगे। पूछ लीजियेगा इसमें जानकारी कर लीजियेगा। जवाब सीधे मन से दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : बिल्कुल सीधे मन से दिया है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्व मंत्री जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मेरा यह विश्वास नहीं बनता कि राजस्व मंत्री जी को नाम याद न हो और इसकी डिटेल्स न मालूम हो। मैं वह शब्द यूज नहीं करना चाहता। वे अपनी कौंशियस को सामने रख कर कह दें।

श्री रामकिशोर व्यास : वाकई मुझे नाम याद नहीं है।

श्री सभापति : ब्राह्मण की बात पर भरोसा कीजिये। अब व्यवस्था यह रही कि अदालत में गंगाजली नहीं उठवाना चाहिये और उठवायी तो फिर भरोसा करना चाहिये। मेरी यह व्यवस्था रहेगी कि जब 16-11-70 को सदन की बैठक होगी तो राजस्व मंत्री जी इस बारे की सारी जानकारी करके सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री मदनसिंह : अब यह बिल पास होगया तो फिर कह देंगे ··

श्री सभापति : आप भरोसा रखिये।

यह चेयर से डाइरेक्शन है गवर्नमेंट को कि इस प्रश्न पर दोनों तरफ के माननीय सदस्य चिन्तित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है जानकारी देने का। इसलिये मैं सदन को यह भरोसा देता हूं कि डेयरी के लिये एक हजार एकड़ जमीन का एलॉटमेन्ट हुआ है जिसके बारे में जानकारी चाही गयी है उसके लिये माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने उदारतापूर्वक समय मांगा है ताकि वह जानकारी करके सदन को दे सकें इसलिये वे सदन की 16 नवम्बर को होने वाली बैठक में सदन के माननीय सदस्यों को पूरी इस विषय की जानकारी देंगे।

श्री मदनसिंह : यह कक्कड़ जमीन तो खा गया लेकिन हमारे सवालों को और खा गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्वालाप्रसाद जी वाले मामले में कुछ नहीं कहा।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका एडजार्नमेन्ट मोशन आया हुआ है।

श्री सभापति : उस पर आपका एडजार्नमेन्ट मोशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उसको मंगा सकते थे। मैंने यह पॉइन्ट बहस में भी रेज किया है। हाऊस को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
प्रेटिस्फाई करना चाहिये। इसकी सूचना भी पहले दे दी गई है।

श्री सभापति : मैं उत्तर देने के लिये उनको कैसे मजबूर करूं यदि वे नहीं देना चाहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी दिन भी जवाब दे दें। एडजार्नमेंट मोशन के रूप में जवाब दे दें।

श्री सभापति : वह एडमिट होगया है। अध्यक्ष महोदय आदेश देंगे तो जरूर देंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : छीपा बड़ौद की पंचायत समिति के लिये निवेदन किया उसका जवाब नहीं दिया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लाज 2 पर एक अमेन्डमेन्ट माननीय श्री यशवन्तसिंह नाहर ने प्रस्तुत किया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने इसको स्वीकार किया है। आप स्वीकार करते हैं तो ठीक है।

श्री सभापति : भाषा में थोड़ी सी तब्दीली है। भाषा में थोड़ी बहुत तब्दीली है। आपकी जो भावना है सब-सेक्शन वन के सिलसिले में स्वीकार किया है। क्लाज दो में जो संशोधन श्री यशवन्त सिंह नाहर ने रखा है उसको सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उसी भावना के अनुरूप दूसरा अमेण्डमेण्ट गवर्नमेन्ट की तरफ से आया है वह इस प्रकार है:—

"Amendment of section 101.(Rajasthan Act 15 of 1956)- For sub-section (1) of section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) the following shall be substituted, namely:—

(1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, land for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf."

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस तरह से करीब करीब सारा मेरा अमेण्डमेण्ट मन्जूर हो गया है सिर्फ भाषा पर मुझे ऐतराज है। समझ में नहीं आता है कि लॉ डिपार्टमेण्ट Subject to the provisions of the Bill but why do you say "Elsewhere" ?

Page No. 156

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

यह जो रिडन्डेण्ट लेंग्वेज है वह कहां से लाता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज 2 में जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लाज 2 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज 1 प्रीएम्बल, शॉर्ट टाइटल आदि स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (सेकण्ड अमेण्डमेण्ट) बिल, 1970 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को 16 तारीख को लिया जायगा और जो 14 तारीख का बिजनेस था वह 17 तारीख को लिया जायगा।

सदन की कार्यवाही 16 तारीख के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 7.4 बजे दिनांक 16 नवम्बर, 70 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 103 की सूची)

Stages to the Distribution of funds for Restoration of Flood in Kota B. & R. Division (1969-70)

S. No.	Name of Road	Allotment	Expenditure
1	2	3	4
	Kota District (with XEN, P.W.D., B.&R., Kota.)		
1.	Kota-Jhalawar Road.	1,00,000	1,05,609
2.	Kota-Umedganj Road.	20,000	39,646
3.	Itawa-Pipalda-Ganta Road.	15,000	7,587
4.	Kota-Kaithoon Road.	45,000	36,155
5.	Kota-Baran Road.	1,25,000	1,34,605
6.	Bundi Road.	1,60,000	1,42,232
7.	Kota-Itawa Road.	50,000	84,195
	Bundi District (Under S. E., P.W.D., B.&R., Kota).		
1.	Bundi-Kota Road.	1,20,000	75,226
2.	Bundi-Chittor Road.	1,00,000	99,102
3.	Talera-Patan Road.	1,73,000	2,37,592
4.	Bundi-Nainwa Road.	20,000	22,460
5.	Bundi-Lakheri Road.	30,000	31,964
6.	Bundi-Deoli Road.	50,000	60,386
7.	Bundi-Silore Road.	7,000	7,263

1	2	3	4
	B.&R. P.W.D. DIVISION, JHALAWAR.		
1.	Durrah to Suket S. H. No. 1	90,000	48,271
2.	Mangrol-Baran Road Mile No. 0 to. 17 S. H. 19.	30,000	85,626
3.	Baran-Bapawar road.	80,000	31,829
4.	Kota-Anta-Baran to Border.	3,00,000	2,67,394
5.	Atru-Gaughat-Salpura road upto Parwan.	2,00,000	2,48,743
6.	Durrah-Sangod-Bapawar with link to road from Ghaneshers to Kaithoon.	1,05,000	93,760
7.	Paiaytha-Rajgarh-Sangod road.	1,50,000	13,853
8.	(a) Harnawada-Kaimodia road.	15,000	20,097
	(b) Bhanwargarh-Nahargarh road.	10,000	10,723
	(c) Kishanganj-Mangrol road.	5,000	7,415
	(d) Approach road to Sita Bari.	5,000	7,254
	(e) Baori to Koela road.	10,000	8,986
	(f) Approach road to Anta Rly. Station.	15,000	6,428
	(g) Kherabad-Morak-Chechat road	40,000	1,19,208
	(h) Chhabra to Kawai road.	20,000	42,961
	(i) Unda-Ramganj Mandi road.	20,000	—

1	2	3	4
	DISTRICT JHALAWAR		
1.	Suket-Jhalawar Road.	3,00,000	3,16,173
2.	Jhalawar-Aklera upto Bagder	1,50,000	2,56,218
3.	Bherupura-Khanpur-Jhalawar road.	75,000	1,40,016
4.	Jhalawar-Agar and portion of Dag to Chaumehla upto Raj. Border including approach Chatterpur Rly. Station.	2,30,000	4,79,367
5.	Panwar to Aklera & Aklera to Maharajpura upto Raj. Border.	90,000	1,34,404
6.	Patan-Raipur-Agar Road.	1,40,000	1,12,691
7.	Pirawa-Soyet Road.	40,000	58,270
8.	Pirawa-Sunel-Sulia Road.	60,000	1,10,517
9.	Mandawar-Rooparel-Bakani up to Rajasthan Border Road.	60,000	1,68,973
10.	Richhwa-Bhalta Road.	25,000	38,665
11.	Khanpur-Taraj-Arnia road	20,000	45,993
12.	Hawa Sarak.	10,000	13,537

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 220 की सूची)

तालिका 'अ'

क. सं.	नाम मुलजिमान	ता० गिरफ्तारी	ता० जमानत	ता० पेश करने अपील/रिवीजन वास्ते जिलाधीश, जालौर
1	2	3	4	5
1.	श्री बाघसिंह	2-9-70	17-9-70	26-9-70
2.	श्री मंगलसिंह	8-9-70	17-9-70	26-9-70
3.	श्री जसवन्त सिंह	24-9-70	25-9-70	25-9-70
4.	श्री दुर्गासिंह	28-9-70	29-9-70	29-9-70
5.	श्री पीरसिंह	17-10-70	6-11-70	—
6.	श्री नगसिंह	18-10-70	18-10-70	—

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगला दांदू (पेंगोर) में डकैती का मामला

108. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगला दांदू (पेंगोर) थाना कुम्हेर जिला भरतपुर में श्री रामसिंह के यहां डकैती हुई है? यदि हां, तो उक्त डकैती में कितने का सामान लूटा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि नगला दांदू जहां डकैती पड़ी थी वहां से थाना कुम्हेर सिर्फ डेढ़-दो मील दूर है ? यदि हां, तो पुलिस डकैती पड़ने से कितने घण्टे बाद घटनास्थल पर पहुंची थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त डकैती के सम्बन्ध में अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त डकैती का कोई सुराग पुलिस को चला है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त डकैती की तफ्तीश के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा बरती गई उदासीनता से उस सारे इलाके में आतंक छा गया है और लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के प्रति शंकित हो उठे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 14/15-3-70 को रात को श्री रामसिंह निवासी नगला दांदू के यहां डकैती हुई। इस डकैती की एफ० आई० आर० में मुस्तगीस ने पहले 3580) रु० नकद और 7495) रु० का जेवरात लूटना दर्ज करवाया था बाद में मुस्तगीस ने 32980) रु० की कीमत के जेवर व नकद लूटना बताया था। लूटे गये माल की सूची संलग्न है।

(2) नंगला दांदू से कुम्हेर थाना करीब 3 मील दूर है। डकैती करीब आधी रात को पड़ी थी जिसकी इत्तला थाने में सुबह 6 बजे दी गई और पुलिस मौके पर 7 बजे सुबह पहुंच गई।

(3) जी नहीं, यह गलत है। इस डकैती के सिलसिले में पुलिस तफतीश से पाया गया है कि यह डकैती की वारदात कुख्यात डकैत सर्वणसिंह के गिरोह ने की है। जिसके 14 सदस्य उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 22-7-70 को गिरफ्तार किये गये थे। गिरफ्तार शुदा सदस्यों में डकैत कृष्ण वीर को भरतपुर लाया गया और उसकी शनाख्तगी कार्यवाही सही हो जाने पर दिनांक 10-9-70 को इसका चालान कर दिया गया। बकाया डकैतान को भरतपुर लाने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(4) जी नहीं, यह गलत है। ना तो पुलिस द्वारा उदासीनता ही बरती गई और ना ही लोगों में आतंक है। इस वारदात के बाद राजस्थान पुलिस ने यू० पी० पुलिस से समन्वय स्थापित कर सर्वणसिंह दल का पीछा किया जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में मई, 1970 में इस दस्यु दल के साथ

(गृह मंत्री)

मुकाबला हुआ। जिसमें तीन डकैत भगवत, बाबू व उनके साथी मारे गये और चौथा डकैत पातीराम गिरफ्तार किया गया। इस दस्यु दल के साथ दूसरा मुकाबला उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिनांक 22-7-70 को किया। जिसमें दल के नेता सर्वणसिंह और उसका भाई महाराजसिंह मारे गये तथा 14 डकैत गिरफ्तार किये गये जिसमें से कृष्ण वीर डकैत को भरतपुर लाया जाकर दिनांक 10-9-70 को उसका चालान किया गया। बकाया डकैतों को लाने की कार्यवाही की जा रही हैं। जो शीघ्र ही पूरी होगी।

तकमील घर के जेवर की तालिका

1. हंसली सोना 13 तोला कीमती 2600)
2. हंसली घर की 2।। तोला कीमती 500)
3. गुलीबन्द सोना 2 तोला कीमती 400)
4. सीतारामी सोना 5 तोला कीमती 1000)
5. दकस्ते सोना 5 तोला कीमती 1000)
6. लड़मा सोना 2 तोला 400)
7. टड्डे सोना 2।। तोला की. 500)
8. अंगूठी झूमकी 14 आना भर की. 175)
9. लउआ धारी 2 वजनी 1 सेर की. 400)
10. लच्छे मारी आधा सेर की. 120)
11. चूड़ो चोरी आधा सेर की. 120)
12. छागल 5।।। की. 180)
13. कोरनी 5।।। की. 180)-7000)=7575 नगरी 3500=11075) रु०

जेवर गिरवी का

1. मोटर सोने की नग 6 तोला की० 1200)
2. हंसली वारी, कड़े पैरों के 1 जोड़ी, पहूंची जोड़ी 1 तोला किला 850 ग्राम की. 100)
3. हसली पत्तर सोने की 1।। तोला 300) सोने की लर ।।।) भर चांदी 15 वजनी 34 तोला की. 325)
4. चांदी के लच्छे ओढनी 2 चारी, झूमकी सोने को 1 जोड़ी की. 200)
5. कड़े 1 जोड़े पैरों के 65 तोला की. 325)
6. बूरे 8 तोड़िया जोड़ी 1 की. 55)
7. लच्छे मारी, छागल जोड़ी 3, 76 भर की. 380)
8. थरीके कड़े जोड़ी 1, 42 भर की. 200)

9. लच्छे 36 सेर कड़े पैरों जोड़ी 1, कड़े हाथों के 1 जोड़ी तोल 2 किलो की. 800)
10. लच्छे 23 घेरू के लच्छे 4 छोटे, 4 बडे, हार जोड़ी 1, कोबनी 1, छागल जोड़ी 1, पायजेब जोड़ी 1 तोल 3 किलो की. 1000)
11. कोधरी 1 तोला 40 मर की. 200)
12. सोने की चिरुपित्र 9 पत्तर के हाथों की जोड़ी पत्तर की हंसली चारी 18 तोला की. 400)
13. कड़े पैरों की धारी के 60 मर की. 300)
14. चांदी के लच्छे 19-38 मर की. 175)
15. कोवीमा चांदी नग 260 मर की. 250)
16. कड़े पैरों जोड़ी 1; 75 मर की. 375)
17. काधरो मरी 550 ग्राम के दर 6 कटला 1 में पूची 5 तोला पाठिक 1 बीज 18 की० 1500)
18. सोने के दाने जोड़ी 1, किमिरित्र 9, जोड़ी 1 चांदी हसली हाथ के कड़े 2 जोड़ी, गजेर जोड़ी 1 पहूंची की जोड़ी 1, बगड़ी जोड़ी 1, हुम्रा जोड़ी 3, लच्छे 4, हथफूल 1 की. 15 0)
19. पैरों के कड़े जोड़ी 1, हाथों के कड़े 1 जोड़ी, 40 तोला की. 200)
20. चांदी हंसली 1, कड़े हाथों के 1 जोड़ी 500 ग्राम की. 225)
21. कड़े चांदी 1 जोड़ी, सोने की हंसली पत्तर की 70 तोला की. 350)
22. सोने का जोड़ा 1 लर 6 का, टोकसी 7, 21 तोला की. 2200)
23. सोने की हंसली पत्तर की 1 तोला की. 200)
24. पहुंची जोड़ी-हथफूल बरा जोड़ी 60 तोला की. 300)
25. बरां जोड़ी सोना 1, कड़े हाथों के 1 जोड़ी पत्तर की तोला की. 400)
26. हंसली पत्तर की 1, कड़े पैरों के की. 500)
27. कोधनी चांदी 1, 43 मर की. 200)
28. चांदी की हंसली, कड़े हाथों के 1 जोडी, कड़े पैरों के 1 जोड़ी पायजेब 1 जोड़ी, गजरे 1 जोड़ी, कोधनी 1 जोड़ी की. 1000)
29. कड़े हाथों के 1 जोड़ी, कोढ़ि 1 जोड़ी, पाठिया सोने की. 300)
30. कठला सोना 1 तोला 3 की. 600)
31. गजरे जोड़ी 1, गट्टे 14-56 मर 275)
32. कोंधी 1 गजरे जोड़ी बाजू जोड़ी 1, 67 मर की. 325)
33. कांगनी पैरों की 1 जोड़ी, कड़े गजरे जोड़ी 1, पहुंची जोड़ी 1, लच्छे 4, 150 मर की. 600)
34. लच्छे 38, बजरी 38 मर की. 175)
35. लड़ सोने की 1') मर की. 360)
36. पैरों के कड़े जोड़ी 1, हाथों के कड़े जोड़ी 1, कोधनी, हुवा जोड़ी 1, 700)

37. कठला 3 मोहर की. 500)
38. लच्छे चांदी के 16, गजरे जोड़ी, हाथों के कड़े जोड़ी 1, हाथों के बड़े कड़े जोड़ी 1, हाथों के छोटे कड़े जोड़ी 1, 80 भर की. 340)
39. दस्ते सोने के जोड़ी 5 तोला 1000)
40. कौंधरी चांदी 1, 25 तोला 125)
41. कठला 6 मोहर चि 9 बीन का सोने का 7 तोला 1409)
42. हंसली ठोस सोना 1, तोला 10 की. 2000 ,
43. कठला 6 मोहर 1-4½ तोला कीमती 900)
44. तोड़ा सोने का 4 लर टिकड़ी 5/5 तोला की. 1000)
45. चांदी के लच्छे 22, घू.घरू के लच्छे 2, छल्ला जोड़ी 1 बंगड़ी जोड़ी 1, हुग्रा जोड़ी 80 तोला 440)
46. पैरों के खुड़वा 3 जोड़ी 2 सेर हंसली चांदी 4 नग, 2॥ सेर लच्छे, 40 व 1॥ सेर कांगनी 4, 2। सेर, चयन चूड़ी 16,5॥ सेर, बंगड़ी जोड़ी, 5-5॥, हमेल चांदी 4, 2॥ सेर हुग्रा जोडी 4-5॥, हथफल जोडी 5॥ सेर, सांठ जोडी, दो सेर कुल 15 सेर कीमती 6000)-32980)

नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का कार्य

109. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में गत दो सालों में किन किन सड़कों का ग्रर्थ वर्क हो गया एवं उनमें से किन किन सड़कों पर ग्रब मुरड़ पड़ना बाकी है ? किन सड़कों का मुरड़ भी खुदा हुग्रा पड़ा है एवं जो ग्रर्थ वर्क हुग्रा है वह कितने समय में मुरड़ नहीं पड़ने की दशा में नष्ट हो जावेगा ?

(2) ग्रर्थ वर्क कराने में प्रत्येक सड़क पर कितना कितना खर्चा हुग्रा है एवं जो मुरड़ खुदा हुग्रा पड़ा है वह कहां कहां किस किस सड़क का बिना काम में लिये पड़ा है एवं उस पर कितना व्यय हुग्रा है ?

उत्तर

(1) सूची (ग्र) संलग्न है निकट भविष्य में मुर्ड डालने पर ग्रर्थ वर्क नष्ट नहीं होगा।

(2) भिन्न 2 कार्यों के खर्च के ग्रांकड़े विभाग में नहीं रखे जाते हैं खर्चा इकजाई सूची (ग्र) में ग्रंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम नल खेड़ी में जागीरदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का मामला

110. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थाना छीपा बड़ोद में ग्राम नलखेड़ी में कुछ चमार जाति के लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लि

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
तारीख 14-10-1970 के आसपास आये थे ?

(2) क्या यह सही है कि ये चमार जाति के लोग थाने में मय परिवार, बैल, भैंस, गाय लेकर वहां के जागीरदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रार्थना-पत्र थाना में दे गये हैं और थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम नल खेड़ी तहसील छीपा बड़ौद के जागीरदारान में कई लोग पुलिस में नौकरी करते हैं तथा पुलिस में नौकरी की वजह से पुलिस का डर बिठा कर अभी भी उन चमार जाति के लोगों से बेगार का काम लेते हैं और अगर काम नहीं करें तो उनको मारपीट करने की धमकी देते हैं तथा कभी कभी घरों में चमारों को बन्द करके पीटते भी है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम नलखेड़ी के श्री मदना पुत्र परसा, घासी पुत्र गोरया, पन्ना पुत्र मोत्या चमारान एक लिखित रिपोर्ट लेकर थाना छीपा बड़ौद पर दिनांक 14-10-70 को रिपोर्ट दर्ज करवाने आये थे।

(2) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि चमारान ग्राम नलखेड़ी जिस समय थाने पर रिपोर्ट करवाने आये उस समय उनके साथ उनके परिवार या मवेशी थे चिमारान ने वहां के जागीरदार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अलबत्ता उन्होंने मुस्तफाखां के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट रोजनामचा आम में दर्ज की गई। रिपोर्ट से मामला नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस का पाये जाने से रिपोर्ट कर्त्ताओं को अदालत में चाराजोरी करने का रहबरी दी जाकर उन्हें बयाने से रवाना किया गया। चूंकि यह केस नाकाबिल दस्तन्दाजी है। अतः श्री मुस्तफाखां के खिलाफ S P. को CCA rules के अधीन D.E. करने के आदेश दे दिये गये हैं। यदि जांच से जुर्म साबित हुआ तो कोर्ट में भी इस्तगासा पेश कर दिया जायगा।

(3) जागीरदार नलखेड़ी की बहिन का लड़का श्री मुस्तफाखां राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर जिला झालावाड़ में था परन्तु अब उसका स्थानान्तरण जिला डूंगरपुर में हो गया है। पुलिस का डर बताकर बेगार का काम लेने तथा उनके साथ मारपीट करने की कोई शिकायत पेश नहीं हुई है।

ग्राम मौजा सेवा में भूमि का आवंटन

111. श्री मुवालाल चौधरी (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मौजा सेवा तहसील दूदू में खसरा नम्बर 1527, 1528 2173, 2945, 786, 2338, 265, 272, 3548, 273, 276, 3329, 1398, 148 246, 247, 638, 265 का खसरा गिरदावरी में किसकी खातेदारी में हैं। इसकी किस्म जमीन क्या है क्या उक्त नम्बर किसी को आवंटित किये गये हैं ? अगर हां तो किसको और कब ? क्या जिन्हें यह भूमि दी गई वे उस भूमि पर काश्त करते हैं क्या उक्त नम्बरों में गोचर भूमि

(श्री सुवालाल चौधरी)

के नम्बर भी हैं जो काश्त के उपयोग में आते हैं ? अगर हां, तो काश्त कौन करता है व आज तक कितना लगान जमा कराया गया है ?

(2) उक्त नम्बरों में सम्वत् 2019 से सम्वत् हाल की रबी में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या काश्त किया है उसका नाम व जिन्स का नाम अंकित किया जाकर सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) उक्त नम्बरों में यदि कोई नम्बर आवंटित किया गया है तो किस तारीख को व किस किस सदस्य के हस्ताक्षरों से व किसको आवंटित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) उल्लेखित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी के अनुसार खातेदारों का नाम, किस्म जमीन, नाम आवंटिति, विवरण काश्त, गोचर भूमि के नम्बर व उनमें हुई काश्त, नाम काश्त कर्त्ता, जमा कराया गया लगान का विवरण संलग्न सूची 'क' में अंकित है और इन नम्बरों को जिस भूमि का आवंटन किया गया है, उसके आवंटिति का नाम, दिनांक आवंटन, खसरा संख्या व क्षेत्रफल संलग्न सूची 'ख' में अंकित है।

(2) सम्पूर्ण विवरण सम्वत् 2019 लगायत सम्वत् 2026 उपरोक्त सूची 'क' में अंकित हैं।।

(3) सूची 'ख' में सम्पूर्ण विवरण अंकित है। यह आवंटन तहसीलदार, दूदू व सरपंच ग्राम पंचायत सेवा के हस्ताक्षरों से हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गई)

भोमादेह प्रोजक्ट

112. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) । क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मुख्य मन्त्री जी ने अगस्त, 70 में अजमेर जिले के दौरे के अवसर पर ब्यावर जल प्रदाय योजना के भोमादेह प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया ?

(2) इस योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(3) इस योजना का कार्य कब तक सम्पूर्ण होकर ब्यावर को पेयजल मिलने लग जायेगा ?

(4) भोमादेह पर बन रहा बांध कब तक पूरा हो जायगा ?

(5) क्या यह सही है कि इस शिलान्यास के सामारोह के अवसर पर एस. डी. ओ., ब्यावर द्वारा स्थानीय विधायक को भी निमन्त्रण पत्र नहीं भेजा गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

शाहपुरा में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

113. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शाहपुरा (भीलवाड़ा) में कितने विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है व उन पर क्या जुर्म लगाये गये हैं ?

(2) जनता व राजनैतिक पार्टी के कितने व्यक्तियों को शाहपुरा (भीलवाड़ा) में सिंचाई मन्त्री के झगड़े के मामले में गिरफ्तार किया गया है व उनके विरुद्ध क्या जुर्म लगाये हैं ?

उत्तर

(1) शाहपुरा (भीलवाड़ा) में कुल 31 विद्यार्थियों को मु० नं० 70, दिनांक 18-9-70 धारा 147/1481/149/353/340 333/452/307 भा० दं० सं० में गिरफ्तार किया गया।

(2) जनता व राजनैतिक पार्टियों के कुल 15 व्यक्तियों को शाहपुरा (भीलवाड़ा) में सिंचाई मन्त्री के साथ किये गये झगड़े के मामले में मु० नं० 70, दिनांक 18-9-70 धारा 147/148/149/353/340/333 452/307 भा० दं० सं० में गिरफ्तार किया गया।

मोटर पार्ट्स की खरीद

114. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डिवीजन झालावाड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी, 69 से फरवरी, 70 तक कितने कितने मोटर पार्ट्स खरीद किये गये व किस किस वाहन में डलवाये ? सूची मय कीमत पार्ट्स सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) डिविजन झालावाड़ के स्टोर की पूर्व में कितनी लिमिट थी और अब कितनी है ? यदि लिमिट बनी हुई है तो किसके आदेश से ?

(3) क्या यह पार्ट्स कान्ट्रेक्ट रेट्स पर ही खरीद किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि विलीज जीप के सामान व टाटा के सामान का रेन्ट कान्ट्रेक्ट हो रहा है ? यदि कान्ट्रेक्ट रेट में खरीद नहीं हुई तो क्यों ?

(4) क्या आर्डर बिना अर्नेस्ट मनी जमा हुए दिया गया है ? यदि अर्नेस्ट मनी जमा हुई है तो किस किस पार्टी की और कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या माल की रकम का पेमेण्ट माल स्टोर में आने पर हुआ है या आर. आर. पर ही भुगतान कर दिया है ? ट्रक ट्रांसपोर्ट की रसीद पर भुगतान हुआ है या रेल्वे की रसीद पर ?

(6) क्या पूरा सामान आने पर ही भुगतान हुआ है ? यदि नहीं, तो किस किस पार्टी में कितना कितना रुपया बकाया है ? और ऐसा क्यों हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची 'क' प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) डिविजन झालावाड़ की स्टोर सीमा 65-66 में रु. 2,50,000 थी। अब सीमा स्टोर 2,82,000 रु० की मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई है।

(3) जी नहीं। इस विभाग का रेट कान्ट्रेक्ट नहीं है।

(4) जी हां।

(5) भुगतान माल स्टोर में आने पर किया गया है।

(6) सामान पूरा आने पर ही भुगतान किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सब इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति

115. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1966 के रूल्स जारी होने के बाद में कितने सब इन्स्पेक्टर (एस. आई.) सीधी भर्ती के द्वारा और कितने विभागीय लिये गये हैं?

(2) क्या इनकी सीनियोरिटी लिस्ट रेंज वाइज विभाग के पास है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि समस्त ऐसे लोगों को जिन्होंने सब इन्स्पेक्टर की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है उन्हें प्रमोशन न देकर उन्हें अवनत किया गया है?

(4) क्या यह सच है कि अनट्रेण्ड लोग जिन्होंने उक्त पद के लिये ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की जो इस पद पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या उपरोक्त पदोन्नति के विभागीय नियम हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

जेतसागर बांध की पेटा काश्त की भूमि

116. श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बूंदी शहर के पास स्थित जेतसागर बांध की पेटा काश्त होती है?

(2) यह काश्त आरजी है या मुस्तकिल और कब से होती आ रही है?

(3) गत पांच वर्षों में काश्तकारों को उक्त पेटा काश्त की भूमि सरकार द्वारा किस प्रकार दी गई है?

(4) क्या गत पांच वर्षों में इस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? यदि हां, तो किस किस के द्वारा और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है? कृपया प्रत्येक अतिक्रमणकारी की अलग अलग जानकारी दें।

उत्तर

(1) जी हां। जितनी भूमि पानी से बाहर निकलती है उसका नियमानुसार आरजी आवंटन किया जाता है।

(राजस्व मंत्री)

(2) काश्त आरजी है और सन् 1965 से 1968 तक हुई है।

(3) जब तालाब का पानी खाली हो जाता है तब एक साल के लिये काश्त हेतु आवंटित की जाती थी।

(4) केवल गत वर्ष श्री किशनचन्द्र आत्मज छांगालाल सोमानी व श्री रामचंद्र आत्मज मोहनलाल साकिन बून्दी द्वारा क्रमशः 6 बीघा तथा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था जिनको तहसील द्वारा बेदखल कर उन पर क्रमशः 60 रु. एवं 23 रु. 50 पैसे शास्ति आरोपित की गई।

पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग में व्यवस्था

117. श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या न्याय एवं विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग में स्थित अदालतों में आने वाले फरीकों को गर्मी, सर्दी व वर्षा से बचने के लिये व आराम करने व बैठने के लिये कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों के आराम करने और बैठने की व्यवस्था हो सकती है?

(2) क्या यह सही है कि इस निमित्त बने हुए लिटिगेन्ट हॉल को उस समय के भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट जज ने कुछ मौखिक आश्वासनों पर 3) रु० माहवार पर कुछ टाइपिस्टों को किराये पर दे दिया? यदि हां, तो किस आदेश से? उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज रखने की कृपा करें? अब कितने और व्यक्तियों के लिये जगह उस हॉल में है?

(3) इस हॉल में कुल कितने टाइपिस्टों को बैठने की किराये पर आज्ञा प्रदान की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या इस प्रकार का किराया अन्य किसी स्थानों पर भी लागू है? यदि हां, तो जयपुर में कहां कहां? और इससे कुल कितनी किराये की आमदनी होती है?

उत्तर

(1) जी हां, फरीकों के आराम करने एवं बैठने के लिये न्यायालय क्षेत्र दक्षिणी भाग में एक लिटिगेन्ट हॉल है, जिसमें लगभग 100 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है।

(2) जी हां, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 8-10-66 व 3-11-66 द्वारा पब्लिक टाइपिस्टों को इस लिटिगेन्ट हॉल में प्रति टाइपिस्ट 3-00 रुपये प्रतिमाह पर बैठने की अनुमति दी। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अब इस हॉल में टाइपिस्टों के अतिरिक्त लगभग 30 व्यक्तियों के लिये बैठने का जगह है।

वर्तमान में इस हॉल में 25 पब्लिक टाइपिस्टों को बैठने की अनुमति दी हुई है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) न्याय विभाग के अधीन जयपुर में स्थित केवल सत्र न्यायाधीशों के अहाते में ही ऐसी व्यवस्था है।

उपरोक्त लिटिगेंट हॉल से अक्टूबर, 66 से सितम्बर, 70 तक कुल 2890)50 रुपये की आमदनी हुई है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर नगर

दिनांक 8-10-66

आदेश

जयपुर स्थित व्यवहार न्यायालयों के अहाते में निम्नलिखित व्यक्तियों को पब्लिक टाइपिस्ट का काम करने की स्वीकृति दी जाती है:—

1. श्री राधाकान्त शास्त्री
2. श्री गंगाविशन शर्मा
3. श्री शांतिकुमार हाडा
4. श्री जगदीशप्रसाद शर्मा
5. श्री भंवरलाल जैन
6. श्री गुलाबचन्द शर्मा
7. श्री जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल
8. श्री सीताराम अग्रवाल
9. श्री अमिश अहमद
10. श्री लक्ष्मीनारायण गोयल
11. श्री सत्यनारायण शर्मा
12. श्री मदनलाल अग्रवाल
13. श्री टीकमचन्द जैन
14. श्री देवकीनंदन शर्मा
15. श्री रामलाल शर्मा
16. श्री राधेश्याम अग्रवाल
17. श्री मीनालाल अग्रवाल
18. श्री जटाशंकर अग्रवाल
19. श्री एस. एल. ट्रक

चूंकि लिटिगेंट शेड को काफी अरसे से किसी भी काम में नहीं लिया जा रहा है इसलिये उपरोक्त पब्लिक टाइपिस्ट लिटिगेंट शेड में ही बैठेंगे। लिटिगेंट शेड में बैठने का इनसे 5) रुपये प्रति माह के हिसाब से दिनांक 1-10-66 से इनसे लाइसेन्स फीस ली जावेगी। इस फीस के साल भर के 60) रु. एक मुश्त जमा कराने होंगे। दिनांक 28-10-66 तक यह फीस जमा हो जानी चाहिये। यह फीस राज्य सरकार के खाते में बतौर रेवेन्यू जमा होगी।

उपरोक्त पब्लिक टाइपिस्ट्स अदालतों के कार्य करने के दिनों में प्रातः 9 बजे से सायं 5-30 बजे तक कार्य कर सकेंगे।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर पब्लिक टाइपिस्ट का लाइसेन्स रद्द कर दिया जावेगा।

ह. डी. सी. शर्मा,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जयपुर नगर।

सही प्रति,
ह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर नगर।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर नगर

दिनांक 3-11-66

आदेश

इस कार्यालय के आदेश दिनांक 8-10-66 में परिवर्तन करते हुए आदेश दिया जाता है कि पब्लिक टाइपिस्टों से लिटिगेंट शेड के उपयोग करने का किराया बजाय 5 रुपये प्रति माह के 3 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिनांक 1-10-66 से लिया जावेगा तथा इस बाबत साल भर का किराया एक मुश्त के बजाय 6-6 माह का किराया एक मुश्त लिया जावेगा ।

ह. डी. सी. शर्मा,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जयपुर नगर।

सही प्रति लिपि
ह. द्वारकादास गुप्ता,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जयपुर नगर ।

पब्लिक टाइपिस्टों की सूची जो मौजूदा में अनुमति प्राप्त हैं

1. श्री राधाकान्त शास्त्री
2. श्री गंगाविशन शर्मा
3. श्री शान्तिकुमार हाड़ा
4. श्री जगदीशप्रसाद शर्मा
5. श्री भंवरलाल जैन
6. श्री गुलाबचन्द शर्मा
7. श्री सीताराम अग्रवाल
8. श्री अमिश अहमद
9. श्री लक्ष्मीनारायण गोयल
10. श्री सत्यनारायण शर्मा
11. श्री मदनलाल अग्रवाल
12. श्री टीकमचन्द जैन
13. श्री देवकीनन्दन शर्मा
14. श्री रामलाल शर्मा
15. श्री राधेश्याम अग्रवाल
16. श्री मीनालाल अग्रवाल
17. श्री जटाशंकर शर्मा
18. श्री दाऊलाल
19. श्री बाबूलाल टिक्कीवाल
20. श्री कैलाशचन्द अग्रवाल
21. श्री गोविन्दनारायण शर्मा
22. श्री रामशरण कलाल
23. श्री महेशचन्द गुप्ता
24. श्री अशोककुमार अग्रवाल
25. श्री रामावतार गुप्ता

ह. द्वारकादास गुप्ता,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जयपुर नगर।

श्री गंगानगर जिले में कत्ल के मामले

118. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1 मार्च, 1970 के बाद जिला श्री गंगानगर में काफी तादाद में कत्लें हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी कत्ल हुई, कहां कहां पर कौनसी तारीखों को कौन से थाने के क्षेत्र में हुई ? थानेवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि 1 नवम्बर, 1969 से 1 मार्च, 1970 तक जिला गंगानगर में झगड़े व चोरी, डकैती तथा कत्ल नहीं हुई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ? यदि नहीं, तो इस दौरान में कितनी चोरियां डकैतियां व कत्लें हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 मार्च, 1970 से 31, अक्टूबर 1970 तक जिला गंगानगर में कत्ल की कुल 70 वारदातें हुई। तारीख और थाने वार सूची तालिका 'क' में दर्ज है।

(2) जी नहीं। 1-11-69 से 1-3-70 तक जिला गंगानगर में दो डकैती, 11 कत्ल, 78 चोरी और 21 बलवे की वारदातें हुई। थानेवार सूची तालिका 'ख' में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मेड़ता-पुष्कर सड़क

119. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता से पुष्कर के लिये रोज गाड़ियां वाया आलनियावास चलती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर के लिये जितने भी हैवी ट्रक कोटा, दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश और अजमेर से आते जाते हैं वे सभी इसी मार्ग पर से आते जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस रास्ते पर नदी है जिसके कारण इस साल भी इस रास्ते से वर्षा की मौसम में करीब 1 माह तक यातायात रुका रहा, जिसका मूल कारण आलनियावास नदी पर रपट का न बन्धी होना है ?

(4) क्या यह सही है कि इसी नदी पर गोविन्दगढ़ में रपट बन्धे कई वर्ष हो चुके है परन्तु आलनियावास की नदी पर बावजूद सुझाव के अब तक रपट नहीं बन्धी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि पादू से आलनियावास तक डामर हो जाने से मेड़ता पुष्कर रोड़ पूरा डामर हो सकता है ? यदि हां, तो इस आवश्यक सड़क पर कब तक सरकार डामर करवा देगी ?

उत्तर

(1) मेड़ता में पुष्कर के लिये एक मार्ग बड़ी घाटी तथा दूसरा मार्ग वाया आलनियावास होकर है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है कि अलनियावास होकर ही हैवी ट्रक जाते हैं।

(3) नदी में अधिक पानी के कारण यातायात अवरुद्ध हुआ है।

(4) अर्थाभाव के कारण।

(5) जी नहीं।

ग्राम सदेड़ा में जंगलात की भूमि

120. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम सदेड़ा बनवाड़ा, तहसील टोंक में खसरा नं० 1105 से 11011 तक की भूमि पहले जंगलात में थी यदि हां, तो यह जंगलात से किसकी प्रार्थना पर कितनी भूमि रेवन्यू में आई ?

(2) क्या यह सच है कि रेवेन्यू में आने के बाद उपरोक्त नम्बरों की भूमि को एक कृषि सहकारी समिति को अलॉट की गई ? यदि हां, तो किस सन् में और कितने बीघा ?

(3) उक्त भूमि पर सदस्यों का कब तक कब्जा रहा और अब वह किसके कब्जे में है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नम्बरों को अब कस्टोडियन ने अपने कब्जे में लेकर उसके फर्जी पट्टे बना दिये हैं ? यदि हां, तो कब से और फर्जी पट्टे वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार इस भूमि को सहकारी समिति को देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम बनवाड़ा में बन्दोबस्त के समय जो भूमि जंगलात में थी और राजस्व में आई उसकी सूची संलग्न है।

(2) यह भूमि काश्तकारान नौ रंगपुरा भूरावाली आदि के प्रार्थना पत्र पर राजस्व विभाग में आई थी।

(3) जी नहीं।

(4) सहकारी समिति के सदस्यों के कब्जे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह भूमि इस समय 52 काश्तकारों के कब्जे में है। 490 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 472 बीघा 8 बिस्वा भूमि कस्टोडियन विभाग के आदेश संख्या आर० के० एन० सी०, दिनांक 22-5-60 के अन्तर्गत कस्टोडियन विभाग के खाते दर्ज की गई है। इस भूमि का दाखिल खारिज सरपंच सम्देड़ा ने दिनांक 16-10-61 को 52 काश्तकारान के हक में किया है। तहसीलदार द्वारा इस भूमि का पट्टा नहीं दिया गया और न उससे सम्बन्ध ही था।

(5) जब यह भूमि कस्टोडियन विभाग की है तो उसे सहकारी समिति को दिये जाने का प्रश्न ही नहीं रहता। यदि सहकारी समिति इसे आवंटन कराना चाहती है तो उसे कस्टोडियन विभाग में चाराजोई करनी चाहिये।

सूची 'क'

खसरा नं०	रकबा बीघा	रकबा विस्वा	खसरा नं०	रकबा बीघा	रकबा विस्वा	खसरा नं.	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा
1105	71	0	1109	80	0	1146	37	3
1106	39	13	1110	72	0	1106/1244	0	19
						1106/1245	5	0
1107	28	5	1111	68	3	1105/1252	0	6
1108	36	8	1112	48	4	1147/1252	2	0
						1147/1254	1	1

नगर सुधार न्यासों के कर्मचारियों को भू-खण्डों का आवंटन

121. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कौन से नगर सुधार न्यासों के कर्मचारियों को आवास हेतु भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं ? क्या इन न्यासों के समस्त आवेदनकर्त्ता कर्मचारियों को भू-खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं ?

(2) क्या अलवर नगर सुधार न्यास के कर्मचारियों ने भी आवास हेतु भू-खण्ड आवंटित किये जाने की राज्य सरकार से मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जयपुर नगर न्यास के कर्मचारियों को भू-खण्ड आवंटन किए गए हैं। अन्य स्थानों पर नहीं।

(2) जी हां, मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

चुंगी की वसूली

23. श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित रतनगढ़ नगर में नगरपालिका चुंगी नाका स्टेशन के नाकेदार द्वारा ग्राम यात्री को नाजायज तरीके से तंग किया जाता है और नाजायज तौर पर रुपया वसूल करता है और नाममात्र की चुंगी की रसीद काटता है जो भी चुंगी नियम के विपरीत है ?

(2) क्या सरकार इस विषय पर कोई निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच करायेगी जिससे जनता को परेशान न होना पड़े ?

(3) सन् 1969-70 में गैर-दुकानदारों के नाम चुंगी की कितनी रसीदें कटी हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नाकेदार के विरुद्ध नगरपालिका कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) 107।

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ. 9 (54) राज. / 68, दिनांक 19-7-68 ओर से उप सचिव राजस्व वास्ते, जिलाधीश, भीलवाड़ा ।

विषय:—केशव विलास सामुहिक कृषि सहकारी समिति लि., मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने के विषय में ।

प्रसंग:—आपका पत्र सं. आर. ए. 39/9/68, दिनांक 1-6-68

उपरोक्त विषय में विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 28-6-68 के प्रसंग में सूचित करने का निर्देश है कि वन विभाग के अधीनस्थ भूमि की गई है उस भूमि में से 15 बीघा भूमि प्रत्येक सदस्य के हिसाब से राजस्व सरकार ने राजस्थान (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम, 1959 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ. 9 (75) राज. / ख / 68, दिनांक-19-7-68, ओर से उप राजस्व सचिव, राजस्व (ख) विभाग, जयपुर वास्ते जिलाधीश, भीलवाड़ा ।

विषय:—थादोड़ा सामुहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:—आपका पत्र सं. आर. ए. / 39/9/68, दि. 1-6-68

उपरोक्त विषय में विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 28-6-68 के प्रसंग में सूचित करने का निर्देश है कि वन विभाग के अधीनस्थ भूमि जो राजस्व को हस्तांरित की गई है उस भूमि में से 15 बीघा भूमि प्रत्येक सदस्य के हिसाब से राज्य सरकार ने राजस्थान (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन), नियम 1969 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

बिजोलिया क्षेत्र के जंगलात के बीड़

28. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिजोलिया क्षेत्र के जंगलात के बीड़ राजस्व में आ चुके हैं ?

(2) यदि आये हैं, तो कौन कौन से बीड़ ? इनका कुल रकबा कितना है ?

(3) क्या यह सही है कि जंगलात से राजस्व में आने के बाद भी बीड़ लसोड़ा का एलॉटमेन्ट रोक दिया गया है ?

(4) यदि यह सही है, तो एलॉटमेन्ट रोकने का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि सैकड़ों भूमिहीन हरिजन, आदिवासी तथा अन्य खेतीहर भूमिहीनों को इन बीड़ों में जमीन दी जा सकती है ?

(6) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री श्री बृजसुन्दर इन बीड़ों की जमीन को साधन-सम्पन्न किसानों को देने का वादा कर चुके थे या आदेश भी दे चुके थे ? यदि आदेश दिया हो, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग से दिनांक 5-1-70 को बीड़ लसोड़ा का 607)3 रकबा एवं केशव विलास का 224॥) बीघा रकबा तहसील माण्डलगढ़ को हस्तांतरित किया गया है।

(2) इसका उत्तर प्रश्न के भाग एक में दे दिया गया है।

(3) आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) यह सही है कि जो रकबा वन विभाग से राजस्व विभाग में आया है, उसे भूमिहीनों को आवंटन किया जा सकता है।

(6) राज्य सरकार ने केवल इस आशय के आदेश प्रदान किये थे कि केशव विलास सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, माण्डलगढ़ को सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार भूमि आवंटन किया जाय। आदेशों की प्रति संलग्न है।
(आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई)

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कम किये गये कर्मचारी

30. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल कितने कर्मचारी थे ? इस वर्ष अकाल नहीं होने के कारण कितनी कमी की गई है और किस किस जिले में सार्वजनिक विभाग के अकाल के खण्ड इस वर्ष भी रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माह सितम्बर से पूर्व राज्य में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं ? अगर नहीं, तो कौन कौन से जिलों में सितम्बर के बाद भी कार्य चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें और इसके क्या कारण हैं तथा इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन कौन से अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिये किस जिले में कितनी राशि और मांगी गई है ?

उत्तर

(1) सूची (क) प्रस्तुत है।

(2) सड़क निर्माण कार्य 15 अगस्त, 1970 से बन्द है। अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

सूची 'क'

(A):	Person engaged in P.W.D. on 15-8-70.	Persons declared surplus on closure of famine in 1970.	Persons Retrenched. on closure of famine in 1970.
Gazetted	297	3*	—
Engineering Subordinates	866	231**	109
Subordinates Draftsmen etc.	232	—	—
Ministerial	1488	32	45
Class IV	615	7	30
	3496	273	184

* 29 Officers shall be declared surplus with effect from 31-12-70.

** 70 shall be declared surplus with effect from 31-12-70.

(B): Skeleton staff has been sanctioned by Government for 3 months for closing accounts of famine division. The headquarter of divisions have been located at Udaipur, Churu, Jodhpur, Nagaur and Jalore.

स्थगित प्रश्न
(4-11-70)

पेय जल की व्यवस्था

35. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के 26 जिलों में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें मनुष्य और मवेशी के पीने के लायक मीठा पानी नहीं है ? क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाई है ?

(2) यदि हां, तो कृपया उस सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या खारे पानी वाले गांवों को पीने के लिये मीठा पानी दिये जाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

(4) यदि हां, तो कृपया उस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) यदि योजना नहीं बनाई है, तो क्यों ?

(6) कितने समय में समूचे राजस्थान से पीने के पानी के अभाव को दूर कर दिया जावेगा ?

(7) पिछले भयंकर अकाल से मुकाबला करते समय सरकार ने यह नहीं सोचा कि राजस्थान में पीने के पानी की कितनी भयंकर समस्या है ?

(8) इस समस्या के समाधान पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और क्या वह धनराशि राज्य सरकार जुटा सकेगी ?

(9) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार से पानी के समाधान के लिये प्लान द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है ?

(10) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(11) क्या पिछले अकाल के पश्चात् सरकार ने पीने के पानी की नई योजना भी तैयार की है ?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट (Master plan) के अनुसार 1612 गांवों में मनुष्य और मवेशी के पीने के लायक मीठा पानी नहीं है।

(2) हर पंचायत समिति, जिला व राज्य की कुल मिला कर 259 प्रारम्भिक रिपोर्ट होती हैं जो कि सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं होगा।

(3) जी नहीं। प्रारम्भिक सर्वे की गई है जिसके अनुसार कुल गांव 1612 हैं जिनमें खारा पानी है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) क्योंकि जो प्रारम्भिक रिपोर्ट (Master plan) बनाई है उसके अनुसार भी धनराशि उपलब्ध नहीं हो रही है तो इतनी बड़ी योजना बनाना व्यर्थ सा रहेगा। योजनाएं धनराशि मिलने पर Master plan के अनुसार बनाई जा रही हैं।

(6) प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट (Master plan) के अनुसार अगर धन उपलब्ध

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

होता रहे एवं कार्य प्रगति पर रहे तो सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कार्य पूरा हो सकता है।

(7) तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार पीने के पानी के लिए योजनाएं बनाई गई एवं उनको क्रियान्वित किया गया। वैसे पूरे राज्य का Master plan बना हुआ है लेकिन धनाभाव के कारण सीमित कार्य ही वर्ष प्रति वर्ष किये जा रहे हैं।

(8) लगभग 70 करोड़ रुपये। एक साथ इतनी बड़ी धनराशि जुटाना सम्भव नहीं हो सका।

(9) जी हां।

(10) प्रश्न ही नहीं उठता।

(11) जी नहीं।

Page No. 181

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 98 की सूची)

क्र० सं०	नाम ग्राम	व्यक्तियों की संख्या	पत्रावली 5 वर्ष के बाद की	पत्रावली 5 वर्ष के पूर्व की
1	2	3	4	5
1.	लावा	3	3	
2.	रानपुर	5	5	
3.	मोहनपुरा	1	1	
4.	डोवरा	1	1	
5.	पदमपुरा	2	2	
6.	कंवरपुर	4	4	
7.	आलनिया	9	9	
8.	सारंगपुर	1	1	
9.	रेनकाखेड़ी	1	1	
10.	गोदल्या हेड़ी	1	1	
11.	नादना उर्फ बड़ा गांव	1	1	
12.	घनियानी	28	28	
13.	दीपपुरा	7	7	
14.	पीपलहेड़ी	13	13	
15.	छीपानहेड़ी	6	6	
16.	कीतलहेड़ी	6	6	
17.	शंकरपुरा	13	13	
18.	सीगलहेड़ी	6	6	
19.	कादीहेड़ा	12	12	
20.	गलाना	7	7	
21.	रानीपुरा	9	9	
22.	बड़ोदिया	107	107	
23.	भगवानपुरा	26	26	
24.	बोरियाहेड़ी	21	21	
25.	अरण्डोदा	7	7	
26.	बालापुरा	17	17	
27.	अल्लया	11	11	
28.	मवासा	37	37	
29.	परस्या	15	15	

1	2	3	4	5
30.	चारनहेड़ी	16	16	
31.	टोड़ा जगपुरा	1	1	
32.	गिरधरपुरा	3	3	
33.	नयागांव	1	1	
34.	चन्देसल	3	3	
35.	जोधपुरा	2	2	
36.	रांवठा	3	3	
37.	लाड़पुरा	1	1	
38.	मादत्या	3	3	
39.	कसार	16	16	
40.	दानी	14	14	
41.	फाडाबेडा	1	1	
42.	भंवरिया	1	1	
43.	कोयला	5	5	
44.	कोलीपुरा	1	1	
45.	डोल्या	4	4	
46.	रोझड़ी	1	1	
47.	बिशनपुरा	1	1	
48.	डडवाड़ा	3	3	
49.	उदयपुरा	1	1	
50.	पदमपुरा	9	9	
51.	डोबरा	1	1	
52.	रेनकाखेड़ी	1	1	
53.	धर्मपुरा	2	2	
54.	श्यामपुरा	2	2	
55.	मुकन्दपुरा	22	22	
56.	पचपहाड़	1	1	
57.	हुनोत्या	83	83	
		583	583	

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 102 की सूची)

तालिका (क)

क्र. सं.	नाम शिकायत कर्त्ता	मूल शिकायत क्या है	नाम जांच अधिकारी	नाम अदालत	निर्णय जांच	सजा
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री भागचन्द महाजन, सा. उदयपुर	शिकायत कर्त्ता के भाई राम अवतार को गलत गिरफ्तार करना।	वृत्त अधिकारी, नवलगढ़	—	जांच से शिकायत साबित नहीं हुई।	शिकायत फाईल कर दी गई।
2.	श्री डूंगरदास स्वामी, सा. लालपुर	खुद की गलत गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।	,,	एम. एम. कोर्ट, नवलगढ़	पैण्डिग कोर्ट	—
3.	श्री घनश्याम, नि. खेतड़ी	मारपीट की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न करना।	,,	—	सत्य पाई गई	भविष्य के लिये चेतावनी दी गई।
4.	सी. ओ., नवलगढ़	मु. नं. 32 धारा 456 आई. पी.सी. में मुलजिम के बदयान्ती से जमानत पर छोड़ना।	एस. पी., झूंझुनू	—	पैण्डिग	—

1	2	3	4	5	6	7
5.	सी.ओ., नवलगढ़	मुकदमात की केस डायरियां बदयान्ती से दैराना करने बाबत ।	एस.पी. झुन्झुनु	—	सत्य पाई गई	1 साल की ग्रेड इन्क्रीमैन्ट रोकी गई ।
6.	एस. एच. ओ., खेतड़ी	मु. न. 54/68 की तफतीश में लापरवाही करने बाबत ।	,,	—	साबित नहीं हुई	दोष मुक्त किया गया ।
7.	श्री बन्शी माली, सा. भोपालगढ़	शिकायत कर्त्ता उसके भाई व पिता को नाजायज गिरफ्तार कर मार पिटाई करना ।	,,	एस.डी.एम. खेतड़ी जेर दफा 330 आई. पी. सी.	पैण्डिग कोर्ट	—
8.	श्री सत्यनारायण माली, सा. भोपालगढ़	मु. नं 77/68 में बदयान्ती से गलत व फर्जी कार्यवाही करने बाबत ।	पी.आई., झुंझुनू	—	पैण्डिग	—
9.	श्री महावीरप्रसाद, सूची मंडल, नवलगढ़	लाहोर गल के मेले में ए. एस. आई. द्वारा शराब पीकर मार पीट व अभद्र व्यवहार करना ।	एस. पी., झुंझुनू	—	,,	—
10.	श्री ईसरराम जाट, सा. चारण की ढ़ाणी	ढ़ाणी में मार पीट करना व तंग करना ।	सी.ओ., नवलगढ़	—	जांच से शिकायत साबित नहीं हुई	शिकायत फाईल कर दी गई ।

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 27 की सूची)

Appendix 'A'

Stages to the Distribution of funds for Restoration of Flood in Kota B. & R. Division (1969-70)

S. No.	Name of Road	Allotment	Expenditure
1	2	3	4
	Kota District (with XEN, P.W.D., B.&R., Kota).		
1.	Kota-Jhalawar road	1,00,000	1,05,609
2.	Kota-Uumedganj road	20,000	39,646
3.	Itawa-Pipalda-Ganta road	15,000	7,587
4.	Kota-Kaithoon road	45,000	36,155
5.	Kota-Baran road	1,25,000	1,34,605
6.	Bundi road	1,60,000	1,42,232
7.	Kota-Itawa road	50,000	84,195
	Bundi District (Under SEX, P.W.D. B.&R., Kota).		
1.	Bundi-Kota road	1,20,000	75,226
2.	Bundi-Chittor road	1,00,000	99,102
3.	Talera-Patan road	1,73,000	2,37,592
4.	Bundi-Nainwa road	20,000	22,460
5.	Bundi-Lakheri road	30,000	31,964
6.	Bundi-Deoli road	50,000	60,386
7.	Bundi-Silore road	7,000	7,263

1	2	3	4
	B.&R. P.W.D. DIVISION, JHALAWAR		
1.	Durrah to Suket S. H. No. 1	90,000	48,271
2.	Mangrol-Baran Road Mile No. o to 17 S. H. 19	30,000	85,626
3.	Baran-Bapawar road	80,000	31,829
4.	Kota-Anta-Baran to Border	3,00,000	2,67,394
5.	Atru-Gaughat-Salpura road up to Parwan	2,00,000	2,48,743
6.	Durrah-Sangod-Bapawar with link to road from Ghaneshers to Kaithoon	1,05,000	93,760
7.	Paiaytha-Rajgarh-Sangod road	1,50,000	13,853
8.	(a) Harnawada-Kaimodia road	15,000	20,097
	(b) Bhanwargarh-Nahargarh road	10,000	10,723
	(c) Kishanganj-Mangrol road	5,000	7,415
	(d) Approach road to Sita Bari	5,000	7,254
	(e) Baori to Kocla road	10,000	8,986
	(f) Approach road to Anta Rly. Station	15,000	6,428
	(g) Kherabad-Morak-Chechat road	40,000	1,19,208
	(h) Chhabra to Kawai road	20,000	42,961
	(i) Unda-Ramganj Mandi road	20,000	—
	DISTRICT JHALAWAR		
1.	Suket-Jhalawar Road	3,00,000	3,16,173

1	2	3	4
2.	Jhalawar-Aklera up to Bagder	1,50,000	2,56,218
3.	Bherupura-Khanpur-Jhalawar road	75,000	1,40,016
4.	Jhalawar-Agar and portion of Dag to Chaumehla up to Raj. Border including approach Chatterpur Rly. Station	2,30,000	4,79,367
5.	Panwar to Aklera & Aklera to Maharajpura up to Raj. Border.	90,000	1,34,484
6.	Patan-Raipur-Agar road	1,40,000	1,12,691
7.	Pirawa-Soyet road	40,000	58,270
8.	Pirawa-Sunel-Sulia road	60,000	1,10,517
9.	Mandawar-Rooparel-Bakani up to Rajasthan border road	60,000	1,68,973
10.	Richhwa-Bhalta road	25,000	38,665
11.	Khanpur-Taraj-Arnia road.	20,000	45,993
12.	Hawa Sarak	10,000	13,537

परिशिष्ट 7

(प्र. प्र. सं. 33 की सूची)

नकल आदेश तहसीलदार देसूरी ता. 25-6-68 मु. नं. 1172/66

25-6-68 पत्रावली आज पेश हुई।

गे. सायल श्री थाना बावजूद तामिल नोटिस अनुपस्थित इस मुकदमें में हम दिनांक 4-3-68 को मौका देख चुके हैं। मौका देखने से मालूम हुआ कि ख. नं. 1594 का यह रास्ता कदिमी से है।। व वक्त सेटलमेन्ट से भी यह रास्ता रेकार्ड में दर्ज है।

गे. सा. थाना वल्द रूपा कौम माली सा. सादड़ी ने अपने बयानों में बताया कि यह रास्ता आने जाने के काम में आता था। श्री रतना, धीरा, हिमताराम व पन्ना ने यह रास्ता धीरे धीरे बन्द कर दिया। व वक्त सेटलमेन्ट से भी यह रास्ता निकलता था।

पटवारी सादड़ी च. नं. 2 की रिपोर्ट के अनुसार भी ख. नं. 1594 रेकार्ड में रास्ता दर्ज है। इस पर श्री पन्ना पुत्र श्री मुला माली व धन्ना, भीमा पि. भेरा चिमना वल्द कूमा रेवाड़ी व हिमता वल्द बुधा नाई ने कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है।

पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भूतपूर्व तहसीलदार जी श्री धारीवाल साहब ने भी आकर मौके पर यह रास्ता खुलवाया था। मगर धना वल्द गुला माली ने वापस ईटों का डेर लगाकर रास्ता बंद कर दिया है।

राजस्व परिपत्र एफ 6 (27) राजस्व (ख) 67, दिनांक 22-8-64 के अनुसार यदि वं.प्रं. रास्ता पर किसी ने नाजायज कब्जा कर रास्ता बन्द कर दिया हो तो फौरन खुलवाया जावे। इन उपरोक्त बजुआज को देखते हुए यह रास्ता खुलवाना अतिआवश्यक है। श्री पन्ना, तेजा व भीमा के खेत पर जाने के लिये इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। अतः पटवारी सादड़ी को आदेश दिया जाता है कि पुलिस की मदद ली जाकर यह रास्ता माफिक नक्शा फौरन खुलवाया जावे।

पत्रा. बाद तामिल दफ्तर दाखिल हो।

ह.
तहसीलदार देसूरी।

कार्यालय तहसील, देसूरी

नं. राज/641 दिनांक 27-9-68

प्रति-पटवारी च-2

विषय:—राजस्व 3 सं. 1172 गोपाराम बनाम तेजीया वगैरा

उपरोक्त मुकदमे में इस अदालत द्वारा आदेश दिया गया है कि मौजा सादड़ी चक-2 में स्थित आराजी खसरा नं. 1594 जो रेकार्ड में रास्ता दर्ज है उस पर घना, व० गुणमाली, धना, भीमा पि. भेरा, चिमना पुत्र कूमा रबारी व हिमता पु. बुधा नाई द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रास्ता बंद करा दिया है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि ख. नं. 1594 का रास्ता खुलवाया जाये अगर आवश्यकता हो तो पुलिस की मदद ली जावे।

ह०—

तहसीलदार देसूरी।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	16	आयं	आर्य
5	अन्तिम से 2	खराव	खराब है
10	9	कोर्स	केस
11	शीर्ष	रधुनाथ	रघुनाथ
11	20	रेकरिंग	रेकरिंग
13	अन्तिम से 7	सिघवी	सिंघवी
15	,, 11	गिरफतारी	गिरफ्तारी
16	7 व 16	श्रा	श्री
23	अन्तिम से 11	बरहाल	बहरहाल
25	,, 6	श्रा	श्री
30	2	मामनीय	माननीय
34	अन्तिम से 9	ऊतर	उत्तर
41	,, 4	माननाय	माननीय
42	,, 1	जानकरी	जानकारी
43	1	श्रा घालसिह सोढ़ा	श्री बालसिंह सोढ़ा
47	1	उपाध्गक्ष	उपाध्यक्ष
47	3	खते	देखते
47	अन्तिम से 7	यहोदय	महोदय
48	8	सिधवी	सिंघवी
53	अन्तिम से 3	मंने	मैंने
55	,, 3 व 16	आॅडर	आॅर्डर
55	,, 2	श्रा	श्री
65	,, 16	काहते	चाहते
65	,, 1	वप	वर्ष
66	10	सदस्यो	सदस्यों
66	13	से	के
69	22	इन्क्वारी	इन्क्वायरी
72	अन्तिम से 7	क्यों	क्यों
74	4	ह्रों	हों
75	अन्तिम से 3	सम्बअ	सम्बन्ध

1	2	3	4
79	अन्तिम से 19	˚डिग है	पेंडिग हैं
80	3	(भादरा :	(भादरा):
81	16	उत्त	उत्तर
81	18	बटेट	बट्टे
83	अन्तिम से 6	नास	वास
85	,, 6	सोचनीय	शोचनीय
87	,, 7	ता	तो
88	12	सीम	सीमा
88	अन्तिम से 4	सोचनीय	शोचनीय
93-94	शीर्षक	पर	पर
93	13	जर्नान	जर्मान
95	2	ए	एक
95	8	अनुमर्ि	अनुमति
105	8	स्वस्य	स्वस्थ
108	अन्तिम से 9	conce-	concer-
110	,, 7	सरे	सारे
112	,, 13	मैं में	में मैं
113	,, 2	हं	हूं
117	1	उपध्यक्ष	उपाध्यक्ष
131	1	उपाव्यक्ष	उपाध्यक्ष
166	अन्तिम से 3	मतल	मतलब
166	,, 1	ी	की
167	,, 14	कानन	कानून
170	4	सभपति	सभापति
187	1	भूतपूव	भूतपूर्व
189	17	अप	आप
258	2	बानाने	बनाने
261	20	महमूस	महसूस
262	अन्तिम से 16	चहता	चाहता
262	,, 10	सपष्ट	स्पष्ट
264	5	खार्ि ज	खारिज
265	24	को	—
266	13	कन्सोलिटेड	कन्सोलिडेटेड
282	अन्तिम से 1	Goveroment	Government

3

1	2		3	4
301	अन्तिम से	3	सताब्दी	शताब्दी
302	,,	11	कॅंसिल	कैंसिल
304	,,	3	लाइटल	लाइटली
313	,,	13	Ganta	Anta
323	,,	1	लि	लिये
329		1	सोटर	मोटर
334		15	काफा	काफी
336		3	गुम्ता	गुप्ता
345	अन्तिम से	1	(आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई)	(आदेश की प्रति के लिए कृपया पृष्ठ संख्या 343 देखिये)

———